राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10 चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का 66 वां दिवस संख्या 38

बुधवार,
दिनांक 19-5-71.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.2 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

जन सम्पर्क, गृह, राजस्व, कृषि, खनिज सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन, सहकारिता समाज कल्याण, उद्योग विभाग।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। स्थगित प्रश्न मैं पहले ले लेता हूं, अगर आपकी अनुमति हो। ताकि समय में ले सकूं।

स्थगित प्रश्न (5-5-71)

श्री विश्नोई!

तहसील सांचोर में भूमि का आवंटन

640. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पिछले पांच सालों में भूमिहीन काश्तकारों को तहसील सांचोर में कुल कितनी भूमि आवंटित की गई है तथा किस किस साल में कितनी-कितनी की गई है? उसमें सालवार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति को भूमि आवंटन का क्या प्रतिशत रहा?

(2) उपरोक्त आवंटित भूमि की क्या सारी सनदें अब तक जारी कर दी गई हैं? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो कितनी सनदें आवंटित भूमि की सालवार जारी करना बकाया है? वे सनदें कब तक जारी कर दी जावेंगी?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त पांच वर्षों में आवंटित भूमि का भूमिहीन काश्तकारों को अब तक पूरा कब्जा नहीं दिया गया है? अगर हां, तो कितने ऐसे काश्तकारों को अब तक आवंटित भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है? उसमें कितने काश्तकार अनुसूचित जाति व जन जाति के हैं?

(4) अब ऐसे तमाम भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित भूमि का कब्जा कब तक दे दिया जावेगा?

(5) सिर्फ अनुसूचित जाति व जन जाति के भूमिहीन काश्तकारों को भूमि आवंटन के आदेश जारी होने के बाद से अब तक कितने ऐसे लोगों को भूमि आवंटित की गई है? वास्तविक कब्जा कितने ऐसे लोगों को दिया गया है। तथा सभी ऐसे लोगों को आवंटित भूमि का कब्जा कब तक सुपुर्द कर दिया जावेगा?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) :

(1) तहसील सांचोर में पिछले पांच सालों में भूमिहीन काश्तकारों को किये गये भूमि आवंटन का पूर्ण विवरण संलग्न मानचित्र में अंकित है।

(2) उपरोक्त आवंटित भूमि में से 1572 सनदें जारी करना बकाया है, जिसका सालवार विवरण संलग्न मानचित्र के खाना नं. 10 में अंकित है। बकाया सनदें जारी करने का कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर दिया जावेगा।

(3) उपरोक्त आवंटित भूमि में से 79 काश्तकारों को अभी तक पूर्णत: कब्जा नहीं दिया जा सका है, जिनमें से अनुसूचित जाति के 13 व अनुसूचित जन जाति के 10 काश्तकार हैं।

(4) ऐसे सभी मामलों में कार्यवाही जारी है और कब्जा शीघ्र देने की कार्यवाही की जा रही है।

(5) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति को आवंटन करने के आदेश जारी होने के बाद 24 अनुसूचित जाति के तथा 14 अनुसूचित जन जाति के लोगों को भूमि आवंटन की गई है। इन सभी को कब्जा दे दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ठ 1 देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई : जैसा बताया, अनुसूचित जाति और जन जाति के जिन लोगों को कब्जा नहीं दिया गया है, उन्हें कब्जा देने की कितने साल से कार्यवाही चल रही है?

श्री गंगाराम चौधरी : आपने जो सूचना चाही है, संवत् 2023 से···

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह एलाटमेंट कब हुआ जिनको कब्जा देना बाकी है?

श्री गंगाराम चौधरी : 2023 से 2027 तक के एलाटमेंट में कब्जा देना बाकी है, वह 24 और 14 मामले हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कितने साल से पेंडिंग हैं जिनको जमीन एलाट कर दी लेकिन कब्जा नहीं मिला है? मेरा प्रश्न है कि कितने साल से कब्जा देने की कार्यवाही चल रही है?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया, पांच वर्ष के आंकड़े हैं, कुछ 2023 के हैं, कुछ 2024 के हैं, कुछ 2025 के हैं-इनमें अनुसूचित जाति और जन जाति के जिन लोगों को कब्जा नहीं दिया गया है, वह 24 अनुसूचित जाति के हैं तथा 14 अनुसूचित जन जाति के हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पांच साल पहले एलाटमेंट कर दिया, लेकिन कब्जा नहीं दिया गया तो एलाटमेंट करने का क्या फायदा हुआ? उनको पजेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है।

श्री गंगाराम चौधरी : दिक्कत अलग अलग है, तीन चार कारण हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें जमीन के सम्बन्ध में कुछ लोगों ने अदालत में दीवानी दावे कर रखे हैं, उनकी वजह से देर होगई। कुछ ऐसे हैं, जिनमें नाजायज कब्जे हैं और वह अभी तक बेदखल नहीं हुए हैं। यह तीन चार कारण

Page No 3

(श्री गंगाराम चौधरी)

हैं, जैसा मैंने निवेदन किया, पांच साल में जो भी आवंटन हुए, उनमें कब्जा देने के, अनुसूचित जाति और जन जाति के मामले हैं, वह केवल 38 हैं, इससे अधिक नहीं हैं, कोई बड़ी संख्या नहीं है। इनके लिए जिलाधीश को कहा है कि कब्जा दिलाये जाने का प्रयत्न करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : 1572 सनदें जारी करना बकाया है, तो एलाटमेंट कब हुआ और सनदें जारी क्यों नहीं हुई ?

श्री गंगाराम चौधरी : एलाटमेंट अलग अलग साल के हैं, सनदों के मामलों में जैसा सूची से स्पष्ट होगा, कुल मामले 1572 हैं जिनमें से बहुत से मामलों में लोग पिछले वर्ष के अकाल के कारण सनद की फीस जमा नहीं करवा सके। आम तौर पर यह रिवाज है कि लगान की वसूली होती है उसके साथ ही सनद की फीस दे देते हैं। पिछले साल लगान की वसूली स्थगित रही, इस कारण अलग से सनद की फीस अगर अलग से जमा करवा दें तो सनद दी जा सकती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, सनद की फीस पटवारी को दी जा चुकी है, उसको फीस बराबर देते हैं, लेकिन सनद जारी नहीं करते हैं। जो सूची में नक्शा सामने है, उससे पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जितनी सनदें देना बाकी है, कब्जा देना बाकी है, मेरा निवेदन है कि उससे साफ है कि नाम मात्र को जमीन का एलाटमेंट कर देते हैं, पटवारी झूठा कह देता है कि जमीन एलाटमेंट कर दी है जब कि दूसरों का कब्जा होता है, तीन चार बार सनद फीस लेने के बाद भी सनद जारी नहीं करते हैं। यह मामला गम्भीर है, आप रिपोर्ट क्यों नहीं मांगते हैं, एक्शन क्यों नहीं लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : पर्सनल इन्ट्रेस्ट लेकर इसको निपटाने का प्रयत्न करें।

श्री गंगाराम चौधरी : अवश्य।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह नीति का प्रश्न है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि सरकार को कोई एलाटमेंट करना है तो ऐसी भूमि का एलाटमेंट होना चाहिए जो विवादग्रस्त नहीं हो अगर विवादग्रस्त भूमि का एलाटमेंट किया जाता है तो एलाटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। ऐसी सब जगह आम शिकायतें हैं, खास करके आदिवासी और हरिजनों की जिनके निर्बल के बल राम हैं, उनको कुछ सहूलियत कोई देने वाला नहीं है, तो फिर एलाटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है, एलाटमेंट करें, खास करके आदिवासी और हरिजनों को एलाटमेंट करें तो विवादग्रस्त भूमि नहीं हो। ऐसे एलाटमेंट का क्या अर्थ है, जब एलाटमेंट करने के बाद में उनको लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे एलाटमेंट का अर्थ नहीं है, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या एलाटमेंट की और कब्जे की रिपोर्ट मंगाना उचित समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष : जल्दी करेंगे। मन्त्री महोदय ने कहा, प्रयत्न कर रहे हैं सबको कब्जा दिलाने का। नेक्स्ट।

स्थगित प्रश्न
(5-5-71)

गैर सरकारी व्यक्तियों को दिये गये सरकारी भवन

653. श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि कुछ सरकारी अधिकारी सरकारी नौकरियों से दूसरे विभाग में डेपूटेशन पर जाने के बाद भी सरकारी भवन खाली नहीं कर गये हैं और अभी भी उन्हीं के नियंत्रण में हैं ? यदि हां, तो किस किस क्लास के भवन किस किस अधिकारी के पास कब कब से हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि वे सरकारी भवन जो नियमित सरकारी नौकरियों में अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए है कुछ गैर सरकारी लोगों को भी दिये हुए हैं ? यदि हां, तो किस किस क्लास के भवन किस किस गैर सरकारी व्यक्ति को कब कब से और कितने किराये पर दिया हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

श्री श्रवण लाल : मुझे सूची प्राप्त नहीं हुई है ?

श्री अध्यक्ष : सूची नहीं मिली है।

श्री माधोसिंह : सूची दे दी गई है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कह दूं, इस के अन्दर जिन जिन का कब्जा अनधिकृत तौर से, गलत तरीके से है, वह मामले सामान्य प्रशासन के नीचे आते हैं, वह कार्यवाही कर रहे हैं खाली कराने के। हमारे नीचे आते हैं भवन उनका खाली कराने की हम कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री लाभचन्द वेद !

स्थगित प्रश्न

(6-5-71)

सीकर नगरपालिका के तत्कालीन अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें

655. श्री लाभचन्द वेद (सुजानगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सीकर नगरपालिका के तत्तकालीन अध्यक्ष श्री सोमनाथ के विरुद्ध सन् 1960 से लगातार जब तक वे अध्यक्ष पद पर आसीन रहे, नगरपालिका के सदस्यों, प्रमुख नागरिकों, एवं राजनैतिक दलों की ओर से उनके भ्रष्टाचार फैलाने, पब्लिक के धन का दुरुपयोग करने, नजूल भूमि की नाजायज बिक्री करने इत्यादि की अनेक शिकायती दरख्वास्तें डाइरेक्टर, लोकल बाडीज, राजस्थान, जयपुर व राज्य सरकार को दी गई थी ? यदि हां, तो दरख्वास्तें किस

(श्री रामचन्द्र वैद)

किस की ओर से कब कब, किस किस अधिकारी को दी गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इन दरख्वास्तों पर राज्य सरकार द्वारा किसी विभागीय अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था? यदि हां, तो जांच अधिकारी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि जांच अधिकारी को कलेक्टर सीकर ने 400 मिसलें जिनमें उक्त श्री सोमनाथजी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध होते थे, जांच अधिकारी को दी थीं? यदि हां, तो उन 400 मिसलों की सूची अनुदान सहित सदन की मेज पर रखी जावे।

(4) क्या यह सही है कि उक्त जांच अधिकारी की प्रारम्भिक जांच के फलस्वरूप उक्त श्री सोमनाथजी, अध्यक्ष व एक अन्य सदस्य को निलंबित किया गया था? यदि हां, तो निलंबन आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(5) क्या जांच अधिकारी द्वारा श्री सोमनाथ अध्यक्ष व उनके सहयोगी श्री कालूराम, चेअरमेन, नजूल कमेटी, नगरपालिका सीकर को कोई चार्ज शीट दी गई थी? यदि हां, तो चार्ज सीट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(6) क्या यह सही है कि उक्त श्री सोमनाथ अध्यक्ष के खिलाफ ट्रेक्टर, ट्राली व जीप आदि की खरीद में भ्रष्टाचार सम्बन्धी कई शिकायतें सरकार के पास हुई और सरकार द्वारा उसकी जांच करवाई गई थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जावे।

(7) क्या श्री सोमनाथ अध्यक्ष के खिलाफ फिर से सन् 1966 व सन् 1968 में चार्जशीट दी गई थी? अगर हां, तो चार्ज शीट की कापी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(8) क्या श्री सोमनाथ अध्यक्ष ने नगरपालिका से ता. 22-6-64 को श्री दीवानचन्द्र अपने पिता के नाम से कोई जमीन रास्ते ग्राम पर खरीदी थी? अगर हां, तो उस जमीन की निलामी हुई थी? अगर नहीं तो क्यों? उस जमीन की कितनी कीमत परिषद के खजाने में जमा हुई और कितनी उसमें से वापस ली? वापिस राशि किसने प्राप्त की?

उपमंत्री स्वायत्त शासन (श्री खेतसिंह): (1) वर्ष 1962 से जो जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(4) जी हां। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी हां। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री खेतसिंह)

(6) जी हां। ट्रैक्टर खरीद सम्बन्धी खरीद की जांच की रिपोर्ट का मामला प्रश्न के खण्ड 2 में रखी गई जांच रिपोर्ट में सम्मिलित है। इसलिए अलग से रिपोर्ट रखने का प्रश्न नहीं उठता है। जीप के सम्बन्ध की जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(7) जी हां। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(8) जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री लाभचन्द वैद : यह सूची दी है शिकायत कर्ताओं की, वह किन किन ने दी है। यह स्पष्ट जानकारी मांगी है किनके पास शिकायत की, आपने नाम नहीं दिये।

श्री खेतसिंह : जिन जिन को शिकायत की उनकी सूची है।

श्री लाभचन्द वैद : आपने आठ आदमियों की सूची दी है, उन्होंने किसके पास शिकायत की है वह नहीं दी है। मेरे प्रश्न में स्पष्ट पूछा है किसके पास शिकायत की है।

श्री अध्यक्ष : इसकी जानकारी नहीं की है।

श्री खेतसिंह : किस किस के पास की है राज्य सरकार के पास और कलेक्टर के पास शिकायतें आईं। उन सारी शिकायतों की जांच की गई है और जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि दी गई है।

श्री लाभचन्द वैद : मैंने प्रश्न पूछा है उसके अन्दर कहा है।

अध्यक्ष : मालूम नहीं है दूसरा प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री लाभचन्द वैद : मैं पूछना चाहता हूं कि जो अग्रवाल साहब थे, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मुझे सरकारी तौर पर देखने से नजर आ रहा है, उससे अनेक आरोप सिद्ध होते हैं, इसलिए जब तक इसको निलंबित न किया जाए तब तक सब लोग गवाही देने से डरते हैं इसलिए जांच नहीं हो सकती। इसके बाद मैं जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा, वह रिपोर्ट मुझे नहीं दी गई।

श्री खेतसिंह : जो उपलब्ध रिपोर्ट है उसके अनुसार 1-11-62 को अध्यक्ष नगरपालिका को निलंबित कर दिया गया और एन्क्वायरी होने के बाद से जबाब मांगा गया था और जबाब आने के बाद में मन्त्री महोदय ने इसकी सुनवाई की, सुनवाई करने के बाद यह माना कि इनके खिलाफ कोई गम्भीर आरोप नहीं हैं जिनके कारण इनको पद से हटाया जाए। इन्होंने इरेग्यूलर्टीज की हैं। इनके सिवा कोई ऐसा बड़ा सबूत नहीं है, न ऐसा किसी प्रकार का आरोप था जिसके जरिये इनको हटाया जाए।

श्री लाभचन्द वैद : उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि आरोप सिद्ध हुए हैं। तो मंत्री महोदय ने स्वयं ने जांच की थी सीकर जाकर।

श्री खेतसिंह : जी हां उन्होंने सुनवाई उस समय की जब वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मन्त्री थे, स्वयं ने की थी। उनके सामने पेशी पड़ी थी। बहस हुई थी, उसके बाद में वे सैटिसफाईं हुए थे··

श्री लाभचन्द वैद : जांच कहां हुई ? जयपुर में या सीकर में ?

श्री खेतसिंह : जयपुर में हुई थी।

श्री लाभचन्द वैद : जयपुर में गवाह कहां से आते ?

श्री खेतसिंह : आने जाने के रास्ते हैं, मोटरें हैं, रेल है।

श्री लाभचन्द वैद : इसमें बहुत सी बातें हैं। कालूराम के खिलाफ जो आरोप पत्र दिया गया है, वह ऐसा है जो पढ़ा नहीं जा सकता है, मैंने काफी कोशिश की कि इसको पढ़ूं लेकिन किसी तरह से पढ़ नहीं पाया कि क्या चार्ज शीट लगाई गई और किस तारीख को पढ़ा नहीं गया।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जो कापी दी गई है वह लेजीबुल नहीं है।

श्री लाभचन्द वैद : मैंने हाई क्लास चश्मा लगा कर पढ़ने की कोशिश की, फिर भी पढ़ नहीं पाया, अगर कोई भी माननीय सदस्य तो आप जो उचित··

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न पूछें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लेकिन यह क्या एनक्वायरी है, क्या रिपोर्ट, सारी की सारी कापियां ऐसी हैं जो बिल्कुल पढ़ी नहीं जा सकतीं। बार बार आपत्ति हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : (ट्रेजरी बैन्चेज से) : क्या है यह ?

श्री लाभचन्द वैद : मन्त्री महोदय ने जांच की उसकी रिपोर्ट मुझे नहीं दी ?

श्री खेतसिंह : आपको देने की आवश्यकता नहीं है। मन्त्री महोदय ने सुनने के बाद यह निर्णय लिया है कि उनके खिलाफ ऐसे कोई गम्भीर आरोप नहीं थे जिससे उनको पद से मुक्त कर दिया जाता लिहाजा बहाल कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता

श्री लाभचन्द वैद : कालूराम पर आरोप लगाया गया नाजायज कब्जे पर मकान बना देने की इजाजत दी गई। हजारों रुपयों की जमीन सस्ती कीमत पर दे दी गई, इस तरह आर्थिक हानि पहुंचाई गई, कब्जा किसी का··

श्री अध्यक्ष : कितने हैं आरोप ?

श्री लाभचन्द वैद : कब्जा किसी का, जमीन किसी को दे दी, लिख दिया स्वयं जाकर मौके पर देखें। एक जगह एग्जीक्यूटिव अधिकारी कहते हैं कब्जा उसका नहीं है, वह स्वयं बयान देता है। कब्जा अमुक अधिकारी का है।

श्री अध्यक्ष : इस पर निर्णय हो गया है।

श्री खेतसिंह : कुछ केसेज में हो गया है, कुछ में पेन्डिंग है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि तत्कालीन कलक्टर श्री आर. एस. मजीठिया जिस समय सीकर के कलक्टर थे उन्होंने जांच रिपोर्ट में लिखा है, कि सीकर नगरपालिका के अध्यक्ष सोमनाथ ने अपने पिता दीवान चन्द को 9 रुपये फुट के हिसाब से जमीन दे दी और पैसा जमा कराने के बाद इन्होंने स्वयं ने अपने पिता को 6 रुपये फुट के हिसाब से पैसे वापिस कर दिये और क्या यह सही है कि मजीठिया ने यह भी जांच रिपोर्ट में लिखा है कि अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए हैं, इस प्रकार से अध्यक्ष ने, जब प्रधान मन्त्री लाल बहादुर शास्त्री सीकर में आये थे, तो जंगल की सफाई के नाम पर हजारों

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
रुपये उठाये हैं जबकि कोई जंगल नहीं था। इस पैसे का उन्होंने दुरुपयोग किया, फर्जी बिल बनाये। क्या यह सही है कि मजीठिया ने अपनी रिपोर्ट के अन्दर यह लिखा है कि अध्यक्ष ने जो जीप खरीदी वह न नगरपालिका के नाम से है न रजिस्ट्रेशन है, जीप का पता नहीं, जीप की मेनटेनेन्स के नाम पर नगरपालिका के कोष से हजारों रुपये खर्च किये, क्या मजीठिया ने यह भी लिखा है कि ट्रेक्टर और ट्रोली के नाम पर जो खरीद की गई है, वह फर्जी है, कोई ट्रेक्टर नहीं लिया है। अजमेर फर्म से खरीदी गई है, वह बोगस है।

श्री खेतसिंह : यह सही है कि सोमनाथ के पिता दीवान चन्द के नाम से जमीन खरीदी गई। दीवान चन्द ने खुद ने दरख्वास्त दी थी कि वह जमीन लेना चाहते हैं। इस पर 22-4-64 को 9) रु. प्रति गज के हिसाब से 111×25 का प्लाट था, उसके बाद में वहां की नजूल कमेटी ने रेट घटा कर तीन रुपये कर दिया इसी पर बाद में शिकायत की गई, उसका केस पेंडिंग है, उस पर निर्णय नहीं हुआ है, स्टे आर्डर दे दिया गया है और उस जमीन पर अभी भी...

श्री अध्यक्ष : दूसरा चार्ज ले लें।

श्री खेतसिंह : दूसरी बात है जीप के बारे में। जांच जरूर हुई उससे साबित हुआ है कि जीप बिल्कुल नियमानुसार खरीदी हुई थी, घोटाला नहीं पाया गया...

श्री अध्यक्ष : तीसरा चार्ज।

श्री खेतसिंह : ट्रेक्टर ट्राली के बारे में जो जांच हुई उसके अनुसार कोई घोटाला नहीं था और ठीक तरीके से खरीद की गई, उसके लिए लोकल फंड आडिट विभाग के द्वारा उसकी जांच की गई, उससे साबित हो गया कि उसके खिलाफ कुछ नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मन्त्री महोदय कहते हैं कि जीप के मामले में कोई घोटाला नहीं हुआ। वह जीप आज तक नगर-पालिका के नाम पर नहीं है, न नगरपालिका के नाम पर रजिस्ट्रेशन है, जीप का पता नहीं है?

श्री अध्यक्ष : जांच से यह निकलता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि नगरपालिका के चेयरमेन ने, वहां के जो शराब के ठेकेदार हैं, म्यूनिसिपिल चुंगी की आय होती है। एक पैसा वसूल नहीं किया...,

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज! प्रश्नकर्ता।

श्री लाभचन्द वैद्य : प्रश्न संख्या 8 के अन्दर कहा जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। जब आरोप पत्र में स्पष्ट है कि उन्होंने पिता के नाम से जमीन खरीदी है, मैंने पूछा कि क्या जमीन खरीदी गई, क्या उस जमीन की नीलामी हुई थी? आपने कहा जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री खेतसिंह : पहले मैं गाड़िया साहब का जवाब दे देता हूं। जहां तक श्री गाड़िया ने कहा, रजिस्ट्रेशन हुआ उनके नाम से है या नगरपालिका के नाम से, इस बात की मेरे पास जानकारी नहीं है। मैं जांच करा लूंगा हालांकि स्वयं के नाम से होनी नहीं

Page No 9

(श्री खेतसिंह)
चाहिए, नगरपालिका के नाम से होनी चाहिए थी। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करू कि आप बिल्कुल राजनैतिक और संकुचित पार्टी बायस्ड न हो, जितनी चार्जिज आपके जन संघ दल ने लगाये...

श्री लाभचन्द वैद : कांग्रेस की तरफ से भी है ...

श्री खेतसिंह : पूरी जांच होने के बाद....

श्री देवीदत्त गाड़िया : कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आप उनको पनाह दे रहे हैं, इस व्यक्ति के खिलाफ कम से कम एक हजार आरोप पत्र हैं। इन्होंने नगर पालिका का 40 लाख का नुकसान पहुंचाया है, खा गए। इसके अन्दर शराब के ठेकेदारों में कांग्रेस उप मंत्री का पैसा है, कांग्रेस के मन्त्री के भाई होने के कारण से, उस शराब के ठेकेदार से चुंगी की वसूली नहीं की और.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कांग्रेस अध्यक्ष है इसलिए उनको बचाया जाता है, लाखों रुपए की संपत्ति इस आदमी ने टैक्ट्रों में.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! दूसरा प्रश्न लेने दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस सोमनाथ के खिलाफ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : चेयरमैन ने ट्रैक्टर और जीप खरीदी जो घोटाला किया था। आपने सस्पेंड किया जमीन बांटने के नाम पर झुन्झुनू के चेयरमेन को। इसको आपने किस प्रकार से बहाल कर दिया। एक कारण है, क्योंकि यह कांग्रेस अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और सीकर नगरपालिका को...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, भाषण न दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : 27 लाख का नुकसान पहुंचाया है। आरोप है हमारा डाइरेक्टर आफ लोकल बोडीज ने आरोप लगाया है...

श्री अध्यक्ष : दूसरे प्रश्न भी हैं, तीन स्थगित प्रश्नों पर ही सारा समय लगादें क्या ? श्री रामसिंह कुड़ी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो आरोप बताए हैं क्या मन्त्री महोदय चार्ज सीट सदन की मेज पर रखने को तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष : दूसरे माननीय सदस्यों के समय पर आप एन्क्रोचमेंट न करें। आप सब का समय ले लेते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या मन्त्री महोदय जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने को तैयार हैं ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : ये हमेशा दूसरों का समय ले लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री कुड़ी।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

श्री लाभचन्द वैद : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का तो जवाब दिलाइये।

उन्होंने कहा जी नहीं।

श्री देवीदत्त पारीखा : डिमान्ड के समय पर भी यह प्रश्न उठाया था लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्वयं महसूस करेंगे कि तीन प्रश्नों पर ही इतना समय निकल गया है। 20 मिनिट निकल गये हैं। आप अन्य प्रकार से इसको उठा लीजिये।

श्री कुड़ी।

श्री लाभचन्द वैद : मेरे प्रश्न का तो उत्तर दिलवा दीजिये। गलत जवाब दिया है उसका क्या होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, 28 प्रश्न अभी अवशेष हैं। एक प्रश्न पर ही सारा समय समाप्त हो रहा है। और किसी ढंग से इसको उठा लीजिये।

श्री कुड़ी।

स्थगित प्रश्न
(6-5-71)

नागौर जिले की अधूरी सड़कें

673. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नागौर जिले की जायल व नागौर तहसीलों के अकाल राहत कार्यों में शुरू हुई कौन कौन सी सड़कें अधूरी हैं एवं उनमें क्या अधूरापन है ? कितना कितना खर्चा प्रत्येक पर हो गया है एवं स्वीकृत सड़क को पूरा करने पर अब कितना व्यय करना पड़ेगा ?

उपमंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा) : सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

कार्य के पूरा करने के लिये रुपये 50.39 लाख की आवश्यकता होगी।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री रामसिंह कुडी : वह जो सूचना आपने दी है आपने सड़क पर अर्थ वर्क बताया। क्या उस सड़क पर कोई अर्थ वर्क भी हुआ है ? जायल तहसील चाऊ सुरपालिया सड़क।

श्री माधोसिंह : ग्रेवल रोड के लिये फरमाया था आपने। अर्थ वर्क तो उस पर पूरा हो गया।

श्री रामसिंह कुडी : क्या जांच कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री माधोसिंह : कोई अनियमितता हो तो बताइये।

श्री रामसिंह कुडी : सारी की सारी सूची इनकरेक्ट है। वह सूची किस अधिकारी ने दी है ?

श्री अध्यक्ष : सब की ही आप जांच करा लें।

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा : जांच करा लूंगा।

श्री रामसिंह कुडी : किस अधिकारी के द्वारा दी गयी है ?

श्री माधोसिंह : चीफ इन्जीनियर से मिली है। हमारे दफ्तर में कम्पाइल किया है। गलत जवाब है और यदि कार्य नहीं हुआ है तो इसकी जांच करली जावेगी।

श्री रामसिंह कुडी ; सड़क ही नहीं बनी, अर्थ वर्क ही नहीं हुआ। बिलकुल हलाहल है।

श्री अध्यक्ष : आप अपने स्तर पर इसकी जांच करा लें।

श्री लाभचन्द वैद : यह सूची दी है। बार बार ताड़ना दी है आपने अध्यक्ष महोदय। इसका अर्थ क्या निकलता है? इतना कहना भी ये लोग नहीं मानते हैं?

श्री अध्यक्ष : अभी इसको बीच में तो न उठाइये। दूसरा प्रश्न उठाइये। वापिस ले लेता हूं। श्री पृथ्वीसिंह।

जनसम्पर्क अधिकारी पाली द्वारा चपरासी की पत्नी के साथ बलात्कार

839. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (पाली): क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा अपने दफ्तर के एक चपरासी बंशीलाल की पत्नी के साथ बलात्कार करने सम्बन्धी कोई शिकायत जन सम्पर्क निदेशक एवं जिलाधीश पाली को प्रेषित की गई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि अब उस चपरासी को डराया धमकाया एवं नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जा रही है और क्या इसकी भी उसने कोई शिकायत की है?

राज्य मंत्री गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी हां, जन सम्पर्क अधिकारी पाली द्वारा अपने दफ्तर के चपरासी, श्री बंसीलाल की पत्नी के साथ बलात्कार करने के बारे में शिकायत निदेशालय में प्राप्त हुई थी व इसके सम्बन्ध में मामले की प्रारम्भिक जांच के लिये अति. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग को पाली भेजा गया था ताकि उनकी रिपोर्ट आने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जा सके उनकी रिपोर्ट के अनुसार तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है अतः घटना सही नहीं मानी जा सकती।

(2) जी नहीं। इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री पृथ्वीसिंह : आपने फरमाया कि कोई शिकायत-पत्र नहीं मिला जिलाधीश को। 31-3-71 के पेपर में पढ़ा था। चपरासी बंसीलाल ने रजिस्टर्ड लेटर द्वारा शिकायत अधिकारियों को की कि उसकी पत्नी के साथ जन सम्पर्क अधिकारी पाली ने बलात्कार किया है।

श्री अध्यक्ष ; क्या पढ़ रहे हैं? प्रश्न कर लीजिये।

श्री पृथ्वीसिंह : क्या शिकायत की? इस पत्र के आधार पर ही नहीं पूछना चाहता। किन्तु मैंने फिर इसकी जानकारी की है। प्रार्थना-पत्र पेश हुआ था। शिकायत की तो मुझे चार्ज शीट देने व नौकरी से निकालने की धमकी दी गयी।

श्री हीरालाल देवपुरा : चपरासी बंसीलाल की ओर से कोई दरख्वास्त नहीं दी गयी।

श्री पृथ्वीसिंह : चपरासी बंशीलाल ने खुद दरख्वास्त दी है। जिलाधीश पाली को दी है और उसकी प्रतिलिपि राजेन्द्रशंकरजी भट्ट को दी है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री पृथ्वी सिंह : मैंने जब यह कहा तो आपको इसकी जानकारी करनी चाहिये थी।

श्री हीरालाल देवपुरा : इस प्रकार की शिकायत नहीं आयी।

श्री पृथ्वी सिंह : पहले प्रश्न में यह कहा कि जांच करवायी तो जांच अधिकारी कौन था किन किन गवाह के बयान लिये ? बंशीलाल और उसकी पत्नी के बयान लिये ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अतिरिक्त निदेशक जन सम्पर्क को भेजा गया था। 7–8 महीने पहले यह घटना होना बताया। पत्नी के बयान के लिये, ना किया। किसी व्यक्ति ने कोई बात नहीं कही । जितने पत्रकार और सार्वजनिक जन सम्पर्क कार्यालय में काम करने वाले हैं उन्होंने यह कहा कि यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : दिस विल डू।

श्री देवेन्द्र कुमार ।

उदयपुर में आदिवासियों को भू-खण्डों का आवंटन

840 श्री देवेन्द्रकुमार मणा (गोगुन्दा): क्या गृह निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर में सन् 1960 से 1971 तक कितने आदिवासियों के मकान बनाने हेतु भू-खण्ड आवंटन के लिये कितने प्रार्थना-पत्र दिये ?

(2) गांधी शताब्दी वर्ष के अन्तर्गत कितने आदिवासी व्यक्तियों को प्लाट आवंटन किये गये तथा कितने मकान पक्के बनाये हैं ?

(3) उदयपुर में जिन आदिवासियों को प्लाट दिया गया उनके नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखे जाने का कष्ट करें ।

उप मंत्री गृह (श्री खेतसिंह) : इसका उत्तर अभी तक पहुंचा नहीं है इसलिये इसको स्थगित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : पोस्ट पोन्ड ।

भारू ग्राम में नामांतरण के मामले

841. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झुंझुनूं तहसील झुंझुनूं के गांव भारू की पंचायत में पिछली एक साल में कितने कितने नामान्तरण तस्दीक किये गये तथा किस किस व्यक्ति के किये गये तथा उनके खातों में कितनी कितनी जमीन दर्ज की गई ?

(2) क्या यह सही है कि इन नामान्तरण के कुछ मामलों को साबिका पटवारी तथा गिरदावरों ने अस्वीकार कर दिये थे कि नियमानुसार यह नामान्तरण भरे नहीं जा सकते हैं और उनके बाद में आने वाले पटवारी तथा गिरदावरों ने भर कर पेश कर दिये

Page No 13

(श्री रामनारायण चौधरी)

तथा ग्राम पंचायत से तस्दीक यह कह कर करवा दिये गये कि अब नियमों में संशोधन हो गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस मामलों में क्या कार्यवाही की है ?

उपमंत्री राजस्व (श्रीगंगाराम चौधरी):

(1) ग्राम भारू की पंचायत में पिछले एक साल में 17 नामान्तरण तस्दीक हुए हैं । जिन जिन व्यक्तियों के नामांतरकरण तस्दीक किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है ।

(2) तहसीलदार झुंझुनू की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा कोई नामान्तरकरण स्वीकृत होना नहीं पाया जाता जो पहले अस्वीकृत किया जा चुका था । पटवारी व गिरदावर को नामान्तरण स्वीकृत व अस्वीकृत करने का कोई अधिकार नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : नेक्सट ! (श्री कृष्ण कुमार गोयल) ;

कोटा जिले में थानेदारों के तबादले

842. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा जिले में अक्टूबर 1969 से अब तक किस के आदेश से कुल कितने थानेदारों के तबादले कब कब, कहां कहां किस किस के किये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) उपरोक्त थानेदारों में से किस किस के तबादले 2 वर्ष पूर्व ही कर दिये गये व क्यों ?

(3) उपरोक्त तबादलों के लिये किस किस के लिये डी. आई. जी. की स्वीकृति कब कब ली गयी ?

(4) क्या यह सही है कि थानेदार श्री वीरेन्द्रसिंह का गत 4 माह में 6 स्थानों पर तबादला किया गया है ? अगर हां तो क्यों ? कब कब व कहां कहां ?

(5) क्या यह सही है कि कोटा जिले में थानों पर थानेदारों के पोस्टिंग अस्थायी हैं, अगर हां, तो क्यों व कहां कहां व किस किस के ?

राज्य मंत्री गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) कोटा जिले में माह अक्टूबर, 1969 से अप्रेल 1971 तक महानिरीक्षक आरक्षी, राजस्थान उप महानिरीक्षक आरक्षी एवं अधीक्षक आरक्षी, कोटा के आदेशों से 65 स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से अमल में लाये गये । इन स्थानान्तरण आदेशों की तिथियां, पद स्थापन स्थान एवं स्थानान्तरित थानेदारों के नामों की जानकारी की तालिका 'क' संलग्न है ।

(2) दो वर्ष की समयावधि से पूर्व कुल 21 थानेदारों के स्थानान्तरण किये जिनकी नामावली व स्थानान्तरण के

(श्री हीरालाल देवपुरा)
कारणों की सूचना की तालिका 'ख' संलग्न है।

(3) वांछित सूचना तालिका 'क' व 'ख' में अंकित है।

(4) जी हां। थानेदार वीरेन्द्रसिंह की पोस्टिंग के चार माह में 6 आदेश जारी हुए लेकिन तीन स्थानों पर आदेश अमल में आये। ये आदेश प्रशासनिक कारणों से अथवा उनकी स्वयं की प्रार्थना पर किये गये।

(5) केवल दो पुलिस स्टेशन पर अस्थायी पोस्टिंग हैं:

(1) गुमानपुरा–श्री शिवप्रसाद बोहरा।

(2) बावचा–श्री महेन्द्रसिंह।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि पुलिस नियमों के अनुसार किसी भी सब इन्सपेक्टर का ट्रान्सफर दो साल से कम अवधि के अन्दर एस. पी. अपने आदेशों से नहीं करता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : आम तौर पर स्थानान्तरण नहीं करना चाहिये लेकिन आवश्यक कार्य हो और स्थानान्तरण करना जरूरी हो तो वे कर सकते हैं और बाद में स्वीकृति ले सकते हैं।

श्री कृष्णकुमार : ट्रान्सफर की सूची आपने दी है। कोटा एस. पी. ने दो साल से कम अवधि में ट्रान्सफर किये उनकी स्वीकृति ली है?

श्री हीरालाल देवपुरा : स्वीकृति ली है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पुलिस रेगुलेशन्स के अनुसार टेम्परेरी पोस्टिंग किया जाय यह नहीं है?

श्री हीरालाल देवपुरा: केवल दो जगह पर टेम्परेरी पोस्टिंग हैं।

श्री कृष्णकुमार : दो जगह पर किये गये हैं। जब कि उनकी सर्विसेज परमानेन्ट हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : आवश्यकता हो तो किये जा सकते हैं। एस. आई. भेजा जा रहा है वह शारीरिक दृष्टि से फिट न हो और उपयुक्त हो दूसरा थानेदार अवेलेबल न हो तो किये जा सकते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा कोई विशेष इन्टरेस्ट नहीं है, लेकिन यह जो ट्रान्सफर की सूची दी है उसके अन्दर कम से कम आठ पुलिस स्टेशन के नाम नहीं हैं। यह सूची इन्कम्प्लीट है। सुपरिन्टेडन्ट पुलिस ने ट्रान्सफर्स किये हैं। मेरा एक स्पेसीफिक प्रश्न तो यह था कि चार महीने के अन्दर 6 स्थानों पर एक व्यक्ति का ट्रान्सफर हुआ है। उनमें से फिर तीन तो केरी आउट नहीं हुए और तीन पर पोस्टिंग हुए। यह सारी की सारी स्थिति जिले के अन्दर है। तो क्या यह स्थिति राज्य के प्रशासन के लिये और ला एण्ड आर्डर के लिये उचित है? और

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
क्या इस आधार पर पुलिस का मोरल बना रहा सकेगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री दौलत राम सारण।

अधिक उपज के लिए खोजबीन

843. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बिना सिंचाई की खेती में अधिक उपज प्राप्त करने के संबंध में उन्नत बीज, उपयुक्त खाद और सुधरे औजार तथा वैज्ञानिक कृषि पद्धति के विषय में कृषि विभाग ने क्या कोई खोजबीन की है ? यदि हां, तो क्या ?

उप मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : प्रधानतः केन्द्रीय क्षेत्र अनुसंधान शाला (सेन्ट्रल ऐरिड जोन इन्सटीटयुट) जोधपुर द्वारा अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा भी दुर्गापुरा फार्म में तथा अन्य स्थानों पर अनुसंधान कार्य किया गया है जिसका विवरण संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ठ 3 देखिये)

श्री दौलतराम सारण : क्या इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रसारित की है ?

श्री हरिसिंह : जो स्ट्रेन्स डेवलप किये हैं उसकी जानकारी विवरण में दी हुई है। अब यह जो कार्य हुआ है, उसमें किस प्रकार से रीसर्च हुई है उसके डिटेल्स किस प्रकार हैं, मैं समझता हूं यह इतना टेक्नीकल मामला है कि उसकी रिपोर्ट जानना आवश्यक नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : क्या आप बतला सकते हैं कि जिन चीजों के सम्बन्ध में आपने अनुसंधान किया है, वह कितने क्षेत्र में प्रयोग किया गया है ?

श्री हरिसिंह : आपने अनुसंधान के लिये पूछा और कौन से स्ट्रेन्स डेवलप किये गये हैं, उसके लिये मैंने बता दिया।

श्री दौलतराम सारण : फार्म क्षेत्र में उपयोग का विवरण आपने दिया है लेकिन फील्ड में जनता के उपयोग के लिये ये बीज दिये गये हैं या नहीं और दिये गये हैं तो कितने क्षेत्र में उपयोग रहा ?

श्री हरिसिंह : जो स्ट्रेन्स मेन्शन किए हुए हैं, तीन साल तक उस पर ट्रायल्स होती हैं और ट्रायल्स के बाद ही फील्ड में उसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे हाइब्रिड के 500.1 या 800 और गेहूं के अन्दर आर. एस 4 और आर. एस. 5 ये सब अनुसंधान होने के बाद फील्ड में दिये गये। सभी प्रकार की खामियों को ठीक करके बाद में वह ऐरिड और सेमी ऐरिड बेल्ट में बोई गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत।

रायल्टी की बकाया राशि

844. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जोधपुर जिले में पत्थरों की खानों की रायल्टी की दरें कितनी कितनी हैं ? भिन्न भिन्न दरों में किस किस क्षेत्र की खानें आती है ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(श्री भैंरोंसिंह)

(2) सन् 1969–70 व 1970–71 व 1971–72 में किन किन व्यक्तियों को किस किस खान का पट्टा दिया गया ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) किस किस व्यक्ति में रायल्टी की किस किस वर्ष की कितनी कितनी बकाया है ? इस वसूली के सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप मन्त्री, खनिज (श्री भीमसेन) : (1) जोधपुर जिले में निकलने वाले खानों से पत्थर की रायल्टी की दर निम्न प्रकार है।

(क) पट्टी कातला पर रायल्टी की दर 1.50 रुपये प्रति टनी, व

(ख) चिनाई पत्थर व बेलास्ट पर रायल्टी की दर 30 नये पैसे प्रति टनी है। और इन्हीं दरों के अनुसार वसूली की जाती है।

(2) सूची सदन की मेज पर रखी दी गई है।

(3) जिन व्यक्तियों में रायल्टी रकम राज्य सरकार द्वारा वसूली करनी है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इनसे वसूली एल. आर. एक्ट के अनुसार की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जगन्नाथ।

श्री भैंरोंसिंह : सूची नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मन्त्री) : सूची तो भेज दी है।

श्री भैंरोंसिंह : यह पट्टियों पर जो आपने रायल्टी का रेट बताया, तो क्या यह सही है कि जोधपुर में पत्थर की पट्टियों अलग अलग किस्म की होती है, ऊंचे किस्म की भी होती हैं और नीचे किस्म की भी होती है, पर उन दोनों से समान रायल्टी ली जाती है ?

श्री हरिदेव जोशी : थोडा बहुत वेरी-एशन हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर एक तरह की ही हैं।

श्री भैंरोंसिंह : उम्मेद भवन में जिस प्रकार का पत्थर. . .

श्री हरिदेव जोशी : वह अलग है।

श्री भैंरोंसिंह : वह भी इसी में आता है।

श्री हरिदेव जोशी : यह जो रायल्टी की दरें आपको बतलाई है, पट्टी कातला पर 1.50 रुपये प्रति टनी और दूसरा जो है वह इन्फीरियर क्वालिटी का पत्थर होता है जो बेलस्ट के काम में आता है। लेकिन उम्मेद भवन में जो पत्थर काम में लिया गया है, वह सफाई करके लिया गया है। इसलिए अच्छा लगता है, बाकी सेंडस्टोन तो एक ही तरह का होता है।

श्री भैंरोंसिंह : उस प्रकार का पत्थर जोधपुर में सब से ज्यादा कीमती पत्थर है जो उम्मेद भवन में काम मे लिया गया है।

Page No 17

(श्री भैरोंसिह)
लेकिन उस पर भी रायल्टी वहीं लगती है जो कम क्वालिटी वाले पत्थर पर लगती है। तो कीमती पत्थर पर ज्यादा रायल्टी लगाने का विचार सरकार रखती है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : कुल मिलाकर, जैसा मैंने कहा, वह सेंडस्टोन करीब करीब एक क्वालिटी का होता है और एक ही रायल्टी ली जाती है, लेकिन जैसा आपने सजेस्ट किया है, कानून को देखकर बढ़ाया जायेगा।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, यह जो सूची दी गई है, कम से कम मैं तो पढ़ नहीं सकता।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपको मेरी लिस्ट दे दे हूं।

श्री भैरोंसिह : यह कोई मतलब नहीं है, अध्यक्ष महोदय। इस लिस्ट को कोई नहीं पढ़ सकता।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास जो लिस्ट है वह भी ऐसी ही है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष, लिस्ट इतनी लम्बी है. . .

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, यह प्रश्न प्रतिदिन का बन गया है। मेरे पास जो लिस्ट आई है वह मैं नहीं पढ़ सकता।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, फालतू सरकारी कागज खर्च किया गया है। कुछ पढ़ने में नहीं आता।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे क्षमा किया जाये तो मैं एक निवेदन और करदूं, यह लगभग 700 आदमियों की लिस्ट है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या हुआ ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, टाइप में एक बार में निकालें तो चार कापियों से अधिक नहीं निकलतीं, या तो साइक्लोस्टाइल करवाया जावे . .

श्री अध्यक्ष : दी हाउस डिज़र्व्स ए गुड लिस्ट। दिस इज नो एक्सप्लेनेशन।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में . . .

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। मेरे पास जो लिस्ट आई है, आई मस्ट ओमिट दी क्वेस्चन इटसेल्फ।

नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिह : क्या हुआ साहब ? इसमें क्या व्यवस्था दो ?

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था यह है कि भविष्य में, जैसा कि मैं सरकार से पहले भी निवेदन करता आ रहा हूं, कम से कम माननीय सदस्यों को और इस आसन को दी जाने वाली लिस्ट, तो स्पष्ट होनी चाहिये। आपके पास की लिस्ट यदि अस्पष्ट है तो कोई आपत्ति नहीं।

श्री भैरोंसिह : यह तो आपने कई बार माननीय मन्त्री महोदयों से कह दिया, लेकिन आपके कहने को मन्त्री महोदय मानते हैं या नहीं ?

एक माननीय सदस्य : आप क्यों भ्रम फैलाते हो?

प्रश्न संख्या 845

श्री अध्यक्ष : श्री जगन्नाथ पटेल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 846

श्री मोहनलाल मोदी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 847

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामसिंह कुड़ी।

सहकारी समितियों का चुनाव

848. श्री रामसिंह कुड़ी (जावल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रत्येक स्तर की सहकारी समितियों के चुनावों के सम्बन्ध में गत दो वर्षों में काफी शिकायतें अपीलें, रिवीजन, पंच निर्णय के विवाद उत्पन्न हुए हैं और हाई कोर्ट में रिटें भी हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ने इन शिकायतों का कोई अध्ययन करवा कर इनका निदान करने हेतु विचार किया है?

उप-मंत्री सहकारिता (श्री रामदेव-सिंह) : जी हां। जिन समितियों के चुनावों के संबंध में शिकायतें होती हैं उनके निपटारे के लिये सहकारी अधिनियम में व्यवस्था रखी गई यानि मध्यस्थ के द्वारा ऐसे मामलों का निपटारा किया जाता है। यदि कोई मध्यस्थ के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो राजस्थान सहकारी न्यायाधिकरण में ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है।

श्री रामसिंह कुड़ी : मेरा प्रश्न यह नहीं था। मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह गुमराह करने वाला है..

श्री अध्यक्ष : आप तो प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री रामसिंह कुड़ी : शिकायतें कितनी थी?

श्री रामदेव सिंह : इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री रामसिंह कुड़ी : किस तरह की शिकायतें थीं और क्या क्या आधार था, यह भी मालूम है या नहीं?

श्री रामदेव सिंह : यह तो चुनावों में कई प्रकार की शिकायतें होती हैं।

श्री रामसिंह कुड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब यह था कि जो यह सरकार की तरफ से सहकारी समितियों के चुनाव की विधि अपनाई गई है, उसमें गड़बड़े हुई हैं। उसके बारे में ही प्रश्न था, लेकिन इनके पास शिकायतों की लिस्ट तो है नहीं, न शिकायतों की जांच हुई, तो मेरे प्रश्न का तो कोई उत्तर आया ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, इस को पोस्टपोन करदें।

श्री अध्यक्ष : इसका स्पष्टीकरण दे दे मन्त्री महोदय।

श्री रामदेव सिंह : जहां तक संख्या का सवाल है वह मालूम नहीं हो सकती कि किस साल में कितनी शिकायतें आई। यह संख्या तो....

श्री वृद्धिचन्द जैन : इसको स्थगित किया जाये।

श्री नरथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण है, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए।

श्री रामसिंह कुडी : खुद मन्त्री महोदय के पास पेंडिंग है मेरे खुद का मामला....

श्री अध्यक्ष : स्थगित करने का एक प्रश्न आ गया है उसके बाद कहा। इस पर मैं विचार करूंगा।

प्रश्न संख्या 849

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

उच्च स्तरीय भूमि सुधार सलाहकार समिति की सिफारिश।

850. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने लैंड रेवन्यू एक्ट के तहत बनाये गये भूमि अलॉटमेन्ट के नियमों में संशोधन करके ऐसे भूमिहीन किसानों को जो अनाधिकृत रूप से कृषि भूमि पर कब्जा करें जिन्हें भूमि अलाटमेंट करा सकने के अयोग्य घोषित कर दिया था? यदि हां, तो कब? कृपया नियम में संशोधन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि राज्य स्तरीय निर्मित 'उच्च स्तरीय भूमि सुधार सलाहकार कमेटी' की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रश्न 1 में उल्लिखित संशोधन को निरस्त कर दिया जाये।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उक्त निर्णय को अमल में लाते हुए ऐसे आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो कब और किस आदेश द्वारा? कृपया आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्रश्न सं० (3) में उल्लिखित आदेश की प्रतिलिपि अलवर जिलाधीश को अभी तक नहीं मिली है? यदि मिली है, तो कब?

(5) क्या यह सही है कि अलवर जिलाधीश ने अभी तक अलाटमेंट से सम्बन्धित अधिकारियों को राज्य सरकार के इस नये आदेश से सूचित नहीं किया है?

उप मन्त्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 11 के अन्तर्गत, नियमों के प्रभावशील होने के दिन या बाद में किसी भूमिहीन द्वारा कृषि भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने की दशा में उसे आवंटन के योग्य घोषित किया गया था। नियमों की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(3) राजस्व विभाग द्वारा एफ. 6 (29) राजा/ख/70 दिनांक 28-11-70 द्वारा नियम 11 में अंकित अयोग्यता को हटा दिया गया है। प्रति संलग्न है।

(4) जी नहीं। उक्त आदेश की प्रति जिला कार्यालय अलवर में दिनांक 3-12-70 को प्राप्त हो गई थी।

(5) जी नहीं। उक्त आदेश की प्रतिलिपि सम्बन्धित अधिकारियों को जिलाधीश अलवर द्वारा दिनांक 14-12-70 को भिजवा दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सूची संलग्न कहां है ?

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय जो सूची मैंने मांगी है वह मुझे नहीं मिली है।

श्री गंगाराम चौधरी : गजट में प्रकाशित नियम है जिनको मैंने कहा है और उनकी प्रतियां संलग्न की थी लेकिन यह राजस्थान भूमि आवंटन नियम 70 और संशोधन नियम हैं जो कि गजट में प्रकाशित हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में एकत्र धन राशि

851. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में 31-3-1971 तक कुल कितनी धनराशि, सोना एवं अन्य सामग्री एकत्र की गई है। इसका जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखने कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में प्राप्त धनराशि एवं सोना के गबन तथा दुरुपयोग की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो किन किन के खिलाफ और उनमें अब तक क्या कार्यवाही की गई है। इसका भी ब्यौरा जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के गबन के कितने मामले पुलिस को सुपुर्द किये गये और पंजीबद्ध मामलों में क्या कार्यवाही की गई ? इसका भी ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) राष्ट्रीय सुरक्षाकोष इकट्ठा करने, उसके हिसाब रखने आदि के सम्बन्ध में क्या कोई नियम राज्य सरकार ने बनाये है ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(5) सुरक्षा कोष में एकत्रित धनराशि एवं सोना आदि के हिसाब किताब की जांच (आडिट) अभी तक करवायी गयी है अथवा नहीं ? यदि हां तो उस आडिट रिपोर्ट एवं जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (1) जिलाधीशों से प्राप्त सूचना

Page No 21

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
के अनुसार मुख्य मन्त्री सुरक्षा सेवा कल्याण कोष, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जिलेवार संलग्न सूची (अ) एवं (ब) के अनुसार धनराशि सोना एवं अन्य सामग्री प्राप्त हुई थी।

(2) जी हां। मुख्य मन्त्री सुरक्षा सेवा कल्याण कोष/राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की राशि के गबन के मामलों में की गई कार्य-वाही की जिलेवार सूची (स) संलग्न है।

(3) उत्तर प्रश्न दो में दिया जा चुका है।

(4) जी हां। निदेशों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(5) मुख्य मन्त्री सुरक्षा सेवा कल्याण कोष, राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा कल्याण कोष के लेखों का अंकेक्षण समय समय पर परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा किया गया है। आडिट एवं जांच रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखा जाना, ऐसी कई रिपोर्ट होने के कारण, श्रम एवं व्यय साध्य नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आडिट रिपोर्ट में जितने मिस-एप्रोप्रिएशन के केसेज हैं सुरक्षा कोष के सम्बन्ध में क्या उन सारे मामलों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया है और इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करदी गई है? और क्या ऐसे भी कई केसेज हैं जो पुलिस के सुपुर्द कर दिये हैं और इन्क्वायरी नहीं की गई है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कहीं भी गबन का मामला सामने आया है तो उसको रैफर किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आपने कैसे माना है? आडिट रिपोर्ट से माना है या इन्क्वायरी से?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आडिट रिपोर्ट में भी आ गया है तो माना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पुलिस को सारे मामले हैन्ड ओवर किये हैं?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : लिस्ट दी है जिन जिन मामलों में मिस-एप्रोप्रिएशन हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मिस-एप्रोप्रिए-शन में डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी का क्या सवाल है। जब राज्य सरकार यह मानती है कि यह मिस-एप्रोप्रिएशन है तो इसमें विभागीय जांच की क्या आवश्यकता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किसी केस के अन्दर गबन साबित होता है तो ठीक है और सावित नहीं होता है या पेपरर्स नहीं होते हैं तो विभागीय जांच करानी पड़ती है।

श्री भैरोंसिंह : कितना टोटल अमा-उन्ट है जो एकत्रित किये जाने के बाद भी जमा नहीं हुआ है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में मुख्य मन्त्रीजी कोई प्रिवि-

(श्री भैरोंसिह)
लेज कलम नहीं कर रहे हैं हाऊस में प्रस्तुत करने के सिवाय इसके कि वह लम्बी है और व्यय साध्य है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह लम्बी रपोर्ट है।

श्री भैरोंसिह : वह पेश किये जाने चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष जी हर डिस्ट्रिक्टस की कई कई रिपोर्टस् हैं इसलिए कई कोपीड डाक्यूमेन्ट की हो जायेंगी। इसलिये कहा है। अगर माननीय सदस्य की इच्छा है तो मैं अध्यक्ष महोदय उनको भी भेज सकता हूँ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह सही हैं कि कोटा जिले के अन्दर ग्राम पंचायत बड़वा के सरपंच ने सुरक्षा कोष में गबन किया। पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने लिख दिया, डी. वाय. एस. पी. ने लिख दिया उसके बाद भी उसका चालान नहीं किया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं जानकारी कर लूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसे भी केसेज हैं जहां गबन आडिट की तरफ से बताये गये हैं और उसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी गयी और गवर्नमेन्ट ने थाने से उस केस को वापिस ले लिया और उसको डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के लिये दे दिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : स्पेसिफिक केस हो तो मैं बता सकता हूं जानकारी करने के बाद।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एजूकेशन डिपार्टमेन्ट के सम्बन्ध में इसी सदन में प्रश्न उठाया गया था खासतौर से डीग, भरतपुर जिले में, अलवर में रामगढ़, ये तीन जगह हैं वाड़ी, रामगढ़ और डीग। इसमें अध्यक्ष महोदय पहले वहां की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और बाद में उनका ट्रान्सफर कर दिया गया और आज तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आ चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने यह अनाउन्स किया था पब्लिक इन्टरेस्ट में किया, बावजूद उसके आपकी घोषणा के पब्लिक इन्टरेस्ट के उनको चार्जशीट दी गई। गवर्नमेन्ट इस मामले को, सुरक्षा कोष के गबन के मामले को पब्लिक इन्टरेस्ट में मानती है तो पुलिस में क्यों दर्ज कराया और फिर चार्जशीट क्यों दी गई है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : होम मिनिस्टर ने कागजात मंगवा रखे हैं और उसके बारे में आगे कार्यवाही करने की बात सोची जा रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पुलिस से केस ले लिया गया और डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी में यह केस दे दिया गया है। एलीगेशन था डिपार्टमेन्ट पर और उसी डिपार्टमेन्टल को इन्क्वायरी सौंप कैसे दी है। यह भरतपुर का केस है। The cashier.....destroyed the

Page No 23

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

original cash book of the National Defence Fund and maintained a duplicate cash book. यह एलीगेशन है फिर इसके लिए आप डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी कैसे करवा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय पिछले चार, पांच साल में सवा तीन करोड़ रुपया राजस्थान के 26 जिलों से कलेक्ट हो चुका है। यह सवा तीन करोड़ नेशनल डिफेन्स फण्ड में इकट्ठा हुआ है यह आडिट रिपोर्ट के हिसाब से मुझे जानकारी है। उदाहरण के तौर से मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे झूंझनू का केस है उसमें ग्यारह किलो चांदी हिसाब में नहीं मिलती है। चांदी का कलक्शन आपने दिखाया है। यह खिलीजी वाले केस का मामला है उसमें 11 किलो चांदी कम है। यह आपने मिस एप्रोपिएशन में नहीं दिखाई है। ऐसे कई केस हैं। ब्यावर वाला केस आपने लिस्ट में नहीं दिखाया है। इसी तरह से उदयपुर का झगड़ा है। लाखों रुपयों की रसीद कट गई और वह रुपया जमा नहीं हुआ है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जब ऐसे केसेज मिस एप्रोप्रिएशन के हैं तो उसको क्यों नहीं लिस्ट में दिखवाया गया है। लिस्ट में छोटे छोटे मामले दिखाये गये हैं। कुछ केसेज में बताया है कि सरकारी कर्मचारी फरार है इसलिये प्रोसीक्यूशन नहीं किया गया है। आपकी पुलिस उनको ट्रेस आउट नहीं कर रही है। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस सम्बन्ध में सख्त से सख्त मेजरस् लेने चाहिये ताकि भविष्य में ऐसे केसेज न हों।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो उदयपुर का केस आपने कहा है उसमें इन्क्वायरी कर ली गई है और उसमें कोई गबन मिस एप्रोप्रिएशन नहीं पाया गया है। इसी प्रकार से जो ब्यावर का केस है वह विजिलेन्स कमिश्नर के पास भेजा गया। उसमें भी मिस एप्रोप्रिएशन का कोई सवाल नहीं है। डिले से वह जमा होने की बात है। इसमें क्या लीगल एक्शन हो सकता है इसको ला डिपार्टमेन्ट एग्जामीन कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री विश्नोई।

मेजर श्री फतेहसिंह : अध्यक्ष महोदय यह जो ब्यावर का प्रश्न है वह मिस एप्रोप्रिऐशन की परिभाषा में आता है जो थोड़ी बहुत ही कानून की जानकारी रखता है।

श्री अध्यक्ष : This is a question of fact. Sometimes it does come under the purview, sometime it does not.

मेजर श्री फतेहसिंह : अध्यक्ष महोदय आप इमीनियन्ट लायर रहे हैं और जानते हैं। तीन साल तक सोना पड़ा रहा और जमा नहीं कराया गया। अगर पाकिस्तान का हमला नहीं हुआ होता तो · ·

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय;

मेजर श्री फतेहसिंह : मैं कहता हूं कि किसी न किसी ने मिस एप्रोप्रिसेशन किया है। उसको आप क्यों छिपा रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लॉ डिपार्टमेन्ट से पूछा जा रहा है कि इस प्रकार के केस में क्या लीगल कार्यवाही हो सकती है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
आपने जिन के लिए यह प्रश्न उठाया था उनके लिए यह नहीं है। बृजमोहन–लाल जी ने यह नहीं किया है।

मेजर श्री फतेहसिंह : वे संयोजक थे तो उनकी जिम्मेदारी जरूर थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह केस इस लिस्ट में क्यों नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह केस इस लिस्ट में नहीं है। ब्यावर अजमेर जिले में है और अजमेर जिले के केस में यह नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह मिस-एप्रोप्रियेशन नहीं है। वह लेट जमा हो चुका है।

मेजर श्री फतेहसिंह : कौन कहता है कि मिसएप्रोप्रियेशन नहीं है। मैं, श्रीमान्, निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में हमने शिकायत की तो किसने एन्क्वायरी की, किससे एन्क्वायरी की गई ? हम से एन्क्वायरी नहीं की गई। सोना संग्रह समिति के दूसरे सदस्य थे उनसे एन्क्वायरी नहीं की गई और जिनके सामने सोना दिया गया चिमनसिंह लोढ़ा जो उस वक्त अध्यक्ष थे, नगरपालिका के उनके सामने नोरतनमल कोठारी ने सोना दिया, उनसे जानकारी नहीं की गई, तो फिर किस से जानकारी की गई...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि एजूकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एज्यूकेशन डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में आडिट पार्टी ने सुरक्षा कोष के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट की है तो उसमें गजेटेड आफिसर के खिलाफ भी है तो गजेटेड आफिसर के खिलाफ तो पुलिस ने मामला वापस ले लिया और डिपार्टमेंट एन्क्वायरी की जा रही है। गजेटेड आफिसर के खिलाफ नहीं की जा रही है और केवल और राज्य कर्मचारियों के खिलाफ की जा रही है और आफिसर के खिलाफ कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल एन्क्वायरीज करेंगे तो मेरा यह कहना है कि आप यह मान कर चलें कि किसने गबन किया है ? कर्मचारी ने किया है या गजेटेड आफिसर ने किया है। आप गजेटेड आफिसर को बचाना चाहते हैं और छोटे कर्मचारी तक उसको मयद्द कर पुलिस को देना चाहते हैं या कमिश्नर फार डिपार्टमेंटल एन्क्वायरीज से एन्क्वायरी करायें तो वह गजेटेड आफिसर के खिलाफ एन्क्वायरी हो सकती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप कहना चाहते हैं इन्स्पेक्टर्स आफ स्कूल्स के बारे में कि किसने वह गलती की है तो उसके बारे में कागजात मंगवाये हैं और फिर उनके बारे में कार्यवाही पर विचार किया जाएगा।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दूसरे प्रश्न है अभी।

श्री भैरोंसिह : मैं चाहूंगा कि 65 के बाद के सुरक्षा कोष के सम्बन्ध में यहां पर कई प्रश्न प्रस्तुत किये गये हैं, परन्तु यह

(श्री भैरोंसिंह)
प्रश्न रहता है कि जितने भी मिस–एप्रोप्रियेशन के मामले हैं तो उनमें कहीं न कहीं भूल हो रही है, तो या माननीय गृह मन्त्रीजी यह उचित नहीं समझते हैं कि सुरक्षा कोष को एकत्रित करने के सम्बन्ध में और उसके धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में जो सुरक्षा समिति उस समय बनी थी उस समिति के सामने ये सारे मामले रखे जायं, उसके एकाउन्ट्स रखे जायं और उनको सन्तोष कम से कम करा दें कि जितना रुपया एकत्रित किया गया था उसमें से इतना रुपया जमा हो गया है और इतने रुपयों के सम्बन्ध में मामले चलाये जा रहे हैं। क्या इस चीज को वे आवश्यक नहीं समझते हैं ? हम अभी बंगला देश के लिए रुपया एकत्रित करना चाहते हैं और अध्यक्ष महोदय, आप उस समिति के अध्यक्ष हैं तो आपने भी अनुभव किया है कि लोगों के पास पैसा मांगने जाते हैं वे कहते हैं कि सुरक्षा कोष के बारे में पैसा एकत्रित किया गया था ·····

श्री अध्यक्ष : यदि आप उसको चलाना चाहते हैं कोष को तो आपको अपनी अभिव्यक्ति को खत्म करना आवश्यक होगा।

श्री भैरोंसिंह : हम नहीं चाहते हैं··

श्री अध्यक्ष : विधान सभा सचिवालय इसको नियन्त्रित कर रहा है।

श्री भैरोंसिंह : ..हम भी उस समिति के सदस्य थे। हम उनको जवाब नहीं दे सकते सन्तोषजनक तो निश्चित रूप से लोगों में असन्तोष होगा। मैं समझता हूं कि इस असन्तोष के वातावरण को सरकार दूर करना चाहती तो सुरक्षा कोष के सम्बन्ध में एकत्रित धनराशि के एकाउन्ट्स समिति के सामने रखें और समिति के मेम्बरों को कान्फीडेन्स में लें तो मैं समझता हूं कि भविष्य के लिए एक हैल्दी इन्स्टाम्स कायम होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूंगा कि पहली बात तो यह है कि समिति के सदस्य उसको देख सकते हैं उसमें कोई दल विषय कोई कार्यवाही की गई हो और कोई सीक्रेसी जैसी बात हो ऐसा नहीं है। इसके अन्दर तो मैं खुद चाहता हूं कि इतने ऊंचे परपज के लिए जनता के लोगों ने धनराशि दी है तो उनको मालूम अवश्य होना चाहिए कि उनके पैसे का एप्रोप्रियट यूज होने वाला है। तो जो इसके सम्बन्ध में आपने कहा एकाउन्ट्स व सारी चीजें हैं उसके बारे में तो कमेटी की मीटिंग बुलाने के बारे में कार्यवाही करूंगा कि जिससे वे चीजें उनके सामने आ जायं।

मैंने जैसा कि निवेदन किया है और फिर निवेदन करूंगा कि इतना बड़ा फण्ड और इतने व्यापक स्केल पर जो इकट्ठा किया गया था तो हम देखेंगे कि उसमें बहुत कम शिकायतें हैं। यह समझ कर नहीं चलना चाहिए कि लोगों की ज्यादतर शिकायतें हैं, यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के उठने पर) आर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक सैकण्ड, अध्यक्ष महोदय। ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि हिसाब का आडिट हुआ है तो बहुत सी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जगहों पर आडिट नहीं किया गया है। जयपुर में डिफेन्स कमेटी बनी थी उसका मैं भी सदस्य था। हमने कई लोगों को नोटिस दिये हैं उन लोगों को जिनको रसीदें दी गई थीं। लोगों से पैसा ले लिया है और रसीदें नहीं आई हैं। तो उनका अभी तक आडिट नहीं हुआ है। उसमें लिखा है कि पैसा जो देंगे उनको रसीदें काटी जायेंगी, डुप्लीकेट रसीदें रखी जायेंगी, हिसाब रखा जायगा। ऐसे मामले हैं वे सब डिफेन्स कमेटी के सामने लाये जायं इन्क्लूडिंग गवर्नमेंट आफिशिल्स के और इन्क्लूडिंग उन सबके सबका आडिट होना चाहिए जिनका कि आडिट नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जिला जालौर के अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय

852. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर में अब तक अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग का दफ्तर अलग नहीं खोला गया है जब कि जिला जालौर सिरोही से बहुत बड़ा है? अगर हां, तो क्यों?

(2) जालौर में अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग का दफ्तर अलग कब तक खोल दिया जावेगा?

(3) ...

(4) क्या सरकार अकाल सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिशासी अभियन्ता का दफ्तर समाप्त होते ही स्थाई खण्ड खोलने का विचार रखती है?

उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) जी हां।

(2) जब कार्यभार के अनुसार उचित होगा।

(3) जी नहीं।

(4) विचाराधीन है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : विचाराधीन का क्या मतलब है? 8 साल से दफ्तर चल रहा है। सिरोही जैसे छोटे जिले के मुकाबले में यह 5॥ लाख की आबादी का जिला है तो क्या सरकार यहां पर कोई न कोई दफ्तर रखना उचित नहीं समझती?

श्री माधोसिंह : आपके यहां एक दफ्तर है तो फिर क्या सवाल है?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री केदारनाथ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह अस्थाई है।

श्री माधोसिंह : एक दफ्तर जालौर में हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : आपस का मामला है। नेक्स्ट।

विजयमहल जयपुर की भूमि

853. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार का कोई

(श्री केदारनाथ)
ऐसा आदेश है जिसके अन्तर्गत जयपुर नगर परिषद् क्षेत्र के 12 मील की परिधि में कोई भूमि आवंटित नहीं की जायेगी ? यदि हां, तो यह आदेश राज्य सरकार ने किस तिथि को जारी किया ?

(2) जिला जयपुर, तहसील जयपुर का ब्लाक विजय महल जयपुर नगर परिषद् की सीमा में आती है या नहीं ? तो ग्राम विजय महल की भूमि खसरा नम्बर 165, 166, 167, 149 व 132 की भूमि सिवाय चक का आवंटन किसको, कब किस लिए और किन नियमों के तहत किया गया ?

(3) क्या उक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बर 165, 166, 167 को आवंटन की पूर्व स्वीकृति में से निकाले जाने के आदेश राज्य सरकार द्वारा दिये गये ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ? ये आदेश किस तिथि को जारी किये गये ?

(4) क्या उक्त आदेशों के बाद भी राज्य सरकार ने इन्हीं खसरा नम्बर के संदर्भ से कोई आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो किस तिथि को ? आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें।

उप मन्त्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) जी नहीं।

(2) विजय महल नगर परिषद की सीमा में आता है। विजय महल की भूमि ख.नं. 165, 166, 167, 119 व 132 की भूमि को राज्य सरकार ने दिनांक 3-5-68 के आदेश द्वारा श्रीमती शान्ति देवी विधवा रामनारायण टेमाणी भूतपूर्व सहायक वित विभाग को कुक्कुटशाला एवम् डेरी के लिए डेरी और कुक्कुटशाला के भूमि आवटन नियम, 1958 के अधीन 10 वर्ष की लीज पर आवंटन की गई।

(3) उक्त सम्पूर्ण ख. नं. 165, 166, 167 को आवंटन की पूर्व स्वीकृति में से निकाले जाने के आदेश दि. 29-5-68 से राज्य सरकार द्वारा दिये गये। इस संबंध में आवंटी के द्वारा नोटिस धारा 80 जाप्ता दीवानी के सन्दर्भ में राज्य सरकार के मामला विचाराधीन है।

(4) जी हां, दिनांक 13-3-70 की प्रतिलिपि संलग्न है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामप्रसाद बोहरा।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

ग्राम सहकारी समिति रटलाई की बकाया राशि

854. **श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन)** : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम सहकारी समिति रटलाई, जिला झालावाड़ की बकाया ओवर ड्यू चल रही है ? यदि हां तो कब से, किन-किन व्यक्तियों में कितनी कितनी रकम पुरानी 3 साल से बकाया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) यह सही है कि उक्त रकम की वसूली नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री रामदेव सिंह) : (1) जी हां, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 रटलाई, जिला झालावाड़ में

... [illegible]

Page No 28

(श्री रामदेवसिंह)
64 सदस्यों पर बकाया, ओवर ड्यू चल रही है जिन जिन सदस्यों पर जितनी जितनी रकम पुरानी 3 माह (साल) से बकाया है सूची संलग्न परिशिष्ट (अ) पर है।

(2) यह सही नहीं है कि उक्त बकाया रकम की राशि वसूल नहीं हो पा रही है। वसूली हेतु कार्यवाही की जा चुकी है। समय समय पर बैंक एवं विभागीय स्टाफ द्वारा वसूली हेतु तकाजे किये जा रहे हैं एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 117 एवं 118 के अन्तर्गत कार्यवाही जारी है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री रामप्रसाद बोहरा : सूची के मुताबिक 64 सदस्यों पर यह रकम बाकी निकल रही है उनमें से 17 आदमियों की तो 70 से रकम बाकी है और बाकी 47 आदमियों के खिलाफ सन् 62 से रकमें बकाया चल रही है तो इसके क्या कारण हैं ? क्या ये रकमें फर्जी हैं जो कि इनसे वसूल नहीं की जा रही हैं ? 8 साल से रकमें वसूल नहीं होने का क्या कारण है जबकि आप यह फर्मा रहे हैं कि वसूली की जा रही है। 8 साल से इनमें हजारों रुपये बकाया हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री रामदेवसिंह : हो सकता है कि वसूली में ढील रही है। बाकी बकाया रकम तो वसूल की ही जा रही है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या ये सब रकमें फर्जी हैं ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये जितने नाम दिये गये हैं वे फर्जी लिखे हैं ताकि रकम दिखा सकें, लेकिन उनसे मांगते नहीं हैं। इसलिए ये आठ सालों से बाकी चल रही हैं। इसलिए आप इसकी जांच कराइये।

श्री रामदेव सिंह : इसकी जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : एक मेरा और प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कई हैं। स्थगित प्रश्न हैं?

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : नहीं साहब चालू है।

श्री अध्यक्ष : सूची में कई प्रश्न हैं।

कई माननीय सदस्य : अभी दो मिनट बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष : तो 2 मिनट के अन्दर पूरा कर दें।

ग्राम डिडवाडी में चोरी का मामला

855. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (इकलेरा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम डिडवाड़ी, थाना बोंली, जिला सवाई माधोपुर में सन् 1970 में लगभग 10 हजार की चोरी हुई जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गयी और मुलजिमान को पकड़ लिया गया, परन्तु बाद में मुलजिम फरार हो गये ? यदि हां, तो मुलजिमों के फरार होने का क्या कारण है ?

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि दूसरे थानेदार ने उक्त चोरी को तफदीश कर बताया है कि पूर्व थानेदार द्वारा असली अपराधियों को फरार कर दिया और चोरी का माल बरामद नहीं किया।

(3) क्या यह भी सही है कि पूर्व थानेदार श्री मुरारीलाल असली अपराधियों से अभी भी संपर्क किये हुए हैं परन्तु उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और न ही थानेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्यों?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी हां, डिडवाडी में दिनांक 4–7–70 को श्री रामकिशोर ब्राह्मण के यहां लगभग 3500) रुपये की चोरी होने की रिपोर्ट थाना बोंली में दर्ज कराई गई थी लेकिन यह बात गलत है कि रिपोर्ट दर्ज करने वाले थानेदार ने किसी मुलजिम को पकड़ा था और बाद में वह फरार हो गया था।

(2) जी नहीं। पूर्व थानेदार ने तफतीश के दौरान रामदेवा भील पर चोरी करने का शक किया था और इसी दौरान थानेदार का तबादला हो गया। दूसरे थानेदार ने तफतीश के दौरान मुस्तबा रामदेव भील को गिरफ्तार किया था लेकिन भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी उसके खिलाफ कोई सबूत प्राप्त नहीं हुआ। अतः उसको दफा 169 सी. आर पी. सी. के तहत अदालत से रिहा करवाया गया।

(3) जी नहीं।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा: क्या यह सही है, पहले थानेदार था उसने अपराधियों से पैसा लेकर उनको छोड़ दिया–इस किस्म की शिकायत दूसरे इन्वेस्टीगेशन करने वाले थानेदार ने की है?

श्री हीरालाल देवपुरा: जी नहीं, यह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

टोडाराय सिंह–देवली सड़क पर अधूरे कार्य

845. श्री जगन्नाथ पटेल (टोडाराय सिंह): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि टोडाराय सिंह से वाया भासू, हिसामपुर, नासरदा, धांवला, मालेडा, केकडी टू देवली सड़क पर योजनाबद्ध तरीके से सन् 1967 से 1970 तक अकाल राहत के अन्तर्गत काम हुआ था? यदि हां तो सड़क अभी तक अधूरी हालत में क्यों पड़ी है?

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग अब इस अधूरे कार्य को जल्द से जल्द कब तक पूरा करने का विचार रखता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(स्थगित किया गया)

नीम-का-थाना में भू-आवंटन

746. श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का थाना): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की

(श्री मोहनलाल मोदी)
कृपा करेंगे :–

(1) नीम-का-थाना उप खण्ड में सन् 1970 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कितना बीघा भूमि आवंटित की गई ? तहसील के ग्रामों के अनुसार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त आवंटित भूमि का कब्जा अलाटीज को दे दिया गया है ? यदि हां, तो किस ग्राम में किस व्यक्ति को कब दिया गया ? यदि नहीं, तो अब तक कब्जा क्यों नहीं दिया गया ? और अब कब तक देने की सम्भावना है ?

(3) नीम-का-थाना उप-खण्ड में अब कितने प्रार्थना पत्र भूमि आवंटन हेतु विचाराधीन हैं ? ग्राम के अनुसार सूची प्रस्तुत करें। अब इनका निपटारा कब तक हो सकेगा ?

उत्तर

(1) सूची 'क' संलग्न है।

(2) कब्जे सम्बन्धी सूचना सूची 'क' के कालम सं. 4 में अंकित है।

(3) विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों की ग्रामवार सूची 'ख' संलग्न है। विधान सभा सत्र समाप्त होने पर उपलब्ध भूमि का आवंटन शीघ्रता से [illegible] प्रयास किये जायेंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कंवर नगर बस्ती विकास कार्यक्रम

847. श्री रामकिशन (वैर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् जयपुर ने कंवर नगर नाम की कोई बस्ती तालाब राजामल में बनाई है ? यदि हां, तो यह योजना कब बनी ?

(2) क्या कंवर नगर में जिन परिवारों को प्लाटों का अलाटमेंट किया गया है, क्या उनसे विकास धन (डवलपमेंट-चार्जेज) लिया गया है ? यदि हाँ, तो प्रति प्लाट कितना धन लिया गया है ? किन व्यक्तियों को प्लाट आवंटित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस नगर में अब तक विकास के अंतर्गत क्या क्या काम किया गया और कब और कितना कार्य हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) कंवर नगर में सड़क बनाने का ठेका कब कब और किन किन ठेकेदारों को दिया गया था ? क्या ठेका लेने वाले ठेकेदारों ने निश्चित अवधि में अपना काम पूरा कर दिया ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नगर परिषद् द्वारा ऐसी कोई बस्ती नहीं बसाई गई है।

(ii) रिहेब्लीटेशन विभाग Relief and Rehabilit[illegible]on द्वारा शरणार्थियों को बसाने के लिए ब्रह्मपुरी रिफ्यूजी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी

(स्वायत्त शासन मंत्री)

नाम की एक योजना सन् 1954 में बनाई गई थी। समय उपरान्त इस क्षेत्र के निवासियों ने इसका नाम कंवरनगर रख दिया है।

(1) (i) नगर परिषद् द्वारा प्लाटों का आवंटन नहीं किया गया। अतः सूची सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है।

(2) जैसा कि प्रश्न के खण्ड एक में उत्तर दिया गया है, भू-खण्डों का आवंटन ब्रह्मपुरी रिफ्यूजी कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाईटी लिमिटेड द्वारा किया गया है। उक्त सोसायटी से नगर परिषद् ने नजराने बाबत 6,000) रुपये प्रति एकड़ तथा वार्षिक अरबन असेसमेन्ट 100) रुपया प्रति एकड़ लिया है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) (i) उक्त सड़क बनाने का ठेका दिनांक 18-9-70 को ब्रह्मपुरी श्रमिक ठेका सहकारी समिति को दिया है।

(ii) ठेके... ने निश्चित अवधि में काम पूरा नहीं किया। उसके विरुद्ध नियमानुसार ...वाही की जा रही है।

ठेकेदारों के पास इन्जीनियरों की नियुक्ति

849. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पिछले वक्त राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि बेकार इन्जीनियरों को रोजगार दिया जा सके इस लिये ठेकेदारों को इन्जीनियरों को अनिवार्य रूप से रखना होगा ?

(2) उक्त आज्ञा के निकालने के बाद इसके तहत कितने ठेकेदारों ने अपने यहां इन्जीनियर रखे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 7 ठेकेदारों ने इन्जीनियरों को नियुक्ति दी है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम चीतोस की गोचर भूमि पर अनधिकृत कब्जे

737. श्री महेन्द्र सिंह (पीपल्दा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चीतोस तहसील राजगढ़ (जिला अलवर) की गोचर भूमि पर उस ग्राम के कुछ व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा किया हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि इस ग्राम की गोचर भूमि पर हजारों की संख्या में बबूल व खेजड़े के बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं ? जिनके खूंग पातड़ी व शाखाओं आदि को ही बेचने से 5-6 हजार रुपये के लगभग वार्षिक आय होती है जो गांव के कुछ लोगों की जेब में जाती है ?

(श्री महेन्द्रसिंह)

(3) क्या यह सही है कि कुछ ग्राम-वासियों ने इस गोचर भूमि तथा उस पर लगे पेड़ों को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति बना रखी है तथा प्रति वर्ष उनके द्वारा हजारों रुपये के पेड़ (समूल) बेचे जाते हैं जो कानूनन अपराध है ?

(4) क्या यह भी सही है कि 3 साल पूर्व इसी गोचर भूमि के पेड़ आदि बेचने पर तहसीलदार, राजगढ़ द्वारा रुपये 400/– की डिग्री की गई थी लेकिन कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव के कारण तथा सम्बन्धित अधिकारी के भ्रष्टाचार पूर्ण रवैये के कारण इस राशि की वसूली आज तक नहीं की गई है ?

(5) क्या यह भी सही है कि वर्ष, 1969 में भी कुछ ग्राम वासियों द्वारा इस गोचर भूमि पर लगे पेड़ों को लगभग 2,000/– रुपये को राशि की लूंग, पातड़ी तथा जलाने को लकड़ी बेची गई है तथा पेड़ भी बेचे गये हैं जिसकी तत्काल सूचना तहसीलदार, राजगढ़ को दी गई ? क्या खरीदने वालों ने अधिकारी के समक्ष अपने बयानों में यह माना है कि उन्होंने इतने-इतने समय में लूंग पातडो फलां-फलां व्यक्ति से खरीदे तथा प्रत्यक्ष-दर्शियों ने भी इसी आशय के बयान दिये ? यदि हां, तो क्या तहसीलदार ने इन लोगों से उक्त राशि की वसूली कर ली है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में समय समय पर जिलाधीश, अलवर, एस. डी. ओ., राजगढ़, तहसीलदार, राजगढ़, पंचायत समिति, राजगढ़ के प्रधान तथा राजस्व विभाग को लिखा गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ई

(7) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के वन विभाग ने सन् 1969 में एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार राज्य की वन सम्पदा को सुरक्षित रहने तथा लकड़ी के कोयले की कमी को दूर करने की दृष्टि से आगामी 5 वर्षों तक पेड़ों को काटने व बेचने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या कुछ ग्राम वासियों के द्वारा राज्य आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया गया है ?

(8) क्या सरकार उपर्युक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत कर राज्य को हजारों रुपये साल की होने वाली आय को अनधिकृत व्यक्तियों के हाथ में आने से रोकने, वन सम्पदा को कायम रखने तथा ग्राम के पशुओं को घास, झाड़ी आदि नियमित रूप से मिलती रहे इस दृष्टि से दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करके तथा भविष्य के लिये आवश्यक निर्देश जारी करके इस मामले में शीघ्रातिशीघ्र अपेक्षित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

जंगलात की कृषि योग्य भूमि

738. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह है कि राजस्थान में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि जंगलात विभाग

(श्री श्रवणलाल)
के अन्तर्गत हैं लेकिन वहां जंगल नहीं हैं और वे कृषि योग्य हैं ?

(2) यदि, हां, तो क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों की भूमि को कृषि के लिये भूमिहीन किसानों में वितरण करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

भीलवाड़ा जिले में पेटा तालाब की भूमि

739. श्री कल्याणमल (जहाजपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1969-70 वर्ष 1970–71 में पेटा तालाब की जमीन पर कितने बीघे में खेती की गई ? तहसीलवार व बांध या तालाब वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश भीलवाड़ा ने तहसीलदारों के नाम एक आदेश प्रसारित कर यह कहा कि पेटा तालाब की भूमि के अलाटमेन्ट पर पच्चीस रुपया प्रति बीघा की दर से चन्दा लेकर जमीन अलाट करें अन्यथा नहीं ? यदि हां, तो अनिवार्य रूप से चन्दा क्यों मांगा गया ?

(3) क्या उक्त चन्दा नहीं देने से काश्तकारों को जमीन अलाट नहीं की गई और जमीन पड़त रह गई ? यदि हां, तो क्या उस नुकसान की पूर्ति करने की जिम्मेदारी जिलाधीश की व्यक्तिगत है ?

(4) क्या किसी पिछड़ी जाति के गरीब भूमिहीन किसान ने गुजर करने के लिए उस जमीन पर खेती करली है, यदि हां, तो क्यों ?

ग्राम गुरारा में पटवारी की नियुक्ति

740. श्री रामकिशन (बैर) :
श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर) :

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला सीकर तहसील श्री माधोपुर के ग्राम गुरारा के पटवारी की नियुक्ति इस हल्के में किस तिथि को हुई थी ? उसका नाम क्या है ?

(2) क्या पटवार सर्किल गुरारा में श्री मन्नालाल नाम के कोई पटवारी थे अथवा अब भी हैं ?

(3) श्री मन्नालाल पटवारी के विरुद्ध राजस्व मंत्रालय जिलाधीश सीकर को कोई शिकायतें प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) श्री मन्नालाल पटवारी के खिलाफ शिकायत करने वालों को जांच के अन्तर्गत बुलाया गया था ? यदि हां, तो क्या उनके बयान कलमबन्द किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला सीकर तहसील श्री माधोपुर के ग्राम गुरारा के पटवारी की नियुक्ति

(राजस्व मंत्री)
इस हल्के में दिनांक 7–2–70 से है तथा पटवारी का नाम श्री मन्नालाल चौहान है।

(2) जी हां। दिनांक 7-5-63 से 24-9-68 तक थे तथा अब दिनांक 7-2-70 से हैं।

(3) श्री मन्नालाल पटवारी के विरुद्ध जिला कार्यालय में एक शिकायती प्रार्थना-पत्र आया था जिसकी प्रतिलिपि जांच हेतु तहसील श्री माधोपुर में भेजी गई थी जो विचाराधीन है।

(4) अभी मामला विचाराधीन है।

गांधीनगर के सरकारी क्वार्टर्स

741. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की करेंगे:–

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग ने गत पांच सालों में सामान्य प्रशासन विभाग राजस्थान को 'जी क्वार्टर्स' गांधीनगर के सम्बन्ध में कब कब क्या क्या एस्टीमेट्स बना कर भेजे तथा सामान्य प्रशासन विभाग ने उन पर कब कब क्या क्या निर्देशों के साथ वापिस विभाग को लौटाये तथा अन्तिम स्थिति अब क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त भेजे गये एस्टीमेटों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार को विदित है वहां गांधीनगर के अलाटीज क्वार्टर्स में कई चीजों के अभाव से परेशान हैं ?

(4) 'जी एन्ड एच' नर्सरी गांधीनगर को गत पांच सालों से कितना कितना फन्ड किस किस कार्य हेतु अलाट किया गया तथा उपरोक्त वर्षों में कब कब किस किस कार्य में कितनी कितनी राशि खर्च की ?

(5) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त फाण्ड की राशि प्राप्त होते ही खर्च कर दी गई है ? इसका कौन कौन अधिकारी दोषी है ?

(6) नर्सरी में कुल कितना व कौन कौन 'सी' श्रेणी के कर्मचारी आदि कार्य करते हैं और उनके आवास और स्थायीकरण आदि के विषय में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(7) उपरोक्त नर्सरी के अन्तर्गत कहां को कौन कौन-सी सड़कें, क्वार्टर्स भवन आदि आते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

झालावाड़ गागरोन सड़क

742. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालारापाटन): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि झालावाड से गागरोन रोड (वाया मुंडेरी) जिला झालावाड को डामर रोड बनाने का प्रावधान सन् 70–71 में था ? यदि हां, तो कितना रुपया खर्चा करने की स्वीकृति हुई थी ?

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(3) क्या यह सही है कि वह कार्य नहीं हुआ ? यदि हां, तो उसका क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि झालावाड़ से गागरोन शार्ट रोड बनाने का भी प्रावधान सन् 70-71 के बजट में किया गया था ? अगर हां, तो कार्य क्यों शुरू नहीं किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि इस अप्रोच रोड की मरम्मत भी आज तक नहीं की गई ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है।

उत्तर

(1) जी हां 50,000,00 रु.।

(2) अर्थाभाव के कारण कार्य नहीं कराया जा सका।

(3) साधारण मरम्मत कराई गई है।

नागौर व जायल तहसीलों के ग्रामों में खारा पानी

743. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नागौर व जायल तहसीलों में कितने ऐसे गांव हैं, जिनमें खारा पानी है एवम् मनुष्यों के स्वास्थ्य के ऊपर उस पानी का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता ? गांवों की तहसीलवार सूची दिलवाने की कृपा करें।

(2) नागौर व जायल तहसील के कितने ऐसे गांव हैं, जिनमें अकाल में या गर्मी के मौसम में तालाब का पानी खत्म हो जाने के कारण दूसरे गांव के कुए से या इसी गांव के तालाब से पानी पीते हैं ? तहसीलवार सूची दिलवाने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

जयपुर नगर की आवास समस्या

744. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर नगर की बढ़ती हुई आवास समस्या के समाधान हेतु कुल कितनी कृषि एवं आबादी भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही नगर सुधार न्यास के कार्यालय में चल रही है ? अलग अलग भूमियों का क्षेत्रफल, उनके मालिकों के नाम मय पूर्ण पतों के तथा भूमि का स्थान, अवाप्ति के लिये जारी किये गये नोटिस की तारीख और इस समय कार्यवाही किस स्तर पर है ? इसका पूर्ण विवरण देते हुए सूचियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नगर न्यास के गठन से लेकर अब तक कौन कौन सी ऐसी भूमियां हैं जिनकी अवाप्ति की कार्यवाही की गई थी और बाद में समाप्त कर दी गई ? उन सभी भूमियों का क्षेत्रफल, उनका पता, मालिकों का नाम, पूर्ण विवरण के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। जिसमें अवाप्ति की कार्यवाही समाप्त किये जाने के कारणों तथा अवाप्ति के नोटिस की तारीख और उसको समाप्त करने की तारीख का भी उल्लेख हो ?

(स्थगित किया गया)

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपील

745. श्री दौलत राम सारण (डूंगरगढ़) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे -

(1) क्या यह सही है कि श्री सीताराम जोशी वर्सेज स्टेट आफ राजस्थान एवं मथुरादास माथुर योजना मन्त्री रिट केस नं. 216166 सन् 1966 में राज्य सरकार के विरुद्ध 13-1-70 को सिंगल बैंच में विद कोस्ट पिटीसन का फैसला हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने डी. बी. में अपील की और 20 अप्रेल, 70 को डी. बी. में सरकार ने यह अन्डरटेकिंग कोर्ट को दिया था कि यदि श्री जोशी केस जीत जायेंगे तो सरकार पूरे इन्क्रीमेंन्ट और पूरी सेलरी देगी ?

(3) क्या यह सही है कि जोशी 14 मई, 70 को डी. बी. में भी जीत गये ? परन्तु सरकार ने फिर भी कोर्ट में दी गई अन्डरटेकिंग के अनुसार श्री जोशी को पूरे इन्क्रीमेंट और पूरा वेतन नहीं दिया ?

(4) क्या यह सही है कि श्री जोशी ने इस पर सरकार के विरुद्ध कन्टेम्पट आफ कोर्ट के लिए हाई कोर्ट में प्रार्थना की ?

(5) क्या यह सही है कि हाई कोर्ट ने अपील में सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति भी सरकार को नहीं दी थी जिस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका द्वारा विशेष तौर से अनुमति सुप्रीम कोर्ट के अपील की मांगी थी ? और कन्टेम्पट आफ कोर्ट के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करके स्टे हासिल किया था ?

(6) क्या यह सही है कि इस केस में श्री के. कुमार मंगलम सरकार के वकील थे ? यदि हां, तो उन्हें फीस के कितने रुपये दिये और इस केस में सरकार का कुल क्या खर्चा हुआ ?

(7) क्या यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील की अनुमति हेतु दी गई सरकार की याचिका खारिज कर दी स्थगन उठा लिया और श्री जोशी के पक्ष में हुआ हाई कोर्ट डी. बी. का फैसला बहाल रह गया श्री जोशी जीत गये ?

(8) क्या यह भी सही है कि जोशी को नवम्बर 25, सन् 70 को पुनः राज्य सेवा में ले लिया ?

(9) क्या यह सही है कि श्री जोशी को बकाया ग्रेड इन्क्रीमेन्ट ड्यू प्रोमोशन अभी तक नहीं मिले हैं ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक मिल जायेंगे ?

(10) क्या यह भी सही है कि श्री सीताराम जोशी की सर्विस बुक प्रोसनल फाइल एन्ड परचेज आफीसर के पद पर प्रमोशन सम्बन्धी फाईल तथा अन्य सम्बन्धित रेकार्ड की 12 फाइलें गायब हैं ? यदि हां तो कब से ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या इस सम्बन्ध में जांच की गई है ? यदि हां, तो किसके द्वारा व कब ? उनके क्या परिणाम रहे ? विशेष छानबीन के लिए केस पुलिस को क्यों नहीं दिया गया गया ? अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(मुख्यमंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सरकार ने इन्टेरिम स्टे आर्डर को फाईनल कराने की प्रार्थना कोर्ट को करते हुए यह अण्डरटेकिंग दी थी कि अगर रिट केस का फैसला सरकार के विरुद्ध हो जाता है तो जोशी को ड्यू सेलेरी कानून व नियमों के मुताबिक दी जायेगी।

(3) चूंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील तथा स्टे का प्रार्थना-पत्र 4-3-70 को दायर कर दिये थे तथा सुप्रीम कोर्ट ने 14-7-70 को डी. बी. के फैसले के विरुद्ध इन्टेरिम स्टे भी दे दिया था अत: डी. बी. के फैसले के पालन में श्री जोशी को वेतन का चुकारा करने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी हां। परन्तु डी. बी. के विरुद्ध सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर करने की अनुमति मांगी और डी. बी. के निर्णय के विरुद्ध स्थगन लिया इस कारण कन्टेम्पट आफ कोर्ट का प्रश्न नहीं उठता।

(5) जी हां।

(6) श्री कुमार मंगलम सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील थे परन्तु उन्हें अभी फीस का भुगतान नहीं किया गया है। अत: कुल खर्चे के बावत अभी बताना सम्भव नहीं है।

(7) जी हां।

(8) श्री जोशी को आज्ञा दिनांक 19-11-70 द्वारा ड्यूटी पर उपस्थित होने के आदेश जारी किये गये।

(9) सेलरी के बकाया (एरियर्स) का भुगतान अन्तिम वेतन (last pay) के आधार पर अन्तिम रूप से कर दिया है। अन्तिम रूप से वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है। तत्पश्चात् शेष राशि का भुगतान भी कर दिया जायेगा। नियमों के अनुसार प्रमोशन देने का मामला भी सरकार के विचाराधीन है।

(10) श्री सीताराम जोशी के सेवा सम्बन्धी अभिलेख सरकारी अधिवक्ता उच्च न्यायालय से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं जिन्हें प्राप्त करने की कार्यवाही जारी है।

सीड़ मल्टीप्लीकेशन फार्म

746. श्री मेघराज पंवार (चूरू): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सीड मल्टोप्लीकेशन फार्म्स राजस्थान में कहां कहां, किस योजना के अन्तर्गत और कब कब बनाये गये? इनमें कितनी कितनी धनराशि किन किन निर्माण कार्यों में खर्च की गई? विवरण सदन की मेज पर रखा जाये?

(2) इन फार्मों के नीचे कितनी कृषि भूमि है? व्योरे वार वतलाई जावे?

(3) आज इनमें से कितने फार्म कृषि विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं और कितने फार्म अन्य विभागों को हस्तांतरित किये जा चुके हैं और क्यों?

(कृषि मंत्री)

उत्तर

(1) राजस्थान में बीज गुणन योजना के अन्तर्गत कृषि फार्म स्थापित किए गए थे जिनकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। फार्म पर विभिन्न निर्माण कार्यों पर खर्च की गई राशि की तालिका भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त तालिका में दिया जा चुका है।

(3) कृषि विभाग द्वारा 35 बीज गुणन फार्म व 8 अनुसंधान फार्म चलाए जा रहे हैं। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत समस्त कृषि फार्म पंचायत समिति को दिनांक 2-10-59 को हस्तान्तरित कर दिए गए थे जिनमें से अभी भी 15 फार्म उनके आधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

राजस्थान नहर क्षेत्र की मिट्टी की जांच और फसल का क्रम

747. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान नहर क्षेत्र की मिट्टी की जांच (Soil testing) करके फसल क्रम (क्रोप पैटर्न) निर्धारित कर दिया गया है ?

(2) यदि हां, तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र के लिये बीकानेर व हनुमानगढ़ में मिट्टी की जांच के लिए प्रयोगशालाए हैं। जो कि मिट्टी सर्वेक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत इकट्ठे किये गये नमूनों की जांच करती है। इस क्षेत्र का मिट्टी सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है व रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। इस रिपोर्ट में उपयुक्त निर्धारित फसल क्रमों की सूचना भी दी गई।

(2) रिपोर्ट एफ.ए.ओ. के विचाराधीन है और स्वीकृति आने पर प्रसारित की जावेगी।

स्थगित प्रश्न

(5–5–71 व 12–5–71)

ग्रामीण औद्योगीकरण परियोजना चूरू

606. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्रामीण औद्योगीकरण परियोजना चूरू द्वारा 1968–69 एवं 1969–70 में कितना ऋण किसको किस काम के लिये दिया गया और उनके कार्य की क्या प्रगति है ?

(2) इस परियोजना में कुल कितनी स्कीमें लघु-उद्योग की स्वीकार की या निदेशक, उद्योग राजस्थान को उनकी सिफारिश की गई ? कुल कितनी योजनायें

(श्री दौलतराम सारण)।

परियोजना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुई और परियोजना अधिकारी द्वारा स्वीकृत योजनाओं में क्या ऐसी वस्तुओं की स्कीमें भी हैं जिनके कि निर्माण पर भारत सरकार द्वारा रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स का रिमार्क दे रखा है ?

(3) क्या चूरू और लाडनूं में ग्रामीण औद्योगीकरण के कार्यक्रम में लगाई गई ऊन कताई की मिलों का निजी क्षेत्र में विक्रय किया जा रहा है ? अगर हां, तो क्यों ? निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे ।

(4) क्या निजी क्षेत्र के लिये कोई शर्तें रखी गई हैं ? अगर हां, तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(5) दोनों मिलों की कुल लागत अनावर्तक और आवर्तक क्या है ? पूरे विवरण की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे ?

(6) किस किस साधन से कितना कितना ऋण मिला और इसकी कब कब किश्त चुकाई गई ? हर किश्त कितनी धनराशि की थी ?

(7) कितनी अवधि तक इन मिलों का संचालन राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम द्वारा किया गया और उस अवधि में कितना धागा कताई हुआ इससे क्या आमदनी हुई व उस पर क्या क्या व्यय हुआ ?

(8) दोनों मिलों की मशीनरी और प्लान्ट की खरीद कैसे की गई अगर टेण्डर द्वारा की गई तो स्वीकृत आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(9) क्या स्थानीय भेड़ पालकों को प्रोत्साहन देने हेतु जैसा कि योमना का मूल उद्देश्य था उनसे कच्ची ऊन खरीद की गई ? अगर हां, तो कितनी कितनी कब कब व किस भाव से ?

(10) क्या टेन्डर द्वारा खरीद की गई सभी मशीनें शर्तों के अनुसार सप्लाई हो गई और क्या वे चालू हालत में हैं ?

(11) सप्लाई की गई मशीनों के लिए कितना कितना द्रव्य का भुगतान किया गया ? अपूर्ण मशीनों के लिए दोनों मिलों में कितना व्यय हुआ ?

(12) क्या दोनों मिलों की व्यवस्था हेतु व्यवस्थापक रखे गये ? यदि हां, तो उनकी योग्यता व अनुभव के प्रमाण-पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखी जावें।

(13) क्या कोई एक्सपर्ट कमेटी इनकी जांच के लिए बनी थी ? यदि हां, तो उसने कोई रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(श्री दौलतराम सारण)

(14) क्या इन मिलों के लिए आस्ट्रेलियन, मरीना वूल के टोप्स का कोटा मंजूर हुआ है? तो कब और कितनी?

(15) क्या इन मिलों में सारी मशीन और पुर्जे जिन्हें नया बता कर दे दिया गया है? और क्या भुगतान अग्रिम किया गया था? यदि हां, तो कितना?

उत्तर

(1) पूर्ण विवरण की सूची संलग्न है।

(2) इस परियोजना में कुल 332 लघु उद्योगों की स्कीमें परियोजना अधिकारी या निदेशक, उद्योग राजस्थान द्वारा स्वीकार की गई? परियोजना अधिकारी के समय 225 योजनायें प्रस्तुत हुई।

जी नहीं।

(3) जी हां। इन मिलों को बिक्री करने का निर्णय निगम के संचालक-मण्डल द्वारा दिनांक 5-4-1969 को आयोजित बैठक सं. 74 में लिया गया था। इस निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रतिलिपि परिशिष्ट 'ए' संलग्न है)

राज्य-स्तरीय समन्वय समिति ने दिनांक 20-12-69 की बैठक में विचार-विमर्श करके उक्त मिलों को बेचे जाने की सिफारिश की है। अब राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जा रहा है।

(4) जी नहीं।

दोनों मिलों की कुल लागत अनावर्तक तथा आवर्तक के संबंध में परिशिष्ट 'बी' तथा 'सी' संलग्न है।

(5) दोनों मिलों के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 24 लाख रुपये का ऋण निगम को प्रदान किया गया है, जो निम्न चार किश्तों में निगम को प्राप्त हुआ है:—

31-3-1965	रु.	5,20,000.00
23-9-1961	,,	9,00,000.00
26-2-1967	,,	5,50,000.00
30-3-1967	,,	5,00,000.00
	रु.	24,00,000.00

(6) ऋण की प्रथम किश्त दिनांक 1 अप्रेल, 1971 को देय हुई थी। जिसका चुकारा निगम द्वारा 31-3-1971 को ही कर दिया गया है। ब्याज अलबत्ता साढ़े-पांच प्रतिशत की दर से चुकाया जा रहा है, जो कि अब तक निम्नानुसार भुगतान किया गया है:—

15-6-1967	रु.	26,000.00
28-8-1969	,,	2,95,200.00
6-11-1969	,,	49,500.00
24-3-1970	,,	31,900.00
	रु.	4,02,600.00

(श्री उद्योग मंत्री)

(7) चूरू मिल द्वारा दिनांक 9-11-1967 को तथा लाडनूं मिल द्वारा 21-1-1968 को कार्यारम्भ किया गया था। उक्त मिलें प्रारम्भ से ही राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित की जा रही हैं। मिलों द्वारा उत्पादन, व्यय तथा आय के आंकड़े नीचे दिखाये गए हैं, जो कि दिनांक 31 दिसम्बर, 1969 तक की स्थिति विषयक है। दिनांक 31-12-1969 तक की स्थिति विषयक :

	चूरू	लाडनूं
उत्पादन :	39, 990, 600 कि. ग्रा.	29, 161, 200, कि. ग्रा.
व्यय :	13, 55, 783) रु.	18, 88, 717) रु.
आय :	5, 20, 867) रु.	4, 34, 749) रु.

संचरण-एकत्र (कार्बिग-स्टाक) दिनांक 31-12-59 विगत अनुसार :

चूरू में 12,231,230 कि. ग्रा. 3,33,362) रु. का तथा लाडनूं में 8,266,500 कि. ग्रा. 2,08,038) रु. का था।

चूरू तथा लाडन मिलों द्वारा 31-12-69 तक घाटे के आंकड़े :

चूरू : 5,01,556) रु.

लाडनूं : 4,45,930) रु.

(8) मिलों के लिए मशीनरी की खरीद हेतु टेण्डर के द्वारा तथा परचेज-कमेटी द्वारा लुधियाना आकर प्राइस-ऐसोसिएशन के पश्चात् एवं इसकी पुष्टि निगम के संचालक-मण्डल की बैठक सं. 43 दिनांक 7-8-65 में स्वीकृत कर दी वह भी।

(9) टेन्डर स्वीकृति-आदेश तथा संचालक-मण्डल के निर्णय की प्रतिलिपि क्रमशः परिशिष्ट 'सी' 'ई' तथा 'एफ' संलग्न हैं।

(10) मिलों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय भेड़ शालाओं को प्रोत्साहन देना एवं उक्त क्षेत्रों में ऊन आदि रिक्त उद्योग का विकास रहा है। वस्तु, अभी तक दोनों में केवल स्पिनिंग का काम ही हो रहा है। कोम्बिंगसेक्शन चालू नहीं किया जा सका है।

कार्डिंग-इंजिनों की अनुपलब्धता के कारण कांम्बिग-सेक्शन अपूर्ण पड़ा हुआ है, तथा मिलों के लिए वूल-टाप्स बाहर के खरीदने पड़ते हैं। कार्डिंग-इंजनों के लिए आयात लाइसेन्स हाल ही प्राप्त हुआ है, तथा इनका आयात होने में अभी भी लगभग एक वर्ष लगेगा। अतः इनके बिना स्थानीय ऊन युक्त कर पाना संभव न होने के कारण स्थानीय ऊन की अभी तक कोई खरीद नहीं की गई है। मशीनरी की सप्लाई हेतु मेसर्स पर्ल मेकेनिकल इंजीनियरिंग एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स (प्रा. लि.) लुधियाना (पंजाब), जिनका जापान की प्रसिद्ध फर्म मेसर्स घूयूकोशियों से

(श्री उद्योग मन्त्री)

कोलोनाइजेशन है, को आदेश किए गए थे। एवं वे भारत सरकार के टैक्स टाइल कमिश्नर से स्पिनिंग मशीनरी के लिए अधिकृत सप्लायर थे। स्पिनिंग मशीनरी तो दोनों स्थानों पर पूर्णतया सप्लाई हो गई है, तथा चालू हालत में है।

कोम्बिंग सेक्शन की मशीनरी कुछ तो स्थापित हो गई है, तथा कुछ शेष हैं। कार्डिंग-इंजिनों के बिना उक्त कोम्बिंग-सेक्शन कार्य नहीं कर सकता। कार्डिंग-इंजिनों का आयात लाइसेन्स प्राप्त हो गया है, तथा अब भी इंजिनों का आयात होने में लगभग एक वर्ष लगेगा।

सप्लाई की गई मशीनों के लिए चूरू व लाडनूं के लिए क्रमशः 6,63,204,53 रु. तथा 6,01,204,84 रु. का व्यय किया गया है। कुल 12,04,409) 37 रु.।

इसमें अपूर्ण कोम्बिंग-सेक्शन मशीनरी की राशि भी क्रमशः 1,46,632) रु. एवं 2,00,907) रु. सम्मिलित है। कुल 3,67,739) रु.।

मिलों की व्यवस्था तथा सेवा (आर. ए. सी. एस.) के एक अधिकारी श्री एस. एम. जैन को प्रारम्भ से ही नियोजित किया गया था। श्री एस. एम. जैन राजस्थान लेखा-सेवा में लेखाधिकारी एवं राजस्थान लघु उद्योग निगम में प्रतिनियुक्ति पर थे। उन्हें मिलों के प्रशासनिक अधिकारी के पद पर लगाया गया था क्योंकि मिलों के सम्बन्ध में आयोजित नियोजन, स्थापना व्यवस्था आदि का उन्हें पूर्ण पूर्वानुभव था। उनका मुख्यालय चूरू गया, तथा लाडनूं हैं एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी निगम द्वारा नियोजन कर दिया गया। इस पद पर जो आर. सी. गुप्ता लगाए गए थे। श्री गुप्ता एम. काम. थे। तथा उनमें पूर्व में बीकानेर में चल रहे वूलन प्रोडक्सन सेन्टर में कार्य करने का अनुभव था।

श्री आर. सी. गुप्ता द्वारा निगम की सेवा में चले जाने के कारण लाडनूं में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर श्री बी. एम. शर्मा को 30·5·69 से लगाया गया, जिनका स्थानान्तर उक्त पद पर सेन्ट्रल-स्टोर्स, जयपुर से कर दिया गया।

(11) अब, चूंकि जो एस. एस. जैन, प्रशासनिक अधिकारी, चुरू वापिस राज्य सेवा में चले गए हैं अतः दिनांक 22-1-70 से दोनों जगहों का कार्य श्री बी. एम. शर्मा ही मुख्यालय की देखरेख में निर्देशानुसार स्थानापन्न रूप से कर रहे हैं। श्री शर्मा भी एम. काम. हैं।

(12) मिलों के लिए प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्य करने हेतु किसी राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आर. ए. एस.) के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर लगाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से निवेदन किया गया था, तथा श्री बी. एस. अग्रवाल, आर. ए. एस. को राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर लगा दिया गया है।

(13) जी नहीं।

(14) सतत प्रयत्नों के बावजूद अभी तक इन किस्तों के लिए मेरैनो वूल का कोई कोटा निगम को नहीं मिला है।

Page No 43

(श्री उद्योग मंत्री)

(15) मिलों में सभी मशीनें आदि पुराने होने तथा नया बताकर दे दिये जाने जैसी कोई बात नहीं है। तथापि इनके उत्पादन हेतु वूल रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई से सम्पर्क करके उनसे पत्र-व्यवहार किया गया है।

पार्टी को भुगतान एस. डी. के द्वारा बैंक के मार्फत किया गया। अग्रिम भुगतान नहीं किया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(5-5-71)

तहसील सांचोर में रूरल कन्स्ट्रक्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत भू-संरक्षण कार्य

616. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि तहसील सांचोर जिला जालौर में. रूरल कंस्ट्रक्शन कार्यक्रम से अन्तर्गत काफी भू-संरक्षण कार्य कराए जावेंगे ? अगर हां, तो कौन से कार्य कहां-कहां कराये जावेंगे ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि तहसील सांचोर में भू-संरक्षण मेढ़ी बन्धी, कणा-बन्धी, गोचर सुधार कार्य काफी गांवों में कराये जा सकते हैं ? अगर हां तो क्या इस बारे में विभाग द्वारा विस्तृत सर्वे कराई गई है ? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या विभाग द्वारा अब तहसील सांचोर में भू-संरक्षण कार्यों की दृष्टि से विस्तृत सर्वे कराई जावेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि तहसील सांचोर में कई गांवों का पानी नीचे का खारा है और पीने के पानी की गम्भीर समस्या है ? अगर हां, तो क्या भू-संरक्षण विभाग द्वारा ऐसे ग्रामों के स्थानीय तालाब खुदवाने के कार्य हाथ में लिए जावेंगे ? अगर हां, तो कहां कहां व कब-कब ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि कई गांवों में छोटे छोटे खडीन टाइप बन्धे भी बन्धाये जा सकते हैं ? अगर हां, तो क्या इस बारे में विभाग द्वारा अब तक कोई विस्तृत सर्वे की गई है ? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं, तो क्या अब विभाग द्वारा विस्तृत सर्वे कराई जावेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

1. जी हां। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट बनाई जा रही है।

2. जी हां। विस्तृत सर्वे अभी नहीं कराया गया है कृषि विभाग द्वारा अभी प्रोपोजल बनाये जा रहे हैं।

3. तहसील सांचोर में कुछ गांवों की सर्वे करायी जावेगी। प्रस्ताव किये जा रहे हैं।

4. जी हां। भू-संरक्षण विभाग द्वारा स्थानीय तालाब खुदवाये जा सकते हैं। प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

(कृषि मंत्री)

5. जी हां। अभी तक इस बारे में कोई सर्वे नहीं कराया गया है। कृषि विभाग द्वारा प्रोपोजल बनाये जा रहे हैं।

स्थगित प्रश्न
(6-5-71)
राज्य के नगर सुधार न्यासों द्वारा भूमि का आवंटन

611. श्री रामचन्द्र आर्य : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) राज्य के विभिन्न नगर सुधार न्यासों द्वारा अब तक कितनी भूमि एलाट की जा चुकी है और प्रत्येक नगर सुधार न्यास द्वारा कितनी कितनी एलाट की गई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्रत्येक नगर सुधार न्यास का प्रशासनिक व्यय वार्षिक कितना कितना हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(3) नगर सुधार न्यासों में नामजदगी किन व्यक्तियों की किस आधार पर की जाती है।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(6-5-71)
राजस्थान कैनाल एरिया की मंडी स्कीम में ईंटों के भट्टे

639. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल एरिया की मण्डियों की स्कीम में ली गई भूमि पर ईंटें पकाने के भट्टे पहले से लगे हुए थे और उन भट्टों की भूमि को एक्वायर करके मंडी के प्लाट काट दिये गये हैं? यदि हां, तो कुल कितने व्यक्तियों के भट्टे जात मण्डी क्षेत्र में आये? मण्डीवाइज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

2. क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों के भट्टों की भूमि मण्डी में ले ली गई है, उनको एवज में भूमि नहीं दी गई और ना ही उनको कोई हरजाना दिया गया? यदि हां, तो क्यों और नहीं तो, कितने व्यक्तियों को हरजाना दिया गया? नाम वाइज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

3. क्या यह सही है कि कुछ ठेकेदारों द्वारा महकमा कोलोनाइजेशन में क्षति पूर्ति के लिए मुकदमे किये गये थे? यदि हां, तो इस प्रकार के कितने दावे पेश हुये और उन दावों पर क्या निर्णय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

1. जी नहीं।

2. जब किसी का भट्टा अवाप्त ही नहीं हुआ तब तबादले व मुआवजे देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

3. यह सही है कि श्री रामचन्द्र पुत्र श्री सेवाराम आर्य ने एक प्रार्थना-पत्र

(उपनिवेशन मंत्री)
रावतसर मंडी में अपना भट्टा बताकर दिया है। इनका कोई भट्टा मौके पर न होने के कारण कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

स्थगित प्रश्न

(12-5-71)

बारां, किशनगंज व शाहबाद के तहसीलदार द्वारा भूमि आवंटन

686. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अप्रेल, 1967 से 1969 तक तहसीलदार बारां, किशनगंज व शाहबाद द्वारा किस किस तारीख को किस-किस स्थान पर भूमि आवंटन करने के सम्बन्ध में मीटिंगें बुलाई गई और उन मीटिंगों में कौन कितने कितने उपस्थित थे ?

(2) किस किस मीटिंग में कितनी कितनी भूमि कितने व्यक्तियों को आवन्टित की गई ? यह भी बताएं कि किस किस स्थान की मीटिंग में हरिजनों को कितनी कितनी भूमि आवन्टित की गई ?

(3) किस किस मीटिंग में कितने कितने आवेदन-पत्र विचारार्थ प्रस्तुत हुए थे और उनमें से स्थानीय लोगों के कितने कितने थे ?

(4) क्या किसी मीटिंग में स्थानीय व्यक्तियों को भूमि आवन्टन नहीं किया जाकर अन्य व्यक्तियों को किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किन किन को ?

(1) अप्रेल, 1967 से 1969 तक तहसीलदार बारां, किशनगंज व शाहबाद द्वारा भूमि आवंटन हेतु बुलाई गई बैठकों के स्थानों, तिथियों व आवंटन समिति के उपस्थित सदस्यों की सूची संलग्न है।

(2) तहसील बारां में उपरोक्त अवधि में 46 बैठकों में 238 व्यक्तियों को 2037 बीघा 17 बिस्वा भूमि आवंटित की गई है, जिनमें से 75 हरिजनों को 564 बीघा 17 बिस्वा भूमि का आवंटन हुआ है। तहसील किशनगंज में इसी अवधि में 15 बैठकों में 461 व्यक्तियों को 5534 बीघा 15 बिस्वा भूमि का आवंटन हुआ है जिनमें से 9 हरिजनों को 131 बीघा आवंटित की गई है। तहसील शाहबाद में इस अवधि में 25 बैठकों में 2989 व्यक्तियों को 10737 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है जिनमें से 40 हरिजन हैं जिनको 255 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। तारीख बार बैठक की सूची तीनों तहसीलों की संलग्न है।

(3) सूची संलग्न है।

(4) इस अवधि में उपरोक्त तीनों तहसीलों में 3648 स्थानीय व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गयी है एवं 40 बाहर के व्यक्तियों को।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थगित-प्रश्न

(12-5-71)

खादर और ऊसर भूमि

श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या राजस्व (भूमि सुधार) मंत्री यह बतलाने

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)
की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में ऊसर और खादर जमीन का क्षेत्रफल कुल कितना है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के समक्ष ऊसर और खादर जमीन को काश्त के योग्य बताने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना में कितना व्यय होने का अनुमान है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस योजना को पूरा करने के लिए भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने हेतु मांग करने का विचार रखती है ?

(4) क्या राज्य सरकार इस भूमि को राज्य के भूमिहीनों में आवंटित करेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान में सरकार ऊसर और खादर जमीन का क्षेत्रफल 13,30,281 हैक्टर है। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। केवल खादर भूमि को कृषि योग्य व बनाने हेतु 5,000 एकड़ की चम्बल नदी के किनारों की भूमि के सुधार हेतु एक योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1969–70 से 5 वर्ष के लिये स्वीकार की जा चुकी है। इस योजना में 5 वर्ष में 50 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। 5,000 एकड़ भूमि में से 2,500 एकड भूमि कृषि योग्य तैयार की जावेगी और शेष 2,500 एकड़ भूमि में वन लगाये जावेंगे। 30 अप्रेल, 1971 तक 800 एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई गई व एक हजार एकड़ भूमि में वन लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाएं विमोद (सुलतानपुर), लाखेरी, घाटा का बाराना व बाली की विचाराधीन है।

(3) चम्बल के किनारे 5,000 एकड़ भूमि के सुधार हेतु 5 वर्ष में 50 लाख रुपया व्यय करने का पूर्ण भार केन्द्रीय सरकार वहन करेगी।

(4) जी नहीं। उक्त भूमि को नीलाम द्वारा विक्रय करने के राज्य सरकार के आदेश हो चुके हैं और उनके अन्तर्गत नीलाम भी की जा चुकी है और शेष भूमि को नीलाम किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

स्थगित–प्रश्न

(12–5–71)

पंचायत समिति, सवाई माधोपुर
में सघन कृषि कार्य-क्रम

694. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर):–क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

1. क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सवाई माधोपुर इस वर्ष सघन-कृषि कार्यक्रम (क्रेश प्रोग्राम) के अन्तर्गत ली गई है ? यदि हां, तो वर्ष 70–71 में इस कार्यक्रम में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कितनी राशि व्यय किये जाने का प्रावधान है।

(श्री हरि वल्लभ शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यक्रम में 328 बिजली की मोटरें किसानों को उपलब्ध कराने का पंचायत सवाई माधोपुर के लिए प्रावधान है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस बात का सर्वे कराया है कि इस समिति में कुल कितने गांवों का विद्युतिकरण कर दिया गया है? और उनमें कुओं की संख्या जितनी मोटरें किसानों को उपलब्ध करानी हैं उतनी उपलब्ध है? यदि हां, तो विद्युतिकृत किन किन गांवों में कुओं की संख्या क्रमश: क्या क्या है?

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:

1. श्री कृष्ण कुमार गोयल, श्री लाभ चन्द वैद व श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि दिनांक 17 मई को नीम के थाने की पुलिस द्वारा दो व्यक्तियों से नाजायज गांजा पकड़ा गया किन्तु पुलिस द्वारा मुलजिम को बाद में छोड़ दिया गया तथा मुकदमे को समाप्त करने का प्रयास जारी हैं।

2. श्री पृथ्वीसिंह चौहान, सदस्य विधान सभा ने पाली जिले के गांव मतरतलाव में गत 15.1.71 को एक व्यक्ति के कत्ल के मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्तों को पुलिस थानेदार द्वारा गैर कानूनी तौर पर अपने क्वार्टर में रखने आदि के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

3. श्री श्रवणलाल, श्री बालसिंह सोढा व श्री पृथ्वीसिंह चौहान सदस्य विधान सभा ने दिनांक 11 मई, 1971 को पुलिस लाइन, घासलेट...

श्री दौलतराम सारण : घाटगेट।

श्री बालसिंह सोढा :

श्री अध्यक्ष : घाटगेट बाउन्ड्री के अन्दर भोमियों जी के मन्दिर को लाइन इन्चार्ज द्वारा तुड़वा देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

4. श्री केसरीसिंह हाड़ा व श्री कृष्ण कुमार गोयल, सदस्य विधान सभा ने बूंदी में माह मार्च, 1971 में नाजायज तौर पर जंगलों की कटाई के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

इनके अतिरिक्त श्री मुन्नालाल चौधरी सदस्य विधान सभा ने जयपुर जिले में लगातार 10 दिन से वर्षा व ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अत: मैं इसे सदन से प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

निम्नांकित पैंडिंग स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार हैं:–

1. प्रदेश कांग्रेस के नेताओं द्वारा राज्य प्रशासन में कथित हस्तक्षेप के सम्बन्ध में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री केदारनाथ, श्री राम किशन व श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

मैं यह चाहूंगा कि इसको कल दिनांक 20 मई, 1971 को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में ले लिया जावे। इस आशय का एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी प्रस्तुत हुआ है।

2. ग्राम सक्तपुर तहसील अटरू में एक वेरागी की हत्या के सम्बन्ध में निम्न सदस्यों से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव:

1. श्रीमती शिवकुमारी
2. श्री नन्दलाल
3. श्री जुझार सिंह
4. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा
5. श्री देवीदत्त गाड़िया
6. श्री प्रेमसिंह सिंघवी
7. श्री केसरी सिंह हाड़ा
8. श्री रामप्रसाद बोहरा
9. श्री दिग्विजय सिंह
10. श्री बालसिंह सोढा
11. श्री कृष्ण कुमार गोयल
12. श्री श्रवणलाल
13. श्री. [illegible] नन्द वैद
14. श्री गंगासहाय

इस सम्बन्ध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा सरकार द्वारा यह मामला सी. आई. डी. के सुपुर्द कर दिया गया है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्नीय लोक महत्व के नही हैं अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य ! गृह मंत्री ग्राम खुडी, थाना डीडवाना, जिला नागौर के कुछ व्यक्तियों की मारपीट होने के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : Chair is on its legs.

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक स्थगन प्रस्ताव यद्यपि मैंने विलम्ब से दिया था।

श्री अध्यक्ष : कब दिया था ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : विलम्ब से दिया।

श्री अध्यक्ष : आज दिया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : 11 बज कर 5 मिनिट पर दिया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : देवली शिविर में कुछ लोग मकान गिरने से मर गये

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
उससे ऐसी अशांति की व्यवस्था पैदा हो गई है....

श्री अध्यक्ष : ठीक है, मर गये। लेकिन 11 बज कर 5 मिनिट पर स्थगन प्रस्ताव दिया और आज ही बोलने लग गये, कल व्यवस्था दूंगा. कल फिर बोलेंगे और यदि विलम्ब हुआ तो परसों फिर बोलेंगे ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिये 11 बजने में 5 मिनिट या 11 बज कर 5 के बाद यदि स्थगन प्रस्ताव दिया जाय तो उसके सम्बन्ध में मैं नोट नहीं लेता हूं यह आप ही की व्यवस्था है, इसलिये इस पर न बोलें।

श्री श्रवण लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव भोमिए के मन्दिर को लाइन इंचार्ज द्वारा तोड़े जाने के सम्बन्ध में दिया है, उसके लिए आपने कहा, जानकारी के लिए भेजा है। अध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : फिर क्या कहना चाहेंगे। स्थान ग्रहण करें। जानकारी आने पर कहें तो समझ में आता है।

गृह मंत्री जी !

श्री देवीदत्त गाड़िया : विनायल केमिकल फेक्ट्री के बारे में कहा था, व्यवस्था देंगे, उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था।

श्री अध्यक्ष : किसके बारे में ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : विनायल कैमिकल फेक्ट्री के मजदूरों की छंटनी के बारे में कहा था, उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी, उसको देखने के बाद में....

श्री अध्यक्ष : वह है, मैं इसके बारे में बता देता हूं। मैंने डिप्टी स्पीकर महोदय से इस सम्बन्ध में बात की। उन्होंने कहा, ऐसा आश्वासन नहीं दिया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रासीडिंग्स मे है साहब।

श्री अध्यक्ष : फिर मैं देख लूंगा।

शासकीय वक्तव्य

गृह मंत्री

(ग्राम खुड़ी थाना डीडवाना जि. नागौर में कुछ भाम्बियों को मारपीट होने के बावजूद पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने सम्बन्धी)

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मन्त्री) : माननीय श्री भैरोंसिंह द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथ्यात्मक विवरण निम्न प्रकार है :—

दिनांक 3-4-71 को सर्वश्री आसु प्रभू भूरा जाति बलाई निवासी खुड़ी अपने खेत में अपनी बकरियों को चरा रहा था तब मुसम्मात छोटूडी व मोहिनी तथा रामचन्द्र व टोकू जाटान निवासी खुडो ने अपनी बकरियों को भी आसू बलाई के खेत में डाल कर नुकसान कराया तथा आसू के मना करने पर भी इन लोगों ने उससे झगड़ा किया। इसी प्रकार दिनांक 4-1-71 को जब श्री लिखमा पुत्र गणपत बलाई निवासी खुड़ी अपने खेत में बकरियां चरा रहा था तब मुसम्मात छोटूडी तथा उमली ने अपनी बकरियों को लिखमा के खेत में डालकर नुकसान कराया तथा रामसुख व उसके साथियों ने श्री लिखमा

(श्री हीरालाल देवपुरा)

से झगड़ा किया। इन दो घटनाओं के बाद दिनांक 5-4-71 को मुलजिमान (1) अमरा (2) बालू (3) टीकू (4) लाला (5) रामसुख (6) रामू (7) हनुमान (8) मूला (9) मोहना (10) गोरली (11) छोटूडी (12) मोहनी (13) गनेशी (14) उमली और (15) रामचन्द्र जाटान कुल 15 व्यक्तियों निवासी खुडी ने लाठियां लेकर श्री आसू व लिखमा बलाई-यान को मारने के लिए कई जगह गुट बना कर बैठ गये। सुबह करीब आठ बजे श्री भूरा बलाई अपने घर से ढोर चराने को निकला जिसे देखते ही मुलजिमानों ने हमला किया और उसे लाठियों से पीटा, भूरा बलाई को छुड़ाने के लिये गनपत, लिखमा, दुला रामू, सेरा और आसू बलाई भी आगये और मुलजिमानों ने इन सबको भी लाठियों से पीटा इस झगड़े में उपरोक्त सात आदमियों मे से श्री भूरा बलाई के पांव में गम्भीर चोटें आई जिससे उसके दाहिने पैर की नली टूट गई। बाकी 6 आदमियों के साधारण चोटें आयी। श्री भूरा के पैर का फ्रेक्चर हो जाने से डीडवाना के डाक्टर ने उसे वास्ते इलाज जयपुर भेज दिया तथा दीगर 6 आदमियों का इलाज डीड-वाना अस्पताल में ही किया गया। इन घायल व्यक्तियों ने इस घटना की कोई रिपोर्ट पुलिस में नहीं की। इन लोगों ने दिनांक 20-4-71 को अपने डाक्टरी मुआयनों की रिपोर्ट के साथ मुन्सिफ मजिस्ट्रेट डीडवाना की अदालत में इस घटना का एक इस्तगासा प्रस्तुत किया जो अदालत द्वारा 156 (3) सी. आर. पी. सी. के तहत पुलिस थाना डीडवाना भेजा गया जिस पर मुकदमा नम्बर 26 दिनांक 22-4-71 जेर दफा 147। 148। 323 325। भा. द. सं. दर्जकर पुलिस ने तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ किया। दौरान तफतीश दिनांक 14-5-71 को मोहनी गोरली व गनेशी को तथा दिनांक 17–18 मई को दस अन्य मुलजिमान और गिरफ्तार किये जा चुके हैं। इस प्रकार कुल 13 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये हैं। इस मुकदमे को चालान शीघ्र ही पेश कर दिया जायेगा। मुस्तगीस की प्रार्थना पर अधीक्षक पुलिस नागौर ने इस मुकदमे की शीघ्र तफतीश हेतु एक अधिकारी भी नियुक्त किया है। पुलिस इस सम्बन्ध में सक्रिय है। बीच अनुसंधान में देरी के लिये संबन्धित अधिकारियों का जवाब तलब किया जा रहा है और दोषी पाये जाने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस वक्तव्य के बारे में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सरकार का जो वक्तव्य है एक प्रकार से वास्तविकता इसमें अधिकांश रूप से लगती है। मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं, सदन में पहले कई बार चर्चा हुई है और अभी गृह मंत्री जी ने पी. सी. सी. की मीटिंग में इस बात को स्पष्ट किया कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार अशांतिपूर्ण वातावरण बना हुआ है, नागौर जिले में भी उसी प्रकार की स्थिति है, यह सरकार ने स्वयं ने स्वीकार किया है। कुछ लोगों ने मारा और एक आदमी के फ्रेक्चर हो गया, एक आदमी का सिर फूट गया, यह सरकार ने स्वीकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किया है। लोगों ने योजना बना कर बलाइयों पर हमला किया, बुरी तरह मारा यह सब कुछ करने के उपरान्त कोई व्यक्ति थाने में रिपोर्ट नहीं करता है, इसके बारे में तथ्य है कि उस व्यक्ति ने रिपोर्ट नहीं की, तो क्या हम इससे संतोष करना चाहेंगे। मैं समझता हूं, राजस्थान में शांति व्यवस्था बना कर रखना चाहते, है तो उसे बनाये रखने की किसी प्रकार की कोई सम्भावना नहीं है...

यह इस बात का प्रतीक है कि जो लोग हमला करते हैं, उनका आतंक गरीब जाति पर भयंकर होता है। वह घटना की पिटाई होने के बाद रिपोर्ट कराने का साहस नहीं कर पाते हैं। यहां इस प्रकार की हालत रही है। मंत्री महोदय ने कहा डाक्टर ने उनको इलाज कराने के लिये जयपुर भेजा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि न डाक्टर ने भेजा है, लेकिन सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि बलाइयों से मेडीकल एग्जामिनेशन के 183) लेकर उसके बाद मेडीकल एग्जामिनेशन कराया। और आज पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने से कतराते हैं तो रिपोर्ट लिखाने का सवाल पैदा नहीं होता। फिर बलाई और रैगर इनका तो सवाल ही नहीं। वह व्यक्ति विधान सभा के सामने आकर पड़ा रहा, एक आदमी के पैर सड़ रहे थे। मैंने दूसरे विधायकों से कह कर अस्पताल में भर्ती कराया। कम से कम उन लोगों से जानकारी करते कि तुम्हारे साथ मारपीट की घटना हुई, रिपोर्ट क्यों नहीं की। उनसे कहा गया कि यदि थाने में रिपोर्ट की तो इस समय एक टांग तोड़ी है, 15-20 आदमियों को मारा है, अगर थाने में रिपोर्ट कर दी तो तुमको गांव से बाहर निकाला जायगा। इस प्रकार का आन्तक जिस राज्य में है वह राज्य यह कह कर बच नहीं सकता कि अमुक व्यक्तियों ने रिपोर्ट नहीं की थी इसलिये थानेदार ने जांच नहीं की। जांच कर रहे हैं तो विलम्ब क्यों हुआ? यदि राजस्थान में गरीब बलाइयों और रेगरों को बचाना है तो उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लें लेकिन जो चौथे दिन जाकर मेडीकल एग्जामिनेशन करवाता है। अस्पताल में एडमिशन हो जाता है, थाने में जाने का साहस नहीं हो पाता, ऐसी हालत में क्या नागौर जिले के अधीक्षक इस बात के लिये जिम्मेदार नहीं हैं, क्या डीडवाना में इस बात की जानकारी नहीं है कि डीडवाना से 12 मील दूर लोग बलाइयों को मारेंगे, लोग इधर उधर भागेंगे। यदि पुलिस सक्षम नहीं है तो राजस्थान के गांवों में जहां कांग्रेस के लोगों ने भयंकर आतंक पैदा कर रखा है, लोगों के सामने जीने का साधन नहीं और पुलिस में जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती, अस्पताल में इलाज नहीं, रोटी का इलाज नहीं, तो मैं गृहमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम गरीबों को बचाने के लिये यदि पुलिस निष्क्रिय साबित होती हैं तो पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेना आवश्यक है। इसमें किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया, न लिया जायगा इस बात का डर है।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृहमंत्री) : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही कि पुलिस अजखुद अपनी इतला पर एक केस रजिस्टर करे अगर उनके पास कोई रिपोर्ट दर्ज कराने न जाए। मुझे इसमें जहां तक कानूनी नुक्ते नजर से देखा जाए, कोई ऐतराज नहीं बल्कि मैं समझता हूं, ऐसा होना चाहिये। जुर्म कहीं पर हुआ है और उसकी इत्तला पुलिस अधिकारी को मिलती है तो उसको खुद अपनी कार्यवाही करनी चाहिये। जहां तक इस मामले का सवाल है, मैं नहीं कह सकता कि पुलिस अधिकारी को इसकी इतला हुई या नहीं, मगर यह जरूरी है कि जैसे ही इस मामले को तफतीश के लिए पुलिस को भेजा, पुलिस ने तुरन्त कार्यवाही की। इस मामले की तफतीश में ढील हुई और जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं अगर यह मुकदमा पुलिस में जाने के बाद भी मजलूमों का मेडीकल एग्जामिनेशन पुलिस ने नहीं कराया तो मैं बिश्वास दिलाता हूं उसकी कार्यवाही पुलिस के खिलाफ करेंगे।

मन्त्री महोदय ने कहा है कि इस मुकदमे की इस तफतीश में देर हुई, उसके लिए पुलिस अधिकारी से जवाब तलब की गई है और यदि वह दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उसीके साथ अगर 156 (3) के अन्दर यह मुकदमा पुलिस में जाने के बाद पुलिस अधिकारी ने कार्यवाही नहीं की और मेडीकल एग्जामिनेशन नहीं कराया तो अवश्य उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ऐसी हमें सूचना मिली है कि मेडीकल एग्जामिनेशन 156 (3) मेंने में करा चुके थे।

श्री भैरोंसिंह : यह सही है।

श्री दामोदर लाल व्यास : इसलिए अगर यह सही है तो फिर पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अलबत्ता अगर पुलिस अधिकारियों को इस बात की सूचना मिल गई थी कि इस तरह से कोई बलवा हुआ है और कुछ लोगों को चोटें लगी हैं और उस इत्तला के बाद कुछ कार्यवाही नहीं की तो अवश्य उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यह आम तौर पर नहीं, कई जगह होता है मुल्जिम जुर्म करने के बाद डराता है, धमकाता है कि अगर तुमने रिपोर्ट की तो ऐसा करेंगे। यह नई बात नहीं है परन्तु हमें दरअसल अपना जनमत बनाना चाहिये कि लोगों के अन्दर इस तरह से डर न आए। तो धमका देने की बात नागौर जिले की ही नहीं है यह तो आम तौर पर हर जुर्म में होता है जो मजलुमों को धमका देते हैं। इसलिए धमकी से यह समझ लेना कि न्याय और व्यवस्था के अन्दर गड़बड़ी हो रही है, यह नहीं है।

रहा सवाल पुलिस की तरफ से, जैसा आप खुद मानते हैं, जो बयान आपके सामने दिए गए हैं, वास्तविक तथ्यों पर आधारित हैं, उनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। इसमें सारी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, चालान पेश करना हैं, सिर्फ इतना देखना है कि गिरफ्तारियां देर से क्यों हुई और तफतीश मुकम्मिल क्यों नहीं की। उसकी जांच के लिए मन्त्री महोदय ने बताया था कि इसका जवाब तलब किया गया है, दोषी पाया जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी।

श्री भैरोंसिंह : जिस दिन की घटना है उसके 4 दिन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जिस समय मेडिकल एग्जामिनेशन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कराने के लिए आए उस समय उनके आदमी थाने में गए और वहां उनसे कहा गया कि पहले मेडिकल एग्जामिनेशन करायें। डाक्टर ने कहा यदि थाने वाले लिखते हैं तब तो मेडिकल एग्जामिनेशन मुफ्त में करूंगा नहीं तो इसके पैसे जमा कराने पड़ेंगे। उन गरीबों ने लाकर 183) जमा कराए, इस बात की जानकारी पुलिस को थी, मेडिकल ऑफिसर को थी और उसके बाद में कह नहीं सकते कि आज दिन क्या स्थिति है। मेरे पास पत्र नहीं आया लेकिन लोगों ने कहा लिखकर दिया है। उन्होंने कहा थाने में अमुक अमुक व्यक्तियों के साथ गए, हमने कहा हमारे जो मजलूम आदमी गाड़ियों में पड़े हैं उनको संभालो। उन्होंने कहा डाक्टर के पास ले जाइए। बाद में कार्यवाही करेंगे। डाक्टर ने पैसे मांगे, कोई कार्यवाही नहीं की। इस मामले में जब आपको वक्तव्य देना था तो कम से कम गृह-मन्त्री को इस बात के लिए तैयार होना चाहिये था कि किस समय रिपोर्ट दी और रिपोर्ट देने के बाद आज तक क्यों कार्यवाही नहीं की। यदि आप अधिकारी के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही नहीं करते तो आप मान कर चलें कि आप खुद ऐसी स्थिति में किसी नेता के दवाव में आयेंगे तो आप दब जायेंगे। आज तक हमारा खयाल था कि आप दबाव में नहीं हैं लेकिन सवाई माधोपुर की स्थिति आपने खुद ने स्वीकार कर ली, विधायक के दवाव से मुकदमा चालान नहीं करते तो यहां परिस्थिति यह बनेगी कि अगर किसी प्रकार तत्काल कार्यवाही नहीं करते हैं तो फिर प्रभाव काम करेगा। इस मामले में आप जिस अधिकारी ने कोताई की है उनके खिलाफ कार्यवाही करें, कम से कम उस क्षेत्र में बावरी जाति, रेगर जाति किसी प्रकार सुरक्षित नहीं रह सकते। इस दृष्टि से विशेष प्रबन्ध पुलिस का करें वरना लोग गांव छोड़ छोड़ कर न केवल सवाई माधोपुर से जयपुर में आकर बैठेंगे, बल्कि राजस्थान के कई जिलों से जयपुर में आकर बैठेंगे, आप के लिए समस्या होगी और हमारे यहां आजकल मुझे कहना चाहिए बाहर गांव के लोग कोटा से, डीडवाना से कभी खाटू से कभी पुरी से दूर दूर से आयेंगे उन लोगों के कहां तक मेडिकल एग्जामिनेशन्स कराते रहेंगे, कहां कहां स्थगन प्रस्ताव रखें। इस प्रकार की स्थिति को आप टालरेट करते हैं, यह सब जनता की मजबूरी के कारण है, उनकी मजबूरी का फायदा न उठायें...

श्री अध्यक्ष : कोई स्पष्टीकरण ?

श्री दामोदर लाल व्यास : मैंने अभी निवेदन किया था कि पुलिस को इत्तला मिलने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अगर आपके पास पत्र है जिसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हैं, जिन्होंने पुलिस को इत्तला दी आप वह मुझे दीजिए ताकि मैं उसकी जांच कराऊं।

श्री भैरोंसिंह : वे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर इस बात की सूचना पुलिस अधिकारी को मिल गई फिर भी पुलिस अधिकारी ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की और मेडिकल एग्जामिनेशन की कार्यवाही नहीं की तो मैं उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आपका कहना कि मजलूमों को मजबूर होकर जयपुर में आना पड़ता है। आपके पास अगर ऐसे मजलूम हैं तो फीस देने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनके बयान रेकार्ड करवाकर सरकारी तौर से मुआयना करवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : आतंक का निराकरण।

श्री दामोदर व्यास : आतंक की बात नहीं है, आतंक का सवाल नहीं। सवाई माधोपुर के केसेज पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता जब सदन में मामला आएगा, स्पष्टीकरण करूंगा। यह आप निश्चित मानकर चलें कि मेरी कोई ऐसी मजबूरी नहीं आ गई कि मैं किसी के दबाव में आकर या प्रेशर से मुकदमे का चालान नहीं करा सकूं या मुकदमे की कार्यवाही न करूं। अगर यह खयाल पैदा हो गया हैं तो निकाल दीजिए।

श्री भैरोंसिंह : आपने खुदने स्वीकार किया है इसलिये कहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने क्या कहा है और क्या नहीं यह मैं बता दूंगा। न तो मुझे कोई दबा सकता है और न मैं दबाव में आ सकता हूं। कानूनी कार्यवाही की जावेगी चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो और कितना ही प्रेशर मेरे ऊपर आये।

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री जी वित्त विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

राजस्थान विनियोग (सं. 2) विधेयक, 1971 विचारार्थ प्रस्ताव

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : I take a serious objection to it. We are discussing the appropriation Bill and the Finance Minister is not here. He should have been here in the House. Why it should be taken so lightly. He should have been here.

श्री दामोदरलाल व्यास [गृह मंत्री] : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं......

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : राज्य के इतने महत्वपूर्ण लेखे को प्रस्तुत किया जाय और वित्त मन्त्री जी स्वयम् उपस्थित न हो यह बड़ी शोचनीय बात है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : सदन का बड़ा भारी अपमान है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब तक वित्त मन्त्री न आ जाय सदन की कार्यवाही को आप स्थगित कर दीजिये।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय जनतन्त्र के खिलाफ यह कार्यवाही कर रहे हैं और आप उसको बढ़ावा न दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सतीशचन्द्र जी बोल रहे हैं आपकी तरफ से।

श्री विजय सिंह (मकराना) : इतने बड़े मसले को आज हम लेने जा रहे हैं और वित्त मन्त्री जी गायब हैं। तो क्या डिस्कस करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : वे भागे हुए आ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : (वित्त मन्त्री श्री मथुरा दास माथुर के सदन में प्रवेश करते हो) प्रश्न समाप्त हुआ ।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, इनको ताड़ना दीजिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप सदन में क्यों नहीं उपस्थित हुए जब आपको काल किया गया है । कम से कम यह तो कर्टसी बरतिये कि रिग्रेट शो करें आप ।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 1971 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: कोलोनाइजेशन के सम्बन्ध में जैसा कि मैंने पहले कल कह दिया था कि श्री रामचन्द्र आर्य, प्रोफेसर केदार आदि माननीय सदस्यों को पहले समय दे दिया जाय ताकि मन्त्री महोदय क्लेरिफिकेशन कर सकें ।

प्रो. केदारनाथ ।

प्रो. केदारनाथ : (श्री गंगानगर) अध्यक्ष महोदय, कोलानाइजेशन के सम्बन्ध में निवेदन करने से पहले मैं इकोनोमिक डेवलपमेंट के सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पन्द्रह सोलह साल के इकोनोमिक डेवलपमेंट के बाद आज तक हमें मालूम नहीं पड़ा है कि इसका इम्पेक्ट देहात और शहर के लोगों पर क्या पड़ा है । कितने ग्रुप्स हैं जिन पर इकोनोमिक डेवलपमेंट का असर पड़ा है इसकी एनेलेटिक स्टेडी आज तक हमारे सामने पेश नहीं की । अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग कमीशन ने फोर्थ प्लान के शुरू में यह स्टेटमेंट दिया था ।

The planning Commission has directed its attention exclusively to achieve high rate of growth...

राजस्थान में यह स्थिति कब पैदा होगी ? हमेशा इकोनोमिक डवलपमेंट का एक टारगेट होता है । हम हिन्दुस्तान में मिनीमम स्टेन्डर्ड तक हर एक व्यक्ति को पहुंचा दें । वह नेशनल मिनीमम स्टेन्डर्ड क्या हो ? हमारी ग्रोथ का जो ट्रेन्ड है उससे यह मालूम पड़ता है कि दस वर्ष में भी पावर्टी हमारी लाइफ में रहेगी । अध्यक्ष जी. इसका एनेलेसिस किया गया है ।

The national income would be the increased more than 50%

यह पास्ट ट्रेन्ड्स से हमें मालूम पड़ता है ।

श्री मथुरादास माथुर : यह रैफरेन्स किसका है ?

प्रो. केदार नाथ : प्लानिंग कमीशन का । मैं यह निवेदन करना चाहता था कि अगर हम 68–69 की प्राइसेज पर कन्ज्युमर्स एक्सपेन्डीचर को रूरल एरिया में 324 पर माने और अरबन एरिया में 424 पर माने तो राजस्थान की आर्थिक पोजीशन क्या होगी और कहां स्टेन्ड करेंगे यह हम वित्त मन्त्री से पूछना चाहते हैं ।

(प्रो. केदारनाथ)

इस बात को लेकर आज जो कुछ रूरल लाइफ में हम देखते हैं कि खेत मजदूर हैं, 16-17 साल से इकोनोमिक डेवलपमेंट का क्या इम्पेक्ट हुआ, तीन प्रकार के किसान हैं। मार्जिनल क्लास, अपर क्लास, और लोग्रर क्लास। अपर क्लास को तो फायदा मिला; और लोग्रर तो बिल्कुल इलिमिनेट हो गयी। मार्जिनल क्लास को इलिमिनेशन की स्टेज पर ले आये। यह इकोनोमिक डेवलपमेंट का फायदा हुआ है। फायदा हुआ है तो रिच जनटरी को। उनका रूप ही बदल गया है। नये खातेदार पैदा हो गये। शक्ल बदल गयी है। फार्म हैं, ट्यूब वेल लगे हुए हैं और समाज में प्रतिष्ठा है। यह क्लास जनरेशन हुआ, ठेकेदार, नेता पैदा हुए देहाती लाइफ में सारी स्थिति ही बदल गयी है। इस इम्पेक्ट का रूरल लाइफ में क्या असर होने वाला है। इसके साथ साथ अरबन एरिया में भी यह हुआ। हमारे हिन्दुस्तान के कई प्रकार की स्टेडीज होती हैं। मैं नहीं चाहता कि मै उनका विश्लेषण यहां पर करूं। सिम्पल सर्वे, आदि प्लानिंग कमीशन ने स्टडी की है। मैं समझता हूं राजस्थान में 16।17 साल के डेवलपमेंट के लिहाज से और ग्रुप के लिहाज से खर्चा कितना है और बचत क्या है और क्या रिलेशन्स बने हैं, प्रोडक्शन के रिलेशन्स क्या बने हैं, सोशियल रिलेशन्स क्या बने हैं जब तक आप स्टेटमेंट तैयार नहीं करते आयन्दा पोलिसी किस प्रकार फ्रेम कर पायेंगे, इसका फायदा किस ग्रुप ने उठाया इसका सही अन्दाज नहीं सर पायेंगे। इतना निवेदन करने के बाद में कोलोनाइजेशन की डिमाण्ड पर आता हूं।

12.25 म. प.

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

एक बहुत बड़ा मसला है मान्यवर, हमारी राजस्थान की सरकार जब भी इन्टर स्टेट इशु पैदा होता है हमेशा हमारे इन्टेरेस्ट की देखभाल नहीं करती है। कई मिसालें हैं। आप ताज्जुब करेंगे अगर में फीगर पेश करूं। व्यास डेम बनाने के लिये 25267 एकड़ भूमि एक्वायर की गई। इस सारे के सारे डेम से तीन स्टेट्स फायदा उठायेंगे। यह है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। मान्यवर, इस जमीन के साथ साथ इसमें 36 हजार एकड़ एग्रीकलचर लेन्ड है और इसमें 13 हजार इर्रीगेटेड है। इस काम का पैसा जब चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स हुई थी 6 करोड़ तय हुआ था और आज 64 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है जबकि पहला फैसला है 6 करोड़ का। जितनी जमीन एक्वायर की गई है व्यास डेम, पोंग डेम के लिये इसी में सारी स्टेट्स का इन्टरेस्ट है और अब हमें 6 करोड़ कास्ट आफ प्रोडक्ट का 64 करोड़ देना होगा। यह सारा मान्यवर 6 करोड़ 75 हजार रुपया 55 में तय हुआ था उसका आज 64 करोड़ देना पड़ेगा। इसके अलावा हमने रिहेबिलिटेशन का भी जिम्मा लिया हैं। जितनी जमीन हमने ली है है और जितने डिसप्लेस हुए हैं उन सबके सब को हम राजस्थान केनाल एरिया में आबाद करेंगे और इन दो स्टेट्स को शायद नही करना पड़ेगा और इसके लिये राज्य सरकार को 2 लाख 20 हजार एकड़ जमीन देनी पड़ेगी राजस्थान केनाल पर 12 लाख

Page No 57

(श्री केदारनाथ)

20 हजार एकड़ जमीन पर हम इन विस्थापितों को बसायेंगे। इसके अलावा जो आदमी 61 में बसते थे चाहे उनकी वहां पर काश्त थी या नहीं, उनका प्रोफेशनल यह काम था या नहीं था, उनको भी बसाने का जिम्मा हमने ले लिया है। यह भी सुनकर आप ताज्जुब करेंगे मान्यवर की 20 इन्स्टालमेंट्स में आप कीमत वसूल करेंगे और वह भी बिना इन्टरैस्ट के। उनको इन्स्टालमेंट में कितनी रियायत दी गई है। 64 करोड़ तो का'ट का और मुआवजे के लिये 30 करोड़ की जमीन हमने दे दी है। मैं यह नहीं कहता कि आप यह न करें। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें तीन चार स्टेट्स का इन्टरेस्टस है तो आप क्यों न सेन्टर पर प्रेशर डालते हैं कि रिहेबिलिटेशन के लिये ये स्टेट्स भी अपने वहां पर जमीन दें और इसकी काश्त, कीमत ज्यादा है इसलिये सेन्टर भी इसमें कन्ट्रीब्यूट करे। इसके अलावा मान्यवर हम मकान बना कर भी उनको देंगे। यही नहीं जो जमीन उनके नाम से यहां पर रिजर्व है, उसका पानी हम यूटिलाइज नहीं कर पाये हैं और न उन्होंने किया है और यूटिलाइज नहीं करने के कारण सरकार को उस जमीन का लैंड रेवेन्यू नहीं आया। इस प्रकार सरकार ने इन पांच, छः सालों में पांच छः करोड का नुकसान किया है। मान्यवर, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्टर स्टेट्स मसले में हमारी राज्य सरकार ने कभी भी हमारी स्टेट के इन्टरेस्ट की देखभाल नहीं की है। हमेशा सैक्रीफाइज किया है, यील्ड किया है और इसका असर हमारे बजट पर पड़ा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारे राजस्थान केनाल एरिया में डेढ़ लाख एकड़ जमीन भूमिहीन हरिजनों के लिये और गैर हरिजनों के लिये रिजर्व की गई है मगर पोंग डेम के लिये हमने उनको 2 लाख 20 हजार एकड़ दे दी है। यह कितना इकरार हैं। जो लोग इस क्षेत्र में बसे हुए हैं चाहे वे शिडयूल कास्ट के हों, चाहे और हों, उन लोगों का ख्याल है कि राजस्थान केनाल में पानी आने के बाद उनकी जमीन को भी पानी मिलेगा इसलिये कितना बडा फर्क है एक तरफ डेढ़ लाख और दूसरी तरफ सवा दो लाख। यह कितना बडा फर्क है, पक्षपात है और हमारे इन्टरेस्ट को सेकरीफाइज किया गया है, यह मेरी अर्ज है राजस्थान केनाल का अलाटमेंट शुरू होने वाला है। अगर देखें भी तो वहां पर चार तरह के काश्तकार हैं एक तो वे लोग हैं जो वहां पर सन् 55 से बसे हुए हैं। दूसरे वे लोग हैं जो सन् 55 के बाद वहां पर बसे। तीसरे, एक नई आबादी आप बसा रहे हैं। और इसके बाद आपने रिजर्वेशन किया है। आपने कुछ फैसला भी किया है। गंग केनाल में आपने एलाटमेन्ट किया है, भाखरा में एलाटमेन्ट किया है, टी. बी. परगना में एलाटमेन्ट किया है और अब राजस्थान केनाल में करने जा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं एक पैटरन हो। आपकी पोलिसी काश्तकारों के हित में होनी चाहिये परन्तु वह उनके हित में नहीं है। छत्तरगढ़ के किनारे लोगों ने खालसा की जमीन पर कब्जा कर रखा है और उसको रिकार्ड कर लिया है। छत्तरगढ़ ठीकाने में जागीर

(श्री केदारनाथ)

को जमीन समाप्त हो गई थी। उसको खालसा डिक्लेअर कर दिया गया है और पुराने रिकार्ड को बदलकर कब्जा कर लिया है। हाईकोर्ट में केस चल रहा है। जो आपने फैसला टी० बी० के काश्तकारों के साथ किया है वही फैसला राजस्थान केनाल के काश्तकारों के साथ होना चाहिये। दोनों का एक सा पैटर्न होना चाहिये। जो सम्वत् 85 से बसे हुए हैं उनको सीलिंग के हद तक की जमीन आपने दी है और 50 बीघा तक फ्री आफ कास्ट देंगे - सम्वत 85 से पहले मतलब 1923 से काश्त थी बी. टी. बी. परगने में बसे हुए थे, उनको सीलिंग के हद तक जमीन देना स्वीकार किया है और खातेदारी के हक भी और राजस्थान कैनाल में 5- से बसे लोगों को सीलिंग तक की जमीन देना स्वीकार किया है और 25 बीघा बिना कास्ट की और 25 बीघा कास्ट के। यह भेदभाव रीति है। इन्स्टालमेंट आफ प्राइज में भी डिफेरेन्स है। तो यह भेदभाव नहीं होना चाहिये। टी. बी. के बारे में आपने 1928 के बाद 1952 तक जितनी जमीन हैं उनको मुफ्त कर दी और 52 से 59 तक एक मुरब्बा और बाकी कीमत के साथ। और कीमत भी उनसे बारह हजार रुपया। कीमत में कितना फर्क है आप देखिये। वहां जो जमीन है, भाखरा डैम और राजस्थान कैनाल में सिंचित भूमि की कीमत 800 रु० प्रति बीघा और टी० बी० के क्षेत्र में 400 रु० प्रति बीघा। बाकी जो दूसरी जमीन है वह 150 रु० और 50 रु० प्रति बीघा क्रमशः है। परन्तु काश्त के लिए दोनों जगह एक सी है। इसलिये इसके लिए एक पोलिसी, एक उसूल आप तय कर दीजिए। भाखरा के बाद सबसे बड़ा इरिगेशन राजस्थान कैनाल का है इसलिए एक सी ही पोलिसी इरिगेशन की होनी चाहिए। मान्यवर मुआवजे में जो काश्तकारों के साथ कोई एक पेटर्न नहीं है। एक सा वास्ता नहीं है। आज जो फैसला किया है उसको आप देखेंगे तो पता चलेगा। सन् 55 से पहले जो काश्तकार थे जिन को स्टेट के अन्दर खातेदारी के हक थे पहले उनको वे खातेदारी हक दे दिये। कान्स्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन भी मिल गया और अमेन्डमेंट भी आ गया। मान्यवर, इन सारी बातों में मैं नहीं जानना चाहता परन्तु जिनका पेशा काश्तकारी का है और रोजगारी का कोई दूसरा धन्धा नहीं है उनके बारे में भी राज्य सरकार को सोचना चाहिये वे छतरगढ़ के ही लोग हैं। महाराज करनीसिंह और दूसरे जिन लोगों ने एक स्केन्डल करके कब्जा किया है उनसे इन काश्तकारों का कोई मुकाबिला मत करिए। इनका पेशा खेती बाड़ी का नहीं है। रोजगारी का धन्धा काश्त का नहीं है। जब भी नियम आप बनावें यह परस्पेक्टिव आपको लेना पड़ेगा कि कौन तो काश्तकार हैं, कौन पुराना वाशिन्दा है जिन्होंने जमीन का नव तोड़ करके जमीन की कद्र की है। मान्यवर मैंने आपकी मार्फत राज्य सरकार को यह निवेदन किया है कि टी. बी. के साथ, वहां के काश्तकारों के साथ जो आपने फैसला किया है वही फैसला आपको राजस्थान कैनाल के काश्तकारों के साथ करना चाहिए। यह जो सारा फैसला हुआ

(श्री केदारनाथ)

है उसके लिए वहां पर आन्दोलन हुआ था और मुख्य मन्त्री जी ने इसके लिए घोषणा की थी और उसके बाद हमारी, उनकी बात चीत से ये फैसले हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके फैसले हो गये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब ये क्राईटेरिया आपने तय कर दिया था जो एश्योरेन्स आपने दिया था यहां हाउस में वह एश्योरेन्स आप इम्पलीमेन्ट करो कानून के तहत। मैं समझता हूं कि राजस्थान कैनाल का एक तो यह फैसला और दूसरा फैसला यह हुआ था कि 25 बीघा देंगे आप 55 के बाद, और साथ ही यह तय हुआ था कि जो लोग 62-63 में बस गये उनको आपने दो-दो मुरब्बा दिया और उनको बसा दिया। पानी की कमी थी, बरसात की कमी थी और वे जमीन काश्त नहीं कर पाये। उनकी जमीनें आपने कागजों में कैंसिल कर दी। आज फैसला यह करते हैं कि सारी इन्सटालमेन्ट्स एक साथ जमा करा दो-यह नामुमकिन चीज है। इतना बड़ा बोझा आपने डाल दिया। फैसला यह हुआ था कि जो काश्तकार इरिगेशन फैसिलिटीज के अभाव में, वर्षा की कमी के कारण अपने खेतों को काश्त नहीं कर पाये, रेग्युलर इन्स्टालमेन्ट्स नहीं भर पाये उसकी जो जमीन कैंसिल की गयी उसको बहाल किया जायेगा और एक एरियर की किश्त और एक करेन्ट की किश्त ली जायेगी। यही गंग कैनाल और यही भाखरा का फैसला था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको आप ने जमीनें दीं भूमिहीन होने के नाते, शेड्यूल्ड कास्ट्स के होने के नाते या कम जमीन होने के नाते अगर दस साल में आपने जमीनें एलाट कीं तो क्या आपने कभी इसका असेसमेन्ट किया कि वह जमीन को क्यों नहीं काश्त कर पाया, क्यों वह जमीन को छोड़कर चला गया और क्यों उनकी जमीनें कैंसिल हुई? ऐसे लोगों को आप रियायत दें-मेरा यह कहना है और जिनका धंधा काश्त करना है तो लाजिमी आपको उनकी जमीन बहाल करनी पड़ेगी। यह लैण्ड की पॉलिसी को आप नहीं बदलें। आप यदि आज से 15 साल पहले किसी को बसाते हैं और फिर उसको बेदखल करते हैं तो यह ऐसा सीक्वेन्स आफ इवेन्ट होगा कि आप लैण्ड रिफार्म्स नहीं कर पायेंगे। एक तरफ तो जमीन देते हैं और दूसरी तरफ जमीन कैंसिल करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको आपने जमीन 62-63 में दी और एक क्लास वह भी है कि जो जमीन का कब्जा नहीं ले पायी। तहसीलदार या पटवारी ने उनको कब्जा नहीं दिया और अब आप कहते हैं कि नहीं देंगे, पहले यह 15 बीघा थी और अब 25 बीघा मिलेगी नये रूल्स के माफिक तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बस गये उनको दो मुरब्बा और जो कब्जा नहीं ले पाये उनको 25 बीघा तो वही कीमत हुई जो कि गंग कैनाल और भाखरा की कीमत थी।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे गंग कैनाल में जमींदारी और बिस्वेदारी समाप्त होने के बाद, जो लोग 53 से पहले के काश्तकार हैं टेनेन्ट के रूप में उनको आप खातेदारी हक क्यों नहीं देते हैं? वह स्केटर्ड कर गये, उन्होंने राइट्स को एक्वायर कर लिया जो कि उनकी बिस्वेदारी और जमींदारी में थे तो वे 59 से पहले के काश्तकार चले आ रहे हैं और वे

(श्री केदारनाथ)

चाहे किसी रिलीजियस इन्स्टीट्यूशन हों चाहे कोई भी हों आप उनको इजेक्ट नहीं कर सकते। उनको राइट्स हैं काश्त करने के इसलिए आप उनको बतौर टैनेन्ट खातेदारी हक दो।

उपाध्यक्ष महोदय, गंग कैनाल में एक बात और है। आपने यह भी एलान किया कि जो काश्तकार सरकार की जमीन पर हैं और 53 से 60 तक क्योंकि दो साल कोई भी साल किसी कारण से काश्त नहीं कर पाये तो उनको बेदखल नहीं किया जाये। मगर यह नीति नहीं निभाई जा रही है। इसके अलावा आपने राजस्थान कैनाल में जो फेमिली का इन्टरप्रिटेशन लिया और सीलिंग लॉ में जो फेमिली का इन्टरप्रिटेशन लिया वही आप गंग कैनाल में भी फेमिली का इन्टरप्रिटेशन लो। अनडिवाइडेड फेमिली में किसी की मान लें कि 15 बीघा काश्त है और जहां सब-टैनेन्ट की तरह काम करते आ रहे हैं उसमें कोई भी फेमिली में नाबालिग है वह भी जमीन पाने का अधिकारी है, उसे भी आपको जमीन देनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप डिफरेन्शियेट मत कीजिए चाहे इन्स्टालमेन्ट का सवाल हो या दूसरा सवाल हो आप एक ही पैटर्न पर उसको तय करें।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि गंग कैनाल में दो तरह के काश्तकार थे एक तो वो जिन्होंने कि राजाओं के वक्त में जमीनें खरीदीं, जो पंजाब से आये और जिन्होंने कालोनीज बनाई उनको हक था 59 से पहले जमीन बेचने का। अब आपने क्या कर दिया कि मेरे पास सरप्लस लैण्ड है और 69 तक किसी को बेच दी उसको तो आपने रेग्युलेराइज कर दिया और ग्रो मोर फूड के नाते जिनको जमीन दी आपने यह नहीं देखा कि वह काश्तकार है या नहीं उनको भी आपने रेग्युलेराइज कर दिया। राजस्थान में अनकमाण्ड है उनको आपने रेग्युलेराईज कर दिया। तो सन् 60 से पहले जमीन दे दी वह तो पैसे लेकर चले गये लेकिन जो सही माने में काश्तकार हैं और उनको आप बेदखल करेंगे। उसने इतने लम्बे समय में जमीन की कीमत तो दे दी। तो दोनों की एनोलॉजी तो एक ही है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये फैसले जब भी आप करें तो आपका एप्रोच यह होना चाहिए कि खरीदने वाला कौन है और बेचने वाला कौन है। जो ठिकाने जमींदारी और बिस्वेदारी के बाद खालसा हो गए और जिन लोगों ने रैवेन्यू आथोरिटी से मिल कर रेकर्ड टैम्पर कर दिये उनका और गंग कैनाल के काश्तकारों का मेल मत कीजिए, इसलिए मैंने ये दो बातें आपके सामने रखी हैं।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग 10-15 बीघा के मालिक हैं उनको तो आप जमीन दे देंगे, जिनके पास छोटे पैचेज हैं और जिनके पास 25 बीघा से कम है वे चाहे कहीं भी हों आप उनकी लिस्ट बना लें और उनको प्रायोरिटी दीजिए वर्ना क्या होगा कि जिनके पास 10 बीघा जमीन है वह लाजिमी जमीन डिस्पोज आफ करेगा। कास्ट आफ प्रोडक्शन इतना है कि आज छोटे छोटे पैचेज नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि जमीन काश्तकारों के पास रहे तो लाजिमी जिनके पास पैचेज हैं--जो विलेज सर्वेन्ट्स हैं और जिनके पास 25 बीघा से कम जमीन है और उनका

(श्री केदारनाथ)

काश्तकारी के अलावा दूसरा धंधा नहीं है उनको आप राजस्थान कैनाल में प्रायोरिटी दीजिए। ऐसे ही आप एक्स-सोल्जर्स को दीजिए। कुछ लोग पाकिस्तान से जो शरणार्थी बनकर आये थे उनको जमीन कम मिली और 48 के बाद में वे फैमिलीज बढ़ गई वे जमीन पाने के अधिकारी नहीं हैं। आपने उस समय 1½ मुरब्बा से ज्यादा किसी को जमीन एलॉट नहीं की डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को अगर उनका काश्तकार का पेशा है तो फादर का हिस्सा निकाल कर आपको उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए।

यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जमीन की कीमत 450 रुपया स्टैन्डर्ड एकड़ है और अलवर, भरतपुर के अन्दर 150 रुपया ही है। उनसे मकानों की कीमत आज भी वसूल की जा रही है वह भी विथ इन्ट्रेस्ट और विथ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। यह कभी नहीं सुना कि चाहे कोई भी हो आखिर उसका मकान वो पाकिस्तान में था चाहे कच्चा था या पक्का था कैसा भी था और वह जमीन भी छोड़कर आया। आप यह जानते हैं कि जो आपने मकान एलॉट किए मुसलमानों के वे बड़े खराब थे और वे सारा सामान ले गये सिर्फ दीवाल छोड़ गये उन मकानों की कीमत आप विथ इन्ट्रेस्ट वसूल कर रहे हैं। आप इस मामले में कम से कम सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को तो मनवाइये।

चौथा पाइन्ट मेरा है कि जो हमारे विलेज सर्वेन्ट्स थे और जो लोग लगातार काश्त करते आ रहे थे उनको गंग कैनाल में 5-6 बीघा जमीन है और 50 मुरब्बे में से 25 बीघा जमीन रिजर्व रखी गई है स्कूल के नाम से, और दूसरे नामों से उसमें विलेज सर्वेन्ट के एक परिवार को 5 बीघा जमीन रखी थी। जब तक उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे राजस्थान कैनाल में तो वह कैसे गुजारा कर पायेंगे। जो पहले था अब उसका लड़का आ गया और जमीन पर काश्त करता रहा। वह विलेज की पूरी सेवा करता आ रहा है, लेकिन आज स्थिति यह है कि कागजों में वह विलेज सर्वेन्ट नहीं है। उसको आप खातेदारी हक नहीं दे रहे हैं। तो जब भी आप काश्तकार के बारे में सोचें तो पूरी तरह से सोचें और जो कागजों में विलेज सर्वेन्ट नहीं हैं उनको आप सारे अधिकार दो। आप उसको वैसे ही ट्रीट कीजिए।

तो मैंने गंग कैनाल, भाखरा और राजस्थान कैनाल के बारे में कहा, तो मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि इस एलॉटमेंट में पिछले साल एक हाईपॉवर कमेटी बनी और जिन लोगों ने इल्लीगल पजेशन किया है, जिन लोगों ने गलत तरीके से ट्रान्सफर्स करवाये हैं यह कितना बड़ा मसला है और आप उसका सही इलाज ढूंढ दो, पिछले दस सालों में जिनके पास पुरानी जमीन थी, बैरन लैण्ड थी उसको नाली में कन्वर्ट कर दिया तो आप उनसे कम से कम पैसा तो ले लो जिन्होंने नाली में कन्वर्ट करा ली। आज नाली की जमीन की कीमत 7,000 रुपया एक बीघा की है। और उन्होंने वो जमीन उस समय कौड़ियों के भाव ले ली थी। वह लोग बड़े मजबूत हैं और सरकार पर हावी हैं। मगर कम से कम आज जो नाली की जमीन का रेट है वह तो आप उनसे वसूल करो। तो मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि सबसे अच्छी जमीन पर वे काबिज हैं सूरतगढ़,

(श्री केदारनाथ)

जेतसर का फार्म हो या और दूसरा स्थान हो और ऐसी फेमीलीज की फेमिलीज बस गयीं। इसलिए हाई पावर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसका क्या हुआ? यह तो आप अपने जवाब में कहें आखिर क्या-क्या उन्होंने रिपोर्ट दी और क्या आपने एक्शन लिया। फाइल हमारे सामने लाओ और पॉवर्स दे दो ताकि एक्शन ले सकें। हाई पावर कमेटी ने काम अच्छा किया। आपकी अध्यक्षता में उस कमेटी ने अच्छा काम किया और इस कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट में कुछ नियम भी बने, कुछ काम भी हुआ, लेकिन आपको यदि पूरी पावर्स मिल जाये तो मैं सोचता हूं कि कुछ काम हो पाये, लेकिन जो बॉटलनेक आ गया कि जितने बेनामी ट्रान्जेक्शन हुए हैं, सरकार ने एलॉट करवाई लेकिन इसको आप हर काश्तकार के साथ मत मिलाइये।

इसके अलावा मुझे एक दरख्वास्त और करनी है कि जब आपको जमीन एलॉट करनी हो तो आप पूरी तरह से स्क्रूटिनाइज करके करें और जो आपने हाई पावर कमेटी बना दी आप उसका ब्रेक अप कर के दो तीन आदमियों की कमेटी बनादो और वह काम करे। केवल ऑफिसर्स के ऊपर छोड़ना ठीक नहीं। जिस जमीन की कीमत बहुत बढ़ी है और लैण्ड के लिए हंगर बहुत बढ़ी हुई है और नम्बर ज्यादा है इसलिए आप उसी कमेटी को पावर्स दीजिये डिसीजन लेने की।

अंत में यह कहते हुए कि कॉलोनाइजेशन के बारे में और बाकी मण्डियों का सवालह है वह भी है। बहुत झगड़े हैं। मैं मानता हूं कि यह इतना पेचीदा सवाल है कि जिसको हल करना मुश्किल है और बिना किसी पक्षपात के किसी को स्पेयर नहीं करते हुए अपना फैसला कर दो तो राजस्थान केनाल, भाखरा केनाल और गंग केनाल में जो आप नये काश्तकार बसाने जा रहे हैं वह नया सिस्टम हो जायेगा, लोग देखेंगे कि राजस्थान केनाल में 28 लाख एकड़ का रकबा है उसमें लोग बसेंगे तो किस तरीके से आप बसाना चाहते हैं, कौन से खयालात के लोगों को बसाना चाहते हैं, कालोनीज कैसे बसें और उनको सारी सुविधायें दे पायें, मैं समझता हूं कि इसके साथ नयी सभ्यता आयेगी। तो जो सोशियेलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी आप चाहते हैं उन लोगों को आप वहां पर बसाओ। इसके अलावा आप विलेज सर्वेन्टस से सबूत ले लो और यह सबूत हो जाये कि वह विलेज सर्वेन्ट्स हैं तो आप उसको जो उसका अधिकार है वह दे दो क्योंकि सन् 55 के बाद सेपरेट फेमिली बन गई और आज भी जो पहले विलेज सर्वेन्ट था उसका लड़का विलेज सर्वेन्ट का काम करता आ रहा है। बस, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यही निवेदन करना था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, गत कुछ दिनों से हमने बजट की मांगे स्वीकार की और कन्सोलीडेटेड फण्ड से राजस्थान स्टेट के··

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, कॉलोनाइजेशन पर मुझे भी बोलना है।

Page No 63

श्री उपाध्यक्ष : आपके पश्चात आपको समय दिया जायेगा ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मुझे जाना था इसलिये बोल रहा हूं····· 19 अरब और कुछ रुपयों को कन्सोलिडेटेड फण्ड से निकालकर-राजस्थान राज्य को सौंपने का बिल आया है । एप्रोप्रियेशन बिल इस सदन में पेश हुआ । सरकार को 19 अरब दे रहे है राजस्थान का शासन चलाने के लिए । वह 19 अरब रुपया खर्च करेंगे···

श्री रामानन्द अग्रवाल : 19 अरब कहां से आ गये ? । अरब का है ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : ठहर जाइये । आप हल्ला मत करिये । रीसीट्स ग्राफ 186 करोर्स हेव बीन प्लेस्ड····· एक्सपेण्डीचर 197.28 करोर्स . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : कहां से बोल रहे हैं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : भाषण में से बोल रहा हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 197 करोड़ कैसे हुआ ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अच्छा, अच्छा गलत हो गया ।

मैं निवेदन करना चाहता था खर्चे के आइटम के सम्बन्ध में । यह सदन सरकार से आशा करता है कि आयन्दा इस रुपये को इस तरह से खर्च करें कि जिससे राजस्थान का अधिक से अधिक काम हो । हमारे यहां पर 85 लाख ऐसे प्राणी हैं जिनको शायद हम मनुष्य नहीं कह सकते जिनके साथ . में हमने आज तक शताब्दियों से जो व्यवहार किया है···

श्री मदनसिंह : राजस्थान के 85 लाख नागरिकों को मनुष्य नहीं कह रहे हैं । वे तो मनुष्य हैं ही लेकिन हम नहीं मानते हैं ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : समाज के ऊपर हम बैठे हैं । उन्होने आज तक उनको पददलित रखा है, आज तक उनको पिछड़ा हुआ रखा है, और मनुष्य की तरह नहीं रहने दिया, और ऊपर नहीं उठने दिया । मैं आज नहीं कहना चाहता हमारे वर्णाश्रम धर्म के बारे में, मगर जिस दिन वर्णाश्रम धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था उस समय कौन आदमी थे जिन्होंने शूद्र का काम शुरू किया था । हमें जातीय वर्ग का अभिमान था । जातीयता का प्रबल भाव था जब कि शूद्र ने जन्म लिया । आज उनकी संख्या 85 लाख राजस्थान में है । 85 लाख जनता के लिए 1,800,(00 रु. की मांग स्वीकार की गई है इनकी पढ़ाई और इनके सारे प्रोग्राम पर और उससे जो लाभ 85 लाख का मिलने वाला है । मैं आप से पूछना चाहता हूं आपके अनुभव के आधार पर कि जो राजस्थान सरकार ने [illegible] सालों में और पिछले सालों में खर्च किया है, उसमें डिप्रेस्ड क्लासेज को शेयर मिला है तो एज्यूकेशन में उनकी क्या पर्सेन्टेज है ? यह आपके सामने है । आपकी मेडिकल फेसिलिटिज और हैल्थ की फेसिलिटिज में कितना लाभ मिला है यह आपके सामने है । कितना थोड़ा–लाभ

Page No 64

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

मिल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार आपके हाथ में रुपयों को सौंप रही है तो उस रुपये का ऐसा उपयोग करें कि उसका फायदा अधिक से अधिक डिप्रेस्ड क्लासेज को मिले। तभी आपका समाजवाद आयेगा नहीं तो समाजवाद नहीं आयेगा। मैं अभी 85 लाख आदमियों के लिए कह रहा था लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान में 257 लाख की करीब करीब आबादी है तो 257 लाख में से 25 लाख आदमियों को छोड़ने के बाद में 2.30 लाख ऐसे आदमी हैं कि जिनके ऊपर हमारे बजट का बहुत थोड़ा हिस्सा खर्च होता है। अधिक पैसा 25 लाख आदमियों पर खर्च किया जाता है। ये सारी फेसिलिटीज ऊपर के वर्ग को मिलती रही हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारियों को आदेश दें कि इस बजट के अधिकांश हिस्से को मेजोरिटी की भलाई के लिए खर्च हो। अगर यह नहीं हुआ तो आने वाला युग आपको माफ नहीं करेगा, और वह तबका जिनको हमने दबा कर रखा है और आज हमारे कारण बोलने का अधिकार नहीं रखता है उनमें वह आवाज पैदा होगी कि कल आप सबको बरदाश्त नहीं कर सकेंगे ?

यहां हरिजनों के सम्बन्ध में कहा गया था और बड़े प्यार के साथ कहा था कि यह बरदाश्त नहीं कर सकते। सर पर मैला उठाना आज के युग में कहां तक वाजिब है इसलिए उनके लिए गाड़ियों का इन्तजाम हो, व्यवस्था हो। इसके सिवाय आपको और इनको कोई साधन नहीं है ? 23 वर्ष के बाद भी कोई साधन नहीं है कि वे इस काम से छुट्टी पायें। हम उनसे यह नहीं कह पाए कि यह काम छोड़कर फलां धन्धा करो सीकर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत करें और अपना काम और अपना रास्ता अपने आप ढूंढ लें। उनकी राग में अपनी राग अलपाते हुए मैंने झांककर उनकी भावनाओं को देखा है कि आज से 5 वर्ष बाद में इन चीजों को बरदाश्त नहीं किया जायेगा। इसलिए आप इसके लिए कोई इन्तजाम करें। अब वे आपके इस अत्याचार को 5 वर्ष तक सह नहीं सकेंगे। राजस्थान का अधिक से अधिक बजट इस तरफ लगाएं ताकि इस प्रथा को बन्द कर सकें और उनकी आजीविका का दूसरा प्रबन्ध कर सकें।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि राज्य सरकार की अभी तक जो कार्य प्रणाली रही है उस आधार पर मुझे यह लगा कि राजस्थान सरकार ने जिनके हाथों में हिसाब का लेखा जोखा साथ रखा है.....

श्री मदनसिंह : नाहर साहब मुझे माफ करेंगे। वह राशि जो खर्च होगी वह गरीबों को नहीं मिलेगी।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : राजस्थान सरकार को रुपया सौंप रहे हैं। उनकी योजनाएं हैं जितने प्लान्स बन रहे हैं, उन सब प्लान्स में। उनसे होने वाले जो सोशियल डेवलपमेंट के प्लान हैं, राजस्थान के डेवलपमेंट के प्लान्स हैं उन पर जो खर्चा होगा उसका ज्यादा हिस्सा गरीब तबके को मिलेगा। अभी तक नहीं मिला है। इसलिए

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
आशा करता हूं कि राज्य सरकार अपने अधिकारियों को यह कहे कि इस तरह से खर्च हो कि उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। यही मेरा निवेदन है।

मैं दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने तीन तरह के कारपोरेशन राजस्थान सरकार के हैं कारपोरेशन कम्पनीज और अन्डरटेकिंग--उनमें काफी पैसा लगा रखा है। उनका हिसाब लगाने से मुझे मालूम पड़ा कि टोटल अमाउन्ट जितना इन्वेस्टेड है इसका चार आना परसेन्ट भी हमें ब्याज नहीं मिलता हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चार आना सालाना ब्याज भी राज्य सरकार को उन इन्वेस्टमेंट से नहीं मिल पा रहा है, यह जो हिसाब है वह आडिट रिपोर्ट के द्वारा जो लेटेस्ट फीगर्स आपके सामने आये हैं उसके आधार पर है। यह तीन आपके : कार्माशियल अन्डरटेकिंग्स हैं- कम्पनीज, कारपोरेशन और स्टेट अन्डरटेकिंग्स। इन तीनों में जितना रुपया लगा हुआ है उसके फीगर्स मैं आपको बता देना चाहता हूं। टोटल इन्वेस्टमेंट है...

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : यह इन्वेस्टमेंट का जो आप कह रहे हैं वह पब्लिक सेक्टर के लिए कह रहे हैं या टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : टोटल इन्वेस्टमेंट इन कारपोरेशन्स, कार्माशियल अन्डरटेकिंग्स एण्ड दी गवर्नमेंट कम्पनीज। टोटल प्राफिट एण्ड इन्टेरेस्ट इन्क्लूडेड है...

श्री मथुरादास माथुर : इन्क्लुडिंग प्राइवेट कम्पनीज।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : नो, इन दीज आल ग्रौ नाट प्राइवेट कम्पनीज।

श्री मथुरादास माथुर : पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका आप जिक्र कर रहे हैं या वेदर इट इज कार्पोरेशन आर वेदर इट इज डिपार्टमेंटल आर वेदर इट इज कम्पनी?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह चार आना सालाना ब्याज मिलता है वह मेरे खयाल में वाजिब नहीं मालूम होता है, वह जो रुपया आपको सौंप रहे हैं तो आशा करते हैं कि अधिक से अधिक फायदा होगा जो एप्रोप्रियेशन बिल पास किया जा रहा है और आपके हाथों में रुपया सौंप रहे हैं तो कृपा कर अधिकारियों को यह रास्ता बतायें कि जो रुपया पब्लिक अन्डरटेकिंग में लगायें उसका उपयोग इस तरह से हो कि अधिक से अधिक लाभ जनता को मिल सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय नाहर साहब, इन्टरप्शन के लिए माफ करेंगे। क्या आपका दृष्टिकोण समाजवाद के मूल्यांकन का यह है कि ब्याज कितना पड़ता है या प्रोडक्शन कितना होगा?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक प्रिन्सीपल है जिससे मैं इन्कार नहीं कर सकता जो कि मैं फील करता हूं चार रुपये या पांच रुपये सैंकड़ा ब्याज का वसूल करके जनता को पीसते चले जायं और समाजवाद की जगह पूंजीवाद और शाइलाकवाद वह करते हुए चले जायं, यह मैं नहीं चाहता। हम नॉन-टैक्स रेवेन्यू को डेवलप इसलिए करना चाहते हैं कि कम

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

से कम टैक्स का भार जनता पर पड़े। मैं पूंजीवाद को नहीं मानता और समाजवाद के प्रिन्सीपल को चाहता हूं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि चार आने ब्याज का मतलब यह था कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो हम करते जा रहे हैं वह ऐसा नहीं है।

इसलिए मैं निवेदन करूं, ब्याज की भाषा में मत कहिये। ब्याज के सम्बन्ध में मैं सोचता हूं, मैं ब्याज का सबसे बड़ा विरोधी हूं। आज ब्याज से रुपया कमाने वाले हैं। यह समाज में प्रथा मौजूद है। जो ब्याज और किराये की रकम खाता है, उसका सत्यानाश, एक पीढ़ी में नहीं तो दूसरी पीढ़ी में जरूर होता है क्योंकि वह बैठे ठाले खाता है...

श्री बालसिंह सोढा : यह ब्याज गवर्नमेन्ट लेती है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वही कह रहा हूं। यह सीमित ब्याज होता है। लेकिन जो काला धन बनाने के लिए, बिना श्रम के ब्याज का पैसा कमाता है, तो क्योंकि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने चुनौती दी, इसलिए मैं उनको बता देना चाहता हूं कि यह साम्यवाद के सिद्धान्त के खिलाफ है...

श्री मदनसिंह दांता : आप अपनी जाति को सुधारें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : साम्यवाद का सिद्धांत है, कोई बिना श्रम के बिना काम के कमाई करता है तो कमाई साम्यवादी देशों में परमिटेड नहीं है। मैं निवेदन करता हूं, मैं कलकत्ता गया था, एक व्यक्ति के यहां पर एक सेठ बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि सात लाख रुपया तो महीने का किराये का आता है और तेरह लाख कम्पनी से मिलता है। ऐसे ऐसे सेठ हैं- यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैंने निवेदन किया था कि हमको ट्रांसफर ओफ प्रापर्टी के लिए कानून में अमेंडमेंट करना है, रैंट कंट्रोल कानून के अन्दर अमेंडमेंट करना है, नहीं तो परमानेन्ट टैनेन्सी के राइट पच्चीस सौ वर्ष में भी नहीं मिल सकते हैं और मकान की समस्या हल हो नहीं सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि परमानेन्ट राइट टैनेन्ट को देना है, न कि हाउस ओनर को या लेसर को। उन्हें नहीं देना है। मैं यह निवेदन करता रहा हूं और आज भी इस सिद्धांत को मानता हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं शायलोकन ब्याज की तरफ नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि नान-टैक्स रेवेन्यू इतनी बढ़े कि टैक्स लगाने की आवश्यकता न पड़े...

श्री रामनारायण चौधरी : बढ़ रही है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कहां बढ़ रही है? कहीं नहीं बढ़ रही है। मुझे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं वित्त मन्त्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है, मैनेजमेंट के अन्दर, गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग के मैनेजमेंट में लेबर का प्रतिनिधि लेना चाहते हैं मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्री और

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
सरकार से कि यह सिलसिला चालू करके लेबर को उठा कर प्रतिनिधि के रूप में मैनेजमेंट में रखना चाहते हैं, जिस लेबर को पंगू बनाकर रखा गया है उसको उठाकर डाइरैक्टर बना देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं, डाइरैक्टर मैनेजमेंट के अन्दर लेना हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि रुपया आपको लगाना है इसलिए आप पूंजीपति मत बनिये, बल्कि श्रमिक को, काम को जानने वाले को, लेबर को प्रतिनिधित्व दीजिये। कम्पनी कोपरेशन में जितना कैपिटल हो, इन्वेस्टमेंट हो, फिर भी पचास प्रतिशत उनको प्रतिनिधित्व दीजिये। एक को आप लेंगे, तो इससे लेबर में संघर्ष पैदा करेंगे। जो लेबर में से एक आदमी निकलेगा, वह सुपर ह्यूमन होकर निकलेगा और वह लेबर का सत्यानाश करने वाला होगा। आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट के अन्डरटेकिंग से आप पैसा कमायें, तो पचास प्रतिशत लेबर को प्रतिनिधित्व दीजिये और पचास प्रतिशत गवर्नमेंट के रहें। अब गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है, उसके कारण गवर्नमेंट की तरफ से प्रतिनिधि जाता कौन है? वह जाता है फाइनेन्स डिपार्टमेंट का सैक्रेटरी, इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी और वहां पर . . .

श्री मदनसिंह : इलेक्शन होकर जाना चाहिए ?

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का प्रपोसिनेट रिप्रेजेंटेशन आप दीजिये। श्रम और पूंजी का समान रूप से प्रतिनिधित्व रहे तब जाकर हम इनसे लाभ उठा सकेंगे और समाज का कल्याण कर सकेंगे।

इसके अलावा मेरा निवेदन है कि हमारे ऊपर डेट बहुत बढ़ गया है। शायद मैं गलत फिगर बता रहा हूं क्योंकि मैं हिसाब के मामले को समझता नहीं हूं, लेकिन 6 अरब 60 करोड़ के आसपास है। यह राजस्थान गवर्नमेंट पर बहुत बड़ा भार है- इसमें फ्लोटिंग डेट हो सकता है, कुछ परमानेन्ट डेट हो सकता है। आप महरबानी करिये, वह कन्सोलिडेटेड फण्ड पर बहुत बड़ा वजन है, इसको कम करने का प्रयत्न करिये, यह तभी कम होगा जब हमारे साधन बढ़ जायेंगे।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अपने बजट भाषण मैं बहुत सुन्दर भविष्य का नक्शा पेश किया है। जो नक्शा पेश किया है उसके आधार पर हम यह बजट पास करने जा रहे हैं। आपने कहा है कि आप एग्रीकल्चरल मिनरल और इंडस्ट्रियल डवलपमेंट करेंगे। आपके इस कहने के आधार पर हम बजट पास कर दें। जिस प्रकार महाजन का मुनीम होता है, वह मुनीम मालिक की बात माने- मैं यह शब्द गलत यूज कर रहा हूं, लेकिन महाजन शब्द है इसका प्रयोग मैं करना चाहता हूं, तो महाजन की तरह राजस्थान सरकार ने हमें यह कहा कि हम यह करने जा रहे हैं, और आपके कहने के अनुसार हम बजट पास कर दें। लो साहब, आपके हाथ में पैसा दे देते हैं। अब आप, आगे जो इस कन्सोलिडेटेड फण्ड से रुपया निकालना

(श्री यशवन्त सिंह)

चाहते हैं, जो रुपया एप्रोप्रियेट करना चाहते हैं, उसके पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी इकानामी इतनी कमजोर है कि राजस्थान के अन्दर हर साल जो अकाल पड़ता है, उससे हम घबरा जाते हैं, फेमिन में खर्च करना पड़ता है, उससे हम घबरा जाते हैं और एक साल यदि बम्पर क्राप आ गई और 76 हजार टन अनाज हमारे यहां हुआ तो हमारी हालत इतनी पतली हो गई कि हमारी इकानामी के अन्दर काश्तकार को राहत देना मुश्किल हो गया है और फूड कोरपोरेशन के पास में भागे जा रहे हैं। तो कहां है हमारी इकानामी अच्छी ? इकानामी की यह दशा है । मैं सदन में निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में जनता जो है, वह अधिकतर गांवों में है । मैं अनुमान के आधार पर बताना चाहता हूं, वैसे मेरे पास में स्टेटिसटिक्स नहीं हैं, मैं अनुमान के आधार पर इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि सौ आदमियों के पीछे एक बनिया होता है, जो व्यापार करता है और व्याज कमाने का धन्धा करता है, गद्दी पर बैठ कर पैसा कमाता है, वह दो हजार, तीन हजार, पांच हजार या दस हजार होंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट एन्टरप्राइजेज में लगे हैं, टैक्सटाइल मिल में लगे हुए हैं, माइन्स में आदमी लगे हुए हैं, उनकी गिनती करें तो मैं इन सबका टोटल मान लेता हूं, दस लाख लेबर इन सबमें लगी हुई है । अब 2 करोड़ 47 लाख 57 हजार आदमी ऐसे हैं जिनका जीवन खेती पर निर्भर है और खेती की पोजीशन आप जानते हैं, आज की हालत में क्या है । अब ऐसी स्थिति में आप हर आदमी को एग्रीकल्चर लैंड देते जा रहे हैं । जिस समय यह डिमान्ड हाउस के सामने आई थी, उस समय यह जानकारी आई थी कि आठ करोड़ एकड़ आपके यहां टोटल लैंड अवेलेबल है और उसमें से ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ 50 लाख एकड़ भूमि को आप इरिगेशन की सुविधा दे पाये हैं । यह हाइएस्ट फिगर है, जो प्राजेक्ट आपके सामने हैं उन प्राजेक्ट्स को पूरा कर लें तो 1 करोड़ 50 लाख एकड़ जमीन को पानी दे पायेंगे । अब मैं निवेदन करूं कि 1 करोड़ 50 लाख एकड़ वह जमीन है, इसमें वह भी है जो पेरेनियल नहीं है जिसे साल भर पानी नहीं दे सकते हैं, और केवल एक फसली है, अगर भगवान की दया हो गई और वर्षा हो गई तो उसको आप पानी दे देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में राजस्थान की जनता क्या आशा करें ? इसके अलावा काश्तकारों के पास जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हैं, एक एकड़ दो एकड़, तीन एकड़ - मेरे खयाल में अस्सी प्रतिशत ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास 3 एकड़ जमीन से ऊपर नहीं हैं। इस कारण आज एक साल अकाल पड़ता है तो सारा राजस्थान नंगा भूखा हो जाता है और राजस्थान की इकानामी बिलकुल खत्म हो जाती है । और अगर बम्पर क्राप हो जाती है, जो जिस क्राप पर 90 पर्सेन्ट आपकी जनता आश्रित है, उस क्राप को सम्भालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास कोठार नहीं हैं जिनके अन्दर आप उसको रख

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
सकें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की इकानामी यदि एग्रीकल्चर पर बेस होगी तो राजस्थान कभी तरक्की नहीं करेगा। इसलिए आप डाइवर्सीफिकेशन कीजिये। राजस्थान को रत्नगर्भा वसुन्धरा कहा गया है, उसका डवलपमेंट करने की कोशिश कीजिये।

इसके अलावा आज एप्रोप्रियेशन बिल के द्वारा हम रुपया खर्च करने का अधिकार दे रहे हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो ठेका प्रथा है यह दुनियां भर में खत्म कर दी है। लेकिन हमारे यहां जो मिनरल्स हैं, उनके अन्दर आज भी ठेका प्रथा जारी है। रॉक फास्फेट का जिस प्रकार प्रश्न है, उसके लिए बताया गया है इससे राजस्थान का कल्याण होगा, मैं कहता हूं, उसमें ठेका प्रथा समाप्त करिये। और आप एक कोपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कीजिये, और उसको ठेका दीजिए, और उनकी हालत को सुधारिये....

श्री रामनारायण चौधरी : डूब जायेगी।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कभी नहीं डूबेगी। मैं कहता हूं कि वह गवर्नमेंट अन्डर टेकिंग के रूप में काम करे। वैसे कोपरेटिव सोसाइटी डूब जाती है तो उसका कारण हम हैं। हममें नैतिकता खत्म हो गई है। हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच सात मिनिट और लूंगा, और अभी एक दिन बाकी पड़ा है। मैं आपको बताऊं, हालत यह है, एक सेठ ने मुझे कहा, वह करोड़पति सेठ था, उसने कहा, मेरे घर के पन्द्रह आदमी हैं, एक कोपरेटिव बनवा दें नाहर और मुझे रुपया दिला दें। जो दस रुपये पर सौ रुपये देती है, उससे अधिक बेवकूफ और सरकार नहीं है। आप कोपरेटिव सोसाइटी के पीछे पैसा लेने की भावना है, आज यह करोड़पति सेठ की भावना है। इस भावना के कारण मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कोपरेटिव बनाने से फायदा नहीं होगा।

और अगर हम जो सार्वजनिक जीवन में हैं, सरकार के बीच में जो बैठे हैं, हम राजनैतिक और साधारण जीवन में ईश्वर से प्रण लेकर चलें हैं, हम जानते हैं कि अगर हमारा समाज को ऊपर उठाने का कर्तव्य है, आर्थिक उन्नति कराने का कर्तव्य है तो आप और हम इस बात को याद करें कि देश का कल्याण तब होगा जब वस्तुतः सही रूप में आपकी सहकारी समितियों के हाथों में उद्योग चले जायेंगे। अगर यह नहीं होता है तो दूसरा रास्ता है स्टेट कैपीटलिजम का या फिर प्राइवेट एन्टरप्राइज का गठन होगा, दूसरा रास्ता नहीं होगा।

श्री गोकुल प्रसाद : को-आपरेटिव के बजाय पब्लिक सेक्टर में क्यों न जायें? फिर अकल वाले लोग कब्जा कर बैठेंगे।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप पब्लिक सेक्टर को देना चाहते हैं तो बेटर बिहेव करें, बेटर रिजल्टस दिखाइये लेकिन जनता पर टैक्स का भार कम करें, नान-टैक्स रैवेन्यू बढाईये। मैं इस बात का हामी हूं लेकिन बेस्ट सोर्स समाजवाद, जिसको हमने अपनाया है, रास्ता यह है कि सहकारी समितियों के द्वारा हम अधिक से अधिक सहकारी उद्योगों का डीसेंट्रलाइजेशन करें। मैंने सहकारी समितियों को देखा है, महाराष्ट्र में

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
जो परिवर्तन लाए गए हैं, सहकारी समितियों से जो बिल्कुल निराश हो गए हैं, एक बार सामूहिक कोआपरेटिव सोसायटीज को देखें, उनके द्वारा जो आम जनता के जिम्मे जो परिवर्तन आया है, वह देखें। उनको अधिक से अधिक लाभ देने का प्रश्न है, वह 9 प्रतिशत ब्याज से नहीं होता। हमारी आदत है कि 4 रुपया 5 रुपया सैकड़ा ब्याज पर पैसा लेंगे। गुलाबपुरा मिल के शेयर उठाना मुश्किल हो रहा है लेकिन वह प्रयत्न हमें करना है, केवल कोआपरेटिव विभाग के भरोसे लगेंगे...

श्री गोकुल प्रसाद : गुलाबपुरा में पैसे वालों ने शेयर्स ले लिए, वह पैसे वालों की कंपनी है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : नहीं गलत है।

श्री गोकुल प्रसाद : एक आदमी भी बताइए कि फलां आदमी कोआपरेटिव में विश्वास रखता है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : हम मानते हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज ही देश में कल्याण करेंगी लेकिन वह ईमानदारों के हाथ में हो। अगर यह बात सही है तो फिर निराश होने का कोई कारण नहीं है। इस विकासशील युग में आजादी के 30 वर्ष के बाद जो हमारे पास है, उसका हम दोष किसको देंगे, लेकिन वह हमारा दोष है। जब हम कहते हैं कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट फेल हो रहा है तो कहना चाहिए कि हमारा नागरिक फेल हो रहा है, न नागरिक में चरित्र है न मारल्टी है। तो हमें यह पैदा करना पड़ेगा। नहीं तो स्टेट एन्टरप्राइजिज है प्राइवेट आदमियों के हाथ में देने से कल्याण नहीं होगा।

उदयपुर में जिस समय मैंने आपके कत्थे के लोगों को देखा, वह कत्था एक सेठ का है, लाखों रुपये कमाता है, कत्थे के व्यापार से। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जो कत्थे वाले लोग हैं, क्या नाम हैं....

श्री देवीदत्त गाडिया : खेरुआ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उनके पास लंगोटी नहीं है..

श्री देवीदत्त गाडिया : बिल्कुल ठीक है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : लाखों रुपये का ठेका...

श्री विजयसिंह : सबको मंत्री बना दो।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं तो दुनिया भर की बात कह रहा हूं। पी. डब्ल्यू. डी. में ठेके की प्रथा इरींगेशन डिपार्टमेंट में ठेके की प्रथा और कितने विभाग हैं, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह रुपया आपके हाथों में सौंप रहे हैं, इस रुपये का दुरुपयोग न होने देना नहीं तो भविष्य आपकी इन्तजार ....

श्री विजयसिंह : गुलाम अब्बास जिन्होंने अन्जता होटल बनाई है, मछली पकड़ पकड़ कर इतना बड़ा हो गया।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वित्त मंत्री के भाषण में कुछ बातें लहजेदार हैं। मैं माफी

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

चाहता हूं, अंग्रेजी में पढ़ता हूं, मेरे पास हिंदी में नहीं है:

Highest priority had been accorded to programmes directly related to minimum and maximum irrigation programmes.

याने कृषि से संबंधित सिंचाई को और विद्युत् विभाग को अधिक से अधिक प्रायोरिटी देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया, मैं आपको बधाई देता हूं लेकिन जब इसका डाइवरसीफिकेशन हो जाएगा तब क्या होगा? लोगों में गरीबी मत बांटों। जमीन आप देना बन्द कर द, लोगों को नये व्यवसाय दें, 90 प्रतिशत हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनामी है, गरीब लोग है। ज्यादा से ज्यादा इस साल में 10 प्रतिशत कम करके इन्डस्ट्री में लगाए, 80 प्रतिशत रह गए, उनके लिए आप अच्छा काम करते हैं। मै बधाई देता हूं लेकिन मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे बड़ी हालत जो हमने देखी है, इसका जो अधिकांश भाग है जो आप खर्च करने जा रहे हैं, हमेशा पावरफुल तब्के ने लाभ उठाया है। दूसरी तरफ ऐसे गरीब लोग हैं, जिनके घर में लोटा नहीं, धोती के अलावा कपड़ा नहीं, 4 सेर अनाज बनिये से लेते हैं। यह सब जानते हैं। मंत्री महोदय नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है तो फिर उनके कल्याण के लिए क्या करना है। यह जो योजना कर रहे हैं उससे धन का सही उपयोग करें और माननीय सदस्यों से आशा करूंगा कि जो नए प्रोग्राम्स हैं इन सब का लाभ अधिक से अधिक हमारे यहां का जो गरीब तबका है उसको मिले।

शायद समय हो गया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम महाजन के रूप में, आज सदन बजट के रुपयों का मालिक है और खजाने में पड़ा हुआ रुपया राज्य सरकार को सौंप रहा है। साल भर आने वाला है। इस साल भर में कृपा करके इस रुपये का इस तरह से उपयोग करें कि साल भर के समय में 1972 के मार्च में जब हम फिर मिलें या दूसरे भाई मिलें तो राज्य सरकार से गरीब जनता कहे कि आपने बजट का सदुपयोग किया और हम से रुपया चाहें तो लीजिए लेकिन राजस्थान की जनता का भला करें। यह बात कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

एक निवेदन यह भी है कि रिक्शा चालकों की आज क्या स्थिति है। इसके बाद नगरपालिका के फिगर मुझे मिले हैं कि 943 लाइसेंस रिक्शा मालिकों के नाम पर हैं और 3 हजार के लगभग लाइसेंस रिक्शा चालकों के नाम से हैं। इन 943 में से भी 8 लाइसेंस ऐसे हैं जिनके मालिक रिक्शा चालक हैं। मैं निवेदन करूं कि इस बारे का कानून तो जब आयेगा तब आता रहेगा पर कुछ बातें जो सरकार के अधिकार में हैं वे तो तुरन्त की जानी चाहिये। वह यह है कि सरकार इस प्रकार का स्पष्ट आश्वासन दे कि जो लाइसेंस रिक्शा मालिकों के नाम पर हैं वे अब रिन्यु न होंगे। और जो वास्तविक रिक्शा चालक हैं उनको नए लाइसेंस दिये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य !

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एप्रोप्रियेशन बिल में चलती बहस में हिस्सा लेते हुए राजस्थान कैनाल, भाखरा, गंगकेनाल, और कोलोनाइजेशन विभाग के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। विधान सभा में अनेकों बार मैंने इस संबंध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहा है। राज्य सरकार के नहीं मानने पर गंगानगर के काश्तकारों ने इस सरकार के सामने एक बहुत बड़ा आन्दोलन उस जिले में चलाया। उस आन्दोलन के बाद सरकार कुछ झुकी। और विधान सभा में कुछ घोषणाएं मुख्य मंत्री ने 25 मार्च 1970 को की और दूसरी घोषणा 10 अप्रैल 70 को की। इन घोषणाओं के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमेशा मैं एक बात कहता आया हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जी भी घोषणाएं करते हैं उनका पालन वे नहीं करते। आज तक एक भी घोषणा का पालन उन्होंने नहीं किया।

जिन मुद्दों के लिए गंगानगर के काश्तकारों ने आन्दोलन किया उन मुद्दों से सम्बन्धित जो घोषणाएं की गईं वे घोषणाएं केवल कागजों में रह गईं। इस सम्बन्ध में मैं सबसे पहिले यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान नहर क्षेत्र के काश्तकारों के अन्दर जो संतोष का कारण है वह उस क्षेत्र के पुराने काश्तकारों को वायदा किये जाने पर भी खातेदारी हक नहीं दिया जाना है। जिस वक्त राजस्थान सरकार ने 55 में टैनेन्सी एक्ट बनाया उस समय भाखरा, गंगजवाई, चम्बल के सिवाय कोई योजना नहीं थी। और इसको लेकर राजस्थान के काश्तकारों को हकूक दे दिये गये थे।

श्री शोभाराम : जिन घोषणाओं के बारे में आपने कहा कि वे क्रियान्वित नहीं हुई तो कृपा करके जिन घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं हुई उस पर प्रकाश डालें तो अच्छा होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप धीरज रखें। मैं आपको सारी बातें बतला दूंगा। काश्तकारों को खातेदारी दी। पर इसके बाद एक काला कानून बनाया और उसकी धारा 15 ए के नाम पर उनसे खातेदारी छीन ली।

दूसरी समस्या भूमिहीनों को जमीन देने की थी। वह समस्या हल करने से पहले राजस्थान सरकार जमीनें बेच देना चाहती थी। यह दो मुद्दे ऐसे थे जिन्होंने गंगानगर के किसानों को बेचैन किया। जिन समस्याओं को लेकर गंगानगर के काश्तकारों ने अपना आन्दोलन चलाया वे समस्याए राजस्थान केनाल के काश्तकारों के सामने आज ज्यों की त्यों खड़ी हैं। भूमि की नीलामी आपने जरूर खतम कर दी पर पहिले के जो काश्तकारी थे दो दो सौ साल के जिनके पास बारानी जमीन थी चार चार बन्दोबस्ती उन पर गुजर गई, उनकी मांग तो यह थी कि उनको सीलिंग की सीमा तक जो जमीन उनके पास है उस पर खातेदारी हक दे दिये जाये। यह माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि उनको दो मुरब्बा सीलिंग

(श्री रामचन्द्र आर्य)

सीमा तक खातेदारी देते हैं और उस पर एक मुरब्बा मुफ्त दी जावेगी। और सीलिंग सीमा तक कीमत दी जायेगी। इस संदर्भ में मैंने एक बुलेटिन निकाला था कि इन घोषणाओं में कोई तथ्य नहीं है यह एक धोखा है और आगे चल कर काश्तकारों के साथ में बहुत बड़ा धोखा होगा। मेरी वह घोषणा आज सही साबित हो रही है। आज पैंतालीस है हमेशा उस भूमि के हिस्से की जमीन किसानों की जमीन ने काश्त की कभी भी मालगुजारी देकर काश्त नहीं की। उनको तो आज थोड़ी कीमत लेकर खातेदारी दी जावे और जो सन् 28 से पहले के काबिज हैं उनको दो मुरब्बा मुफ्त खातेदारी दी जावेगी। और राजस्थान केनाल के वासिन्दा लोग जो सौ साल से कोई भी एक मुरब्बा जमीन पर खातेदारी देने की तजवीज आपने की है पर आज यह आश्वासन भी पूरा नहीं हुआ है। वह भी वैसे ही चल रहे हैं। जिस काश्तकार के पास सीलिंग की सीमा तक जमीन है उनको भी आपने खातेदारी हक नहीं दिये। एक मुरब्बा मुफ्त देने की जो घोषणा की है उसमें भी टाल मटोल करते हैं। किस तरह से आप अपने वायदों से पीछे हटते हैं ? इसलिये कह देना चाहता हूं कि पैंतालीस के काश्तकारों के लिये और दूसरों के लिये। राजस्थान के केनाल में दो तरह के कानून लागू नहीं करने चाहिये। यह दो तरह के कानून लागू करके आप एक भयंकर अत्याचार कर रहे हैं। जिसका थोड़े दिन का कब्जा है और जिसका 5–7 साल का कब्जा है उनको बाढ़ी की जमीन का भाव आपने चार सौ रुपया कर रखा है। बाकी सिंचित जमीन का दो सौ, अस्सी सैन्डी लूम का दो सौ। और वारानी भूमि पचास रुपया, और इन टीवों में रावतसर के आसपास, सूरतगढ़ के आस पास जो जमीन का 615), सैन्डी का 500), और वारानी का 150)। इस तरह से भाव रखकर आप एक चालाकी पूर्ण तरीके से वहां के किसानों को बरवाद कर देना चाहते हैं।

मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप पैंतालीसा को जमीन दें, खातेदारी दें मुझे ऐतराज नहीं। पर जो कीमत उनकी रखी है उससे ज्यादा दूसरों की नहीं रखें। उसे कम सुविधायें नहीं दें। चाहिये तो यह था कि उनको ज्यादा सहूलियतें देते जब कि वे सैकड़ों सालों तक जागीरदारों के शिकन्जे में रहे और उन कठिन परिस्थितियों में अपनी जिन्दगियां गुजारीं, उन दिनों में उन गांवों को उन्होंने आबाद रखा, बीस-बीस मील से पानी लाकर उन गांवों को आबाद रखा, और अपना सारा घरबार और सामान बेच कर भी उन जमीनों का लगान पीढ़ी दर पीढ़ी देते रहें। पर आज राजस्थान केनाल के अन्दर पैंतालीसा के किसानों को अलग करके रखते हैं तो इसमें पहिली बात तो यह है कि आप इस प्रकार के इस काले कानून को फाड़ कर स्वयं फेंक दें नहीं तो इसे फाड़ कर हमें फेंकना पड़ेगा।

आपको याद होगा कि इस विधान सभा में मैंने कहा था कि आप अगर जमीनों को इस तरह बेचेंगे तो आपको बहुत बड़ी समस्या का मुकाबला करना होगा। नाली की जमीन 69 रुपया बीघा देते हैं और उस इलाके में सीलिंग साढ़े बासठ बीघा रखा है। वह जमीन दस रुपया बीघा से ज्यादा आमदनी नहीं

(श्री रामचन्द्र आर्य)

देती और नाली की जमीन में तीस मन बीघा की उपज होती है उसका आठ सौ रुपया और चार सौ रुपया का भाव आपने रखा है और टीबे वाले क्षेत्र में 675) रुपया रखा है। इस भेद-भाव को आप मिटावें और काश्तकारों को जिस तरह से सन् 28 से पहिले के काश्तकारों का दो मुरब्बा जमीन मुफ्त दे रहे हैं क्या आपने दूसरों को भी पकड़ा है? जिन्होंने चार चार बन्दोबस्त देखे हैं और उस रिकार्ड के अनुसार उनको भी दो मुरब्बा मुफ्त दे दें।

(1.35 म. प.)

(श्री विजयसिंह, सभापति, पदासीन)

मैं यह नहीं कहता हूं–मैं तो कहता हूं कि चाहिये तो उनको यह था कि जिन लोगों की जमीन छीनी गई है उनको सारी जमीन का सीलिंग की सीमा तक खातेदारी का हक आप देते। लेकिन आप तो नहीं देना चाहते। मन्त्री जी के चेम्बर में मीटिंग करते हैं और वहीं पर तय कर लेते हैं। आपने 17 हजार रुपये तक मुरब्बे का जो देना तय किया है वह बहुत ज्यादा है। मैं मुख्य मन्त्रीजी को यह कहना चाहूंगा कि आपने वहां कहा था गंगानगर जिले के किसानों को जिनकी जमीन ली गई है उन्हें जमीन दी जायेगी और खातेदारी हक भी दिया जायेगा। लेकिन आज तक आपने उन्हें जमीन नहीं दी और जिसके पास जमीन सीलिंग सीमा तक है उन्हें आपने खातेदारी हक नही दिया है। जिन लोगों ने जमीन पर काश्त कर रखी है और जो वर्षों से काश्त करते आ रहे हैं आप उनसे जमीन छीनकर भूखे मारना चाहते हैं। मुख्य मन्त्रीजी अगर ये काश्तकार आपके क्षेत्र के होते पता चलता कि गंगानगर जिले के किसानों की हालत कितनी खराब है आपके क्षेत्र में ऐसी दशा किसानों की नहीं है। यदि आज मेरे पास टेपरिकार्ड होता तो इस सदन में बताता कि ब्रजप्रकाशजी वहां क्यों जाते और आपके क्षेत्र के किसानों को क्या कहते हैं और यहां क्या कहते हैं। यह भेदभाव पूर्ण नीति है यह भेदभाव पूर्ण नीति आपको नहीं रखनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं अब इस जमीन की किस्तों के बारे में भी कुछ कह देना चाहूंगा। आपने 15 किस्तें रखी हैं। उस जमीन की कीमत थोड़ी सी है। आपने सिर्फ 17 हजार रुपये में एक घटिया जमीन की कीमत रखी हैं। आप 6।। साल में कीमत लेना चाहते हैं। जहां जमीन आप दे रहे हैं वहां टेलों पर 10 साल तक केनाल का पानी नहीं लगेगा। कहीं पर पांच पांच साल तक पानी नहीं लगेगा। और जब पानी नहीं लगेगा तो उस जगह खेती नहीं होगी। वह गरीब काश्तकार पैसे जमा नहीं करा सकेगा तो आप उससे इस प्रकार क्या जमीन छीन लेना चाहते हैं। यह सरकार गंगानगर जिले के काश्तकारों के पीछे पड़ी हुई है उन्हें बरबाद करना चाहती है। बीकानेर महाराज गंगासिंहजी जब गंग केनाल लाये तो बीकानेर गवर्नमेंट ने 24 किस्तें बांधी थी। मैं सभापति महोदय आपके मार्फत मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह सरकार भी 30 किस्तें बान्धे और उस जमीन पर किसानों को खातेदारी हक दिया जाय। लेकिन आज गंगानगर जिले के किसानों की कोई सुनता नहीं है। आज वहां के किसानों का कोई

(श्री रामचन्द्र आर्य)
प्रतिनिधित्व नहीं है इसलिये वहां के किसानों का बुरा हाल है और उनके साथ इस प्रकार का घोर अत्याचार किया जा रहा है · · ·

श्री दौलतराम सारण : किसानों के प्रतिनिधि के हाथ से ही यह कानून बनाये गये हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : उनके हाथ से नहीं बनाये गये हैं। जो लोग उस जमीन पर काश्त करते थे उनकी जमीन ले ली जाकर उन्हें गरीब कर दिया गया है। क्या इस सरकार के पास और कोई दूसरा तरीका नहीं था जिससे कि काश्तकारों की जमीन नहीं छीनी जाती। लेकिन मैं साफ साफ कह देता हूं, यह सरकार गंगानगर जिले के काश्तकारों से विशेष जलन रखती हैं यह काश्तकारों को जमीन देना नहीं चाहती है। काश्तकारों की सुविधा के लिए खर्चा करना नहीं चाहती · · ·

श्री गोकुल प्रसाद : रामचन्द्रजी इस राज्य के बजट का 80 प्रतिशत खर्चा किसानों के लिए किया जाता है।

श्री रामचंद्र आर्य : चुप रहिये। आपको पता नहीं है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मुझ को पता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप तो बीकानेर में रहते हैं– यह शहरों में रहते हैं। आप तो बीकानेर के होटलों में बैठे रसगुल्ले खाते हैं। आपको मालूम नहीं कि आज गंगानगर जिले के काश्तकार की क्या हालत है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : रसगुल्लों पर सेल्स टैक्स लगा हुआ है। बीकानेर के होटल वाले तो सेल्स टैक्स देते हैं पर काश्तकार को कोई सेल्स-टैक्स थोड़ी ही देना पड़ता है···

श्री रामचन्द्र आर्य : आपके कहने से क्या होता। आप असलियत जानते नहीं हैं कि असलियत क्या है?···

श्री गोकुल प्रसाद : मैं आप से ज्यादा असलियत जानता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : चुप रहिये, बीच में बोलने की आदत पड़ गई है। मुझे कहने दीजिये। तो सभापति महोदय मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपको अधिक से अधिक 30 किश्त रखनी चाहिए और 30 किस्तें रखते हैं वह 14 साल में पूर्ण हो जायेगी पर मैं तो चाहता हूं कि आप 30 नहीं तो 20 किस्तें तो जरूर रखें और उन्हें उसके बाद में जमीन का मालिक होने का खातेदारी हक भी दे दें। अभी जमीन के बारे में आपने कानून बनाये हैं मैं इस बात के लिए राज्य सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप हरिजनों के लिए तो किस्तें लम्बी रखते हैं हरिजनों को आप गरीब मानते हैं क्या दूसरे किसान गरीब नहीं हैं? जिनके पास कुछ नहीं, जो भूमिहीन हैं, जो मजदूर पेशा कौम, क्या वो गरीब नहीं हैं? क्या फर्क है उसमें और हरिजन में। मैं पूछना चाहता हूं।

मन्त्री महोदय से क्या हरिजन ही गरीब हैं। दूसरे भूमिहीनों को आप 25 बीघा जमीन देते हैं। क्या वो इतनी कीमत

(श्री रामचन्द्र आर्य)

दे सकेंगे। लेकिन आप काश्तकारों का भला नहीं करना चाहते हैं। यह भेदभाव पूर्ण नीति अपनाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि हरिजनों को फायदा मत दो। आपको हरिजनों को फायदा देना है तो उनको जमीन आप आधी कीमत से दो। उनसे 50 प्रतिशत कीमत लो लेकिन बाकी गरीबों के साथ भी आपको न्याय करना चाहिये। मैं कहता हूं मन्त्री महोदय क्या फर्क है हरिजन और भूमिहीन और गरीब काश्तकार की हैसियत में। सभापति महोदय, जिस काश्तकार के पास जमीन नहीं है वह गरीब है चाहे वह काश्तकार हरिजन है, चाहे वह काश्तकार ब्राह्मण चाहे वह ब्राह्मण है, चाहे वह जाट है। इसलिये बाकी के लोगों के जो खेती करते हैं उनमें फर्क नहीं समझते उनको भी गरीब समझना चाहिये। इस पर मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को बिना भेदभाव पूर्ण नीति से निर्णय जल्दी लेना चाहिये।

सभापति महोदय मैं अब कुछ सीलिंग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मेरा आपके मारफत मन्त्री महोदय से यह कहना है कि सीलिंग की दुबारा जांच होनी चाहिये। यह गलत की गई है सीलिंग की जमीन के बारे में जब जांच हुई थी उस समय रामचन्द्रजी इलाके के मिनिस्टर थे इस मन्त्री मण्डल में थे उन्होंने अपने क्षेत्र की तहसीलों का तो सब ठीक करा लिया। हनुमानगढ़ का ठीक करा लिया। पर हमारे क्षेत्र में जिस तरह से सीलिंग रखी है वह गलत है उसकी दुबारा जांच होनी चाहिये……

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : सुन्दर से सुन्दर जमीन अपने नाम करवाली होगी…

श्री रामचन्द्र आर्य : आप चुप रहे, क्या आपने चुप रहना सीखा नहीं क्या? तो सभापति महोदय मैं यह निवेदन कर रहा था कि हनुमानगढ़ में जो जमीन है उसके मुकाबले में टीबों वाली भूमि 120 बीघा देनी चाहिये। जहां पर 40 मन एक बीघा में पैदा होता है वहां पर आपने 69 बीघा रखी है। यह ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आप नोटिसेज देते हैं उनके बारे में कुछ निवेदन करूंगा। 45 में व्यक्तिगत नोटिसेज दिये हैं, और दूसरे इलाके में नोटिसेज दिये हैं वे सब नोटिसेज हर व्यक्ति के नाम जाना चाहिये तो काश्तकारों को फायदा होगा उसमें साफ लिखा होना चाहिये इतनी बीघा जमीन का इतने समय से इतने रुपये जमा कराने हैं। नहीं तो बेचारे गरीब काश्तकार पढ़े लिखे कम हैं उन्हें पता ही नहीं लगेगा। आप जिस तरह से सार्वजनिक नोटिस निकालते हैं। काश्तकारों को कई को पता नहीं चलेगा, काफी आदमी गैरहाजिर रह जायेंगे।

मैं तो कहता हूं 70 प्रतिशत से भी ज्यादा हाजिर नहीं हो सकेंगे। जब वो हाजिर नहीं होंगे तो आप उनके हकों को खतम कर देंगे और आपको एक बहाना और मिल जावेगा। किसानों से जमीन छीनने का इसलिए मेरा यह सुझाव है जो कि सभापति महोदय मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय को देना चाहूंगा कि वो सार्वजनिक नोटिस नही निकाल कर व्यक्तिगत नोटिस जारी करावें, जिस तरह से 45 सा में दिये थे।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

सभापति महोदय अभी जो भूमि के बारे में आपने पिछले दिनों विधान सभा में कानून पास किया है कि 31-12-69 तक जितने भी बेचान व खरीद जमीन की गई है उसको हम मान्यता देंगे। तो क्या राजस्थान केनाल के किसानों के दुश्मन है, उस इलाके में अगर कोई अपनी जमीन इसके पहले बेच देता है या कोई काश्तकार जमीन खरीद लेता है तो वह मान्य नहीं होगी। यह अन्याय आप राजस्थान केनाल के काश्तकारों के साथ क्यों करना चाहते हैं ? क्या मानवीय दृष्टिकोण अपना कर आप उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकते ! उन्होंने क्या गुनाह किया है। राजस्थान केनाल के अलावा अगर कोई जमीन खरीदता है या बेचता है तो वह तो कानूनी है पर अगर कोई गरीब काश्तकार अपनी जमीन इस तारीख से पहले बेचता है या कोई गरीब किसान जमीन खरीदता है अपना पेट पालने के लिए तो आप उसे लेने देंगे। यह कानून आपने जान बूझकर राजस्थान केनाल के किसानों के हकों के खिलाफ बनाया है। आप तो वहां के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। आपकी यह भेद-भाव पूर्ण नीति साफ है, ये आप अत्याचार कर रहे हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि आपको इस कानून में संशोधन करके इस कानून में 31-12-69 तक जिन लोगों ने जमीन राजस्थान केनाल में खरीदी है अथवा बेच दी है उसे कानूनी मान्यता देना चाहिए। राजस्थान सरकार ने पहले टिनेन्सी एक्ट बनाया है उसमें धारा 15 के तहत किसान को अपनी जमीन बेचने का पूरा अधिकार दे रखा है। जिन काश्तकारों ने 1955 से पहले वहां जमीन खरीद की है। 55 से पहले से काश्त करते आ रहे हैं। इस इलाके के अन्दर सैकड़ों काश्तकार हैं जो कि काश्त कर रहे हैं उन्हें यह पूरा हक होना चाहिए। आपको काश्तकारों से न्याय करना चाहिए इस प्रकार की नीति अपनानी चाहिएकि वे अपनी जमीन बेच सकें और उस इलाके से जमीन भी खरीद कर सकें पर आपतो उनके खरीद या किसी प्रकार के बेचान को कानूनी नहीं मान कर, उनकी जमीन को छीन लेते हैं और यही जयपुर में बैठका लोगों को जमीन राजस्थान केनाल में एलोट कर देते हैं। यह जमीन आपकी नहीं है जो कि आप उसे छीन लेंगे। यह जमीन उन्होंने रुपये देकर खरीदी। वह आपको नहीं मिलेगी। औरों के लिए दूसरी जगह पर आप एक एक दो दो साल काश्त करने पर उस जमीन में खातेदारी हक देते है, वो बेचारे गरीब काश्तकार 100 साल से पहले से वहां काश्तकार रहे हैं उन्हें आप खातेदारी हक नहीं देते हैं। मैं आपसे साफ साफ कह देता हूं कि वे जमीन इस तरह नहीं छोड़ेंगे उन्होंने जमीन के पैसे दिये हैं, खरीदी है। आपको उन्हे वहां खातेदारी हक देना पड़ेगा और उन्हें उस जमीन का मालिक मानना पड़ेगा।

:

अब सभापति महोदय मैं काश्तकारों की बारानी जमीन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सभापति महोदय मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा की थी बारानी क्षेत्र के काश्तकारों को कोलोनाइजेशन एरिया से बाहर कर खातेदारी 3 महिने में दी जावेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो जो पानी से बेचेगी उस

(श्री रामचन्द्र आर्य)

सारी जमीन को कोलोनाइजेशन के बारानी क्षेत्र से बाहर निकाल उन्हें खातेदारी हक 3 माह तक दे दिये जायेंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है अभी तक इन घोषणाओं पर अमल नहीं हुआ। अब एक माह के अन्दर अन्दर उन पर अमल करके सरकार को अपनी घोषणाओं को कार्यान्वित करना चाहिये। सभापति महोदय मेरे इलाके के नोहर तहसील में 4 ग्राम को निकाल कर बाकी ग्राम में अभी तक वही स्थिति है। राजस्थान कैनाल के एरिया में आपको दृष्टान्त दे देना चाहता हूं उन दिनों जो जांच हुई थी वह गलत थी। ऐसे क्षेत्र में जहां पानी नहीं लग सकता है ये गांव अलग अलग हैं। राजस्थान कैनाल के रेवेन्यू तहसील नोहर के अंतर्गत जो गांव आते हैं वह गांव हैं: (1) विरकाली (2) लालसिंहपुरा (गन्धैली) (3) गन्धैली बारानी।

श्री सभापति : आप लिस्ट ही दे दीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : लिस्ट तो मैं नहीं दूंगा, मैं मन्त्री महोदय को बता रहा हूं :—

(4) टोबारियां (5) ढंढेला (6) निरवाल (7) रामपुरा बारानी (8) पोहड़का का बारानी (9) हरदासवाली (10) केसर देसर (11) घम्नासर बारानी (12) रावतसर बारानी (13) ढानी खेता वाली बारानी (14) खोडां बारानी

(15) खेदासरी बारानी

ऐसी जमीन है इन गांवों में कि जहां पानी नहीं लग सकता है कैनाल के इस ऐरिया में हजारों बीघा जमीन ऐसी है कि उसमें अभी पानी नहीं लग सकता है अगर आप यहां पानी दे दें तो बहुत अच्छा होगा और यहां जो लोग काश्तकार हैं उन्हें मुताबिक मुख्य मन्त्री जी की घोषणा से बारानी से निकाल खातेदारी दे दें। यह नोहर क्षेत्र के रेवेन्यू तहसील में 15 गांव हैं। इसके अलावा भी सभापति महोदय मैं मेरे इलाके के राजस्थान कैनाल में पड़ने वाले रेवेन्यू तहसील सूरतगढ़ के कुछ गांवों के नाम आपको बताना चाहूंगा। जो यह है :—(1) एटा (2) सीमासर बारानी (3) कालूसर (4) बोझेवाला (5) टेटार (6) जैसावटी बारानी (7) सरदारपुरा खरवा (8) वडोपल बारानी (9) राजपुरा वरन बारानी है इन उपरोक्त ग्रामों को राजस्थान क्षेत्र से निकाल कर खातेदारी देने घोषणा मुख्य मन्त्रीजी द्वारा की गई थी पर उस पर अमल नहीं किया गया। सभापति महोदय हमारे गंगानगर क्षेत्र के मिनिस्टर श्री मनफूलसिंह जी हैं वे ही इस एरिया के कारणवार बने हुए हैं। इनकी दूसरों के लिए तो नींद ही नहीं खुलती। अपने क्षेत्र के गांवों के लोगों को खातेदारी हक दिला दिया है। इस राज में तो अन्धा बाटे सिरनी, फिर फिर अपने को ही दे। और मेरे क्षेत्र में जो गांव पड़ते हैं उन क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलता है और जहां पीने को पानी

(श्री रामचन्द्र आर्य)

नहीं मिलेगा, वहां खेती के लिए व्यवस्था कैसे होगी। आप इस इलाके के गांवों में निकले और देखें कि खेतों में पानी लगता है कि नहीं, इसलिए गंगानगर के किसानों ने आन्दोलन किया मैं आपको बता दूं मंत्री जी कि यह तो गंगानगर नगर के किसानों के आन्दोलन की ताकत थी जिससे कि मुख्य मन्त्री जी को मजबूर होकर यह घोषणा करनी पड़ी। वरना आपकी ताकत कहां ? अगर आप में ताकत हो तो इन घोषणाओं के कार्यान्वित एक माह के अन्दर करवाई जावे सिर्फ घोषणायें कर देने से और भाषण दे देने से कुछ नहीं होगा। इसी तरह दूसरी बात सभापति महोदय मेरे क्षेत्र में पड़ने वाले गांव हैं जो कि भाखरा कैनाल क्षेत्र के रेवेन्यू तहसील नोहर के हैं : (1) ढ़ढेला चक बारानी (2) विचकराई (3) जसाना बारानी चक (4) रतनपुरा बारानी चक (5) चारण वासी बारानी (6) मलवाजी (7) मूकरका बारानी (8) कस्बा-नोहर (9) सोती बड़ी (10) ललानावास उत्तरादा (11) ढीलकी जाटान (12) गोगामेड़ी बारानी (13) उजल वास बारानी (14) सोती छोटी (15) बड विरानी (16) बरवाली बारानी (17) जनानिया (18) रामसरा (19) गुडिया बारानी (20) पदमपुरा बारानी (21) राजपुरिया बारानी (22) फेफाना बारानी (23) पालोका बारानी (24) दीपलाना बारानी भाखरा नहर तहसील टोबी (हनुमानगढ़) के भी खनाजिया बारानी व श्यादानपुरा बारानी कुल 26 ग्राम हैं इनको मुताबिक घोषणा कोलोनाइजेशन एरिया से बाहर निकालकर खातेदारी हक दिया जाय।

इसी तरह रायसिंह नगर तहसील में 60 हजार बीघा से ज्यादा जमीन ऐसी पडी है जहां पानी नहीं लग सकता है। मैं आपको निवेदन करदूं कि इस क्षेत्र में ऐसे भी एरिया हैं जहां पानी लगना दूर रहा, जहां पानी की बूंद भी भूल कर नहीं बरसती खेती नहीं होती. लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी घोषणा के अनुसार इस क्षेत्र के लोगों को खातेदारी हक जल्दी से जल्दी दे दें इसके साथ में मैंयह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सूरतगढ़ तहसील में ऐसे कई काश्तकार हैं जिन्हें जमीन सन् 55 से पहले मिली हुई है वो जमीन उनके काबिज है सिर्फ एक साल के लिए अलोट नहीं हुई वह उस जमीन पर लगातार कई वर्षों से खेती करते आ रहे हैं उनके लिए भी मेरा निवेदन है कि आप वहां सीलिंग कानून के अन्तर्गत जो जमीन आती हो उन्हें दी जाय। आपको वहां के काश्तकारों को ही वो जमीन अलोट की जानी चाहिये इसी तरह से मेरे इलाके में सभापति महोदय कई ऐसे गांव हैं तहसील नोहर में जिसमें काश्तकारों को जमीन गंगासिंहजी के जमाने में आलोट की गई थी वह जमीन उन्हें स्टेट के जमाने में अलोट की गई थी। उस वक्त से उनको खातेदारी हक दिया हुआ है। उन्होंने पैसा देकर खातेदारी ली थी 4·5 किश्तों में भूमि दी गयी थी। आज उन लोगों को सौ सौ साल होने को आये हैं उस जमीन पर खेती करते हुए। उन्हें आप खातेदार नहीं मानते हैं। आपको उन्हें खातेदार मानना पड़ेगा। जिनको राजाओं के जमाने से खातेदारी हक मिले हुए हैं जो उस जमीन पर सन् 19—20 से वहां काबिज हैं, खेती करते हैं आप उनको एक मुरब्बे के 17

(श्री रामचन्द्र आर्य)

हजार लेकर उनकी जमीन छीन लेना चाहते हैं, देखते हैं आप कैसे ले लेंगे, देखते हैं आप कैसे उनके खातेदारी हक खतम करेंगे। सभापति महोदय मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि जो पहले से काश्त कर रहे हैं, सन् 28 के पहले से कर रहे हैं उन काश्तकारों को उस जमीन पर खातेदारी हक देने का राज्य सरकार तुरन्त फैसला करावे। इसके अलावा सभापति महोदय जो सन् 55 के बाद के काश्तकार हैं जिन लोगों ने बाद में भूमि ली है। उस जमीन पर उन्हें भी खातेदार हक दिये जायें। आप उनका हक नहीं मानते हैं जिन लोगों को आज वहां काश्त करते हुए 15 साल हो गये हैं। उस जमीन पर उनका खर्चा लगा है, वो उस जमीन पर काबिल है और आज आप उनका कब्जा छीनना चाहते हैं। आप उनका कब्जा नहीं छीन सकेंगे। आप उनका कब्जा छीन पर भाई भतीजों को वह जमीन देना चाहते हैं। आप उनको निकालने की स्कीम में लगे हुए हैं। एक जगह आप टिनेन्सी कानून के अनुसार सन् 55 के जमीन के मालिकों को खाते दारी हक देते हैं और यहां आप उन्हें सन् 55 के बाद में राजस्थानी नहीं मानते। इसके लिये मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र में जो भी भूमिहीन है उन्हें एक एक मुरब्बा जमीन राजस्थान कैनाल क्षेत्र में दी जावे।

आज सभापति महोदय दूसरे प्रान्त से यह भूमिहीन आये हैं उनको सन् 1960 तक का हक माना है जिसने जमीन पर 15 साल काश्त की है। इसलिए उनको बरबाद नहीं करना चाहें, यह सरकार काश्त कारों से जलन रखती है, काश्तकारों को बर्बाद करना चाहती है।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान कैनाल क्षेत्र के बारे में नीति सम्बन्धी बात कह देना चाहता हूं। आपका हुक्म चलता है, नियम बनाये हैं, कानून बनाया है और नियमों में एक साला जमीन है उनके पट्टे रिन्यूअल किये जावेंगे और उसके लिये कोई दरख्वास्त नहीं ली जावेगी। लेकिन सैंकड़ों आदमी भटकते फिर रहे हैं और उनसे दरख्वास्तें ली जा रही हैं। लगान जमा करा रहे हैं और 55 तक पहले का रिकार्ड मांग रहे हैं। आपका अधिकारी हुक्म नहीं मानते हैं तो उनको हटाये वहां से। जो हुक्म नहीं मानता है वह किस बात की तनख्वाह लेता है। सरकार यहां से आदेश निकालती है और सरकार के अधिकारी न माने। रिकार्ड केवल धोखा मात्र है। काश्तकार भटकते फिरते हैं। उनको पट्टे रिन्यू करने चाहिए। लोगों को बरबाद किया जा रहा है और आधे से ज्यादा काश्तकार फिर रहे हैं। आप लोगों की यह व्यवस्था है। कितने दिन आपकी यह व्यवस्था चल सकेगी?

इसी तरह से भ्रष्टाचारी तरीका अपनाने वाले लोग वहां बैठे हुए हैं। बृद्धिचन्द्र के लिये कहना चाहता हूं। पहले तो भाखरा में था और हनुमानगढ़ तहसील में जायदाद बनायी, भाई भतीजों ने बनाई। इतना होते हुए भी उसकी किसी प्रकार भी कायम रखना चाहते है इस प्रकार के लुटेरों को रख कर आप कौनसा समाजवाद लाना चाहते हैं? क्यों नहीं उसको निकाला जाता है।

श्री गोकुल प्रसाद : यहां जो व्यक्ति नहीं है उसका नाम लेना उचित नहीं है। मन में आवे जो यहां कह दें। कई बार व्यवस्था इस सम्बन्ध में दी जा चुकी है। इसलिए इसको एक्सपन्ज कर दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : कैसे काट दें। आप कौन हैं कहने वाले ?

श्री सभापति : आप आरम्भ रखिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : यदि आप लाल फीताशाही को समाप्त नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों को खीचेंगे नहीं, तो क्या होने वाला है ? आपका पेट भर चुका है। 23 वर्ष में कितनी सम्पत्ति इकट्ठी की और भ्रष्टाचार का संरक्षण किया··

श्री गोकुल प्रसाद : आपके कहने से किया।

श्री रामचन्द्र आर्य : चुप रहो। जन प्रतिनिधि अगर कोई सही बात कहे, पंच, सरपंच, न्याय पंचायत पूछे लेकिन उनकी बात नहीं मानी जाती है और धांधली करने वालों की बात मानी जाती है। वृद्धिचन्द्र और गुमानसिंह के बारे में चार्जेज थे और रेवेन्यू में होते हुए भी उसको राजस्थान केनाल में ले लिया। विकास अधिकारी हमारे यहां पर था। लाखों रुपये का घोटाला किया, मैंने शिकायत की लेकिन राजस्थान केनाल में ए. बी. सी. बनाकर भेज दिया और अब सुना है कि उसको मजिस्ट्रेट बना दिया। आपको आपके डिपार्टमेंन्ट को सम्भालना चाहिये। आपके लिए मुझे भरोसा है। आपकी गड़बड़ी मेरे पास नहीं आयी है। अन्दर खाने आप कुछ करते हों तो मुझे नहीं मालूम है।

श्री शीशराम : सर्टिफिकेट देकर वापिस मत लो।

श्री रामचन्द्र आर्य : कई गांव राजस्थान केनाल में नोहर तहसील के हैं नजदीक हैं। नोहर के गांवों के पट्टे के लिए सूरतगढ़ व हनुमानगढ़ में जाना पड़ता है। जिस काश्तकार के पास तहसील पड़ती है उसको वहां न जाकर उसको दूसरी तहसील में जाना पड़ता है हमने बार बार मांग की है। बीकानेर में तहसील का नाम चुना है। या जयपुर में रखते हैं बीकानेर हैड क्वार्टर जब कि रावतसर में रखना चाहिये। जिससे कि काश्तकार को दिक्कत न हो। इसलिये दूसरी तहसील में रखते हैं कि उनको कोई जानता नहीं। रिश्वत लिये बगैर उनका काम नहीं होता है। शिकायतें करें तो किसके पास करें। चार तहसीलों की एक साथ मिटिंग होती है। कोई एम. एल. ए. नहीं जा सकता है। मेरे क्षेत्र में चार तहसील हैं, चारों की एक साथ मिटिंग होती है। आप इसकी इनक्वायरी कराइये। एक साथ मिटिंग रखना है तो रावतसर में रखना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

पंचायत की जमीन के बारे में कहना चाहता हूं। पंचायतों की जमीन प्लाट की। राजस्थान केनाल में पंचायत की भूमि की किश्त ले रहे है और 30 परसेन्ट से ज्यादा कीमत लेने की आपने फैसला किया। जमीन पंचायत को देनी है तो निःशुल्क देनी चाहिये। 15 बीघा दी जब कि आपको 25 बीघा देनी चाहिए थी। सरकार की जमीन है। जब भी चाहे सरकार ले लेगी।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

इसलिए पंचायत को जमीन मुफ्त मिलनी चाहिये। मेरी पंचायत को 65 में जमीन मिली थी। किश्त पहले जमा कर दी थी। और जमीन तीन साल तक काश्त होती रही और 3 साल बाद 3200 तावान के वृद्धिचन्द्र ने लगाये। बीकानेर में आकर अपील की। मैंने सारा रिकार्ड पेश कर दिया, यही कोलोनाइजेशन ऑफिसर माथुर था। उन्होंने माना कि पंचायत का रिकार्ड सही है। उनकी गलत कार्यवाही को गलत माना। और मौका देखा, किश्त माना साबित हुआ। इसलिए इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और राज्य सरकार को भेजते हैं। तीन साल हो गये। शोभारामजी के यहां तारीख पड़ती है। तावान लगा है। 2200 में उस पंचायत ने ठेके पर दी थी। तावान नहीं माफ हुआ तो पंचायतों को 2200 देने पड़ेंगे। जमीन की हमें कोई जरूरत नहीं है। आप लेना चाहें तो ले लें। तावान लगाया है वह आप माफ करें इस प्रकार की नीति आपके डिपार्टमेन्ट की है इसकी ओर ध्यान देवें।

यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर कोई घोषणा की थी कि गंगानगर जिले में कुओं पर बिजली देने के लिये घोषणा की। 599 पर बिजली दी गई है। 300 कुओं को बिजली 1970–71 में देने को घोषणा की लेकिन पांच कुओं को बिजली दी। उस पर आप जो घोषणा करते हैं तो उसको पूरी करनी चाहिए।

इसी तरह से 1970 में घोषणा की, थी, उनके बारे में कह देना चाहता हूं। उन घोषणाओं का क्या किया जाए। विद्युतिकरण के बारे में मैंने कह दिया था। सड़कों के बारे में भी घोषणा की थी, नाम भी गिनाये थे फलां जगह से फलां जगह का नाम भी यहां पर लिया था लेकिन आज तक एक सड़क का भी काम पूरा नहीं हुआ है–

श्री सभापति : यह तरीका थोड़े ही है सो कर देंगे।

श्री रामचंद्र आर्य : क्या कर देंगे। इतना रुपया खर्च कर दिया उतना कर दिया इसी तरह से आबादी भूमि के बारे में घोषणा की थी कि हमने आबादी भूमि की यह क्या तरीका है इसी समस्या को हल कर दिया है परन्तु आज तक कोई समस्या हल नहीं की है। इसको हमारे पास कोई सूचना नहीं हैं। इसी तरह से कहते है कि यह सवाल सरकार के विचारधीन है जब तक ये लोग रहेंगे यह विचाराधीन समाप्त नहीं होगा और विचाराधीन का मामला ऐसा है कि इसकी कोई तारीख नहीं पड़ती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आबादी भूमि के बारे में पंचायतों को जल्दी से जल्दी अधिकार दें।

श्री शोभाराम : माननीय सदस्य पंचायतों को अधिकार दे दिये गये हैं पुरानी आबादी के और नये ब्लॉक के अन्दर भी उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार दे दिये हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : कितना जल्दी कह दिया, दस दिन पहले पूछा था तब तो नहीं कहा था। मैं मालूम करना चाहूंगा।

श्री शोभाराम : आप चाहेंगे तो आपको आदेश की प्रति दे दूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : वह प्रतिलिपि मुझे मिलनी चाहिए।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

कृषि विश्वविद्यालय के बारे में मांग थी। वहां पर कोई कालेज नहीं है। इस पर सरकार ने इन्कार कर दिया। यह एक कृषि प्रधान जिला है और इस जिले के अन्दर एक प्राइवेट कृषि कालेज है और उसको प्राइवेट संस्था चलाती है। हमको सहायता दें इसमें हजारों लड़के बाहर से आते हैं। वहां के काश्तकारों के लड़के खेती करना सीख लें तो क्या नुकसान होगा। वे कोई आपसे नौकरी नहीं मांगते है। वे खेती का काम सीखना चाहते हैं ताकि उत्पादन बढ़ाने का अच्छा काम कर सकें। इसलिए इस संस्था को ऐड देनी चाहिए वह पुरानी संस्था है और गंगानगर में एक मात्र हो संस्था है।

श्री शोभाराम : मैं बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा। सांगरिया कालेज को एड बदस्तूर दी जा रही है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस साल ऐसी योजना बनाई जा रही है कि अगले साल नहीं दी जाय।

श्री शोभाराम : अगला साल आयेगा तब भी दी जायेगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : जुलाई में आप नहीं देंगे। आपको मालूम है कि जुलाई में आप अधिवेशन नहीं बुलायेंगे। मैं आपकी चापलुसी नहीं करूंगा यह नीति की बात है। गंगानगर के उस कृषि कालेज को बन्द नहीं करना चाहिए।

उद्योगों के बारे में भी आपने घोषणा की थी कि गंगानगर को औद्योगिक क्षेत्र बनायेंगे। आज तक कोई धन्धा वहां पर नहीं पर चला है। कौनसी फैक्टरी आपने यहां पर लगाई है। चुकन्दर की फैक्टरी लगाने का आपने फैसला किया था और इसके लिए आपने लोगों से चुकन्दर की खेती करवाई और आज फैक्ट्री के अभाव के कारण उनको फसल बर्बाद हो रही हैं। उन लोगों ने चुकन्दर का बीज दूसरे देशों से मंगवाकर दिया था और आज दस दस किलों का चुकन्दर उनके खेतों में पड़ा है और उनसे वह खोदा भी नहीं जा रहा है। सरकार ने उनसे चुकन्दर की खरीद नहीं की है और वह फसल बर्बाद हो गई है। इसलिए इन काश्तकारों को इसका हर्जाना मिलना चाहिए।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति जी समय लूंगा और पूरा समय लूंगा।

श्री सभापति : यह आपकी ठेकेदारी नहीं है। आप समाप्त करिए।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरी ठेकेदारी है। मैंने 30 कटमोशन दिये हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन की बात आप नहीं मानेंगे तो राज्य सरकार भी आप की बात कैसे सुनेगी। इसलिए आप को अब समाप्त करना चाहिए।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं आसन की इज्जत करता हूं लेकिन जो बात मुझे कहनी है उनको बीच में कैसे छोड़ दूं। ये मेरे कट मोशन बहुत हैं। और आपको मालूम है कि बोलने में ताकत लगती है मजा थोड़े ही आता है।

श्री सभापति : अब आप आराम करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : आराम नहीं करना चाहता। ट्रैक्टर पर टैक्स को माफ करने की आपने घोषणा की है। परन्तु इसके साथ लगने वाले जितने हल और इम्पलीमेन्ट्स निकलते हैं उस पर आपने दस परसेन्ट टैक्स लगा दिया है। इन पर आप टैक्स ले रहे हैं। मेरा निवेदन है कि ट्रैक्टर के तमाम पुर्जे और जो खेती के इम्पलीमेन्ट्स हैं उन पर आपको कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिये। इसके लिए आप माफ नहीं करते हैं तो इसका मुझे दुख नहीं है क्योंकि घोषणा घोषणा ही बन कर रह जायेगी और कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। आप इस पर दस परसेन्ट सेल्स टैक्स लेते हैं। यह इस कल लिस्ट बनी है और ये सब टैक्स में आ जाते हैं। इसकी आप जांच करवा लें और इस पर यह टैक्स नहीं लगना चाहिये।

सभापति महोदय, गंगानगर में जो पानी गन्दा पड़ा रहता है उसके निकालने के लिए आज तक कोई काम नहीं किया गया है। एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। आपकी म्युनिसिपैलिटी कांग्रेस की है इसलिये आपको चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आप उसको इसके लिये दें।

सभापति जी पेयजल के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। इसको लागू करने के बारे में मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद कुछ गांवों में तो आज भी पानी की व्यवस्था नहीं है। उस घोषणा में कहा गया था कि राजस्थान कैनाल के गांवों में डिग्गी बना दी जायेगी। परन्तु आज तक वह नहीं बनायी गयी है। जिन गांवों में खारा पानी है उन गांवों के अन्दर भी आप इन्तजाम नहीं करेंगे तो इस विधान सभा में कह देने से काम नहीं चलेगा। इन गांवों का पानी ऐसा है कि मवेशी या आदमी कोई पानी पी ले तो वह आदमी, मवेशी मर जाते हैं। इसलिए आपको वहां पर ट्यूब वेल लगाना चाहिये और वहां की जमीन के पानी का टैस्ट करना चाहिए कि जमीन के अन्दर पानी है या नहीं। इसके लिए आपके पास में साधन है। आपको चाहिये कि इन गांवों के अन्दर ट्यूब वेल के द्वारा लोगों को पीने का पानी दें। खेतों के लिए आप इनको पानी न दें तो भी कोई बात नहीं। लेकिन पीने के पानी का इन्तजाम तो होना चाहिये। यह मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी। यह साल भी निकल गया किन्तु वहां पर कोई काम नहीं हुआ।

श्री गोकुलचन्द : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर। यहां रिजर्व सीट से आने वाले 51 सदस्य हैं। मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि हमारे परसेन्टेज के हिसाब से हमें भी थोड़ा समय मिलना चाहिये। आपको यह व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। एक मिनिट में समाप्त कर दें। आप तो सारी बातें ऐसे कह रहे हैं कि कहीं अगले बजट में आपको बोलना ही नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : संगरिया भादरा चूरू में गोली चली जो मारे गये उनके

(श्री रामचन्द्र आर्य)

परिवारों को सहायता दी जायेगी, यह घोषणा की थी कि प्रति व्यक्ति पांच, दस हजार रुपया दिया जायेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने और किस को यह सहायता सरकार ने दी है। खाली यहां बैठ कर, अखबारों में प्रचार कराने के लिये और रेडियो पर घोषणा कराने के लिये ऐसे ही जुबान से कह दिया। मैंने पहले भी कहा था ऐसी घोषणाओं को आप लागू नहीं करेंगे। इसी तरह से सांगरिया में लोगों को बुरी तरह से मारा गया. फाइरिंग हुई, क्या वह उचित है? न्यायाधीश ने जो रिपोर्ट दी है या जिसने भी यह रिपोर्ट क्या सही है कि वह उचित है। मैं तो सभापतिजी उस रिपोर्ट के आने से पहले ही मैंने कहा था कि यह होगा। मेरा निवेदन है कि कम से कम ऐसे लोगों को सहायता देनी चाहिये। यह अन्तरिम सहायता सरकार की तरफ से दी जायेगी इसकी घोषणा की गई थी लेकिन आज तक एक पैसा भी नहीं दिया गया है। वह उनको मिलना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, आपके माध्यम से उपनिवेशन मन्त्रीजी को कि राजस्थान कैनाल, गंग कैनाल, भाखरा कैनाल के बारे में जो भी मैंने यहां पर सुझाव आपके सामने रखे हैं, जितने भी इस प्रशासन के बारे में आरोप लगाए हैं उनकी आप जांच करवावे। किसानों के सामने कठिनाइयां आने वाली हैं और उनकी मांगों को आप मन्जूर नहीं करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाली है और मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि गंगानगर राजस्थान से निकल जाएगा और गंगानगर को पृथक होने के लिए मांग करनी पड़ेगी। हमारी आपकी, समस्यायें एक नहीं हैं: हमारी समस्याएं हरियाणा और पंजाब से मिलती-जुलती हैं और सरकार ने हम से यह वायदा किया था कि पंजाब में जो कानून होगा, जो सहूलियतें पंजाब के काश्तकारों को होंगी वही आप हम को देंगे परन्तु वह वायदा ताक में धरा रह गया है। दूसरे गांव में सड़कें बन गई, बिजली लग गई, कारखाने बन गये, पानी के फव्वारे बन गए, पंजाब व हरियाणा के गांव जगमगा रहे हैं। रात को भी गांव सामने दीखते हैं और हमारे सुनसान हैं और हमारे यहां गांव के गांव प्यासे मर रहे हैं और उल्टे लोगों को, किसानों को बर्बाद करने को स्कीम्स बन रही है। तो पंजाब में जो सहूलियतें काश्तकारों को, हरियाणों में जो सहूलियतें हैं वे सहूलियतें गंगानगर के काश्तकारों को दें यदि गंगानगर का काश्तकार शान्त हो जाय और अगर जबरदस्ती राज्य करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरा कटौती प्रस्ताव रखता हूं।

श्री सभापति : श्री गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय सभापति महोदय, कोटा जिले के कोलोनाइजेशन के सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं कुछ मुद्दों के बारे में प्रश्न पूछना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, कोटा जिले के अन्दर चम्बल की बाईं और दाईं नहरें जिन जिन क्षेत्रों में से होकर गई है उन

Page No 86

(देवीदत्त गाडिया)

उन क्षेत्रों को राज्य सरकार ने चम्बल कमाण्डेड एरिया के अन्दर लिया है और इतना ही नहीं राज्य सरकार ने जिस समय यह नहरें निकाली थीं उस समय राज्य सरकार की एक योजना थी कि इन नहरों के द्वारा जो गांव सिंचित होंगे और उनके साथ-साथ अनेकों गांव हैं उन गांवों में इस चम्बल की नहर से लिफ्ट ईरिगेशन के द्वारा पानी पहुचाकर इन गांवों की खेती को सिंचित किया जायगा। लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार की वह योजना कहीं पर धरी रह गई, लेकिन सरकार ने उस योजना के अन्तर्गत उन गांवों को कमाण्डेड एरिया के अन्दर लिया और इसी कारण से आज, सभापति महोदय, उन गांवों के अन्दर लिफ्ट ईरिगेशन पहुँची नहीं और चूंकि वे सारे के सारे क्षेत्र चम्बल कमाण्डेड एरिया में हैं उस कारण से उन गांवों के किसानों को भी नहरी भूमि यानी सिंचित भूमि का लगान देना पड़ता है। उनके ऊपर सरचार्ज लगता है। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, जिन गांवों में नहरों का पानी नहीं जाता, लिफ्ट ईरिगेशन से पानी नहीं जाता, उदाहरण के रूप में बारां तहसील में उन गांवो के अन्दर नहर आज नहीं 10 वर्ष तक उन गांवों को चाहे वह गांव बड़ा बंबूलिया हो, चाहे वह औसतिया हो, इन गांवों के अन्दर चम्बल नहर का पानी लिफ्ट ईरिगेशन के द्वारा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से तहसील मांगरोल, सब-तहसील अन्ता के ऐसे गांव है उदाहरण के रूप में बड़ा बंबूलिया गांव है, जिसके दो मील और चार मील की दूरी पर चम्बल की नहर है, लेकिन उस गांव में लिफ्ट ईरिगेशन का पानी नहीं पहुँचा, लेकिन चम्बल कमान्डेड एरिया होने के कारण आज गांव के किसानों पर सबसे बड़ा जुल्म जो हो रहा हैं वह यह है कि आज जो सीलिंग के अन्तर्गत सीमा निर्धारित है वह कम है। लेकिन उन गांवों में पानी नहीं जा सकता और न कभी पहुँच सकता। तो यह जो सीलिंग की सीमा है और उस कारण विविध क्षेत्रों के एस. डी. ओ. ने नोटिस दे रखा है कि आपके पास कितनी कितनी भूमि हैं वह बताओ। उनसे सूचना मांगी जा रही है। यदि उन गांवों को चम्बल कमाण्ड एरिया से नहीं निकालेंगे तो उनके साथ में बड़ी भारी ज्यादती होगी। माननीय मंत्रीजी ने इस सदन के अन्दर कई बार यह घोषणा की कि जिन गांवों में चम्बल नहर का पानी नहीं जाता, लिफ्ट ईरिगेशन के द्वारा पानी नहीं जा सकता उन गांवों को चम्बल कमाण्ड एरिया से निकाल देंगे। लेकिन माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि चम्बल कमाण्ड एरिया के अन्दर ऐसे कितने गांव हैं जिनमें आज तक नहर का पानी नहीं जा रहा है, कितने ऐसे गांव है जिनके अन्दर लिफ्ट ईरिगेशन का पानी नहीं जा रहा है और कितने ऐसे गांव हैं जिनको आपने आज तक निकाल दिया। आज तक मेरी जानकारी के अनुसार, सभापति महोदय, ऐसी सूचना कोटा जिलाधीश के पास नहीं पहुँची, ऐसी सूचना बूंदी जिलाधीश के पास नहीं पहुँची, ऐसी सूचना संबंधित विभाग के उपजिलाधीश के पास, तहसीलदार के पास नहीं पहुँची कि उस इलाके

(श्री देवीदत्त गाडिया)

को निकाला गया है जहां तक सीलिंग कानून का प्रश्न है। मैं पूछना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी से आपने आज तक क्यों नहीं निकाला और निकाला तो सूचना क्यों नहीं भेजी ? यदि आपने भेजी तो कब भेजी ? उसकी आप जानकारी दें।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कोलोनाइजेशन के सम्बन्ध में जो प्रगति की रिपोर्ट दी है उसके अन्तर्गत उन्होंने कोटा और बूंदी जिले के अन्दर यह तो बताया कि हमारे पास इस समय जो जमीन सिंचित और असिंचित है और विक्रय करने वाले हैं और आवंटन के रूप में दोनों का टोटल दिया गया 1,28,349 बीघा, और आपने बेचान भी की है और आवंटन भी किया, नीलाम भी की है, और उसके अन्तर्गत काफी जमीन बेची है जिसके लिए राज्य सरकार ने बताया कि 5,99,363 रु. की आय हुई है। आपने यह भी बताया कि 29,212 बीघा भूमि का अतिक्रमण कर रखा है। मैं माननीय मंत्रीजी आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको यह मालूम है कि कोटा के बाईं और दाईं नहर के ऊपर वाटर लागिंग के कारण और सीपेज के कारण हजारों किसानों की हजारों एकड़ जमीन है। मैं माननीय मंत्रीजी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जो जमीन है उस क्षेत्र के अंदर उसकी नीलामी के द्वारा आवंटन के द्वारा बेची जारही है और दे रहे हैं लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन किसानों की जमीन इन नहरों में वाटर लागिंग और सीपेज के कारण खराब हो गई है, वे किसान बेरोजगार हो गये हैं, उनकी आजीविका के साधन समाप्त हो गये हैं, इसकी जिम्मेदारी किस की है। आज जो किसान की जमीन नहर के पानी से खराब हुई है उसको जमीन के बदले जमीन देनी पड़ेगी, और राज्य सरकार का यह आश्वासन है कि जिस किसान की चम्बल नहर में सीपेज और वाटर लागिंग के कारण जमीन खराब हुई है उनको जमीन के बदले में जमीन देंगे। माननीय मंत्रीजी यदि आपने 128,393 बीघा जमीन का आवंटन कर दिया या बेच दिया या नीलाम के रूप में दे दिया तो जिन किसानों की जमीनें खराब हुई हैं तो उनको कहां पर जमीनें देंगे। यदि आप जमीन नहीं दे सकेंगे तो उसके बदले में आप कहेंगे कि मुआवजा देंगे। मैं मंत्री महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप किसी का रोजगार छीनकर यह कहें कि जो रोजगार, आपका धन्धा लिया है उस धन्धे के बदले में 5 हजार या 10 हजार देते हैं तो क्या वह उससे सन्तुष्ट हो सकता है ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह जांच करवावें कि किस किस किसान की जमीन सीपेज और वाटरलागिंग के कारण खराब हुई हैं, उनको जमीनें कहां देंगे और जब तक यह समाधान नहीं हो, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सरकार के पास जमीन पड़ी है तो चम्बल कमाण्ड एरिया के अन्दर कालोनाइजेशन विभाग के पास है इस जमीन का विक्रय करना और आवंटन करना बन्द कर दें। एक ओर जो माननीय मन्त्रीजी, आपने यह कहा कि अतिक्रमण जो होरहा है उसको रेग्युलराइज किया है तो मैं आपसे एक बात यह

Page No 88

(श्री देवीदत्त गाडिया)
पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जो कोलोनाइजेशन की जमीन है उस जमीन को बेचने का अधिकार नीलामी के द्वारा या विक्रय करने का वह अधिकार सिर्फ जिलाधीश को है किसी एस. डी. ओ. या तहसीलदार को कोलोनाइजेशन की जमीन वेचने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस सरकार को कहना चाहता हूं कि वारां के भूतपूर्व एस. डी. ओ. श्री शिवदत्त शर्मा, भूतपूर्व एस. डी. ओ. जुगलबिहारी श्रीवास्तव, इन्होंने जो जमीनें बेची हैं कालोनाइजेशन क्षेत्र की तहसील मांगरोल और अन्ता के तहत वह किस कानून के तहत जमीनें बेची हैं, जब कि कलेक्टर ने उनको कोई अधिकार नहीं दिया था ?

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, तहसील मांगरोल और अन्ता के अन्दर जिन जमीनों की नीलामी की गई थी उसकी चौथान किसानों ने जमा करवा दी थी और उन्होंने दूसरी किश्त भी देदी थी, लेकिन आज भी वह मामला न्यायालय के अन्दर और आपके पास चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के कोटा जिले के कोलोनाइजेशन क्षेत्र के अन्दर भूमि के आवंटन के कितने मामले आपके पास कितने साल से पड़े हुए हैं–उनका आज तक क्यों नहीं फैसला हुआ है ? माननीय सभापति महोदय, उदाहरण के रूप में मैं आपको कहना चाहता हूं कि उप जिलाधीश ने रिश्वत लेकर, कानून को बलाएताक रख कर, अपने दफ्तर में बैठकर अपनी मर्जी से दोनों को जमीन दे दी, हजारों रुपये की रिश्वत खा गया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बारां के भूतपूर्व एस. डी. ओ. हरिनारायण शर्मा ने बड़ी बबूलिया, जो गांव है कोलोनाइजेशन एरिया में अपनी पत्नी के नाम से जमीन हड़पी है। इस प्रकार से कोलोनाईजेशन एरिया में जमीन हड़प रहे हैं। कोटा जिले में जितने सरकारी अधिकारी हैं, चाहे एस. डी. ओ. हो, चाहे कलक्टर हो, चाहे तहसीलदार हो या किसी अन्य विभाग अधिकारी हो। आज कोटा जिले में चम्बल कमाण्ड एरिया के अन्दर वह जमीन हड़प करते जा रहे हैं। अपनी पत्नी के नाम पर, अपने रिश्तेदारों के नाम पर। पहले ट्रेस पास दिखाते हैं, उनको ट्रेसपासर करार कराते हैं और ट्रेसपासर करार करवा कर फिर जमीन को रेग्युलराइज करवाते हैं और उसका मामूली सा मुआवजा दे देते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको उदाहरण के रूप से बताना चाहता हूं कि वारां के भूतपूर्व एस. डी. ओ., हरिनारायण शर्मा जो बूंदी में एस. डी. ओ. हैं, उन्होंने अन्ता तहसील के बड़ा बबूलिया गांव में अपनी पत्नी के नाम से 35 बीघा जमीन पर ट्रेसपास करार करवा कर उसको रिकार्ड में लिखवाया...

श्री शोभाराम : यह चम्बल कमाण्ड एरिया में है।

श्री देवीदत्त गाडिया : जी हां। चम्बल कमाण्ड एरिया में है। पत्नी के नाम से 35 बीघा जमीन ट्रेसपास के रूप में लिखवा दी और कोटा जिले के कोलोनाईजेशन विभाग के कमिश्नर और अधिकारियों से मिलकर उसको रेगूलेराइज करवा लिया। उसके बाद में उस एस. डी. ओ. ने उस

(श्री देवीदत्त गाडिया)

जमीन को 45 हजार रुपये के अन्दर बारां के एक बीड़ी के कारखाने के सेठ को बेच दिया। क्या अधिकार था उस अधिकारी को कि वह कोलोनाईजेशन एरिया की जमीन को किसी सेठ को बेच दे? उसने उस जमीन की रजिस्ट्री करवा दी। बारां तहसील के अन्दर उस जमीन की रजिस्ट्री हुई है। इस प्रकार सरकारी अधिकारी अपनी पत्नी के नाम पर, अपने रिश्तेदारों के नाम पर कोलोनाईजेशन क्षेत्र की जमीन को हड़प करते जा रहे हैं। माननीय मन्त्री जी, आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले लाडपुरा के क्षेत्र के एम. एल. ए. और मैंने एक गरीब काश्तकार की आपको दरख्वास्त दी थी। मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया था कि कोटा सिटी मजिस्ट्रेट ने उस गरीब किसान की जमीन पर, जो अनुसूचित जाति का था, जो एक भूमिहीन था, जो उस जमीन पर कई वर्षों से ट्रेस-पासर था, कब्जा कर लिया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, पुलिस की ताकत से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उस गरीब हरिजन को उस जमीन से निकाल कर बाहर फेंक दिया। आपने उस दर्ख्वास्त पर आदेश दिया था कलेक्टर के नाम पर कि इस सिटी मजिस्ट्रेट को वहां से हटाया जाय, उस जमीन पर से उसका कब्जा हटाया जाय और उस जमीन का कब्जा उस गरीब काश्तकार को दिया जाय। लेकिन आज तक उसके सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं हुई है। आज भी सिटी मजिस्ट्रेट उस जमीन पर कब्जा कर के बैठा है और उस पर खेती करता जा रहा है। इस प्रकार बड़े बड़े अधिकारियों ने, बड़े बड़े राजनैतिक नेताओं ने और बड़े बड़े पूंजीपतियों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। उनको हटाने की कार्यवाही करते हैं तो कानून का सहारा लेते हैं, स्टे आर्डर ले आते हैं। माननीय मन्त्री महोदय, आप जानकारी देंगे कि इस प्रकार के कितने केसेज हैं जिनके मामले लम्बे समय से चल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन किसानों की जमीन चम्बल नहर में आई है, उनको आज तक आपने मुआवजा क्यों नहीं दिया है? क्या आप बता सकेंगे कि कितने ऐसे काश्तकार हैं जिनको कम्पेन्सेशन नहीं मिला है। लाखों रुपये की रकम सैंकड़ों किसानों को नहीं मिली है। चाहिए तो यह था, जिन किसानों की जमीन नहर में आई है उन किसानों को जमीन के बदले में जमीन देते। लेकिन न आपने उनको जमीन दी है और न मुआवजा दिया है? मैं जानकारी चाहता हूं सरकार से कि जिन किसानों को साल से मुआवजा नहीं दे पाई है सरकार क्या उनको वह उसका ब्याज देगी? यह किन कारणों से नहीं दिया गया है इतना ही नहीं, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से एक बात पूछना चाहूंगा, जिन किसानों की जमीन उस नहर में आई, जिन गांवों के तालाब नहर में आ गये हैं, जिन किसानों के खेत के कुए उस नहर में आ गये हैं–क्या उसका मुआवजा सरकार ने दिया? नहीं दिया। इतना ही नहीं, हमारे इस क्षेत्र के अन्दर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, सभा

(श्री देवीदत्त गाडिया)

पति महोदय, जिन किसानों के खेत में होकर नहर गई है, जो किसान नहर के पानी से खेत की सिंचाई करते हैं, उन किसानों के खेत में जो पहले कुए थे, वह कुए से सिंचाई होना बन्द हो गई है, लेकिन सभापति महोदय, रियासती काल में जो कुओं से सिंचाई करते थे, उस सिंचाई का, उस पिलाई का पैसा लगान में जुडा हुआ था। माननीय मन्त्री महोदय, आप ध्यान से सुनें, कोटा रियासत के जमाने में जो किसान कुओं से सिंचाई करते थे, उनका कुओं की पिलाई का पैसा लगान के साथ में जुड़ा हुआ था, वह लगान वह देते आ रहे थे, उन किसानों के खेतों में से नहर गई है, आज वह नहर के द्वारा सिंचाई करते हैं, अब कुओं से सिंचाई होना बन्द हो गया है, अब वह नहर की सिंचाई की पिलाई देते हैं, लेकिन पहले कुओं की पिलाई का पैसा लगान में जुड़ा हुआ था, वह आज तक वसूल किया जा रहा है ? क्या माननीय मन्त्री महोदय, आपने इसकी जांच की हैं ? क्या सरकार आश्वासन देगी, जिन किसानों के खेत पर होकर चम्बल नहर गई है, जो चम्बल नहर से सिंचाई करते हैं और जमीन पर पहले कुए थे, और उन कुओं की पिलाई का पैसा लगान के साथ जुड़ा हुआ था, वह अब निकाल दिया जायगा ? आप इस मामले की जांच करवायें और इस मामले के ऊपर ध्यान दीजिये।

सभापति महोदय, आज आप जमीन को नीलाम कर रहे हैं या बेच रहे हैं– मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं उदाहरण के रूप में कि मेरे क्षेत्र के अन्दर तहसील मांगरोल में कई तालाब हैं, जो कोलोनाइजेशन एरिया में हैं, आप उनको अब नीलाम कर रहे हैं। आज गांवों के मवेशी, एक–एक तालाब पर छः–छः गांवों के मवेशी पानी पीते हैं, उसको आप नीलाम करके बेच रहे हैं और उस भूमि को आवंटित कर रहे हैं–ऐसी स्थिति में उन गांवों के मवेशी कहां पानी पीने जायेंगे? मन्त्री महोदय, आज तालाबों की नीलामी होती जा रही है–उसको आप रोकिये अगर आप तालावों को बेचने से नहीं रोकेंगे तो गांवों के मवेशी पीने के पानी से महरूम हो जायेंगे। मांगरोल के पास दो बड़े तालाब थे, एक बड़ा तालाब था और एक छोटा 23 बीघे का। इस तालाब के लिए भूतपूर्व एस. डी. ओ. शिवदत्त ने हजारों रुपये की रिश्वत ली और गांव वालों को ~~आपत्ति के बाद~~ भी अपने घर बैठे तालाब नीलाम कर दिये। मन्त्री महोदय, मेरी आप से अपील है कि ऐसे तालाबों को नीलामी आप रोकें और मवेशियों के पानी पीने के लिए वह छोड़ दें। जहां यह बात है, माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपने कोलोनाइजेशन एरिया के अन्दर चम्बल मन्डी कमेटी की स्थापना की थी, और चम्बल मन्डी कमेटी के अन्दर आपने सारे क्षेत्र को दे दिया था। आपने अपनी इस प्रगति रिपोर्ट में कहा है–हमने चम्बल मन्डी कमेटी को खत्म कर दिया है। राज्य सरकार ने और राजस्थान के मन्त्री मण्डल ने यह तय किया था। जो कोटा जिले के एम. एल. ए. थे, जिन्होंने आन्दोलन करने की व्यवस्था की और इस सम्बन्ध

(श्री देवीदत्त गाडिया)

में कोटा में एक आन्दोलन चल रहा था, उस समय राजस्थान सरकार ने लिखित में यह आश्वासन दिया था कि चम्बल मन्डी कमेटी को खत्म कर दिया जायगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कोटा नगर को चम्बल मन्डी कमेटी से निकाल दिया और इसे कोटा नगर न्यास के सुपुर्द कर दिया है। कुछ दिन पहले आपने आर्डर निकाल दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि बूंदी और बारां को गवर्नमेंट ने चम्बल मन्डी कमेटी से निकाल दिया है—इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन जो प्रगति रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में आपने यह घोषणा की है—कोटा मन्डी क्षेत्र को. कोटा नगर परिषद् क्षेत्र को उपनिवेशन क्षेत्र से निकाल देने के बाद उसको नगर न्यास को स्थानान्तरित कर दिया गया है। यह स्पष्ट घोषणा की है, ठीक इसी प्रकार से आपने बूंदी बारां क्षेत्र को चम्बल मन्डी कमेटी से निकाल देने की घोषणा की हो फिर आपने क्यों नहीं व्यवस्था की है? क्यों नहीं इस प्रगति विवरण में कहा है कि बूंदी और बारां क्षेत्र को चम्बल मन्डी कमेटी से निकाल कर सम्बन्धित नगर न्यास के सुपुर्द कर दी गई है—यह स्पष्ट नहीं किया है।...

श्री शोभाराम : सभापति महोदय, बूंदी और बारां के बारे में, जो कि कमेटी के पजेशन से मुक्त कर दिया गया है—इस क्षेत्र के अन्दर लोकल बाडीज को लिख दिया है वह उसको शामिल करें। आगे की कार्यवाही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करेगी। जहां तक प्रतिलिपि की बात थी, मैं समझता हूं वह प्रतिलिपि भेज दी गई है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं एक जानकारी चाहूंगा क्या बारां और बून्दी म्यूनिसिपल एरिया को सारे का सारा डिकोलोनाइज कर दिया ?

श्री शोभाराम : हमारे यहां मण्डी कमेटी एरिया था। जहां मन्डी कमेटी आपरेट करती थी, बारां और बून्दी दोनों को निकाल दिया ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : साथ साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तहत जो म्युनिसिपिल कमेटीज या बोर्डस हैं वह फंक्शन कर सकें, हम चाहेंगे कि आपने डिकोलोनाइज कर दिया उस एरिया को केवल म्युनिसिफल एरिया बारां और बून्दी। इस एरिया को डिकलोनाइज करें।

श्री शोभाराम : जब पिछले वर्ष कोटा जिले के माननीय सदस्य मिले थे मुख्य मंत्री से कोटा में, तो फैसला हो गया था। डिकोलोनाइज करने का, डीकमांड करने का अलग से प्रश्न है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप का कहना ठीक है, लेकिन जैसा कोटा में मंडी कमेटी खतम करके...

श्री शोभाराम : बारां बूंदी के निकालने के लिये डीकोलोनाइजेशन के लिये कुछ एप्लीकेशन्स थी, जनरल तरीके का जवाब दूंगा, दोनों कस्बों को न जोड़े।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिस प्रकार कोटा में मंडी कमेटी आपरेशन खतम किया, वहां पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट क्रीयेट किया, फिलहाल बारां और बून्दी में क्या

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

करेंगे, वह अलग चीज है लेकिन जब तक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट फंक्शन नहीं कर सकता उस एरिया में या वहां इम्प्रूवमेंट बोर्ड फंक्शन नहीं करता जब तक उस एरिया को डिकलोनाइज न करें।

श्री शोभाराम : वह काम करें और काम करने के लिए जितने आवश्यक संशोधन होंगे करेंगे।

श्री देवीदत्त गाडिया : मेरा निवेदन था कि जैसे आपने अपनी प्रगति रिपोर्ट में स्पष्ट घोषणा की कि कोटा मंडी क्षेत्र को कोटा नगर परिषद क्षेत्र से निकाल कर नगर विकास न्यास को हस्तांतरित किया गया है जिस प्रकार से आपने स्पष्ट घोषणा की, वही घोषणा आपने बूंदी और बारां की क्यों नहीं की? मेरी मांग है कि ऐसी स्पष्ट घोषणा जब तक कालोनाइजेशन विभाग लिखकर नहीं देगा क्योंकि जिस समय चम्बल कमेटी ने इस क्षेत्र को लिया था, उस समय वह क्षेत्र बारां नगरपालिका क्षेत्र में था, उससे आपने लिया है. वैसे ही आपको वापस करना चाहिये। बारां तहसील क्षेत्र के एक गांव में भी और चंबल नहर की लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई नहीं हो सकती। ये गांव जो आपने लिए थे मेरी समझ में नहीं आता कि आपका क्या आधार था। इसलिए चंबल कमांडेड एरिया में किसी कीमत पर नहीं आते क्योंकि अंता क्षेत्र में ही पानी नहीं आता। इसलिये इन गांवों को भी निकाल दें जब चंबल कमेटी की स्थापना की गई थी, लाखों रुपये का बजट था, आज भी वह पड़ा हुआ है। आपने कहा हमने इस प्रकार कोटा जिले में अमुक-अमुक क्षेत्र में कृषि मंडी कमेटी की स्थापना की और आपने कहा मंडी विस्तार के लिये बिजली, नल और पानी की नालियां बनाने के लिये आपने 10 लाख खर्च बताया। मैं पूछना चाहता हूं कि कृषि उपज मंडी के अन्दर कितना रुपया खर्च किया? आपने एक सड़क नहीं बनाई। किसान जब अपने गांव से माल बेचने के लिये आता है तो उस सड़क पर 2-2 फीट के गड्ढे हैं, किसानों के पैर टूटते हैं, बैलों के पैर टूटते हैं, गाडियां उलट जाती हैं। इससे किसानों को हजारों रुपये का नुकसान होता है लेकिन आपने कोई ध्यान नहीं दिया। यह चंबल मंडी कमेटी खतम हो गई लेकिन आपने गैसे का वितरण किस प्रकार से किया?

श्री शोभाराम : यह मानकर नहीं चल सकते कि वह मंडी कमेटी खतम हो गई। कोटा निकल गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लिख दिया गया। डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उन पर आ गई, इसका मतलब यह नहीं है कि चंबल एरिया समाप्त हो गया।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह कोलोनाइजेशन एरिया में रहें ये अंता, मंगरोल इटावा और शीशरा, बून्दी का एरिया इसमें रहे, मुझे आपत्ति नहीं लेकिन मेरा निवेदन है कि इन पर आपने चम्बल मंडी कमेटी की दुधारी तलवार लटका रखी है क्या प्रयोजन है? इस क्षेत्र को बिल्कुल समाप्त करें, राज्य सरकार का कमिटमेंट है। अंता और मंगरोल को समाप्त कर के चंबल मंडी कमेटी को समाप्त करें

Page No 93

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

उस क्षेत्र को या पंचायत समिति को दे, वरना मेरी मांग है कि उस क्षेत्र को सम्बन्धित ग्राम पंचायत को क्यों नहीं देते। इसका मतलब यह है आप पर आरोप है कि आप लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में विश्वास नहीं करते, डीसेंट्रलाईजेशन में आपका विश्वास नहीं है, आप ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों को पनपने नहीं देना चाहते और ग्राम पंचायतों के फंकशन में आप हस्तक्षेप करना चाहते हैं। मेरे क्षेत्र में किसानों के जो खेत हैं उनकी रक्षा के लिये जैसा रेवेन्यू कानून है, रेवेन्यू सेक्रेटरी जानते हैं किसान की यदि 10 बीघा जमीन है उसमें बैलों के लिये कोई झोंपडी बनाना चाहे तो बना सकता है, रोक नहीं है। उसकी सीमा है कि इतने क्षेत्रफल की जमीन हो किसान के खेत की तो उस क्षेत्रफल के अन्दर मकान बना सकते हैं लेकिन मेरे अंता और मंगरोल में चंबल मंडी कमेटी क्षेत्र में जो मकान किसानों ने बना लिए हैं उन में शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स पर सारे के सारे पर चालान किया जाता और मंगरोल के तहसीलदारों ने जुरमाने किये हैं। कौनसा ऐसा कानून है कि किसी इन्सान को रहने के लिए झोपड़ी बनाने का अधिकार न हो क्या यह समाजवादी सरकार है, क्या यह लोक तन्त्र है? अंता और मंगरोल के गरीब हरीजन वह खटटी कोरी मीना जाती के किसान अपने बच्चों के लिये झोंपड़ी बनायें? तो वहन बनायें? वहां तहसीलदार चालान करें, उन पर मुकदमा चलायें, जुर्माना करें, यह एक दो केसेज नहीं हैं। वहां कम से कम 2000 फाइलें पड़ी हुई हैं, सारे का सारा अभिशाप आपके चंबल मंडी कमेटी के कानून के कारण से है सारे का सारा अभिशाप कोलोनाइजेशन कानून के तहत है। क्या कालोनाइजेशन इसलिए लागू किया कि उस इलाके का कानून के तहत है। क्या कोलोनाइजेशन इसलिए लागू किया कि उस इलाके का आदमी रहने के लिए झोपड़ी नहीं बना सकता। क्या आप इस सदन में आश्वासन देंगे कि अंता और मंगरोल क्षेत्र में उन गरीब किसानों से चाहे किसी जाति के हों लेकिन अधिकांश अनुसूचित जाति और जन जाति के हैं जिन्होंने अपना मकान बना लिया है, जितने केसेज में मुकदमें चल रहे हैं, वापस लिये जायेंगे? जिन पर मुकदमे हारें हैं उनकी रकम वापस करेंगे? मुझे विश्वास है, आप इस बात का आश्वासन देंगे।

श्री शोभाराम : जो नोटिसेज दिए गए हैं लोगों ने खेतों में मकान बना लिए हैं, वह किसने दिए हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : खेतों में भी है और आबादी क्षेत्र में भी है जिन्होंने झोपड़ी बना ली है बैलों के लिए...

श्री शोभाराम : मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं; नोटिस तोड़ने के किसने दिए?

श्री देवीदत्त गाडिया : तहसीलदार आता, नायब तहसीलदार अंता और तहसीलदार मंगरोल...

श्री शोभाराम : बहैसियत कालोनाइजेशन?

श्री देवीदत्त गाडिया : हां वरना उनको अधिकार नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जिन लोगों के पास रहने का मकान नहीं हैं, कोई जमीन

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

नहीं है, अगर वह अपनी रिहाइश के लिए मकान नहीं बना देते हैं छोटे हिस्से में, तो मानवता के नाते आप विचार नहीं करते कि कोलोनाइजेशन को इस सम्बन्ध में स्पष्ट इन्सट्रक्शन्स निकालनी चाहिए कि ऐसे लोगों को नोटिसेज न देकर, उनको रेग्यूलराइज किया जाए ? पंचायतें डिफंक्ट हो चुकी हैं। कोलोनाइजेशन का विस्तार है····

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आज मकान बना लिए तो आपके नोटिसेज आते हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

आप अपने भाषण में कह दें। श्री गाड़िया ।

श्री देवीदत्त गाड़िया मैं अधिक समय न लेकर एक बात कहना चाहता हूं। इस प्रकार आज गांवों के अन्दर जो चम्बल कमांडेड एरिया है, नहर का पानी नहीं जाता है, उनको तुरंत निकालें और उन पर सीलिंग कानून की तलवार लटक रही है, यह जब तक आदेश कलक्टर के पास नहीं पहुंचेगा, एस. डी. ओ. के पास नही पहुंचेगा तब तक किसान को राहत नहीं मिलेगी। और अन्त में मैं यह कहते हुए कि जिन किसानों की जमीनें नहर के अन्दर आयीं, सीपेज और वाटर लोगिंग के कारण जमीनें खराब हुई, आप इस इलाके में जो जमीन पड़ी हैं उसको बेचेंगे नहीं और आवंटित नहीं करेंगे इसका आप आश्वासन देंगे और मुझे विश्वास है आप इस पर शीघ्र निर्णय देंगे। यही आप से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री बालसिंह।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव कोलोनाइजेशन पर है उस पर बोलूंगा।

एक माननीय सदस्य : कटौती प्रस्ताव की बात मत करो ! बोल जाओ ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर से सौ मील पर राजस्थान केनाल है और उसमें कई गांव आते हैं। कोलोनाइजेशन एक्ट बनने के बाद जैसलमेर में एक विशेष परिस्थिति पैदा हो गयी । जैसलमेर में समरी सेटलमेंट हुआ । खेती बहुत कम होती थी, ज्यादातर पशुपालक हैं और समरी सेटलमेंट के समय पर सही तौर से घरों पर न होने के कारण सही रूप में अपना नाम वगैरा नहीं लिखा सके। सैंकड़ों वर्षों से लोग बसे हुए हैं उनकी एक बीघा भूमि भी खाते में नहीं लिखी होगी। कोलोनाइजेशन होने के कारण खातेदारी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। गैर खातेदार भी नहीं लिये जा रहे हैं क्योंकि समरी सेटलमेन्ट में इन्द्राज नही करा सके। मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करा चाहता हूं कि जैसलमेर की परिस्थिति और स्थानों से भिन्न है। पशुपालक होने के कारण खेती का काम कम किया करते थे, रोटेशनल खेती होने के कारण उनके कब्जे में बहुत खेती हुआ करती थी, बहुत से ऐसे गांव हैं एक आदमी को एक बीघा भी सेटलमेन्ट से इन्द्राज नहीं किया है। कोलोनाइजे-

(श्री बालसिंह सोढा)

शन आया, एक और रेवेन्यू वाले कहते हैं कि जो कब्जे हैं उनको एन्लार्ज कर दिया जाय। लेकिन कोलोनाइजेशन एक्ट आ जाने के कारण इन्द्राज नहीं किये जा रहे हैं। इस प्रकार के सैकड़ों केसेज हैं। एक एक बीघा भी जमीन उनके नाम पर नहीं है। खातेदारी की घोषणा की। उसके तहत 55 के पहले के कब्जे हैं उनको देवें। भूखे प्यासे लोग हैं, मवेशी पर गुजर कर रहे हैं। छः आठ साल से फैमीन पड़ा हुआ था। मवेशी खत्म हो गयी। राजस्थान केनाल तो कब आवेगी लेकिन उन किसानों के सामने कई दिक्कतें खडी हो गयी है। आबादी लैंड में भी झोपड़ी नहीं बना सकते हैं। 15 वर्ष तो बीत गये और 15 वर्ष और लग सकते हैं कोलोनाइजेशन एक्ट बना कर अथोरिटीज को दे दिया। पटवारी लोग मन माने तरीके से तंग करते हैं।

श्री शोभाराम : अध्यक्ष महोदय, एक बात स्पष्ट कर दूं। सेटलमेन्ट ओपरेशन होते हैं उसके बीच में कोलोनाईजेशन एक्ट नहीं होता है और न समरी सैटलमेंट आपरेशन्स में दखल देता है। पटवारी करता है तो रेवेन्यू विभाग में करता है तो रेवेन्यू विभाग में रहता है और हमारी ओर से प्रतिबन्ध नहीं हैं कि जिसके कारण आप कहें कि कोलोनाइजेशन एक्ट में कोई धारा हैं जिससे उनका नाम दर्ज नहीं है गैर खातेदार हैं।

श्री बालसिंह सोढा : जिसके कब्जे में सौ बीघा रखा हैं, ट्रान्सफर नहीं हो रही हैं। 15 वर्ष से क्लेकटर ने नहीं किया है। समरी सेटलमेन्ट में ये इन्द्राज नहीं हुए सो तो नहीं हुए और रैवेन्यू रिकार्ड में लेना और बिगोडी लेना कोलोनाइजेशन एक्ट आने के बाद यह सब बन्द कर दिया। 55 के बाद बन्द हो गया।

2.54 म. प.

(श्री रामानारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

श्री शोभाराम : सिवाय खातेदारी राइट्स देने के, 53 में 15 ए. के अमेन्टमेन्ट आने के बाद, जो राजस्थान केनाल और सब जगह लागू किया गया है, यह भी एक पार्ट है। राजस्थान केनाल का, खातेदारी न मिले लेकिन इसके अलावा सब कुछ करना है इस पर कोई प्रतिबन्ध नही हैं। टी. सी. माने जावेंगे इससे अधिक हक नहीं चाहेंगे।

श्री बालसिंह सोढा : वहां के अधिकारी कोलोनाइजेशन एक्ट की आड में न तो अलाट कर रहे हैं और उल्टी पेनाल्टी लगा दी हैं। लोगों की क्षमता नहीं हैं कि ट्रेसपासर्स की तरह से खेती करें। वर्षा की औसत चार इंच है और तीन चार वर्ष में तो खेती होती है। रेवेन्यू पटवारी और अधिकारियों को वे फेस नहीं कर सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जैसलमेर में कोलोनाइजेशन कहां से आ गया ?

श्री बालसिंह सोढा : कोलोनाइजेशन तो आ गया है। 114 एरिया कोलोनाइजेशन एक्ट के तहत आता है जैसलमेर क्षेत्र का। न तो खान से चूना निकाल सकते हैं और न ही मकान बना सकते

(श्री बलसिंह सोढा)

हैं और न ही आबादी में मकान बना सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी दिक्कत जैसलमेर के लोगों के सामने है। खातेदारी का सवाल है. सैकडों वर्षों से जीवन वहां गुजारा है, चम्बल और भाखरा में अलग अलग कानून बना कर जैसलमेर के लोगों के साथ अन्याय किया है वह उचित नहीं है। पीढियां बीत गयीं। लोगों ने घास खाकर भी गुजारा किया है अन्न के बगैर और उनको आप आज कह रहे हो कि एप्लीकेशन देकर खातेदारी दो। मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कई गांव तो ऐसे हैं चालीस चालीस माइल पचास पचास माइल सड़क से दूर हैं। आपके नोटिफिकेशन वहां जा नहीं सकते हैं। उन लोगों की दिक्कत को दूर करने के लिए आप एक जनरल आर्डर दीजिये और अधिकारियों द्वारा एक्ट को लागू करने के लिए जन हित की दृष्टि से ऐसे आदेश दें जिससे कि इस प्रकार के अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़े। नहीं तो कई गांव वंचित रह जावेंगे।

चम्बल में ट्रान्सफर करने के अधिकार दे दिये। टी.बी. एरिया है उसमें अलग नियम बनाये हैं। 55 से पहले कब्जे हैं उनको 6 मुरब्बा तक इस रेट से देंगे और उसके बाद इस रेट से। जैसलमेर के गरीब लोगों के साथ, जिनकी एक पैसा देने की हिम्मत नहीं है बहुत बड़ा अन्याय होगा। गंगानगर और कोटा के लिहाज से न बनायें। जैसलमेर का एरिया ऐसा है कि जहां पर चार पांच इंच वर्षा होती है और वह भी तीन चार वर्ष बाद में। उन लोगों का भी तो ध्यान रखें। पानी तो आये या न आये लेकिन कोलोनाइजेशन तो पहले ही आ गया।

श्री मनोहरसिंह मेहता : फिर अकाल शिरोमणी कैसे रहेंगे जब पानी वहां आ जावेगा ?

श्री बालसिंह सोढा : वह पोर्ट-फोलियो परसरामजी के पास है। वहीं रहेगा।

श्री गोकुल प्रसाद : जिन लोगों की आप फर्मा रहे हैं वे सैकड़ों वर्षों से रहते आये हैं, उनको खातेदारी राइट्स देने चाहिये यह कहिये।

श्री बालसिंह सोढा : जो सैकड़ों वर्षों से बैठे हुए हैं उन लोगों को खातेदारी हक देने के लिए मैं कह रहा हूं।

श्री गोकुल प्रसाद : खातेदारी हक मिलने चाहिये कोलोनाइजेशन से, नहीं तो उनका जीना मुश्किल हो जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके बीकानेर का भी यही हाल है।

श्री बालसिंह सोढा : बीकानेर और जैसलमेर की समस्या एक है। यह हो सकता है कि ये सिटी से आते हैं इसलिये गांव वालों का ध्यान नहीं रखे क्योंकि सुखाड़िया जी नाराज न हों यह कन्सीडरेशन पुरोहित जी के सामने जरूर है।

तो सभापति महोदय, मैं जैसलमेर की कुछ समस्याओं के बारे में जो राजस्थान कैनाल क्षेत्र की है वह अर्ज कर रहा था। आप जब कभी भी कोलोनाइजेशन के तहत कोई भी नियम बनावें उस क्षेत्र के लोगों के लिये, जहां लोगों की क्षमता नहीं है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : मकान बनाने की पाबन्दी है। तो क्या वहां पर कोलोनाइजेशन एक्ट की धारा लगती है।

श्री शोभाराम : मैंने जब रामचन्द्रजी आर्य अपनी बात कह रहे थे उनसे निवेदन किया था कि पंचायत क्षेत्रों के अन्दर पुरानी आबादी में जो पहले 59 से पहले जो पंचायतों को अधिकार था जो बीच में उनसे ले लिया गया था उनको वापिस दे दिया गया है। जो चक नये तरह से डवलप हो गये हैं उनका भी कुछ रूल्स के तहत पंचायतों को अधिकार दे दिया है। वहां कोलोनाइजेशन डिपार्टमेन्ट नहीं है। जब राजस्थान कैनाल एरिया के अन्दर किसी प्रकार का अधिकार देंगे तो मैं समझता हूं कि जैसलमेर का भी, राजस्थान कैनाल का जो हिस्सा है, वहां यह कानून लागू होता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जहां इन कानूनों के पालनार्थ कोई दिक्कत हैं और कोई ऐसे केसेज है तो उन केसेज को हमारे सामने लाया जाये तो उसको हल कर सकते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कोलोनाइजेशन डिपार्टमेन्ट के लोग जाते हैं और मकानों को तोड़ देते हैं। छतरगढ़ में मकान तोड़े है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जैसलमेर में भविष्य में पानी जायेगा तो क्या वहां पर कोलोनाइजेशन डिपार्टमेन्ट की एजेन्सी है।

श्री शोभाराम : कमाण्ड करने का प्रश्न है, यह जनरल प्रश्न है। आखिर में जब मैं जवाब दूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने भी इस प्रश्न को उठाया है। उस वक्त कह दूंगा।

श्री बालसिंह सोढा : जब आप जवाब दें तो एक जैसलमेर के गांवों में लोगों को खातेदारी हक...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : फिर जैसलमेर ··?

श्री बालसिंह सोढा : बीकानेर भी है। जैसलमेर और बीकानेर की समस्याएं एक ही हैं। जिस क्षेत्र में बीकानेर से होकर नहर आयेगी उन गांवों की दिक्कतों को देखते हुए उसके लिये ऐसे आदेश दिये जायेंगे कि रेवेन्यु विभाग या जब तक की आपकी कोई एजेन्सी वहां नियुक्त नहीं की जाती है, वहां की पंचायतों को मकान बनाने की अनुमति देने का अधिकार हो। मैं समझता हूं कि जल्दी ही आदेश निकालेंगे कि वहां की दिक्कत दूर हो।

अब जैसलमेर की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा। राज्य सरकार ने 23 वर्षों में जिस तरह से उसकी उपेक्षा की है वह आपके सामने है। गत फैमीन के दिनों में भारत के सामने राजस्थान को लेकर एक मसला आया था कि राजस्थान में भयंकर फेमीन है और उसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जिलों में एक्स्ट्रीम पर था। जैसलमेर ऐसा क्षेत्र है जहां पर हर तरह की पोटेंशियेलिटी है। जैसलमेर की भौगोलिक स्थिति और प्रकृति की देन इस प्रकार की है अगर राज्य सरकार अपनी योजनाओं को निष्पक्ष, राजनीति से ऊपर उठकर और स्वार्थ से विलीन होकर नहीं बनाती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसलमेर भी हिन्दुस्तान का वैसा ही डिस्ट्रिक्ट होता जैसा कि आज

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

गंगानगर है। गंगानगर जैसलमेर को कम्पीट नहीं कर सकता मगर हमारे यहां पर जो सत्ताधारी हैं वे हमेशा स्वार्थ को आधार मान कर हर मसले को उठाते हैं और जो कन्सोलिडेटेड फण्ड से रुपया लेते हैं वह कहने को तो एप्रोप्रिऐशन है परन्तु वह रुपयों का मिसएप्रोप्रिऐशन है। यह ज्यादा अच्छा होता कि इस बिल को इसी मायने में लाया जाता तो हम आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाते। हम यह मानते हैं कि शुरू से ही आपका इरादा ऐसा ही था। मैं फेमीन के मसले को लेकर आपके सामने कुछ उदाहरण दूं। जैसलमेर के अन्दर गत फेमीन के वर्ष में 7.8 करोड़ रुपया खर्च किया गया। परन्तु वह रुपया जिस प्रकार से एक आंधी आती है और आंधी के बाद आपका कोई निशान नहीं रहता है उसी प्रकार से आज यह समाजवादी सरकार जो अपने को गरीबों का हितैषी कहती है, और गरीबों के नाम से, फेमीन के नाम से इस कन्सोलिडेट फण्ड से पैसा लेती है उसका दुरुपयोग करती है। जैसलमेर के अन्दर 45 सड़कें ली गई थी और मुख्य मन्त्रीजी जगह जगह फिर कर यह कहते फिरते थे कि हम 80 हजार लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इस प्रकार के जगह जगह उनके स्टेटमेन्ट होते थे। आप आज उन 45 सड़कों की जांच करवा लें तो एक भी सड़क वहां पर नहीं है जिसको कि कहा जाये कि वह सड़क है। इस सदन के अन्दर, लोक सभा के अन्दर, राजस्थान के फेमीन को लेकर कई आरोप लगाये गये थे परन्तु राजस्थान सरकार ने आज तक एक की भी जांच नहीं करवाई है। कुछ ऐसे मसले हैं जो सदन के सामने सभापति महोदय, आपके माध्यम से लाना चाहूंगा। लाखों रुपये लगाये गये परन्तु वहां पर सड़क का नामोनिशान नहीं है। इस सदन के अन्दर आरोप लगाये गये थे और हमारे फेमीन मन्त्री जी ने उसकी जांच करवाने का कहा था और तीन दिन के अन्दर जांच करा लेने के लिए कहा था। आज तक जांच नहीं हुई है। वह एक सड़क का सवाल था और आपने कलेक्टर को वायर दिया था कि जांच करके टेलीग्राफिकली इन्फोर्मेशन दें कि वहां सड़क जैसी कोई चीज नहीं है। वह सारा मामला दबा दिया गया है और सदन के अन्दर फेमीन मन्त्रीजी ने कहा कि मैं मसले की डिटेल में जांच करवाऊंगा। कलेक्टर द्वारा जांच हुई होगी और कलेक्टर ने रिपोर्ट दी होगी। कलेक्टर ने आर. ए.एस. अफसर पोकरण के एस.डी.ओ. के स्टेटमेन्ट रिकार्ड किये और उन्होंने दिये हैं। यह मसला काफी चला है। वहां पर सड़क नहीं है यह मैं कह सकता हूं। आप कह सकते हैं कि आंधी आती है और सड़कें उड़ जाती हैं। इस प्रकार से सभापतिजी इस सड़क पर करीब 5 लाख 80 हजार रुपया खर्च किया गया है और आज वहां पर एक किलोमीटर सड़क का भी अस्तित्व नहीं है। कलेक्टर ने टेलिग्राफिकली इत्तला दी है कि सड़क नहीं बनी है। उसके बाद में हो सकता है कि कलेक्टर ने और दूसरी रिपोर्ट भी दी हो। लेकिन मैं तो आंखों से देख कर आया हूं....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कब सूचना दी थी ?

श्री बालसिंह सोढा : सदन में मंत्रीजी ने टेलिग्राफीकली सूचना मिलने के बारे में कहा था, कलेक्टर की रिपोर्ट के बारे में कहा था

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कितना अर्सा हो गया ?

श्री बालसिंह सोढा : यह आप मन्त्रीजी से पूछ लीजिए।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप ही तो यहां बता रहे हैं।

श्री बालसिंह सोढा : मैं यह बता सकता हूं कि उस इन्क्वायरी को कलेक्टर को दिए हुए डेढ साल हो गया है। रिपोर्ट कब दी है, यह आपको मंत्रीजी बता सकते हैं।

सभापति महोदय, दूसरा मसला पोकरण के तालाब का है इसमें बताया जाता है साढ़े तीन लाख रुपया लगाया गया है। इसमें भी कई हजारों रुपयों का गबन है और इन्क्वायरी के लिए कहते हैं तो कोई इन्क्वायरी नहीं होती है। मिनिस्टर्स के मर्जीदान या उनके दलाल उनसे मिलते हैं और उनको बचाया जाता है। साढे तीन लाख रुपया एक तालाब पर लगा दिया गया जब कि ओरिजनली 50 हजार में उसको खुदवाया गया था ....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बेकार में खुदवाया गया था।

श्री बालसिंह सोढा : परन्तु साढे तीन लाख तो नहीं लग सकते।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : तुम ने तो हरामी से खाया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्यों यहां पर वकालत कर रहे हो बेईमानों की। क्यों रिश्वतखोरों की तरफदारी कर रहे हो ?

श्री सभापति : आपस में बात न करें माननीय सदस्य।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह तो सही है कि अकाल का कोई पैसा खाये तो उसको गोली से उड़ा देने की सजा है। इसके लिए तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।

श्री सभापति : गोली से उड़ाने का कोई कानून नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जिन्होंने अकाल का पैसा खाया है उनको तो गोली से उड़ाया जाना चाहिए ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जूते लगाने चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो ऐसे ही बैठे हैं। इनको तो रसगुल्ले खिला दिये हैं, इसलिए अच्छा अच्छा कह रहे हैं और फिर बैठे बैठे वकालत कर रहे हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप भी तो मिनिस्टरी में बैठे हुए हो इसलिए आपको आपके काले कारनामे याद आ रहे हैं। आपने किया होगा यह सब धन्धा। इसलिए आज आपको याद आ रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बेईमानी का खा रहे हो...

श्री शंकरलाल : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर...

श्री सभापति : आर्डर आर्डर ? यस पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, प्रक्रिया के अनुसार सदस्य लोग आपस में

(श्री शंकरलाल)
बातचीत करें यह कोई प्रावधान नहीं है। जो कुछ भी उनको यहां पर कहना है वह सीधे सभापति महोदय को कहें। यह शोभा नहीं देता है कि वे आपस में बात करें।

श्री सभापति : आपस में बातचीत करना अनुचित है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रक्रिया के अनुसार क्या ?

श्री शंकरलाल : प्रक्रिया के अनुसार यह है कि आसन के माध्यम से कहें।

श्री मदनसिंह : यह कौन से कानून में है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बेईमानों का राज हो रहा है और जो बेईमान है वे यहां पर बात सुनने के लिए उपस्थित नहीं है। गबन का मामला है, हजारों रुपये खाये गये हैं।

श्री मदनसिंह : मुख्यमंत्री ने भ्रष्ट कर दिया है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। श्री सोढा।

श्री शंकरलाल : मैं तो यह कह रहा था कि जो कुछ भी कहें वह आसन को संबोधित करके कहा जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सिंचाई मन्त्री जी के रिश्तेदारों ने कितने रुपयों का घोटाला किया है। उस रिपोर्ट को हाऊस में पेश करो ईमानदार हो तो।

श्री शंकरलाल : मैंने यह कहा था कि जो कुछ भी कहा जाये वह आसन को सम्बोधित कर के कहा जाए।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपके पास में रिपोर्ट है तो सदन में पेश कर दें।

श्री मदनसिंह : एक किसी मन्त्री को उठ कर यह बात कहनी चाहिए उसके बजाय एक सदस्य ही रिपोर्ट कर रहे हैं, सरकार की बात कह रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे मालूम है ढाई लाख का उसमें घोटाला है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कौनसा किसने किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बेरी कमीशन की रिपोर्ट है। उस पर बोलो क्या जांच करवाई है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने बेईमानी की है और आप बचना चाहते हो····

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : तुमने बेईमानी की है मिनिस्ट्री में बैठकर।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तुम बेईमान हो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। श्री बालसिंह सोढा। माननीय श्री गोकुलप्रसादजी बैठे बैठे न बोलें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, यहां कहा जाता है नि बेईमानों कि मदद करते हो, उनके साथ बोलते हो। उस आदमी को गवर्नमेंट का आदमी कहा जाता है और जब आसन भी उसका नाम लेता है तो कैसे चुप रहा जा सकता है।

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)
आप जानते हैं, मैं बेईमानों के खिलाफ हूं। और उनको गालियां देने वाला हूं। उनके साथ नहीं हूं। मैंने तो सिर्फ एक बात कही इन्होंने यहां पर कहा कि साढ़े तीन लाख रुपया एक तालाब की मरम्मत पर खर्च किया गया है जबकि वह 50 हजार में बनता है। मैंने इस पर कहा कि पोकरण ठिकाने ने गरीबों से बेगार में तालाब बनाया। ये गवाह हैं मैं तो यह कहूंगा।

श्री सभापति: आर्डर प्लीज।

श्री कृष्णकुमार गोयल: आप कांग्रेस के सदस्य हैं। नाथूराम मिर्धा ने कांग्रेस मिनिस्टर्स पर चार्ज लगाया और आप स्वयं कांग्रेस के सदस्य हैं। आप उसको मानें या नहीं? आपका ख्याल क्या कहता है?

श्री सभापति: आर्डर प्लीज बाग्सिंह सोढ़ा।

श्री मथुरादास माथुर: सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इसमें उत्तेजना की इतनी बात नहीं है। इधर या उधर बैठने वाले माननीय सदस्य, जिनके सामने ऐसा कोई प्रश्न हो जिसमें उनको ऐसी बात महसूस होती हो कि इसके अन्दर रुपया गलत खर्च किया गया है या उसके अन्दर इस तरह का कोई करप्शन है तो उनका फर्ज है कि वे उसको सदन के सामने रखें और मैं सरकार की तरफ से ऐसे जो सजेशन बोनाफाइड आते हैं, स्वागत करता हूं और उसकी जांच करता हूं और जांच नहीं हो पाती है तो आश्वासन देता हूं कि उनकी जांच करवायी जायेगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल: स्पेसिफिक है। भीलवाड़ा जिले के अन्दर अकाल राहत कार्यों में घोटाला हुआ है?

श्री मथुरादास माथुर: अकाल के विषय को लेकर कम से कम दो साल में एक दर्जन दफा बहस हो चुकी है। इसको डिमाण्ड थी और उस डिमाण्ड पर भी बहस हो चुकी है आप लोगों ने जो मुद्दे यहां पर उठाये थे उनका जवाब मन्त्री जी ने दिया है। अब उसी विषय पर माननीय सदस्य कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो उठायें। मैं तो इसको जानकारी करके ही जवाब दे सकता हूं। आफ हैन्ड जवाब तो नहीं दे सकूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: वित्त मन्त्री जी ये प्रोफेसर शेरसिंह कौन हैं? केन्द्र के मन्त्री या कोई राजस्थान के जागीरदार तो नहीं हैं भूतपूर्व जागीरदारों के पास खुदकाश्त की जमीन एलाट की हैं कि वे भरतपुर के जागीरदार हैं। क्या आप यह जांच करवायेंगे। आप जांच कर के कल जवाब दे देना। केन्द्र के मन्त्री को जमीन दे दी गई है। आप फाइल मंगवा लें और कल उसे पेश कर दें।

श्री मथुरादास माथुर: खुद काश्त का आपने कहा है। आप इतना सब्र रखिये कि इसकी जांच कर के आपको जवाब दे सकें। जवाब देंगे कि खुद काश्त की कहां हुई है और हुई है या नहीं हुई है।

श्री विजयसिंह: एक्चुअल काश्तकारों को तो आपने नेग्लेक्ट कर दिया है। मेरे जैसे काश्तकार, जो छोटे जागीरदार थे उनको भी आपने नेग्लेक्ट कर दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है केन्द्र के मन्त्री जी ने जो भरतपुर जिले में जमीन एलाट करायी है। उसके लिए जागीर कमिश्नर ने यह जानकारी दी है कि यह जागीरदार नहीं है और इनको यह लैंड का एलाटमेंट नहीं हो सकता है। फिर क्यों इनको एलाटमेंट किया गया है ?

श्री रामानंद अग्रवाल : कौन से गांव में और कितने बीघा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी तो क्यों बताऊं। यह तो गवर्नमेंट बतायेगी।

श्री मथुरादास माथुर : आपके पास में फेक्ट हो तो आप बता दीजिये ताकि हमें जानने में आसानी होगी।

श्री गोकुलचंद : शिड्यूल्ड कास्ट का भी शेरसिंह हो सकता हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या प्रोफेसर शेरसिंह शिड्यूल्ड कास्ट के हैं और जागीरदार थे ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : हरिजनों को तो टूटी फूटी जमीन मिल रही है !

श्री सभापति : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) आर्डर प्लीज, आर्डर। श्री बालसिंह सोढा।

श्री बालसिंह सोढा : सभापति महोदय, माननीय गोकुल प्रसाद जी बड़े उछले, बड़े नाराज हुए क्यों पोकरन का तालाब बेगार से खोदा गया...

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप कन्ट्रोवर्सी में न जायें। कम टू दी पाइन्ट।

श्री बालसिंह सोढा : मैं पाइन्ट पर ही आ रहा हूं। यह कन्ट्रोवर्सी नहीं है। तो माननीय सभापति महोदय, गोकुलप्रसाद जी को यह दर्द तो हो गया कि पोकरन का तालाब बेगार से खोदा गया, वह किसी के पट्टे का नहीं है, यह पोकरन नगर के लिए खोदा गया है। उस समय की आप बेगार कह दें और अब श्रमदान कह दे एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। अब तो आप समाजवादी हैं, प्रगतिशील हैं, गरीबी मिटाने वाले हैं और ईमानदार भी हैं, अपने आप कहलाने वाले तो हैं ही दुनिया कहे या नहीं-गोकुलप्रसाद जी आपके लिए नहीं कह रहा हूं बल्कि पूरी टीम के लिए कह रहा हूं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य कम टू दी पाइन्ट।

श्री मथुरादास माथुर : तो गोकुलप्रसाद जी 3।। लाख का जो दुरुपयोग हुआ है वह चाहे आफीसर्स ने खाये या नेताओं ने खाये उसका दर्द आपको नहीं है।

श्री बालसिंह सोढा : बात मुद्दे की करो ना। महीने में ईमानदारी थोड़े ही बदलती है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : दर्द क्यों नहीं है, इसकी जांच करवाई जाये। इसका दर्द है और 1।। साल तक कलेक्टर ने जांच की तो आप इतने समय क्यों चुप बैठे रहे ?

श्री देवीदत्त गाडिया : आपकी मशीनरी ही ऐसी है। माउन्ट आबू के अन्दर सिरोही के हिज हाईनेस को कैसे 222 एकड़ जमीन दे दी, आप बताओ...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री विजयसिंह : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जांच करवाओ जैसे तो गवर्नमेंट हमारी जेब में है ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री बालसिंह सोढा : सभापति महोदय, मैं दो साल के बाद नहीं लाया हूं । यह मुद्दा सदन में आ चुका हूं ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज—माननीय सदस्य यू प्लीज कम टू दी एप्रोप्रियेशन बिल ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : यह एप्रोप्रियेशन बिल है उसमें मिस-एप्रोप्रियेशन हो रहा है उसके बारे में कह रहा हूं और उसमें भी फेमिन के हैड हैं उसमें हम कुछ पैसा दे रहे हैं यह सदन सैंक्शन आज करेगा उसमें फेमीन भी है ।

दूसरी तरफ मिस-एप्रोप्रियेशन कैसे होता है और पक्षपात कैसे होता है आप सुन लें माथुर साहब जैसलमेर में एक गांव बनियाना है और जब से हमारे परसराम जो मिनिस्टर हुए हैं तब से बरसात नहीं हुई और सन् 63 से लेकर 71 तक उस गांव में फेमिन पड़ा है और आज उस गांव जितना कुल जैसलमेर में खर्चा हुआ है उसका 1।6 एक गांव में खर्चा हुआ है । एक बनियाना से शेरगढ़ सड़क बनी है उसमें लाखों रुपया लगा है और उस बीच में चक भी गांव नहीं आता है । अब क्यों काम खोला गया है इसलिए कि श्री परसराम जी को उस गांव में कोई न कोई फेमिन वर्क चलाना है । इसी तरह से सड़कें और खोली गयी हैं और आज तक एक ही गांव में 80 लाख रुपया खर्च हुआ है और सभापति महोदय, मैं और भी ध्यान दिलाऊं वहां एक सरपंच है खडाराम वह काम खुलवाता है और गत फेमिन में जो काम खुले हैं उसमें उसने कहा है चाहे वह ऊंट वाला हो या मजदूर हो कि काम खुलाने में खर्चा लगता है । अब वह पैसा कहां गया यह मैं नहीं कह सकता । वहां एक मजदूर था हरसिंहाराम जो आज ओवरसीयर हैं उसके पास चार तो मरसीडीज हैं और जालोर में 50 हजार का फार्म है और उसके पास कार है और वह दस वर्षों से लगातार बैठा है मजाल है किसी ए. ई. एन. की कि उसका वहां से तबादला तो कर दें । और माथुर साहब आपकी भी हिम्मत नहीं कि दखल दें क्योंकि परसराम जी अकड़ रखते हैं · · ·

श्री मथुरादास माथुर : अकड़ तो आपकी भी है ।

श्री बालसिंह सोढा : मेरी तो अकड़ रहेंगी क्योंकि न तो मुझे किसी का भय है और न मैं किसी की मेहरबानी पर जिन्दा हूं और न ऐसी मन्शा रखता हूं इसलिए मेरी अकड़ है और न तो मैं किसी को अकड़ बताता हूं । हां स्वाभिमान है और उसी के सहारे जिन्दा रहता हूं और सभापति महोदय, इस गांव में 63 से 71 तक लगातार फेमिन जारी है । मनमाने ढंग से पैसा पानी की तरह बहाया गया है । आप बिल लाये हैं एप्रोप्रियेशन तो माथुर साहब, मैं आपका ध्यान इसलिए दिलाता हूं कि सदन आपको करोड़ों रुपये दे रहा है और आज सदन के प्रति आपका भी कुछ कर्तव्य है और आप

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
आप चाहे तो सड़कें हैं उनके नाम बता दूं। पोकरन से फलसून इस पर 6 हजार मजदूरों ने काम किया है। बनियाना से दूदिया, बनियाना से बालसिंह की ढाणी, बनियाना से मांदेर, बनियाना से शेरगढ़—एक भी गांव बीच में नहीं आता है और इस गांव पर करीब एक करोड़ रुपया फेमिन के नाम पर खर्च किया है...

श्री खेतसिंह : बनियाना तो बहुत बड़ा गांव है। मुगलों के दिनों में भी...

श्री बालसिंह सोढा : मंत्री जी चाहते हैं यह चीज भी कह दूं। बनियाना में 20 घर हैं, एक स्कूल है, एक बनिये की दुकान है और सरपंच चोधरी का घर भी गांव में नहीं है। स्कूल भी अब बना है। इस प्रकार से 150 की जनसंख्या बनियाना में रहती है। तो सभापति महोदय, यह कन्सोलीडेटेड फण्ड में एप्रोप्रियेट करने के लिए तो पैसे लिये जाते हैं और इनका मिसएप्रोप्रियेशन होता है...

श्री भैरोंसिंह : इतना बड़ा गांव तो खेतसिहजी की ढाणी है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : तो सभापति महोदय, इस तरह से हमारे राष्ट्रीय धन का अंधा धुंध खर्चा हो रहा है। यह जनता का पैसा है। फेमिन का नाम लेकर और गरीबों के हमदर्दी बनकर यह काम इस तरह से किये गये। इसी तरह से खेविलाई से एक सड़क बनी और सरपंच ने रेड हैंडेड केस पकड़वाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। 5 लाख रुपये लग गये, सड़क का नाम नहीं। इसी तरह से परसरामजी के गांव भाडी में 40 हजार का कैश पकड़ा गया और मसला इस सदन में भी आया लेकिन पुलिस में 7 हजार ही जमा कराये।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस फेमिन के नाम पर किस प्रकार से करोड़ों रुपये जैसलमेर में लगाया लेकिन आज पता नहीं लगता है कि वह पैसा जैसलमेर में लगा या नहीं। आज ट्रान्सपोर्ट में 1 करोड़ के करीब राज्य सरकार ने खर्चा किया। अब मैं आपका ध्यान सभापति महोदय इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जैसलमेर में कई स्थान हैं-102 स्थान हैं जहां ट्रान्सपोर्ट ट्रक द्वारा किया गया है। अब ट्रान्सपोर्ट के खर्चे को देखा जाये तो पाईप लाइन उससे भी दुगने गांवों में बिछाई जा सकती थी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय बीच में इन्टरफियरेन्स होने के कारण मैं बोल नहीं सका।

सभापति महोदय, एक पाइप लाइन नहीं बिछाई और जो पाईप लाईन की योजना बनाई गई है तो कलाऊ से बनियाना। अब बनियाना के पास में फलसूंद है जो कि जैसलमेर में सबसे बड़ा गांव है और जिसकी जनसंख्या 7000 है वहां एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। एक भी सड़क नहीं बनाई गई। मैं कहता हूं आप बनियाना को बनवाईये परन्तु आन दी कास्ट आफ अदर्स बनियाना में खर्च मत करिये। अगर यह करते हो तो दूसरे गांवों की भी उपेक्षा मत करिये। बनियाना में तालाब भरा पड़ा है। बनियाना में बेरी है। वह भी मशहूर है। छोतल ग्राम पंचायत है। बराबर नो वर्षों से पोकरन से पीने का पानी

(श्री बालसिंह सोढा)

वहां से ट्रान्सपोर्ट होता है। पर इस गांव की स्कीम में इन्क्लयूड नहीं किया गया है इकोनोमिकली इसको पानी दे सकते थे जो ट्रांसपोर्ट में खर्चा आया उससे कम खर्चे में पाइप लाइन डाली जा सकती थी। वहां का टैक्नीकल सर्वे हो चुका है। गांव के सरपंच से एग्रीमेंट कर लिया है पर पोलिटिकल प्रेशर के कारण उस गांव को वंचित रख दिया गया है। वहां आज भी तीस मील दूर पोकरण से टैंकरों द्वारा पानी पहुंच रहा है क्योंकि यह गांव आज भी फेमिन में है वहा पानी का स्त्रोत नहीं है। इसी तरह सम और रामगढ़ ऐसे स्थान है जहां दस वर्षों से लगातार आप पानी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इसमें लाखों रुपया लगा चुके हैं। भगवान ने आपको कुछ सदबुद्धि दी कि वहां पांच लाख के पाईप भी पहुंच गये थे परन्तु बाद में पता नहीं वह सदबुद्धि कहां चली गई किस कारण वह पाइप वहां से गायब हो गये। आज तक वहां की एक भी योजना सरकार ने अपने हाथ में नहीं ली थी। सम और रामगढ़ में ट्रांसपोर्ट करने में जितना खर्चा हुआ है उस खर्चे में तो वहां तक डबल लाइन डाली जा सकती थी। पर योजना गलत होने के कारण वहां के लोग वंचित रहे। गलती के अन्दर कुछ स्वार्थ हो सकता है। पर राजनैतिक आधार वहां तो कोई नहीं था। परन्तु यह जरूर कहूंगा कि सरकार ने अपनी अक्ल इसमें नहीं लगाई नहीं तो इतने पैसे से तो जैसलमेर के सम और रामगढ़ के पानी की समस्या कभी हल हो जाती। सभापति महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि यह राज्य सरकार जो योजनाएं बनाती है उसमें वास्तविकता पर सरकार ध्यान नहीं रखती।

आज शिक्षा को लीजिये, जैसलमेर में एक दानदाता ने कॉलेज बना दिया परन्तु वहां विज्ञान का विषय नहीं खोला जायेगा जब कि वहां हायर सेकेण्डरी स्कूलों से लगभग सौ लड़के विज्ञान के विषय को लेकर हर साल निकलते हैं और साठ सत्तर दूसरे विषयों के निकलते हैं। पर फिर भी राज्य सरकार वहां विज्ञान विषय खोलने को तैयार नहीं है। कॉलेज खुल गया पर विज्ञान विषय नहीं खुलने के कारण वहां के लोगों के लिये तो कॉलेज नहीं खोलने के बराबर है। इसी प्रकार से हायर सेकेण्डरी स्कूलें भी वहां बहुत कम हैं और प्राथमिक स्कूलें भी बहुत कम हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित चाहूंगा कि जैसलमेर के फेमिन में सरकार ने वहां की प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया था जिन्हें वापिस नहीं खोला है। जैसलमेर में पंचायत हैडक्वार्टर में भी प्राइमरी स्कूल नहीं है। चालीस चालीस मील दूर पड़ती है। उदाहरण के तौर पर वहाला की प्राईमरी स्कूल है। जहां से 40 मील के एरिया में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं है। सभापति महोदय, पंचायत मुख्यालय है। डेढ सौ दो सौ घर हैं, वहाला है वारवाला है, इस तरह कई ग्राम है जहां प्राथमिक शालाएं भी नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर: फेमिन में जो स्कूलें बंद की गई थीं वे वापिस नहीं खुलीं तो क्या यह भी बता सकेंगे कि उन गांवों में आज भी फेमिन तो नहीं है?

Page No 106

श्री बालसिंह सोढ़ा : उस एरिया में फैमिन नहीं है जैसे बहाला है फिर वैसे फैमिन से मामूली इफैक्टेड तो हमेशा ही रहता है पर इस साल के फैमिन और पिछले साल के फैमिन में बड़ा फर्क है पिछले सालों का फैमिन बड़ा एक्यूट था। लोग माइग्रेट हो गए थे आज फैमिन है भी तो लोग गांव में बैठे हैं। क्योंकि इस बार उनके केवल मवेशी ही मरे हैं। और चूंकि मवेशी मर गये हैं अब लोगों के पास मवेशी हैं नहीं इसलिये माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं है। इसलिये इस तरह के फैमिन से प्राइमरी स्कूलों में फर्क नहीं पड़ता। माध्यमिक स्कूल और हायर सेकण्डरी स्कूल वहां बहुत कम हैं। इसी तरह राज्य सरकार की तरफ से वहां अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है।

इसी प्रकार सभापति महोदय, मैं जैसलमेर की विशेष परिस्थिति पर वहां के प्रमुख व्यवसाय पशु-पालन पर अब सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

जैसलमेर में सन् 62 से ट्यूबवैल खुदने प्रारम्भ हो गये थे। विशेषज्ञों को जैसलमेर जितनी अन्डर ग्राउण्ड वाटर की पोटेन्शियेलिटी राजस्थान के किसी दूसरे जिले में नहीं मिली। साटोन, अमरखान, जैसे गांवों में इतना पानी है कि जिसे चौबीसों घंटे निकाला जा सकता है। इसी तरह रूपसी, सावलसी यह तीनों सीरें इतनी बड़ी हैं कि राजस्थान केनाल एरिया को छोड़ कर कोई दूसरा ऐरिया उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर इन तीनों जगह पर अच्छे शक्तिशाली ट्यूबवैल लगा दिये जाये तो इस इलाके को राजस्थान केनाल की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। और मेरा सुझाव है कि अगर इसमें ट्यूबवैल नहीं खुदा सकें तो जितने आपने अब तक खोद दिये हैं वे ही पर्याप्त हैं उनको इलैक्ट्रीफाई आप करदें। पर आज वहां लगभग सत्तर ट्यूबवैल हैं जिनमें से तीन चार के अलावा सब बेकार पड़े हैं। कई वाटर वर्क्स विभाग के अन्डर में है तो कई अन्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अन्डर में हैं। एक तमाशा देखिए कि कुछ ट्यूबवैल ऐसी भी हैं कि जिनको ना तो अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ले रहा है और न वाटर-डिपार्टमेंट वर्क्स ही ले रहा है न कोई दूसरा डिपार्टमेंट मालिक बन रहा है।

श्री भैरोंसिंह : उनके मालिक कोई और ही बन रहे हैं।

श्री बालसिंह सोढा: तो उनको टेक ओवर करने के लिए आपका कोई विभाग तैयार नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : ऐसी बात तो नहीं हो सकती।

श्री बालसिंह सोढा : मैं बता दूं।

श्री मथुरादास माथुर : पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट, एनीमल हस्बेन्डरी डिपार्टमेंट के अन्डर में वे हैं।

श्री बालसिंह सोढा : बेदाला गांव में है, खुडियाला गांव में जो किसी के अधिकार में नहीं है उसके लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत भी नहीं है। कलेक्टर को सब मालुम है। आप कलेक्टर को लिखेंगे तो वही आपको सब बता देगा। तो सभापति महोदय, इतनी वाटर पोटेंशियलिटी होते हुए इस राज्य

(श्री बालसिंह सोढा)

सरकार ने अपने पिछले तेईस वर्षों के राज्य में इस जिले के लिए कोई योजना ऐसी नहीं बनाई कि इस वाटर पोटेंशिलियटी का पूरा लाभ उठाया जाता। सरकार ने करोड़ों रुपया फैमिन में खर्च किया और उसका दुरुपयोग हुआ। अगर इसका आधा रुपया भी सरकार वहां ट्यूब वेल लगाने में और उनको इलेक्ट्रीफाइड करने में खर्च करती तो नाम निशान नहीं मिटता पशुओं का। और फेमिन भी अपना असर नहीं बताता। ठीक है नेचुरल केलेमिटी होती है पर आज इस विज्ञान के युग में प्रगति का और भगवान का नाम लेकर अगर आप बचना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदार से तो फिर विज्ञान की बात आप क्यों करते हैं? तो सभापति महोदय, अन्डर ग्राउन्ड वाटर की इतनी बड़ी पोटेनशिलियटी होते हुए आज तक कोई योजना सरकार ने नहीं बनाई बसु कमीशन आया था उसने रिपोर्ट भी दी थी। और कहा था अपनी रिपोर्ट में कि जैसलमेर हिन्दुस्तान में ऐसा स्थान है जहां ऐनीमल हसबेंडरी को पनपाया जा सकता है।

वहां एक प्रकार का घास ऐसा होता है जो हिन्दुस्तान के किसी दूसरे कोने में नहीं होता। उसमें न्यूट्रिटी ही नहीं होती बल्कि वह एक पूर्ण पौष्टिक खुराक है जानवरों के लिए। आज तक जैसलमेर की उपेक्षा की गई है पर अब भी अगर आप चाहें तो इस इलाके को इलेक्ट्रीफाइड करके, ट्यूबवेल खोद करके उन्हें चालू करके आस्ट्रेलिया और डेनमार्क के बराबर पशुपालन की स्थिति में ला सकते हैं। अगर वास्तव में आप ऐसा चाहते हैं तो फिर अकेले इस जिले की समस्या नहीं हैं सारे राष्ट्र की समस्या भी इसके साथ जुड़ी हुई है। जैसलमेर की एक महत्वपूर्ण स्थिति है यह देश की सीमा का जिला है। तीन सौ मील लम्बी बोर्डर पड़ी है। इस दृष्टि से आज यह एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती इलाका है। आपके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की दृष्टि यह से भले ही महत्वपूर्ण नहीं हो। अगर होता तो कोई न कोई योजना बन जाती। आज जैसलमेर के अन्दर आयल और गैस जैसी चीजें पैदा होती हैं लेकिन आज तक राजस्थान सरकार ने कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया वहां वर्क कर रही है, परन्तु देहरादून वालों की यह डिफिकल्टी है कि सभी काम करते हैं और कभी नहीं करते हैं। हैड क्वार्टर जोधपुर में और काम करते हैं नानावाला में। बोर्डर के दूसरी ओर पाकिस्तान में सुई गैस निकली है और वही गैस हमारे यहां भी नानावाला में निकली है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है जब कि पाकिस्तान में उसको हैदराबाद में ले जाकर उपयोग कर रहे हैं। मैंने नेचुरल गैस वालों से पूछा था तो उन्होंने कहा कि आपकी राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है, उसने कोई योजना बनाकर नहीं दी है तो गैस का क्या करें। हम पेट्रोल खोद रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पेय जल की जो समस्या है उसका स्थाई समाधान नहीं सोचा गया है। आज भी योजना जो लगी हुई है तो जैसलमेर में केवल मात्र एक योजना है और उस योजना से भी कई ड्रेनेजेज में जहां कोई सोर्स आफ वाटर नहीं है उसकी समस्या हल होने वाली नहीं है। यह जो ट्यूब वेल्स पड़े हैं बेकार उनको ठीक करके युटिलाइज करें।

(श्री बालसिंह सोढा)

उसके बाद टूरिस्टों के लिहाज से जैसलमेर में वहां के मकानों और महलों की कारीगरी को दुनिया के कौने कौने से लोग देखने के लिए आते हैं, परन्तु राज्य सरकार की अकर्मण्यता के कारण उन लोगों को कोई सुविधा नहीं होने के कारण उन लोगों का एट्रेक्शन बहुत कम है। वहां पर कोई ठहरने की जगह नहीं है। आज तीन वर्ष से इस सदन में आश्वासन दिया जा रहा है कि वहां पर टूरिस्ट बंगलो बना दिया जायगा, लेकिन आज तक उसका नकशा तक पास नहीं हुआ कभी कहते हैं कि केन्द्र देगा, लेकिन राज्य सरकार ने इस प्रकार का कोई प्रोवीजन नहीं रखा है कि जैसलमेर में टूरिज्म पर कुछ खर्चा किया जायगा। माननीय मुख्य मन्त्रीजी का भाषण भी आया और उन्होने यह कहा की जैसलमेर संसार का एक यूनिक स्थान है जहां रेगिस्तान के अन्दर इतने रमणीक भवनों की सुन्दरता और कारीगरी देखने कि मिलती है। वे भाषण मे कहते हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि इन 23 वर्षों में उन पुराने किलों जैन मंदिरो, हवेलियों के लिए और किशनगढ़ और बाटोर जैसे गढ़ जो कि ऐतिहासिक स्थान हैं उनकी रक्षा के लिये एक चपरासी तक भी नही रखा गया है ......

श्री भैरोंसिह : चपरासी रखते हैं तो कारीगर के काम की चीजे वड़े वड़े अधिकारी अपने बंगले में लाकर नहीं लगा सकते।

श्री बालसिंह सोढा : मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वहां पर राणाजी की हवेली है वह इतनी सुन्दर है कि एक वार देखकर उसको भूल नहीं सकता। तो अभी 6 महीने की बात है कि एक हवेली के दरवाजे नाजायज तरीके से उठाकर ले गये। इस प्रकार से ये बहुमूल्य वस्तुएं चली गईं तो राष्ट्र का बहुत बड़ा अहित होगा। सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जैसलमेर के लिए पोटेन्शियल होते हुए भी आज तक कोई योजना नहीं बनाई जिससे अकाल का स्थायी हल मिल सके। वहां इनकी, मेरे खयाल से, इच्छा ही नहीं कि राजस्थान में अकाल मिटे, क्योंकि अगर अकाल मिट जायगा तो लोगों को इनके सामने आने का मौका नहीं मिलेगा। लोग क्यों आयेंगे? तो जैसलमेर में अकाल के स्थाई हल के लिए ट्यूब वेल्स का इलेक्ट्रिफिकेशन राजस्थान कैनाल को जल्दी लाने की योजना बने और वहां पर जो यलो संगमरमर निकलता है उस संगमरमर का उपयोग करने के लिए सुविधा मिले।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान का जो फर्टीलाइजर कार्पोरेशन है...

श्री सभापति : मेरा निवेदन है कि आप अपना भाषण जल्दी समाप्त करें। आपने जरूरत से ज्यादा समय ले लिया है।

श्री बालसिंह सोढा : गोकुलप्रसादजी ने 15 मिनिट तो वैसे ही खराब कर दिये थे।

श्री सभापति : उसके बाद भी समय आपने बहुत ले लिया है।

श्री बालसिंह सोढा : फर्टीलाइजर कार्पोरेशन का कहना है कि जैसलमेर का

(बालसिंह सोढा)
जिप्सम सबसे अच्छा होता है तो क्यों न उस जिप्सम का जैसलमेर में ही उपयोग किया जाय वह इतनी मात्रा में है कि सैंकड़ों वर्षों तक एक्जास्ट होने वाला नहीं है। राक फास्फेट वहां है और भी कई मिनरल्स हैं, लेकिन मालूम नहीं है क्योंकि पूर्ण रूप से उसका सर्वे नहीं हुआ है। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसलमेर के पोटेन्शियल को देखते हुए, राष्ट्र के हित को देखते हुए, जैसलमेर को बचाने के लिए इस पोटेन्शियल को एक्स्प्लोर करने के लिए कोई न कोई योजना बनायें। आज तक जिस प्रकार से उसकी अपेक्षा की गई है उससे समस्या भयंकर होती जा रही है। लोग जैसलमेर के एरिया को छोड़कर चले जा रहे हैं। जैसलमेर के लोग सैंकड़ों वर्षों से भूखे-प्यासे वहां पर बैठे हैं। वे चले जायेंगे तो सीमा सूनी हो जायेगी। केवल मिलिट्री और पुलिस के भरोसे ही हम सीमा का प्रोटेशन नहीं कर सकते हैं।

श्री रामकिशन : पांच हजार साल से बसे हुए हैं? तो जाने वाले हैं नहीं कोई भी...

श्री बालसिंह सोढा : जाने वाले भी हैं।

श्री गोकुल प्रसाद : आप तो आये हैं।

श्री बालसिंह सोढा : आप तो वहां से बीकानेर और वहां से भीलवाड़ा चले गये।

श्री रामकिशन : शरणार्थी, भूखमरे हैं।

श्री बालसिंह सोढा : यह सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय, अभी एक बहुत बड़ा विवाद पी. सी. सी. के अन्दर हुआ था, तो पेपर में जो दिया हुआ है उसकी ओर मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा। उसमें लिखा है,
"हैंगिंग गार्डन्स वर्सेस क्राई फार वाटर"

एक तरफ तो पानी की त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और मंत्री हैंगिंग गार्डन्स लगा रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा हैंगिंग गार्डन लगाया है?

श्री बालसिंह सोढा : वहां पर पैसा खर्च हो रहा है। हम जोधपुर आते-जाते हुए देखते हैं तो मन में आता है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हैंगिंग गार्डन नहीं तो हैंगिंग गार्डन लगा रहे हैं?

श्री बालसिंह सोढा : आप हैंगिंग गार्डन्स लगाये और उनके लिए पानी की व्यवस्था कर दें तो हम चाहते हैं कि जोधपुर सुन्दर बने लेकिन हमारे यहां पानी की व्यवस्था पीने के लिए होनी चाहिए।

हमारा जो जैसलमेर का 1 लाख 62 हजार मील का ऐरिया है तो उसके अन्दर जो मैडिकल और हैल्थ की व्यवस्था है वह बहुत ही अपर्याप्त है। पूर्ण जिले में एक हास्पिटल है और वह भी 25 बेड्स का है। एक डाक्टर वहां पर रहता है; मेटरनिटी होम एक दानदाता ने बना दिया लेकिन दो साल से वहां पर कोई स्टाफ

(श्री बालसिंह सोढा)
नहीं गया। जैसलमेर के बीमार जोधपुर जाते हैं तो उनको 300 मील जाना पड़ता है। जैसलमेर के लिए अगर अस्पतालों की व्यवस्था नही कर सकें तो सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी से चाहूंगा कि आप आयुर्वेदिक अस्पताल ही खोल दें। सभापति महोदय, आज राजस्थान में सब जिले से कम आयुर्वेदिक अस्पताल जैसलमेर में है। वहां के कलेक्टर, वहां की जिला परिषद, वहां की पंचायत समितियां प्रोपोजल्स देते-देते थक गई हैं लेकिन 5 वर्षों में एक भी औषधालय नहीं खोला गया है। सभापति महोदय, जहां पर आबादी है वहां पर खोलें और ट्यूब वैल खोदें तो आबादी वाले इलाके में हमें इसमें एतराज नहीं है, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आबादी वालों का वनटेन्थ तो हमें दे दें।

श्री सभापति : प्लीज कन्क्लूड योर स्पीच।

श्री बालसिंह सोढा : पैसे का आप दुरुपयोग करेंगे तो आखिर घड़ा भर जायगा तो अपने आप ले लेंगे।

श्री सभापति : आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बालसिंह सोढा : मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इतना महत्वपूर्ण जिला होते हुए भी वहां पर इतनी भयंकर समस्या होने के नाते राजनैतिक मतभेदों को भुलाकर मानवता के आधार पर कान्क्रीट योजना बनायें ताकि प्रकृति का प्रकोप हो तो भी लोगों की समस्या का समाधान हो। ट्यूब बेल खुदवायें और मिनरल्स को एक्सप्लोर करें और शिक्षा के लिए कुछ स्कूल भी उस जिले को दें ताकि लोगों को यह सन्तोष हो कि सरकार हमें सहायता देती है। जिस प्रकार मे फेमीन में पैसे का दुरुपयोग हुआ है उस प्रकार से, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि भविष्य में इस पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देंगें। और मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने दस जिलों का सिलेक्शन किया है उसमें जैसलमेर जिला भी एक है। कल मेरा एक प्रश्न था, उस प्रश्न का मंत्री महोदय ने जवाब दिया था कि जैसलमेर को छोड़ कर सब जिलों में काम चालू कर दिया है...।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, आपका भाषण समाप्त हुआ।

श्री बालसिंह सोढा : भाषण नहीं, मैं फेक्ट बता रहा हूं।

श्री सभापति : श्री हंसराज !

श्री बालसिंह सोढा : मैं दो मिनिट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! स्थान ग्रहण करें।

श्री बालसिंह सोढा : मैं पूरा कर दूं।

श्री फतेहसिंह : ऐसी क्या बात है।

श्री सभापति: पूरा करने की भी एक हद होती है। आप स्थान ग्रहण करें।

Page No 111

श्री बालसिंह सोढा : करोड़ो रुपया आया लेकिन जैसलमेर में आप लगाना नहीं चाहते, आखिर जैसलमेर के लोगों ने आपका बिगाड़ा क्या है और आप यह पैसा अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं. यह कन्सोलिडेटेड फण्ड से दे रहे हैं। हमारी यह न्यायोचित मांग थी, आप जैसलमेर की समस्या की ओर ध्यान दें। इसके अलावा वहां जो पैसे के उपयोग में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच करायें और मानवता के आधार पर भविष्य में वहां के लिए ऐसी योजनायें बनायें जिससे जो वहां अकाल पड़ता है और पेयजल की समस्या है – इन समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरी तरह कोशिश करनी चाहिए।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! स्थान ग्रहण करें। श्री हंसराज आर्य !

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, इनके नाम के आगे से आर्य शब्द हटा दिया जाय। ऐसा मालूम पड़ता है यही आर्य है और बाकी सब अनार्य हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप पंडित हटा दें।

श्री दौलतराम सारण: हम यह चाहते हैं, सबके नाम के साथ रसगुल्ला लगा दिया जाय।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप अपने नाम के आगे आर्य लगा लें।

मैं इस एप्रोप्रियेशन बिल पर कुछ कहना चाहता हूं। यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीकानेर क्षेत्र में राजस्थान की एक बहुत बड़ी कैनाल है। सभापति महोदय, इस कैनाल से सिंचाई भी होगी और जिन किसानों के पास भूमि होगी उनको लाभ भी होगा, लेकिन मुझे दुःख इस बात का है कि सरकार ने वहां के किसानों के साथ, जो शताब्दियों से भूमि के ऊपर काश्त करते चले आ रहे थे, ध्यान नहीं किया है। राजस्थान के अन्दर सरकार एक है, गंगानगर जिला एक है, और एक ही दरिया का पानी इन शहरों में बहता है, लेकिन इस सरकार ने वहां पर दो प्रकार के कानून बनाये हैं। कुछ समय पहले गंगानगर जिले में भाखरा कैनाल आई, तो भाखरा कैनाल के क्षेत्र के किसानों के पास जो पहले से भूमि थी, उनके लिए कानून अलग बना दिया गया, उसकी कीमत अलग लगा दी, उसके लिए कानून अलग बना, जो किश्त ली गई, उसके लिए अलग से नियम बना। दुःख इस बात का है, राजस्थान कैनाल जिस क्षेत्र से गुजरेगी, उसमें अस्सी प्रतिशत जागीर एरिया था। वहां के जागीरदारों ने कभी वहां के किसानों को खातेदारी अधिकार नहीं दिये थे। सभापति जी किसान पहले से आबाद थे, जागीरदार सत्रहवीं शताब्दी में आये, जागीरदारों के आने से पहले भी काश्तकार वहां काबिज थे, भूमि पर काश्त करते थे, लेकिन उन्हें खातेदार अधिकार नहीं मिला सभापति महोदय, सोलहवीं शताब्दी में बीकानेर स्टेट आबाद हुआ, बीकानेर स्टेट नाम उसका पड़ा, उसके पहले वहां काश्तकार आबाद थे और भूमि पर काश्त करते थे। दुःख इस बात का है, इस पूरे

(श्री हंसराज आर्य)

के पूरे क्षेत्र के अन्दर काश्त करने वाले किसानों को सरकार ने खातेदारी अधिकार नहीं दिये। राजस्थान कैनाल सब से पहले प्रवेश करती है, वहां रावतसर की जागीर थी, वहां पर किसानों के पास खातेदारी की भूमि नहीं थी। उसके आगे कैनाल चलती है तो महाजन की जागीर थी, वहां पर भी किसानों के पास खातेदारी अधिकार नहीं थे। उसके बाद पडती है कुमाना की जागीर और फिर क्षत्रगढ़ सत्तासर-पूगल की जागीर थी। यह पूरा का पूरा क्षेत्र जागीरदारों का था, जहां पर किसानों को खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये थे। सभापति महोदय 15 अक्टूबर, 55 को इस सदन के द्वारा काश्तकारी कानून बनाया गया था। उसे वहां लागू किया गया। जिस समय यह कानून लागू हुआ उस समय राजस्थान कैनाल का कहीं नामों निशान नहीं था। तो इस कानून के मुताबिक जितने आबाद काश्तकार थे गंग कैनाल क्षेत्र में, चम्बल क्षेत्र में, जवाई भाखरा क्षेत्र को छोड़कर शेष राजस्थान की पूरी अधिकृत जमीन पर ओटोमेटिक खातेदारी अधिकार काश्तकारों को मिल गये थे। लेकिन 1956 के अन्दर राजस्थान कैनाल का प्लान बना, तो जिन किसानों के खातेदारी अधिकार दर्ज कर दिये गये थे, जिनके इन्तकाल दर्ज हो गये थे, उन सबको इस सरकार ने रद्द कर दिया और उनके खातेदारी अधिकार वापिस ले लिये। इन किसानों ने एक बार नहीं, अनेक बार मांग की उनका डेपूटेशन मिला मंत्री महोदय से मिला, और कहा हमें किसी तरह से भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जायं। लेकिन सरकार की ओर से उनको यह जवाब मिला कि एक इंच भूमि पर भी खातेदारी अधिकार नहीं दिये जायेंगे। किसान निराश हो गये। उसके बाद नोहर के कुछ किसान हाईकोर्ट की शरण में गये। हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने निर्णय दिया, वह यह दिया कि जिस भूमि पर सरकार ने एक बार खातेदारी अधिकार दे दिये, उसको वापिस लेने का अधिकार नहीं है। सरकार हार गई और किसान जीत गये। उसके बाद सरकार की इच्छा हुई, सुप्रीम कोर्ट में जाय। वह गई भी और वहां के चोटी के वकीलों से राय ली, उनको हाई कोर्ट का फैसला दिखाया। उन वकीलों ने राय दी कि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार को हारना पड़ेगा। अन्त में सरकार निराश होकर वापिस आई। हमने प्रार्थनापत्र दिये कि हाईकोर्ट से फैसला हो चुका है, अब खातेदारी अधिकार दे दिये जायं। लेकिन राज्य सरकार कुछ न कुछ कह कर उनको टालती रही। अन्त में राजस्थान सरकार भारत सरकार की शरण में गई और भारत सरकार से मांग करके भारत के संविधान में सत्रहवां संशोधन करवाया, जिसकी वजह से हाई कोर्ट का फैसला रद्द हो गया और वहां के काश्तकार खातेदारी अधिकार से वंचित रहे। भाखरा कैनाल क्षेत्र में रहने वाले किसान, जो सम्वत् 1983 से पहले के काश्तकार थे, उनके पास पहले से भूमि थी, उनको एक मुरब्बा भूमि बिना कीमत के दी गई, 19 बाद के और 1955 28 के बीच

(श्री हंसराज आर्य)

काश्तकारों को एक मुरब्बा भूमि बिना कीमत के परगना टी बी में दी गई मुख्य मंत्री जी ने ऐलान किया था, राजस्थान कैनाल क्षेत्र में जितने आरजी काश्तकार है, जिनके पास में खातेदारी भूमि नहीं है, उनको एक एक मुरब्बा भूमि बिना कीमत के देंगे। अभी सरकार ने जो नियम बनाये हैं, उसमें निर्णय ले लिया है, जो पुराने सन् 55 से पहले के काश्तकार बगैर खातेदारी के हैं, एक मुरब्बा भूमि भी बिना कीमत के उनको नहीं दी जायगी जिन के पास 25 बीघा खातेदारी है। मैं निवेदन करता हूं भाखरा में 1 मुरब्बा भूमि तो बिना कीमत के दी है तो राजस्थान कैनाल क्षेत्र में ऐसी कौन सी बात है कि इनके पास एक मुरब्बा भूमि पहले से थी, उनको अब एक मुरब्बा भूमि क्यों नहीं दी जावे इसकी क्या वजह है, वह सदन के माननीय सदस्य जानते हैं। जिस क्षेत्र से भाखरा कैनाल आई हैं, वह भूमि राजस्थान कैनाल क्षेत्र की भूमि से कई गुना अच्छी है, उपजाऊ भूमि है, कीमती भूमि है, उसकी मिट्टी अच्छी है। उसके मुकाबले में राजस्थान कैनाल क्षेत्र में जो काश्तकारों के पास भूमि है, जिस पर वह काश्त करते हैं, वह कम अच्छी भूमि है बढ़िया भूमि नहीं हैं। फिर मेरी समझ में नहीं आता भाखरा क्षेत्र के मुकाबले में राजस्थान कैनाल क्षेत्र में इतनी कीमत क्यों ली जा रही है भाखरा क्षेत्र में पचास रुपया अन कमाण्ड के हैं वहां राजस्थान कैनाल क्षेत्र में 150 रुपया कर दिये हैं, तिगुने। भाखरा क्षेत्र में कमाण्ड की दो सौ थी, वहां राजस्थान कैनाल क्षेत्र में पांच सौ हैं भाखरा कैनाल क्षेत्र में 280 थी, वह राजस्थान कैनाल क्षेत्र में 675 है। भाखरा केनाल क्षेत्र में जो 400 रुपये थे वह राजस्थान केनाल क्षेत्र में 800 की है। इस प्रकार कीमत ढाई गुनी, तिगुनी कर दी है। राजस्थान कैनाल क्षेत्र में दस किश्त हैं, वहां भाखरा कैनाल क्षेत्र में पन्द्रह हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार कीमत लगाने में अन्याय किया है, किसानों के साथ में ज्यादती की है। कम से कम किश्त तो वही करनी चाहिये जिस हिसाब से भाखरा में की हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : भाखरा में साल में एक किश्त थी, अब साल में दो किश्त रखी हैं।

श्री हंसराज आर्य : भाखरा क्षेत्र में पन्द्रह किश्त और कीमत अढाई गुनी कम राजस्थान केनाल क्षेत्र की किश्त और कीमत को देखते हुए। सभापति महोदय, वहां कम से 20 किश्ते होनी चाहिए थी, वह न्याय संगत बात होती। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया हैं सरकार अब भी सोचे कि जो किसान वर्षों से आस लगाकर बैठा था कि हमारी लोकतान्त्रिक सरकार और चुनी हुई सरकार आएगी, तब हमारे साथ न्याय होगा, जो न्याय जागीरदारों ने नहीं किया, स्टेट ने नहीं किया, वह हमारी सरकार करेगी। कोलोनाईजेशन मन्त्री जी, मैं आपसे पूछूंगा, आप ईमानदारी के साथ उत्तर दें कि भाखरा के मुकाबले में राजस्थान केनाल क्षेत्र में ऐसी कौनसी विशेषता है, क्या खूबी है, जिसके कारण आपने भाखरा के मुकाबले 2–3 गुणा कीमत अधिक कायम किया है ? इससे बढ़कर अन्याय नहीं हो सकता। सरकार

(श्री हंसराज आर्य)
समय रहते अब भी सोचें। गंगानगर में आन्दोलन चला। क्यों चला? आन्दोलन चला कर काश्तकार राजी नहीं थे, आंदोलन अच्छा नहीं होता, लाठियां खानी पड़ती हैं, गोलियां खानी पड़ती हैं मजबूरी के साथ। 15 साल तक काश्तकारों के साथ सरकार ने कोई न्याय नहीं किया। तब मजबूर होकर किसान ने आन्दोलन की शरण ली। अब मेरा निवेदन है कि अब वह संशोधन करे कि किसान को कम से कम एक मुरब्बा जमीन का जो ऐलान किया है खातेदारी का, वह नहीं दिया। किसान फिर आन्दोलन करेंगे।

राजस्थान केनाल में किसानों पर सीलिंग नहीं लागू करने का फैसला किया है। जब तक नहर 12 मासी नहीं होगी हम वहां सीलिंग लागू नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है लेकिन जिनके पास भूमि खातेदारी है, उनके भूमि पर सीलिंग आने तक कमाण्ड भूमि काश्त करते रहेंगे और जिन किसानों के पास आर्जी काश्त भूमि है उनके लिए सीलिंग की सीमा रख कर बाकी भूमि अब काटी जा रही है। खातेदार किसान 12 मासी तक काश्त करते रहेंगे। तो आर्जी काश्तकार काश्त करते रहें तो कौनसी बात है? राजस्थान केनाल में जब तक सीलिंग लागू न हो, चाहे आर्जी काश्तकार हो चाहे खातेदारी हो उस समय तक बराबर भूमि सब काश्त करें जिस दिन खातेदारी की भूमि कटे, सीलिंग लागू हो, आर्जी उसका रोज काश्तकारों की भूमि काटें, हम आपत्ति नहीं होगी, चूंचपट नहीं करेंगे।

भाखरा में जब किसानों के साथ रियायत की तो राजस्थान कैनाल में क्यों नहीं की जा रही है? राजस्थान कैनाल और भाखरा की भूमि का मिलान किया जाए तो जहां भाखरा में 69 बीघा जमीन किसान को दी जाए वहां राजस्थान कैनाल में 62-62।। बीघा जमीन दी जाए, इससे बढ़कर अन्याय नहीं होगा। भाखरा भूमि राजस्थान कैनाल की भूमि से मिलाई जाए, तुलना की जाए तो भाखरा की भूमि से राजस्थान कैनाल क्षेत्र में भूमि कमजोर हैं, रेतीली है, पानी कम लगेगा। इसलिए भाखरा के मुकाबले में राजस्थान कैनाल में जमीन ज्यादा दी जाए।

भाखरा में एक मुरब्बा जमीन मुफ्त दी गई है, राजस्थान कैनाल में एक मुरब्बा का कह कर सरकार पीछे हटती है तो एक मुरब्बा जिनके पास पहले है, तो एक मुरब्बे का सरकार ने एलान किया है तो उनको दी जानी ही चाहिए।

राजस्थान कैनाल क्षेत्र में जितनी सरकारी भूमि खाली पड़ी है वह भूमिहीनों को एलाट करने के लिए सरकार ने भूमिहीनों से दरखास्तें मांगी। और एक लाख के लगभग भूमिहीन किसानों की दरखास्तें सरकार के पास आई। उनकी जांच हो गई, जांच होने के बाद सरकार ने एलान किया कि इतने किसान भूमिहीन हैं इतने प्रमाणित हैं, उन्हें भूमि दी जाएगी लेकिन मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी हालत में हैं कि वह खाली पड़ी हुई भूमि जो लोग आर्जी काश्त करते हैं, उनको इस साल आप एलाटमेंट करना शुरू कर देंगे। मैं समझता हूं इस साल और टालना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि

(श्री हंसराज आर्य)

एलाटमेंट संबंधी नियम बन चुके हैं। हर तरह से सरकार की तैयारी है, तो किस कारण से उनको भूमि न एलाट की जाए ? जितनी आर्जी काश्त की भूमि है, जिनकी दरखास्तें आ चुकी हैं, जो भूमिहीन प्रमाणित हो चुके हैं, उन भूमिहीनों को इस साल भूमि दिलायें।

यह तो प्रसन्नता की बात है कि राजस्थान कैनाल क्षेत्र में हरिजनों और आदिवासियों के लिए एक लाख एकड़ भूमि रिजर्व की गई है लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि एक लाख एकड़ भूमि चक वाइज एलाट की जाए। कागजों में रिजर्व रहेगी, मौके पर सवर्ण लेंगे, रिश्वत देने वाले भूमि अच्छी ले जायेंगे, बेकार भूमि पड़ी रह जाएगी वह हरिजनों और आदिवासियों के हिस्से में आएगी, इससे बढ़कर अन्याय नहीं होगा। या तो साथ साथ एलाट की जाए, अगर नहीं करनी है चक वाइज दें, अच्छी हो तो अच्छी, रद्दी हो तो रद्दी दें।

भाखरा क्षेत्रों में, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि सरकार ने मंडियों का एक प्लान बनाया। लंबा समय निकल चुका है। मंडियां आज भी गैर आबाद पड़ी हैं। जिन्होंने भूखंड लिए उनमें से कोई आदमी आबाद नहीं हुआ। पिछली बार मंत्री महोदय ने कहा था और 15 मई कोई मियाद खतम हो जाएगी मैं समझता हूं 15 मई गुजर चुकी है, क्या दुवारा उनको सूचित किया जाएगा कि आप अपने भूखंडों को आबाद नहीं करेंगे तो भूखंड कैंसिल किए जायेंगे ? वसूल कीमत जप्त होगी मंत्री महोदय बतायेंगे कि 15 मई गुजर चुकी। अब क्या करना चाहते हैं ? नोटिस दिए गए। जिन लोगों ने मंडियों में चाहे आबादी के हैं चाहे दूसरे, यदि आबाद नहीं हो रहे हैं तो उनके भूखंड जब्त किए जायं और जो कीमत वसूल हुई है वह जब्त की जाए।

भाखरा क्षेत्र में कई तहसीलों की भूमि, एकीकरण के समय चालाक लोगों ने अधिकारियों को रिश्वत देकर एक गांव से दूसरे गांव को जाने वाले रास्ते थे, उसको इतना टेढ़ा मेढ़ा किया है कि जहां दो मील की दूरी थी, उसको 6–7 माइल किया गया है। मेरा निवेदन है कि आप एक आदेश जारी करें उससे जिन गांवों के रास्ते जो पहले चलते थे वैसे सीधे चलने चाहिए। जहां दो मील के बजाय 7 किया है उनको पहले जैसा करने की कृपा करेंगे।

किसान खेत में हल चला रहा है, उसकी घर वाली रोटी ला रही है। 4–6 घंटे में पहुंचती है, लंबा सफर करना पड़ता है। यह जो स्थिति है वह की वह स्थिति राजस्थान कैनाल में हो गई है। राजस्थान कैनाल के लिए में निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर शुरूआत है आप आदेश दे दें कि जिन गांवों के जिस तरह से रास्ते सीधे चल रहे हैं, वहां वैसे होने चाहिए। किलों को लाइन बनानी चाहिए, सीधे रास्ते चलाने चाहिए ताकि ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।

समय का तकाजा है और मुझे बहुत कम समय दिया गया है। ये जो 2–4 मुद्दे हैं, मंत्रीजी जब उत्तर दें तो इनका पूरा उत्तर दें और जो चक भाखरा के थे जो

(श्री हंसराज आर्य)
पंचायतों के नीचे नहीं थे लोग चकों में जाकर आबाद हो गए, रेवेन्यू वालों ने संभाले नहीं, अब 12 साल के बाद राजस्व विभाग के अधिकारी किसानों को नोटिस दे रहे हैं कि क्यों नहीं आपके मकान तोड़े जायं। जब मकान बना रहे थे किसी ने रोका नहीं, अब उनके मकान तुड़वाये जायेंगे तो ज्यादती होगी। उनसे जो कीमत है वह ली जाए, जो आबाद हैं उनको रहने दिया जाय, ' जो चक पंचायतों को नहीं सोंपे गए हैं वह उनको सौंप दिए जाय।

जो इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि 28 फरवरी 59 को नगरपालिका ग्राम पंचायतों से राजस्थान कैनाल भाखरा क्षेत्र से भूमि विक्रय अधिकार ले लिये गये थे। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि आदेश कर दिये। आदेश नहीं हुए तो कृपया कर दीजिये और हो गये हों तो उसकी एक कापी मुझे भी दे दीजिये।

मैं चाहूंगा कि दो चार बाते मैंने रखी है, मन्त्रीजी उनका स्पष्ट उत्तर देंगे।

श्री सभापति : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी : (फूलेरा) सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने विद्युत के सम्बन्ध में चिंता प्रकट की है। में भी उस सम्बन्ध में विचार प्रकट करना चाहता हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। आसन से प्रारम्भ में इस प्रकार की व्यवस्था हुई थी कि प्रारम्भ में उपनिवेशन विभाग पर चर्चा कर ली जाय।

श्री सभापति : मैं समझ गया हूं। उस व्यवस्था के हिसाब से माननीय श्री रामचन्द्रजी, माननीय श्री हंसराज जी, बाल सिहजी, पृथ्वीसिहजी और प्रो. केदार आदि बोल चुके हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब डिबेट होगी तो गोयल सहाब शुरू करेंगे।

श्री कृष्णकुमार अग्रवाल : मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा कि यू. आई. टी. के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे और वे प्रसारित भी हुए थे विधान सभा की ओर से। लेकिन मांग प्रस्तुत नहीं की जा सकी और आसन से व्यवस्था हो गयी कि यू. आई. टी और कोलोनाइजेशन पर विचार किया जावेगा। इसलिये आज बहस हो वह कल हो जाय और कोलोनाइजेशन और यू. आई. टी. पर आज हो जाय।

श्री पी. के. चौधरी : जनरल डिबेट कल चलने वाली हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पश्चिमी राजस्थान के साथ इनजस्टिस और जोधपुर का इम्पेरियलिज्म है उस पर बोल रहे हैं।

श्री पी. के. चौधरी : सभापति महोदय, राजस्थान विद्युत के सम्बन्ध में अच्छी स्थिति में नहीं है। हिन्दुस्तान की एक दो स्टेट को छोड़ कर बाकी की सब स्टेटस से हमारी स्थिति खराब है। गवर्नमेंट की वजह

(श्री. पी. के. चौधरी)
से ही स्थिति खराब है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो भी सेन्ट्रल असिस्टेन्स मिला है फोर्थ प्लान शुरू होने से पूर्व 2 पर 5 सेंट्रल ग्रान्ट के रूप में मिला है। महाराष्ट्र आदि दूसरी स्टेट्स को ज्यादा मिला है।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : Mr. Chairman, You will please excuse me for intervening.

You are speaking about the financial policy of the State and the Finance Minister is not here Dy. Minister is not here.

Who is going to take notes of what you speak here. He is a General Secretary of the P. C. C. and there is none to hear him. This is very humiliating.

श्री सभापति : Please continue.

श्री पी. के. चौधरी : मैं निवेदन कर रहा था कि इसके विषय में अकेली राजस्थान सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि जो हमारा डेट और लायबिलिटीज हैं उसका काफी हिस्सा सेन्ट्रल से आता है। इस साल के बजट में भी 35 करोड़ 85 लाख रुपया इन्ट्रेस्ट का पे करते हैं और प्रिन्सिपल का हिस्सा 40150 करोड़ का आता है। आगे चलकर यह स्थिति लागू रहेगी तो जो सेन्ट्रल असिस्टेन्स मिलेगा वह लोन सर्विसिंग में सारा का सारा चला जावेगा और नेगेटिव बजट रहेगा फेमीन के लिए 157 करोड़ रुपया मिला। लोन के रूप में 106 करोड़ रुपया मिलता है। इस साल 51 करोड का इन्ट्रेस्ट पे करेंगे फेमीन के पेटे और 12 करोड़ प्रिन्सिपल का पे करेंगे। 100 करोड़ रुपया हमारा सालाना लोन्स सर्विसिंग में जाता है। सारा का सारा लोन प्रोडक्टिव नहीं है। फेमीन के लिये जो असिस्टेन्स मिला है वह प्रोडक्टिव काम में नहीं लगा है। दूसरे हैं इस में मिला है सारा का सारा प्रोडक्टिव परपज में नहीं लगा है। मेरा सुझाव था कि सेन्ट्रल एड हमको मिले और अनप्राडक्टिव कामों में लगे वह कम से कम राइट ऑफ तो होना ही चाहिये। जिससे पब्लिक कामों में लग कर असेट्स हुए हैं उसको तो हम दे सकते हैं लेकिन अनप्राडक्टिव कामों में लगा है, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से इस बात को उठाना चाहिए कि जो लोन मिला है उसकी लायबिलिटीज को राइट ऑफ कर दिया जाय। जो भी सेन्ट्रल असिस्टेन्स मिलेगा, उसका एक पेटर्न कर दिया है कि 70 पर्सेन्टस लोन और 30 पर्सेन्ट ग्रान्ट। 75 पर्सेन्ट रेशो से होगा। आगे जाकर सेन्ट्रल असिस्टेन्स, सेन्ट्रल एड मिलेगी, हमारी मौजूदा डेट लायबिलिटीज है उसका रिपेमेन्ट करना जरूरी होता है उसमें चली जावेगी। राजस्थान को सेन्ट्रल एड से कोई भी पौजिटिव पैसा नहीं मिला है। इसलिए जो भी रुपया अनप्राडक्टिव कामों में लगा है उसको राइट ऑफ किया जाय और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को इसके लिए तैयार किया जाय।

दूसरी बात, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक राजस्थान का ड्रिंकिंग वाटर की प्रोब्लम है और इस

(श्री पी. के. चौधरी)

साल में भी प्रावधान करीब 3।। करोड़ का रखा है, इस दृष्टि से जो ड्रिंकिंग वाटर की प्रोब्लम है पचास साल में भी जाकर इसका समाधान नहीं कर पायेंगे। मेरा एक सुझाव यह है कि हरएक स्टेट में वर्ल्ड बैंक से क्या क्या प्रोग्राम उस स्टेट के हैं, उनकी एक स्कीम चलती हैं, हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स हैं मद्रास, मैसूर, हरियाणा में वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट्स तैयार किये हैं और उनको उस पर रुपया मिलता है और मदद मिलती है और उसको उस काम में लेते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहां से इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट की भी बना कर वर्ल्ड बैंक को नहीं भेजा गया है। वर्ल्ड बैंक का तरीका रहा है वह यह रहा है कि चैलेन्जिंग प्रोब्लम रहती हैं, उनका वे खूब स्वागत करते हैं और वे उसको हाथ में लेते हैं।

राजस्थान में ड्रिन्किग वाटर की प्रोब्लम है। इस प्रोब्लम के लिये हम वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार ले सकते हैं। मेरा यह सुझाव है कि पहले इस संबंध में एक स्कीम बना कर पेश करें, उस स्कीम को सरकार वर्ल्ड बैंक को बताये तो हमे वर्ल्ड बैंक से पैसा मिल सकता है और फिर यह ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रोब्लम है, वह हमेशा के लिये समाप्त हो सकती है। दूसरे, सभापति महोदय, हमारा राजस्थान का जो एरिया है वह डेजर्ट एरिया है, इसमें कुछ एरिया सेमी-डेजर्टेड भी है। इस सदन में कई बार, पीने के पानी की कमी है, पीने को पानी, नहीं मिलता है, इस पर केवल चर्चायें होती रही हैं। पर आज तक इस सरकार द्वारा कोई लिखापढ़ी वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने की नहीं की गयी है। वर्ल्ड बैंक हमेशा पैसा देने को तैयार रहता है। वर्ल्ड बैंक के पास पैसे की कमी भी नहीं है। आज टेक्नोलोजी के आधार पर हम ऐसे कई सवाल हल कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि इज-राइल एक छोटा सा देश है। वहां पर भी हमारे प्रान्त की तरह ड्रिन्किग वाटर की कमी थी। वहां पर भी ऐसी स्कीमें बनायी गयी और वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया गया और आज जो एक डेजटेंड एरिया था वह सारा का सारा आबाद देश बन गया है। इसलिये मेरा ख्याल है कि ड्रिन्किग वाटर की जो प्रोब्लम आज राजस्थान में है, उसे अगर सरकार सिरियसली ले तो मैं समझता हूं कि सरकार इसमें वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर इसे 10 या 12 साल में टैक्नोलोजी के आधार पर स्कीम का कार्य रूप देकर खत्म कर सकती है। इसके लिये सरकार को चाहिये कि प्रोजेक्ट्स बनाये। मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि एक शिड्यूल प्रोजेक्ट बनाकर पेश करे तो वर्ल्ड बैंक से रुपया मिल सकता है। वहां रुपयों की कोई कमी नहीं है। लेकिन हम लेना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि हमने इस तरफ कोई कोशिश आज तक नहीं की है। इस प्रकार के प्रोजेक्ट के लिये हमने कोई बजट नहीं बनाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य माफ करेंगे, मैं बीच में इन्ट्रप्शन कर रहा हूँ, हमने राजस्थान केनाल के लिये वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने की कोशिश की पर हमे वहां से पैसा नहीं मिला।

श्री सभापति : यह कटु अनुभव हमें है।

श्री पी. के. चौधरी : वह तो आपने पहले स्कीम को वर्ल्ड बैंक से पास नहीं कराया था, प्रोजेक्ट पहले ही चालू कर दिया था इसलिये आपको पैसा नहीं मिला वरना मैं समझता हूँ वर्ल्ड बैंक से आपको जरूर एसिस्टेन्ट मिलता....

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन्होंने एसिस्टेन्स देना कबूल किया था क्या ? वर्ल्ड बैंक तो उन देशों को रुपया देता है जिनके पीछे पोलटिकल प्रेसर होता है। वह देखता है कि कितना पोलिटिकल प्रेसर है अपने मुल्क को कटु अनुभव है ....

श्री पी. क. चौधरी : प्रेसर तो है ही, अपन भी अगर प्रोजेक्ट पेश करें और फिर प्रेसर लगाये तो एसिस्टेन्स ले सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट बनाकर पहले पेश तो करें। इसके अलावा तीसरी बात जो निवेदन करना चाहूँगा वह यह है कि आज सारे हिन्दुस्तान की अलग अलग स्टेट्स की जो चैलेन्जिग प्रोब्लम्स हैं उन सबकी एक कोम्प्रीहैन्सिव स्कीम बना कर उन्हें वर्ल्ड बैंक से साल्व करना चाहिये। वर्ल्ड बैंक चैलेन्जिग प्रोब्लम्स के लिये रुपया देता है, जैसा कि मैंने कहा कि वहां पर पैसे की कमी नहीं है, अगर कोम्प्रिहेन्सिव प्रोजेक्ट बनाकर लोन लें तो मैं समझता हूँ कि करीब करीब हमारे हिन्दुस्तान की सब प्रोब्लम साल्व हो सकती है। इसमें करीब करीब पांच या दस वर्ष तो लग सकते हैं लेकिन अगर प्रोजेक्टस बने हुए हो तो कर्जा मिल सकता है। हम उन्हीं प्रोजेक्टस के जरिये हमारी जो चैलेन्जिग प्रोब्लम्स हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। हमे इससे फायदा हो सकता है। मेरा निवेदन है कि ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रोब्लम है उसके लिये सरकार को पहले कोम्प्रिहेन्सिव प्रोजेक्ट तैयार करके पेश करना चाहिये। उस प्रोजेक्ट की तरफ हमें दुनिया का ध्यान आकर्षित करना होगा। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के दूसरे देश भी इसमें प्रेसर लगायेंगे और इस प्रकार हमें वर्ल्ड बैंक से पैसा मिल जायेगा।

इसके अलावा, एक बात मैं आपसे और निवेदन करना चाहूँगा, सभापति महोदय, कि अभी हमारे मेग्नीफाइड वित मन्त्री जी ने बजट स्पीच में डेवलपिंग प्रोजेक्ट को मेग्जीमम एडवान्टेज फोर टेक्नीकल एग्रीकल्चर को देने के लिये कहा। बजट स्पीच के पेज 14 पर यह भी कहा कि इट इन्क्रीजेज सोसियल टेन्सन। आज एग्रीकल्चर को डेवलेप करने के लिये फाइनेन्सियल इन्स्टीटयूशन द्वारा लोन दिया जाता है। इसके अलावा, उन्होंने अपने स्पीच में यह भी कहा है कि जो लेण्डलेस लेबर है उसको फायदा नहीं हुआ है। इसमें उन्होंने अपनी असमर्थता प्रगट की है। ये बात सही भी है। फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने बताया है कि राजस्थान के अन्दर 5 जिलों को चुना गया है। भरतपुर, उदयपुर, अलवर, अजमेर और भीलवाड़ा उन पांच जिलों में जो लैण्डलैस लेबर है इनके लिये कुछ स्कीम ली गयी हैं। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि फोर्थ प्लान में आने वाले दो तीन सालों में यह डेढ करोड़ एक और 1 करोड़ एक कुल ढाई करोड़ रुपये की ग्रान्ट हमें मिली है। ये ढाई करोड़ रुपया जो कि फोर्थ प्लान में मिलेगा इसका मतलब यह कि दो तीन साल में कुल सात करोड़.....

Page No 120

(श्री पी. के. चौधरी)

रुपये की ग्रान्ट हमें इस लैण्डलेस लेबर के लिये फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स से मिल जावेगी। वे मिलने पर...

श्री रामकिशन : इस लैण्ड लेसलेबर के लिये भरतपुर जिले को भी लिया है क्या ?

श्री पी० के० चौधरी : हां। लैण्डलेस लेबर के लिए भरतपुर जिले को भी लिया गया है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि, सभापति महोदय, फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन जब लोन देती है तो प्रोपर गारन्टी या कोई सिक्योरिटी लेकर ही कर्जा देती है। इसका मतलब यह हुआ कि जिसके पास सिक्योरिटी नहीं है उसको कर्जा मिलेगा कैसे...

श्री शोभाराम : यह कहां लिखा है ?

श्री पी. के. चौधरी : मैं बताता हूं।

श्री दौलतराम सारण : आपके सारे रूल्स ऐसे बनाये हुए हैं कि उसमें फार्म और नियम के अनुसार सब करना पड़ता है...

श्री शोभाराम : मैं आपसे निवेदन करूंगा इसमें देखना पड़ता है कि कितना कर्जा उसे मिलना चाहिये, कितना फायदा उसे मिल सकता है, इसके कायदे कानून अलग अलग हैं। उसके हिसाब से काम होता है। उसमें यह भी देखना पड़ता है कि उसकी सम्पत्ति कितनी है।

श्री पी. के. चौधरी : अगर उसके सम्पत्ति नहीं है, तो उसको लोन कैसे मिलेगा, क्योंकि लोन देने के लिये सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। बैंक से लोन तो दो आदमियों की श्योरिटी से मिल सकती है। इसलिये श्योरिटी होना जरूरी है या उस बैंक में उसका करेन्ट एकाउन्ट हो। लेकिन जो लैण्डलेस लेबर है जिसके कोई प्रोपर्टी नहीं इसका नतीजा यह हुआ कि नेशनेलाइजेशन आफ बैंक्स होने के बाद भी आज लोन मिलने में इतनी दिक्कत आती है। नतीजा यह हुआ कि लोन नहीं मिलता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, वह है बजट के सम्बन्ध में। आपने ढाई करोड़ रुपये के हिसाब से आने वाले सालों में कुल 7 करोड रुपये एक एक जिले को देने के लिए रखे हैं। एक करोड़ की ग्रान्ट आपने दूसरे तीन जिलों के लिये रखी है, और डेढ़ करोड़ रुपये मार्जीनल लैण्ड होल्डर्स, लेबरर्स फोर दी डिस्ट्रिक्ट आफ अजमेर और भीलवाडा के लिये हैं। यह इस प्रकार हमारे को ढाई करोड़ रुपये की सेन्टर से ग्रान्ट मिलेगी। उस ग्रान्ट से हम गारन्टी देकर सात करोड़ के बजाय 25 करोड़ की गारन्टी आप दे सकते हैं तो बैंक आपको 10 प्रतिशत रिस्क के हिसाब से ज्यादा की सिक्योरिटी मांगेगा नहीं और इस तरह से बैंक के द्वारा 10 प्रतिशत रिस्क हो सकती है...

श्री शोभाराम : माननीय सदस्य, 3 प्रतिशत एक है और उसके नीचे 3 प्रतिशत और है। आपका ध्यान में आकर्षित करके यह निवेदन करना चाहता हूं कि 6

(श्री शोभाराम)

प्रतिशत रिस्क ही माना है ज्यादा नहीं।

श्री पी. के. चौधरी : 6 प्रतिशत नहीं माना है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, कि जो ढाई करोड़ रुपया यहां आता है तो उसकी वजह से हम 25 करोड़ रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं, गारन्टी देकर। इसके लिये मेरा निवेदन है कि आप के एक जिले को ढाई करोड़ रुपये मिलते हैं। वह फाइनेन्शियल इन्स्टीटयूशन से 7 करोड़ रुपये ही कर्जा मिलेगा। जब आप के पास इतना फण्ड है, वह दस प्रतिशत रिस्क लेकर मानो उसके बाद जो ग्रान्ट मिले वह वेस्ट न जाए वह बेकार न जाय जिससे आपकी एफीसियेन्सी बढती हैं ढाई करोड़ से सात करोड़ रुपये प्राप्त करते हैं। तो मेरा कहना था कि क्यों नहीं हम बैंकों से 25 करोड़ रुपये तक एक एक जिले को मिल सकता है।

श्री शोभाराम : सभापति महोदय, डेढ़ करोड़ रुपये बताते हैं।

श्री सभापति : एक करोड़ अलग है और डेढ़ करोड़ अलग है।

श्री शोभाराम : सभापति महोदय, एक करोड़ तो जो स्टाफ उसमें आपरेट करेगा उसके एस्टेब्लिशमेण्ट के लिये खर्च किया जायेगा और बाकी जो डेढ़ करोड़ रुपया है वह जो स्कीम है उसके लिये काम में आयेगा।

श्री सभापति : भरतपुर, अलवर और उदयपुर।

श्री पी. के. चौधरी : तो मेरा निवेदन करना यह था कि आप 11 करोड़ से भी 7 करोड़ से ज्यादा आप कर सकते हैं। 15 करोड़ तक आप कर्जा दिला सकते हैं फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स से। तो आप सोचेंगे कि जो कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, आपका जो कोआपरेटिव सेक्टर है या बैंकिंग सेक्टर है वह विलेजर्स का या रूरल एरिया की क्रेडिट नीड है उसको 20 पर्सेन्ट ही मीट करता है और 80 पर्सेन्ट नीड आज भी गांव के जो बोहरे लोग हैं, महाजन लोग हैं वह मीट करते हैं और वे बिना किसी सिक्योरिटी के देते हैं। तो जब एक महाजन पैसा देकर पैसा वसूल करता है और उसका पैसा नहीं मारा जाता है तो मैं नहीं समझता हूं कि सरकार का और फाइनेन्शिल इन्सटीट्यूशन की जो एजेन्सी है वह जो कर्जा देता है वह प्रापर्टी से टाइट होता है, ऐसा क्यों है? हमेशा हम कहते हैं कि क्रेडिट सरकार क्यों नहीं देती और हम यह मानकर चलें कि 80 पर्सेन्ट जो क्रेडिट का ट्रान्जेक्शन है जो कि नान-प्राईवेट सेक्टर में चलता है वह 80 प्रतिशत क्रेडिट ट्रान्जेक्शन से मुनाफा कमाते हैं। जो गांव में महाजन हैं जो पैसा देता है वह किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं लेता है। आप जब बैंक से पैसा नहीं देते हैं तो गांव के किसान या जो लेबरर्स हैं वह बनिया से कर्जा लेते हैं। आप रिफ्यूज कर देते हैं क्योंकि आपने प्रापर्टी का सिक्योरिटी का रखा है और जो आपका फाइनेन्शिल इन्सटीट्यूशन्स हैं उनको उनसे क्रेडिट नहीं मिलता, कोआपरेटिव साइड से नहीं मिलता और बैंक से क्रेडिट नहीं मिलता और गांव

(श्री पी. के. चौधरी)

में 80 पर्सेन्ट क्रेडिट प्राईवेट लोगों से मिलता है, श्रम बनिया से मिलता है, महाजन से मिलता है। जो हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और फाइनेन्शियल इन्सटीट्यूशन है उनका हमने सेट: अप किया। उसका मतलब यह था कि इसका फायदा गरीबों को मिलेगा लेकिन सबसे कमजोर जो तबका है उसको तो क्रेडिट नहीं मिलता है आपके इन्सटीट्यूशन्स से तब जाकर वह बनिया से लेता है। याने आज भी फाइनेन्शियल इन्सटीट्यूशन्स 20 पर्सेन्ट गांव वालों की नीड कवर नहीं करती और 80 पर्सेन्ट गांव के महाजन, और बनिया मीट करते हैं और उनका पैसा नहीं मारा जाता है और वह कर्जा बिना सिक्योरिटी के देते हैं। आपका जो ब्यूरोक्रेसी का तरीका है गवर्नमेंट का या बैंकिंग इन्सटीट्यूशन्स का तरीका है लैण्डलेस को क्रेडिट देने का आपको उसको चेन्ज करना चाहिए। आपको तो यह देखना चाहिये कि जिसको पैसा दिया जाता है दरअसल में वह रुपया लेकर उसी काम में लगाता है या नहीं और अगर काम में लगाता है तो रुपया जरूर वापिस आयेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आपने जो किया है उसका स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही साथ हम चाहते हैं कि इस प्रकार को जो स्कीम है वह सिर्फ अभी 6 जिलों में ही है और बाकी जिलों में भी आपको इसको लागू करना चाहिए। बाकी 20 जिले रहते हैं और वहां भी आपको इस स्कीम को लागू करना चाहिए और जो ग्रान्ट आपको मिलती है उसको आप सबिसडी में मत दो। उसको आप दूसरे तरीके से यूज कीजिये बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप तो इनवेस्ट कीजिये। आप सबिसडी में नहीं देकर गवर्नमेंट के दूसरे प्राडक्टिव काम में लीजिए। गवर्नमेंट की तरफ ब्याज उसमें जमा करिये और जो रिस्क होगी और जो कर्जा रुक जाएगा जो रिलीज नहीं होगा उसका पेमेंट करने के लिए रिस्क फण्ड में से होगा तो 1 करोड़ की जगह 15 करोड़ रुपया आप क्रेडिट में लोगों को दे सकते हैं और इन 15 करोड़ के हिसाब से 11 करोड़ रुपये से इन जिलों को फायदा पहुंच सकता है। और बाकी जिले रह जाते हैं उनमें भी इस स्कीम को लागू करो जिससे कि स्माल इन्डस्ट्रीज हैं, लैण्डलेस लेबरर्स हैं उनको इसका फायदा मिल सके क्योंकि आज क्रेडिट की सबसे ज्यादा जरूरत किसी को है तो स्माल फार्मर्स को और लैण्डलेस लेबरर्स को है। जिनके पास प्रापर्टी है, मकान है वह मार्टगेज कर सकते हैं लेकिन स्माल फार्मर्स या लैण्डलेस लेबरर्स ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता है। जो सिक्योरिटी लिख कर देते हैं उनको तो मिलता ही है और इसके लिए आप कुछ करें यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इर्रीगेशन का सवाल है इर्रीगेशन के जो हमने साधन बनाये हैं हम उसका स्वागत करते हैं और वह भी उस एरिया में जहां कि पानी नहीं

(श्री पी. के. चौधरी)

पहुंचा है वहां पानी जरूर पहुंचना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, मीडियम प्रोजेक्ट्स हैं उसका पर एकड़ इर्रीगेशन की कास्ट 2 हजार रु. आती है जबकि लिफ्ट इर्रीगेशन उन इलाकों में जयपुर डिवीजन या दूसरी जगह हैं और जहां कुओं से सिंचाई होती है वहां लिफ्ट इर्रीगेशन की कास्ट आती है 200 या 300 रु० पर एकड़। एक कुए में बिजली ले जाने का खर्चा करीब 3.000 रु. बैठता है और वह 10 एकड़ जमीन की सिंचाई कर पाता है। कैनाल या जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनसे खर्चा आता है 2,000 रुपया पर एकड़...

श्री दौलतराम सारण : क्या हुआ बिजली फिटिंग सिर्फ 3,000 रुपये में ? ज्यादा लगते हैं।

श्री पी. के. चौधरी : लाइन खींचने में खर्चा लगता है 3,000 रुपया और एक कुए में बिजली पहुंच जाती है तो कम से कम 10 एकड़ जमीन की वह सिंचाई करता है तो आपको एक एकड़ के पीछे 300 रु. खर्च हुआ और जो बड़े प्रोजेक्टस हैं जैसे राजस्थान केनाल का 800 करोड़ रु. बैठेगा और उससे 25 लाख एकड़ जमीन सिंचित होगी और करीब 2,000 रुपया पर एकड़ का सिंचाई का बैठता है। तो वहां पर 2,000 रु. इनवेस्ट करने से एक एकड़ की सिंचाई होती है जब कि लिफ्ट इर्रीगेशन से सिर्फ 300 रु. इनवेस्ट करेंगे तो उससे एक एकड़ जमीन की सिंचाई होगी।

श्री शोभाराम : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो वैल इर्रीगेशन में कास्ट आफ ड्रिविंग वाटर टाइम टू टाइम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कुए के सिंचित एरिया से ज्यादा है बजाय कैनाल एरिया के। वहां तो जो खर्चा लगेगा वह लगेगा लेकिन उसके इर्रीगेशन रेट्स हैं मैं समझता हूं कि कुए की रेट्स अब भी इर्रीगेशन रेट्स से आठ गुना ज्यादा हैं।

श्री पी. के. चौधरी : मैं हमेशा कहता रहा हूं कि एक एक कुए से एक बीघे की सिंचाई करने का एक फसल पर 350 खर्च होता है और कैनाल इर्रीगेशन से दो हजार रुपया लगता है एक एकड़ के पीछे और उनसे 10 रुपया एक फसल का लेते हैं। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि आप 2 हजार रुपया इनवेस्ट करके एक एकड़ जमीन की सिंचाई का पोटेंशियल क्रियेट करते हैं और लिफ्ट इर्रीगेशन में 300 खर्च करने पर एक एकड़ जमीन पर सिंचाई का पोटेन्शियल क्रियेट होता है। गवर्नमेंट का 300 रुपया खर्च होता है लिफ्ट इर्रीगेशन में और एक एकड़ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि लिफ्ट इर्रीगेशन की तरफ आप ध्यान दें, और जयपुर डिवीजन में हरएक गांव में बिजली पहुंचाने की कोशिश करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लिफ्ट इर्रीगेशन को क्लियर कर दें। इससे मिस-अन्डरस्टैंडिंग हो रही है, यह समझ रहे हैं कि कैनाल के पानी को लिफ्ट इर्रीगेशन से दे दें।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

Well irrigation is a lift irrigation.

श्री पी.के. चौधरी : That is another. वह दूसरा है जो आप लिफ्ट इर्रीगेशन कर रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण: वह कैनाल लिफ्ट है।

श्री रामकिशन : अंग्रेजी में बोल रहे हैं इसलिए नहीं समझे हैं।

श्री पी. के. चौधरी : दोनों तरह का इर्रीगेशन है। जो कुए से होता है वह भी लिफ्ट इर्रीगेशन है।

दूसरी बात मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे जयपुर जिले में वाटर लेवल जो है वह करीब 5 इन्च हर साल नीचे जा रहा है। पिछले 10-15 साल से 5 इन्च वाटर लेवल हर साल नीचे जा रहा है। एक माननीय सदस्य ने बजट डिबेट में कहा था कि भरतपुर में जो फ्लड वाटर है उसको क्यों नहीं डाइवर्ट करके जयपुर जिले में लाया जाय ताकि जिससे सिंचाई हो।

श्री शोभाराम : अलवर में ही उसको क्यों न रोकें ताकि भरतपुर में फ्लड न आये।

श्री रामकिशन : काहे को मरवाते हो।

श्री रामानंद अग्रवाल : हम चाहे डूब जायें लेकिन पानी लेंगे जरूर।

श्री रामकिशन : ऐसी बातें न उठायें इससे क्षेत्रीय अखण्डता टूटती है।

श्री पी. के. चौधरी : वाटर लेवल नीचे जा रहा है।

श्री रामकिशन : यहां पानी नीचे जा रहा है और हम मर रहे हैं कि पानी नही है बाण गंगा में। 36 बांध नहीं भरे हैं। फ्लड और वजह से आते हैं।

श्री पी. के. चौधरी : पानी जो वेस्ट होता है और फ्लड आते हैं और फ्लड कन्ट्रोल में पानी इस प्रकार से डाइवर्ट किया जाय कि जयपुर डिवीजन के जो दूसरे इलाके हैं जहां पर वाटर लेवल नीचे जा रहा है उसको हम रोक सकें। यह भी एक समस्या है, एक प्रोब्लम है जिसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी से आप सजग नहीं होंगे तो आगे जाकर प्राब्लम एक्यूट हो सकती है।

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल : आल इण्डिया रिवर्स का जो है सर्किट ऐसा ही बन जाय जैसे कि बिजली के सर्किट बनते हैं ग्रिड हैं उस तरह का सिस्टम बन जाय कि सरप्लस वाटर को डाइवर्ट किया जा सके। तब जाकर यह प्राब्लम हल होगा।

एक माननीय सदस्य : टेम्प्रेरी फेज से चेन्ज होगा क्या ?

श्री पी. के. चौधरी : मैं निवेदन कर रहा था कि···

श्री सभापति : कृपया आप भाषण समाप्त करें।

श्री पी. के. चौधरी : दो मिनिट में समाप्त कर देता हूं।

मैं जयपुर डिवीजन के इन्डस्ट्रियलाइजेशन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर डिविजन में इन्डस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। इन्डस्ट्रियलाइजेशन के लिए सब से ज्यादा जरूरत होती है, सभापति महोदय, कि इन्फास्ट्रक्चर की सबसे पहले बात होती है और उसमें सबसे पहले आता है यातायात के साधन। इसलिए हम चाहते है कि जयपुर में इन्डस्ट्रीज को डेवलप करना है तो जयपुर को सवाई माधोपुर से ब्राड गेज से जोड़ दिया जाय जिससे आगे जाकर हम इन्डस्ट्रीज को डेवलप कर सकें। यह मेरा सुझाव है। स्टेट गवर्नमेंट इस बात को सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने उठाये कि सवाई माधोपुर को जयपुर के साथ जोड़ा जाय ब्राड गेज से। यह सुझाव मेरा है। रीजनल इम्बेलेन्स को दूर करना जरूरी है, और जयपुर डिविजन के इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट के लिए कम से कम रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट के लिए काम करना चाहिए। सवाई माधोपुर से जयपुर तक ब्राड गोज रैलवे लाइन के लिए सरकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट के साथ बातचीत करे।

एक बात और निवेदन करना चाहता था जो कि जयपुर की एक स्पेसिफिक प्राब्लम है। रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का प्लान है कि अजमेरी गेट से चान्दपोल तक जो गन्दा नाला है उसको बन्द करके उसके आसपास की जमीन एक्वायर करके यहां पर एक बाजार बनाया जाय और दुकाने रिफ्यूजीज को और दूसरे लोगों को दी जाए। मैं ऐसा निवेदन करना चाहता हूं कि इसके दोनों तरफ लोग बसे हुए हैं और वे करीब सौ, सवा सौ सालों से बसे हुए हैं, और उन लोगों के पक्के मकान बने हुए हैं। उन लोगों को नोटिस दिया जा रहा है कि आप जगह खाली करो। वे 100 साल से वहां पर बसे हुए हैं उस जमीन को वे छोड़ दें। उस पर बाजार बनेगा और बाजार में रिफ्यूजीज हैं उनको आप दुकाने देंगे। 23 साल के बाद नये शरणार्थी आप क्रियेट करेंगे। जो सवा सौ साल से वहां पर बसे हुए हैं और पक्के मकान उनके बने हुए हैं, लेकिन उनके पास में पट्टा नहीं है। पट्टा नहीं है इसलिए उनको कहते हैं कि नाजायज कब्जा किये हुए हैं। पट्टा इसलिए नहीं है कि वे वहां पर 100 साल से बसे हुए है। पटा उनके पास नहीं हैं इसलिए सबको नोटिस दे दिया। लेकिन मेरा निवेदन है कि गन्दे नाले को आप बन्द करना चाहते हैं तो उसको तो आप बन्द करिये। आप जयपुर शहर की सुन्दरता को बढ़ाना चाहते हैं तो उस जमीन को न लेकर उनको बताइये कि आप इस तरह के मकान या दुकान बनाइये तो वे बना देंगे। लेकिन आज आप जो वहां पर रह रहे हैं उनको नोटिस देकर शरणार्थी बना रहे हैं। और दूसरे शरणार्थियों को बसाने की बात करें तो यह मेरी समझ में नहीं आता उन लोगों ने इस बात को ऐजीटेट किया है और माननीय मुख्य मन्त्रीजी तक अपनी बात पहुंचाई है। लेकिन मेरा निवेदन यह कि जो सोचने का तरीका है कि जो वहां पर बसे हुए हैं उनसे तो जमीनें छुड़वा रहे हैं उनको वहां से हटाया जाय

(श्री पी. के. चौधरी)

और नये शरणार्थी बनायें और दूसरे शरणार्थियों को बैठाना चाहते है, यह गलत है। इस प्रकार की जो स्कीमें होती हैं उसका उल्टा असर होता है। इस स्कीम को सोच-समझकर हाथ में लें और गन्दे नाले को बन्द करना चाहते हैं तो बन्द करें।

श्री विजयसिंह : आप ईस्ट बंगाल छोड़ कर क्यों यहां बसे है ?

श्री दौलतराम सारण : जयपुर में कांग्रेस वालों की बात नहीं चल सकती है।

श्री पी.के. चौधरी : जनता की बात सब जगह चलती है।

श्री दौलतराम सारण : जनता ने कांग्रेसी को जयपुर में चुना नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : चुना नहीं आज नहीं तो, कल चुनेंगे।

श्री विजयसिंह : जनता ने राजस्थान में कांग्रेस को वोट नहीं दिया हैं।

श्री पी. के. चौधरी : राजस्थान में वोट नहीं दिया है। तो सरकार कैसे बनी है।

श्री विजयसिंह : धांधली से बनी है।

श्री पी. के. चौधरी : अन्त में, सभापति महोदय, ...

एक माननीय सदस्य : स्वतन्त्र पार्टी से बनी है।

श्री विजयसिंह : स्वतन्त्र पार्टी की वजह से बनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : स्वतन्त्र पार्टी से हो गई है।

श्री रामकिशन : स्वतंत्र और कांग्रेस को एलिशन है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : (श्री रामकिशन से) आपका भी योगदान है।

श्री पी.के. चौधरी : सभापति महोदय मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं। शहर में सेनिट्री इन्सपेक्टर हैल्थ इन्सपेक्टर जिनको कहते है वे क्या करते हैं कि जो स्माल शोप कीपर्स हैं उनके पास में जो मसाले होते हैं, जो दालें होती हैं उनके लिए वे एडल्टरेशन कानून के अन्दर कार्य करते हैं। मसालेजो बनाता है वह होलसेल प्रोड्यूसर बनाता है वह जो पैकेट बनाकर देता है प्रोडूसर तो उसकी जिम्मेवारी आती है वह दुकानदार तो होलसेल से लेकर बेचता हैं उनके ऊपर एडल्ट्रेशन का कानून लागू करके सैंकडों आदमियों पर केसेज करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि यह जो मसाले हैं वह पैक्ड पैकेट्स में आते हैं तो कम से कम वह अगर एडल्ट्रेट होता है तो उसके लिए जिम्मेदार रिटेल सेलर नहीं है, अधिक जिस फैक्ट्री में वह बनता है वह फैक्ट्री उसके लिए जिम्मेदार होती हैं।

इस लिए मसाले वगैरह हैं, तेल वगैरह हैं— वह अडल्ट्रेटेड हो या नहीं उसकी जिम्मेदारी रिटेलर की नहीं होती है। वह तो बन्द पैकिट या टिन लेता है, इसलिए जो प्राड्यूसर है उसकी जिम्मेदारी समझें। यदि मसाले का पैकिट अडल्ट्रेटेट मिलता है तो जहां से पैकिंग होकर आया है, जो उसका प्राड्यूसर है, उत्पादक है, उसके लिए वह

(श्री पी. के. चौधरी)

रेस्पान्सिबल होता है न कि दुकानदार, जो कि बेचता है। लेकिन जयपुर में यह चल रहा है, जिस दुकानदार के यहां पर अडल्ट्रेटेड पैकिट मिलेगा उसको सजा दे देते हैं, जिस कम्पनी ने यह बनाया है उसको सजा नहीं होती है। मेरा निवेदन है, सजा उसे होनी चाहिए जो प्राड्यूसर है, जिसने अडल्ट्रेटेड गुड्स बनाया, नाट आफ द सेलर वट प्राड्यूसर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसी तरह से जो काजू आता है, काजू में कीड़ा लग गया, या सूजी में कीड़ा लग गया तो उसके लिए दुकानदार की जिम्मेदारी मानते हैं और उसका उसको हैरेसमेंट होता है...

श्री विजयसिंह : मिनिस्टर काजू खाते हैं, इसका मतलब है मिनिस्टर कीड़े खाते है।

श्री पी. के. चौधरी : मेरा मतलब यह है कि जो उत्पादन और प्राडक्शन का ध्यान है वहां पर उसकी केनिंग होनी चाहिये और अगर वहां मसाला अडल्ट्रेटेड गाया जाय या तेल अडल्ट्रेटड पाया जाय तो प्राड्यूसर को सजा देनी चाहिए न कि उसको जो कि बेचता है। इसी प्रकार जहां से काजू वगैरह आते हैं, जो सप्लायर है उसको अडल्ट्रेटड होने पर सजा मिलनी चाहिए न कि शॉपकीपर को। इस ओर सरकार ध्यान-देगी—यह मैं मानता हूं। बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : वित्त मंत्री जी ?

श्री बिरदाराम : अरे सभापति महोदय, में दो मिनिट बोलूंगा ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज बिरदाराम स्थान ग्रहण करें। राजस्थान करारोपण विधेयक ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : बोलने दीजिये उनको ?

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : सभापतिमहोदय, राजस्थान करारोपण वित्तीय विधेयक 1971 जो कि 27 मार्च 1971 को पुर: स्थापित किया गया था इस विधेयक को अंग्रेजी और प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित की जा चुकी है। जो प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद प्रचलित किया गया था उसमें मुद्रण आदि की कुछ अशुद्धियां रह गयी थीं जिनको अब ठीक कर लिया गया है। मैं इस विधेयक के शुद्ध हिन्दी अनुवाद की ऐक अभिप्रमाणित प्रति सदन के समक्ष पस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री गिरधारीलाल व्यास : बिरदा राम जी को बोलने के पांच मिनट।

श्री सभापति : सात मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री बिरदाराम : सभापति महोदय मैं निवेदन करूं हमारा जिला जालोर है यह पिछड़ा जिला है

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : सदन के समय में भी इन्हें 28 पर्सेन्ट रिजर्वेशन दिया जाय।

श्री बिरदाराम : उसमें हर दूसरे साल, तीसरे साल में अकाल पड़ता है। सभापति

(श्री बिरदाराम)

महोदय, इसके बारे में बोलना जरूरी है। मैं आपको यह निवेदन करूं कि हमारे जालोर जिला में भीनमाल कस्बा है, वहां पर बाड़ी हुआ करती थी, 4,500 एकड़ थी एक बाड़ी उस 4,500 एकड़ की बाड़ी में मवेशी चरा करते थे। उसमें से 1500 एकड़ जमीन को तो ले लिया है उसमें अभी कुछ बोया नहीं है लेकिन उस जमीन को ले लिया है। अब मेरा यह निवेदन है कि उस साढ़े चार हजार एकड़ में से दो हजार एकड़, ढाई हजार एकड़ डेअरी फार्म के लिए दे दी जाय और सरकार वहां पर डेअरी फार्म खोलने की कृपा करें। जब वित्त मंत्रीजी वहां पधारे थे, तब वहां की जनता ने आपसे प्रार्थना की थी कि यहां पर डेअरी फार्म खोलना जरूरी है, क्योंकि यहां अच्छी नस्ल के पशु हैं। अच्छी नस्ल के पशु होने से अगर डेअरी फार्म खोल देते हैं तो उससे जनता को लाभ मिलेगा। इससे कम से कम लाख लीटर दूध बाडमेर, सिरोही और जैसलमेर को मिलेगा। इसके साथ ही वहां पर गरीब आदमी हैं, उनके लिए लाभदायक रहेगी। वहां पर और ज्यादा पशु अच्छी नस्ल के पैदा होंगे और किसानों को काफी लाभ मिलेगा। डेअरी फार्म के लिए यह जमीन मिल जाती है तो उसके पास अच्छे गांव बस जायेंगे और वह लोग अच्छी नस्ल के पशु रखेंगे। इससे वहां के किसानों को फायदा मिलेगा। वहां के किसान भी डेअरी फार्म के कारण अच्छे पशु रख सकेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, वित्त मंत्रीजी, वहां पर डेअरी फार्म खोलना जरूरी है। डेअरी फार्म के लिए वहां की जनता की मांग है। बार बार मैंने भी कहा है। और रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा है....

श्री दौलतराम सारण : सभापति महोदय, दोनों तरफ ही गोष्ठी हो रही है और बाधा उपस्थित कर रहे हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। आपस में चर्चा नहीं।

श्री विजयसिंह : माननीय सदस्य कौनसी भाषा में बोल रहे हैं, न हिन्दी है और न राजस्थानी ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : मारवाड़ी है।

श्री विजयसिंह : यह मारवाड़ी भी नहीं है।

श्री शंकरलाल : आप राजस्थान में रहते हैं और इनकी भाषा नहीं समझते हैं ?

श्री श्रवणलाल : यह कांग्रेसी भाषा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह बिरदा राम की भाषा है।

श्री दौलतराम सारण : अकाल क्षेत्र के हैं, यह अकाली भाषा है ।

श्री देवीलाल : आपका हिन्दी में भाषण होगा वह सुन लेंगे ।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। श्री बिरदाराम, कृपया भाषण जारी रखें।

श्री बिरदाराम : मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर यूनिवर्सिटी बनाई जाय...

श्री मथुरादास माथुर : क्या बनाई जाय।

श्री बिरदाराम : डेअरी फार्म की बात कर रहा हूं, और यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। मैंने पहले डेअरी फार्म के लिए कहा, वहां पर अच्छी नस्ल के पशु हैं, सांचोर में दुधारू भैंस हैं, वह हिन्दुस्तान में मशहूर है। इसलिए वहां पर सरकार को डेअरी फार्म खोलना चाहिए। वह पिछड़ा हुआ जिला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो नर्बदा नदी है, जो कच्छ की खाड़ी में जाकर गिरती है, उस नर्बदा नदी को जिला जालोर में लायें तो उससे काश्तकारों को लाभ मिलेगा। इसलिए आपको नर्बदा नदी के लिए योजना बनानी चाहिए। आप उसे जिला जालोर में लाने की महरबानी करें। मैं यह भी निवेदन करूं, जो हमारे दूसरे जिलों में काश्तकार हैं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, भाषण समाप्त करें।

श्री बिरदाराम : उनको बिजली देने के लिए पैसा लगाती है सरकार...

श्री दौलतराम सारण : काश्तकारों का काम हो गया, अब पांच बज गये।

श्री बिरदाराम : यहां भी बिजली हो तो काश्तकारों को फायदा मिलेगा। वहां पर बिजली पहुंचाने के लिए सरकार खर्च करे तो...

श्री दौलतराम सारण : सगला रो फायदा हो गयो, कोई बाकी नहीं रह्यो।

श्री बिरदाराम : वहां पर बिजली जल्दी से जल्दी लगावें इससे काश्तकारों को काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा वहां पर नल योजना भी होनी चाहिए। खारा पानी जिन जिन गांवों में है वहां पर नल योजना भी होनी चाहिए। सरकार की स्कीम हो जिससे उनको मीठा पानी मिल सके...

श्री रामानन्द अग्रवाल : समय समाप्त हो रहा है, कम से कम उपनिवेशन शुरू हो जाय।

श्री सभापति : आज नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक घड़ी में समय समाप्त हो गया, एक में एक मिनिट बाकी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, भाषण समाप्त करें।

श्री बिरदाराम : जल्दी से जल्दी सरकार वहां बिजली लगाये और जिन गांवों में खारा पानी है वहां ट्यूब वैल लगाकर पानी की योजना बनायें। यह जरूरी है।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें। सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 5 बजे, वृहस्पतिवार, दिनांक 20-5-71 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 640 की सूची)

पिछले पांच वर्षों में भूमिहीन काश्तकारान का भूमि आवंटन का विवरण

क्रम सं.	वर्ष का विवरण	कुल आवंटन		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		सनदें जारी हुयी की संख्या	बकाया सनदें	कब्जा दिया	कब्जा देना बकाया	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल					
1.	2023	1271	7990	144	732	265	1418	150	1121	1237	34	12
2.	2024	119	1086	4	42	33	310	30	89	99	20	2
3.	2025	412	2372	105	647	–	–	25	187	397	15	36
4.	2026	162	957	32	137	24	141	20	142	160	2	12
5.	2027	38	180	24	133	14	47	5	33	30	8	100
योग.		2002	12085	309	1691	336	1919	230	1572	1923	79	

Page No 131

(1) Name of Tehsil :—Nagaur.

S. No.	Name of road & classification.	Total length in km.	Work complete in km.	Earth in km.	Soling A. at qry.	Soling B. At site.	Soling C. consolidation in kim
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	*Metal Roads*:						
1.	B/t Merta city to Nagaur.	80	55	..	..	..	..
2.	„ Nagaur to Basni km. 100 14 only B/T	42	37	..	..	..	..
3.	M/R Mundwa to Goat Mangloon	33	..	..	15	33	33
4.	M/R Khinwsar to Deo Road.	22	..	..	..	..	..
5.	M/R Moondwa to Asop	33	..	..	2	7	13
6.	M/R Khajwana to Kuchera.	15	..	..	..	..	1
7.	„ Khivsar to Osian	32	..	..	..	..	..
(B)	*Gravel Roads*:						
1.	Untwalia to Shamasar.	30	..	..	15	15	15
2.	Asop to Roon via Aswari	30	29 1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
3.	Tausar to Guwalu	36	27	5	5	9	
4.	Chiloo to Pipasal	15	8	..	..	7	7
2.	Khatora to Panchori	20	19	..	..	1/2	1/2
6.	Jorawarpura to Sankhawas.	25	23	..	..	2	2
7.	Nagaur Deh au to Sarpalia	43	2	..	20	25	41
8.	Khinwsar to Asop via Tander Bhawande	22	15	4	7	7	7
9.	Guldwa to Bhadwasia Via Chunlisara	20	11 1/2	7 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2

Page No 132

Details of incomplete work.

Ballast A. At qry	Ballast B. At site in km.	Ballast C. Consolidation in km.	Chips A. At. qry. in m	Chips B. at-site in	Chips C. Carpeting in ink m.	Collection of Bitu-km km.	Expenditure upto date. man ink	Required amout to complete the remaining work.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Rs. in lacs	Rs. im lacs.
3	3	5	..	18	25	..	9.19	1.66
..	..	3	..	..	5	..	2.176	0.27
9	27	33	33	33	33	33	1.067	8.93
8	8	22	22	22	22	22	0.83	4.45
—	...	33	33	33	33	33	2.222	6.10
1	1	15	15	15	15	15	2.075	2.36
16	19	32	..	..	..	..	1.36	6.87
							1.248	1.02
							1.36	0.12
							1.044	0.85
							1.918	0.49
							1.607	0.07
							0.646	0.24
							1.61	3.40
							0.616	1.22
							0.75	1.34

(2) **Name of Tehsil Jayal**

(*A*) *Metal Roads*:

1.	Tarnau to Degana B/T	39	..	..	..	..	..
2.	Tarnau to Khatu B/T	20	..	..	..	..	6

(*B*) *Gravel Roads*

1.	Bodwara to Bhonra	25	7	..	..	18	18
2.	Loonsar to Tarnau	21	10 1/2	1	2 1/2	4 1/2	10 1/2
3.	Jhunjala to Nirada up to Kanaul	17	9	..	..	..	8
4.	Chau to Surpali	23	..	3	3	23	23
5.	Karnal to Bhirthal	10	..	..	2	9	10
6.	Panchala to Negeri	14	13	..	1	1	1
7.	Chhawta to Arywar	8	7 1/2	..	1/2	1/2	1/2
8.	Soneli to Kamerio upto Meetha Majra.	25	18	2	7	7	7

P.No.197 and 159 half (Proceeding)

3	9	27	19	27	39	39	6.12	7.20
2	2	19 1/2	20	20	20	20	7.462	2.85
							0.176	1.12
							0.442	0.60
							1.106	1.08
							1.32	2.73
							...	0.90
							1.28	0.14
							0.142	0.13
							2.636	0.80
								50.39

परिशिष्ट 3,

(ता. सं. सं. 843 की सूची)

कम वर्षा वाले क्षेत्रों की फसल बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार व तिल मुख्य हैं। बाजरे पर अनुसंधान कार्य के फलस्वरूप एच. बी. 1 और एच. बी. 3 देशी बाजरे की तुलना में काफी उपयुक्त सिद्ध हुए हैं। पश्चिमी भाग में देशी बाजरे की औसत उपज 1 मन से 2 मन तक प्रति एकड़ होती है। जब कि इन शंकर किस्मों से उन्हीं परिस्थितियों में 5 मन से 10 मन प्रति एकड़ होती है। यदि वर्षा अच्छी हो और खाद मिल जावे तो यह पैदावार 15 मन तक हो जाती है।

मूंग के लिए दुर्गापुरा फार्म पर नई किस्मों आर. एस. 4 व आर. एस. 5 निकाली गई उनकी पैदावार देशी किस्मों के मुकाबले में 10 से 20 प्रतिशत अधिक हुई। इनका दाना भी देशी की अपेक्षा अच्छा और इक्सार है।

मोठ का अनुसंधान कार्य मण्डोर फार्म पर किया गया। कुछ चयन की गई नई जातियों ने देशी से 10 प्रतिशत अधिक पैदावार दी और कुछ में वाइरस रोग भी नहीं लगा। इस पर अनुसंधान कार्य अभी चल रहा है। देशी किस्मों में जड़िया मोठ जो लोहारू के आसपास मिलती है वह जोधपुर, नागौर और अन्य स्थानों की देशी किस्मों से ज्यादा अच्छी पाई गई। जब तक कोई नई किस्म निकले तब तक जड़िया मोठ का उत्पादन कृषि फार्मों पर किया जा रहा है।

ग्वार के परीक्षण मण्डोर और सुमेरपुर फार्म पर कई वर्षों से चल रहे हैं। दुर्गापुरा सफेद नामक किस्म जिसमें दुर्गापुरा तथा अन्य कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी देशी के मुकाबले में 10 प्रतिशत अधिक पैदावार दी, चयन की गई है। तिल के परीक्षण भी मण्डोर और सुमेरपुर फार्म पर हुए। इन परीक्षणों ने पूसा की एन. पी. 6 और यू. पी. क टी 10 नामक किस्म ने देशी से अधिक पैदावार दी। इसमें 45 से 47 प्रतिशत तक तेल है।

गेहूं की नई किस्म डी 134 और आर. एस. 31-1 कोटा डिवीजन में बारानी क्षेत्र में होता है जहां पर भूमि भारी दूमट है और पानी देने की आवश्यकता नहीं है। यह किस्में मध्य प्रदेश में भी काफी बारानी क्षेत्रफल के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अखिल भारतीय परीक्षण के आधार पर सिफारिश की है।

इसी तरह जौ की किस्म आर. एस. 6 भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने देश के मध्य प्रदेश (राजस्थान व मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग) के लिए सिफारिश की है। इन विभिन्न देशी तथा दूसरी उन्नत किस्मों ने 10 से 20 प्रतिशत तक अधिक पैदावार दी है।

तरबूज व खरबूजा के देशी बीज प्रान्त के पश्चिमी जिलों से लाकर दुर्गापुरा में

लगाये गये। इनकी पैदावार तथा आकार तथा मिठास कम थी। जो किस्म दुर्गापुरा अनुसंधान द्वारा दुर्गापुरा पर निकाली गई वह केवल चाही क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। खरबूजे में दुर्गापुरा मध्य व शंकर नं. 1 में मिठास 10 से 12 प्रतिशत तक होती है। कुल संकर किस्मों में यदि फसल ठीक हो तो यह मिठास 16 प्रतिशत तक आ जाती है। नये संकर किस्मों का उत्पादन दुर्गापुरा पर इसी साल किया गया है। तरबूज की भी नई किस्म दुर्गापुरा केसर व दुर्गापुरा मीठा व संकर 1 निकाली गई है जिसमें मिठास देशी किस्मों की अपेक्षा 15 प्रतिशत अधिक है।

परिशिष्ट 4

(ता.प्र.सं. 853 की सूची)

प्रतिलिपि

राजस्थान सरकार

राजस्व (ख) विभाग

प्रति–जिलाधीश, जयपुर।

क्रमांक एफ. 2 (128) राज।ख।68 जयपुर, दिनांक 13–3–70

विषय:–शान्तिदेवी बनाम सरकार नोटिस धारा 80 सी.पी.सी.

संदर्भ :–आपका पत्र क्रमांक आर. ए. द्वितीय। 70।330, दिनांक 17-1-70

महोदय,

उपरोक्त विषय में आदेशानुसार लेख है कि इस मामले में फिलहाल किसी कार्यवाही को आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,
ह.
अनुभागाधिकारी।

परिशिष्ट 5

(ता. प्र. सं. 854 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

नाम समिति रटलाई ग्राम सेवा सहकार समिति लि0, र. नं. 290/0 दिनांक पंजियन 14-6-56 जिला झालावाड़ राजस्थान की बकाया ऋण की सूची दिनांक 16-5-71 को

क्र. सं.	नाम सदस्य मय पिता का नाम	राशि जो बकाया		ओवर ड्यू होने की तिथि
		असल	ब्याज	
1	2	3	4	5
1.	धनसिंह पुत्र निर्भय	150.00	134.75	30-6-63
2.	सीताराम चम्पा	141.00	100.34	,,
3.	रामा ओंकार	150.00	86.87	,,
4.	रामचन्द छोटू	150.00	136.87	,,
5.	कालू नन्दा	63.50	73.44	30-6-63
6.	गफूरखां नामदारखां	300.00	180.10	,,
7	उदा नाथूराम	112.75	100.42	,,
8.	खातून बेवा अहमद	400.00	36.52	,,
9.	भैरू उदा	240.00	117.83	,,
10.	मन्नालाल रामलाल	650.00	59.35	31-5-70
11.	देवालाल नन्दीराम	474.00	419.62	30-6-63
12.	भूरू गोदा	114.25	100.22	,,
13.	शंकरलाल पन्नालाल	250.00	23.17	31-5-70
14.	बद्रीप्रसाद धन्नालाल	154.00	41.16	30-6-63
15.	उछा देवा	76.00	23.79	30-6-63
16.	रतनलाल दोला	200.00	141.68	,,
17.	देवलाल चम्पा	280.00	214.11	,,
18.	सूरजमल घासीलाल	440.00	218.56	,,
19.	हजारीलाल धन्नालाल	225.00	202.00	,,
20.	द्वारकालाल जगन्नाथ	390.00	143.87	,,
21.	रसूल सोरू	32.00	0.25	30-6-70
22.	रामा शोला	365.00	—	,,
23.	कंवरलाल काना	337.00	—	31-5-70

1	2	3	4	5
24.	बद्रीलाल कंवरलाल	1000.00	91.30	31-5-70
25.	बालाहरसिंह किसना	280.00	93.60	30-6-63
26.	नाथू मिश्रीलाल	430.00	278.00	,,
27.	कन्हैयालाल पन्नालाल	275.00	25.17	,,
28.	पूरालाल पन्नालाल	262.00	184.12	,,
29.	धूलीलाल बालाजी	350.00	31.95	,,
30.	रामलाल सीताराम	337.50	3.68	,,
31.	नन्दराम धूलोलाल	261.00	149.68	,,
32.	श्योचन्द धन्नालाल	550.00	50.20	31-5-70
33.	कन्हैयालाल ग्यारसीलाल	200.00	176.00	30-6-63
34.	हरलाल पन्नालाल	176.00	—	,,
35.	पूरालाल भवाना	137.00	98.00	,,
36.	देवलाल उदा	113.00	114.00	,,
37.	नारायण भंवरलाल	174.00	130.00	,,
38.	कजोड़ीलाल लखयी	300.00	269.00	,,
39	मांगीलाल हजारीलाल	1000.00	797.00	30-6-63
40.	यूनार खां काले खां	380.00	214.00	,,
41.	रामकंवर मथुरालाल	515.00	5.00	,,
42.	कंवरलाल नारायण	125.00	12.00	,,
43.	रतनीराम सीताराम	225.00	202.00	,,
44.	रामनारायण गणेशराम	310.00	277.00	,,
45.	नन्दा ऊदा	112.00	56.00	,,
46.	ऊदा ओंकार	180.00	84.00	,,
47.	नाथू घीसा	300.00	27.00	31-5-70
48.	मांगीलाल नन्दा	200.00	18.00	,,
49.	गंगाराम नन्दा	400.00	37.00	,,
50.	देवालाल किशना	150.00	—	,,
51.	रतन मोतीलाल	100.00	—	30-6-63
52.	किशन गोरधन	250.00	140.00	,,
53.	देवलाल गेन्दा	210.00	198.00	,,
54.	रतन मालू	50.00	19.00	,,
55.	रामा नाथू	175.00	159.00	,,

Page No 140

1	2	3	4	5
56.	मांगीलाल धूलीलाल	7.00	–	30–6–63
57.	रतन नन्दा	300.00	273.00	,,
58.	ओंकार नारायण	60.00	46.00	,,
59.	गंगाराम रामबक्स	275.00	25.00	31-5-70
60.	राधेश्याम द्वारालाल	175.00	16.00	,,
61.	मांगीलाल छोटू	350.00	32.00	,,
62.	प्रहलाद गजानन्द	150.00	14.00	,
63.	मोतीलाल अमरा	1150.00	105.00	,,
64.	मांगीलाल धूलीलाल	500.00	444.00	,,

परिशिष्ट 6

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये)
जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

चूरू जिला वेलफेयर बोर्ड

856. श्री रावतराम (छापर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला वेल्फेयर बोर्ड बनाये गये हैं ? यदि हां, तो चूरू जिला वेल्फेयर बोर्ड के सदस्य कौन कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) चूरू जिला वेल्फैयर वोर्ड की 1969-70 तथा 70-71 में कब कब कितनी बैठकें हुई तथा उनमें हरीजन कल्याण हेतु क्या क्या निर्णय लिये गये तथा उनका क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

(1) जी हां। सदस्यों के नामों व अधिकारियों के पदों की सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चूरू जिला वेल्फेयर वोर्ड की वर्ष 69-70 में हुई बैठकों की सूचना तथा उनमें लिये गये मुख्य निर्णयों व उनके परिणामों की सूचना सूची 'ब' में अंकित कर सदन की मेज पर रख दी गयी है। वर्ष 70-71 की बैठकों का विवरण जिलाधीश से अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

सूची 'अ'

जिला वेल्फेयर बोर्ड चूरू के सदस्यों की सूची

1.	जिलाधीश, चूरू	अध्यक्ष
2.	श्री रावतराम, सदस्य विधान सभा	सदस्य
3.	श्री मघाराम, प्रतिनिधि जिला दलित वर्ग संघ	सदस्य
4.	श्री फूसारामजी, समाज सेवक	सदस्य
5.	श्री हनुमानमलजी वैद्य, समाज सेवक	सदस्य
6.	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, बीकानेर	सदस्य—सचिव
7.	अधीक्षक, आरक्षी, चूरू	सदस्य
8.	निरीक्षक, शिक्षाशालाएं, चूरू	सदस्य
9.	अध्यक्ष, नगरपालिका, चूरू	सदस्य
10.	प्रमुख, जिला परिषद्, चूरू	सदस्य
11.	जिला स्तरीय अधिकारी, कृषि व उद्योग, चूरू	सदस्य

सूची 'ब'

जिला वेल्फेयर बोर्ड, चूरू की वर्ष 1969–70 में हुई बैठकों की सूचना

बैठक दिनांक	मुद्दा निर्णय	परिणाम
1	2	3
4–1–69	(1) बापा सेवा सदन सरदार शहर की स्कूल बनाने हेतु सिफारिश।	(1) शिक्षा विभाग द्वारा भवन निर्माण हेतु वर्ष 1969–70 में 30,000/–रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया था। भवन का निर्माण भी हो चुका है।
	(2) छात्रावास चूरू के भवन वृद्धि की सिफारिश।	(2) भवन पर 33000/–रुपये की लागत लगा कर भवन दो मंजिला कर दिया गया है।
	(3) हरिजनों को भवन निर्माण हेतु सहायता।	(3) रतनगढ़ में 20 मेहतर परिवारों व 2 रेगर परिवारों को प्रति परिवार 1000.00 रुपए का अनुदान वर्ष 1969–70 में स्वीकृत किया था। इसी प्रकार राजगढ़ के 2 मेहतर परिवारों को तथा चूरू के 8 मेहतर परिवारों को गृह निर्माण हेतु प्रति परिवार 1000.00 रुपये की दर से अनुदान स्वीकृत किया गया था।

15–8–69 और 25–2–70

(1) हरिजन बस्तियों में नल बिजली लगाने हेतु धनराशि की मांगी

(1) वर्ष 1969–70 में चूरू जिले में निम्न स्थानों के लिए बिजली व नल के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं:—

क्रमांक	स्थान	वर्ष	बिजली के लिए राशि	नल के लिए राशि
1.	चूरू	1969–70	3200	5650
2.	रतनगढ	,,	—	7270
3.	सरदार शहर	,,	1320	9750
4.	सुजानगढ	,,	—	6900
5.	तारानगर	,,	—	5800
6.	बीदासर	70–71	—	11000
7.	तारानगर	,,	—	5000

(2) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

(2) चूरू जिले में प्राप्त सूचना के आधार पर गांधी शताब्दी वर्ष में अब तक 22 परिगणित जाति के परिवारों को 218 एकड़ भूमि आवंटित की गई।

(3) अकाल राहत में हरिजनों को विशेष सुविधा दी जाय।

(3) अकाल राहत कार्यों में हरिजनों एवं अन्य में भेदभाव करना संभव नहीं है।

	(4) राज्य सवाओं में इन जातियों के स्थान सुरक्षित करने के सम्बन्ध में।	(4) राज्य सेवाओं में केवल अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित स्थान 17 प्रतिशत कर दिये गये हैं।
	(5) हरिजन कुंड निर्माण करने के सम्बन्ध में।	(5) हरिजनों को कुंड बनाने हेतु सहायता देने का प्रावधान नहीं है।
	(6) सुजानगढ़ तथा सादुलशहर में छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में।	(6) सुजानगढ़ में 25 छात्रों का तृतीय श्रेणी छात्रावास वर्ष 69–70 से चालू कर दिया गया है।
22–12–70	कार्यवाही बिलाधीश से प्राप्त नहीं हुई।	

ग्राम गोकुलपुरा में सड़क निर्माण कार्य

857. श्री लादूराम सुलानिया (फागी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिलाधीश जयपुर की स्वीकृति अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग, भवन व पथ द्वारा 10,000) रु. की लागत से एक सड़क का निर्माण ग्राम गोकुलपुरा तहसील जिला जयपुर में किया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सत्य है कि इस सड़क का निर्माण सार्वजनिक हित के विपरीत एक भू. पू. अधिकारी को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से सैंकड़ों ग्राम व ग्रांवलों के वृक्षों को काट कर किया जा रहा है और ग्राम झोटवाड़े के कई गरीबों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है?

(3) क्या यह भी सत्य है कि खातीपुरा रोड से बाबा बजरंग दासजी की बगीची के पास से एक रोड गोकुलपुरा ग्राम में जाने के लिये वर्षों से पत्थर जोड़े हुए हैं और उसमें केवल एन्जिन का कार्य ही शेष है जिसके निर्माण हेतु स्थानीय झोटवाड़ा विकास समिति द्वारा समय समय पर मुख्य मंत्री महोदय, सार्वजनिक निर्माण मंत्री एवं जिलाधीश को मांग-पत्र भी दिये जा चुके हैं?

(4) क्या यह भी सत्य है कि इस सम्बन्ध में स्थानीय जनता की प्रार्थना पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक इन्जीनियर ने फरवरी 70 को मौका भी देखा है और जनता ने उन्हें पैरा संख्या 3 में वर्णित सड़क की बाबत जानकारी दी?

(5) क्या राज्य सरकार वर्तमान में बनाई जा रही सड़क के कार्य को बन्द कर पैरा संख्या 3 में वर्णित रास्ते पर सड़क बना कर गरीब कृषकों को नुकसान से बचायेगी?

(6) क्या यह भी सत्य है कि यह राशि अकाल सहायता कोष से स्वीकृत हुई है? यदि हां, तो क्या इसका लाभ उस क्षेत्र की जनता को मिलेगा?

उत्तर

(1) जी हां, स्वीकृति मुख्य अभियन्ता द्वारा दी गई थी।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं, सिर्फ 800 फीट लम्बाई में पत्थर जुड़े हुए हैं बाकी सारा कार्य शेष है।

(4) जी नहीं। साधारणतया कार्य क्षेत्र पर जाते समय इस कार्य पर भी गये थे।

(5) जी नहीं। वर्तमान में निर्मित सड़क के कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जायगा।

(6) जी नहीं।

चारागाह की भूमि

858. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत ग्रागुंता और भामासी तहसील डीडवाना जिला नागौर के क्षेत्र के ग्रामों में चारागाह

(श्री हरजीराम बुरड़क)
भूमि सरकार द्वारा घोषित की हुई है ? यदि हां, तो कब कब से कितनी कितनी भूमि किस ग्राम में है ? खसरा नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त पंचायत ने चारागाह भूमि घोषित कराने के लिये अपने प्रस्ताव सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेज रखे हैं ? यदि हां, कब कब से और किस अधिकारी के पास और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(3) नियमानुसार चारागाह भूमि घोषित करवाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा इस कार्यवाही को अंतिम रूप देने के लिए क्या कोई समय निर्धारित है ? यदि हां, तो कितना और उसकी अनुपालना कहां तक हुई ?

(4) क्या यह सही है कि इन क्षेत्रों में चारागाह भूमि घोषित की जानी चाहिये ? यदि हां, तो अब तक क्यों नहीं की गई और अब कब तक कर दी जावेगी।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ग्राम पंचायत आंगुता व भामासी में चारागाह भूमि घोषित किये जाने के प्रस्ताव दिनांक 18–3–70 को तहसील डीडवाना में घोषित किये थे जिसके सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

(3) चारागाह घोषित कराने के लिये पंचायत के प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत बने नियमों के नियम 6 के अनुसार सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा मौके की जांच व उजरदारी तलब की जाकर उजरदारी के निर्णयानुसार चारागाह घोषित किये जाने की सिफारिश सम्बन्धित उप क्षेत्रीय अधिकारी को किये जाने पर सम्बन्धित उप क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा चारागाह भूमि घोषित की जाने की कार्यवाही की जाती है।

(4) आम तौर से हर गांव में चारागाह भूमि घोषित होनी चाहिए, किन्तु यह गांव में उपलब्ध भूमि पर आधारित है व ग्राम में भी पड़त भूमि, अथवा आंगोर आदि भूमि होती है उसमें मवेशी चर सकती है, जिसमें कोई रोकटोक नहीं होती है, इस मामले में मौके की जांच पूर्ण होने पर उक्त ग्राम पंचायतों में चारागाह भूमि घोषित की जा सकेगी।

हिण्डौन–बयाना व करोली–महुआ सड़कों की मरम्मत

859. श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि हिण्डौन से बयाना व करौली से महुवा जाने की सडकें बहुत खराब हो चुकी हैं ? यदि हां, तो सरकार इन सड़कों को ठीक कराने के सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ?

(2) क्या यह सच है कि इन सडकों की मरम्मत हेतु प्रत्येक वर्ष धनराशि मंजूर हुई है ? यदि हां, तो सन् 1967 से अब तक प्रत्येक वर्ष में कितनी कितनी धनराशि प्राप्त हुई है और सरकार ने उसमें से कितनी

Page No 147

(श्री श्रवणलाल)

कितनी धनराशि प्रत्येक वर्ष में खर्च की है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां । 1971-72 में इनको ठीक करने के लिए प्रावधान रखा गया है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची तारांकित प्रश्न संख्या 182।सा. नि. मं.

व्यय धनराशि

नाम रोड	वर्ष 1967-68	वर्ष 1968-69	वर्ष 1969-70	वर्ष 1970-71
(1) हिन्डौन से बयाना	13,585.95	22,514.74	10,166.64	16,743.35
(2) मण्डावर से करौली	52,733.19	96,888.72	55,246.59	1,12,518.16

मण्डी समिति के टैक्स की दर

860. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता):– क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान की प्रमुख अनाज मण्डियों में कृषि मन्त्री कानून लागू कर दिया गया ? यदि हां, तो इन मण्डियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मन्डी समिति के टैक्स की दर विभिन्न मण्डियों में अलग अलग है ? कृपया सभी मण्डियों के टैक्स की दर समेत सूची सदन की पर मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सभी मण्डियों में प्रति वर्ष लाईसेन्स रिन्युअल फीस एक नहीं होने से लोगों को बड़ी परेशानी है ? कृपया बताये कि रिन्युअल फीस किस मन्डी में क्या क्या ली गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) मन्डी समितियों द्वारा कोई टैक्स नहीं लिया जाता है।

(3) जी नहीं। लाइसेन्स शुल्क तथा उसके नवीनीकरण की दरों की सूची संलग्न है।

विभिन्न मंडी समितियों द्वारा निर्धारित शुल्क की दरें

(कृषि मन्त्री)

क्र.	मंडी समिति	आढ़तियों तथा व्यापारियों का अनुज्ञा-पत्र शुल्क (रु. में)	
		मूल अनुज्ञा पत्र शुल्क (रुपयों में)	नवीनीकरण (रु. में)
1	2	3	4
1	अलवर	50	50
2	खेरथल	50	50
3	खेड़ली	50	50
4	भरतपुर	40	40
5	कामां	50	50
6	डोसा	30	30
7	नदबई	30	10
8	धौलपुर	50	30
9	बाड़ी	30	30
10	बयाना	30	15
11	जयपुर (खाद्यान्न)	50	50
12	जयपुर (साग सब्जी)	50	50
13	दौसा	50	50
14	कोटपूतली	50	30
15	बांदीकुई	50	25
16	चाकसू	50	25
17	नरैना	50	20
18	चौमू	50	25
19	अजमेर	50	25
20	मदनगंज	40	40
21	ब्यावर	50	20
22	विजयनगर	50	12.50
23	केकड़ी	30	15
24	नीमकाथाना	50	50
25	सीकर	50	50
26	श्रीमाधोपुर	50	51
27	फतेहपुर	50	50
28	सूरजगढ़	50	50

(कृषि मन्त्री)

1	2	3	4
29	चिड़ावा	50	50
30	सवाई माधोपुर	50	30
31	गंगापुर	50	25
32	हिन्डौन	50	30
33	महुवा मण्डावर	50	15
34	टोंक	50	25
35	मालपुरा	50	30
36	निवाई	50	25
37	देवली	30	30
38	कोटा	50	10
39	बारां	50	10
40	रामगंज मंडी	40	15
41	सुमेरगंज	50	11
42	अन्ता	60	10
43	बून्दी	50	50
44	भवानी मंडी	50	15
45	चौमेला	40	20
46	उदयपुर	11	11
47	नाथद्वारा	25	25
48	फतेहनगर	50	30
49	भीन्डर	75	50
50	कपासन	50	50
51	निम्बाहेडा	50	31
52	प्रतापगढ़	50	50
53	वेगूं	50	50
54	भीलवाड़ा	50	30
55	गुलाबपुरा	50	50
56	बांसवाड़ा	50	50
57	डूंगरपुर	–	–
58	पाली	30	15
59	सोजतरोड़	50	50
60	जैतारण	50	35
61	रानी	50	25

(कृषि मन्त्री)

1	2	3	4
62	सुमेरपुर	50	25
63	शिवगंज	50	25
64	आबू रोड	50	35
65	जोधपुर	50	50
66	बिलाड़ा	50	50
67	पीपाड़ सिटी	50	50
68	नागोर	50	15
69	मेड़ता सिटी	50	25
70	कुचामन सिटी	50	25
71	भीनमाल	50	50
72	बाड़मेर	50	50
73	बालोतरा	50	30
74	सरदारशहर	–	–
75	सादुलशहर	50	5
76	श्रीगंगानगर	50	25
77	रायसिंहनगर	50	25
78	श्रीकरणपुर	30	30
79	श्रीविजयनगर	50	25
80	नोहर	50	25
81	भादरा	50	50
82	हनुमानगढ़	50	40
83	सांगरिया	40	30
84	पदमपुर	50	25
85	गजसिंह पुरा	50	25
86	केशरीसिंहपुर	50	20
87	सादुलशहर	50	30
88	पीलीबंगा	50	15
89	बीकानेर	50	25
90	नोखा	25	25

सालपुरा-इकलेरा सड़क की मरम्मत

861. श्री प्रेमसिंह सिघवी : (छबड़ा) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की छीपाबडोद तहसील की सालपुरा से छीपा बडोद, छीपाबडोद से सारथल होती हुई सड़क पक्की जो इकलेरा जाती है उसकी हालत बहुत ही खराब है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क पर करीब 5-6 वर्ष से किसी प्रकार की मरम्मत का काम नहीं हुआ है ?

(3) क्या मन्त्री महोदय यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि आने वाले बजट में इस सडक की मरम्मत का या दुरुस्ती का कार्य शुरू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) कार्य विचाराधीन है। मरम्मत अर्थाभाव के कारण कराया जाना सम्भव नहीं है।

बडोद रूंध की सिवाय चक जमीन

862. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार ने बहरोड़ (अलवर) तहसील की बड़ोद रूंध की सिवाय चक जमीन को अलाट करने की आज्ञा जारी थी ?

(2) क्या यह सही है कि गांधी शताब्दी के साल में ही अलवर कलक्टर ने अन्य जंगलात की जमीनों के साथ साथ ही बड़ोद रूंध को अलाट करने की आज्ञा जारी की थी ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने इस लोक सभा के चुनाव के पहले इस रूंध की जमीन को अलाट न किए जाने की आज्ञा दी है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि इस रूंध की जमीन में से सरकार ने किसी अलवर जिले से बाहर के शख्स को कुछ जमीन अलाट कर दी है ? यदि हां, तो किसको कितनी जमीन कब व क्यों अलाट की गई है ?

(5) क्या सरकार अब बडोद की रूंध की जमीन बे जमीन काश्तकारों को अलाट करने की आज्ञा देगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है । राजस्व (क) विभाग के आदेश द्वारा रूंध बडोदा में 1200 बीघा भूमि भूमिहीन काश्तकारों को आवंटन के लिए वन विभाग से राजस्व विभाग में परिवर्तन की गई। इस भूमि का दखल राजस्व विभाग ने दिनांक 19-12-70 को प्राप्त किया है।

(2) जी हां, यह सही है। जिलाधीश द्वारा समस्त उप जिलाधीशों को अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही को लिखा गया था। लेकिन रूंध बडोद की भूमिका चार्ज दिनांक 29-12-70 को मिलने के कारण गांधी

(राजस्व मंत्री)
शताब्दी वर्ष अर्थात दिनांक 14-11-70 तक इस भूमि का आवंटन नहीं किया जा सका।

(3) यह सही है कि बडोद की भूमि का आवंटन न करने की आज्ञा प्रदान की है।

(4) जी हां, यह सही है कि रूंघ बड़ोद में 41 बीघा भूमि ब्रिगेडियर बी. सी. चौहान परमवीर चक्र को आवंटन की है। यह आवंटन स्थगन आदेश प्रचलित किये जाने से पहले किया गया है।

(5) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

छात्र वृत्ति की रकम

863. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मन्त्री महोदय ने सदन में यह घोषणा की थी कि छात्र वृत्ति की रकम छात्रों को विद्यालय आरम्भ (सत्र के प्रारम्भ) होने के एक दो माह बाद ही मिल जायगी ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र कठूमर की शालाओं में पढ़ने वाले छात्रों को अभी मार्च, 1971 तक की छात्रवृत्तियों की रकम अदा नहीं की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। मार्च, अप्रेल की छात्रवृत्ति स्कूलों के खुलने पर माह जुलाई में दी जाती है।

बारां मांगरोल सड़क

864. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां से मांगरोल होता हुआ वाया बमोरी कलां श्योपुर बस रूट है ?

(2) क्या यह सही है कि मांगरोल से आगे इस मार्ग पर न बस चल सकती है, न बैल गाड़ी चल सकती है। यदि हां, तो क्यों ?

(3) यह मार्ग कब तक पक्का हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कच्चा मार्ग होने के कारण केवल वर्षा काल में यातायात की कठिनाई होती है।

(3) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है। इन्टर स्टेटल मीटिंग में इस पर विचार कर लिया जावेगा।

ग्राम किशनगंज का छात्रावास

865. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील किशनगंज के ग्राम किशनगंज के छात्रावास में इस वर्ष के प्रारंभ

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

से अब तक किस-किस ग्राम के किस जाति के किस किस कक्षा व योग्यता के छात्रों को प्रवेश दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि किशनगंज छात्रावास से बारां तहसील के ग्राम हरिपुरा के एक निर्धन अनुसूचित जन जाति (मीणा) के छात्र को निकाल दिया है ?

(3) क्या उस छात्र को छात्रावास अधिकारी द्वारा कोई नोटिस दिया गया है ? यदि हां, तो नोटिस की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) किशनगंज के छात्रावास में सत्र 1970–71 में प्रवेश दिये गये छात्रों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। बारां तहसील के ग्राम हरिपुरा के छात्र श्री जमनालाल मीणा कक्षा 10 को सतत् अनुशासनहीनता एवं उदंडता के कारण छात्रावास से पृथक् कर दिया गया था।

(3) जी हां। श्री जमना लाल छात्र को अधीक्षक द्वारा दिये गये चेतावनी पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न है।

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक विशेष दिनांक 3–1–71 द्वारा अधीक्षक राजकीय समाज कल्याण छात्रावास, किशनगंज, जिला कोटा राजस्थान वास्ते श्री जमनालाल छात्र मीणा कक्षा–10 छात्रावास किशनगंज। प्रतिलिपि श्री जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, कोटा।

'विषय:–तुमने छात्रावास अटरू के सात छात्रों को किस अधिकार से छात्रावास में ठहराया और खाना खिलाया।

उपरोक्त विषय में उत्तर शीघ्र देवें कि तुमने मेरी बिना इजाजत छात्रावास अटरू के सात छात्रों को मेरे पीछे से किस अधिकार से खाना खिलाया ? इसका शीघ्र उत्तर देवें। क्या वे छात्र अटरू छात्रावास अधीक्षक का लिखा हुआ आदेश लाये थे। और उस पर मैंने मंजूरी दे दी थी ? तुम इस छात्रावास के छात्रावास अधीक्षक को उन सात छात्रों के नाम भी लिख कर देवें। उन छात्रों की डाइट के खर्च का क्या होगा उसे कौन देगा क्या तुम पैसा जमा कराओगे तो अभी हाल पैसा जमा देवें 0.50 प्रति छात्र के हिसाब से इसका उत्तर 4 घंटे में देवें।

राजकीय समाज कल्याण विभाग छात्रावास, किशनगंज छात्र सूची 1970-71 प्रवेश।

क. सं.	नाम छात्र	कक्षा	जाति	ग्राम
1	2	3	4	5
(1)	श्री जमनालाल पुत्र चन्दालाल	10	मीणा	हरिपुरा
(2)	श्री अर्जुनलाल पुत्र मुखलाल	9	बैरवा	इकलेरा सागर
(3)	श्री रामरतन पुत्र जगन्नाथ	9	मीणा	रास पुलिसा
(4)	श्री मोहनलाल पुत्र नेनगीलाल	9	भील	कामठा
(5)	श्री मदनलाल पुत्र गिरधारीलाल	5	बैरवा	इकलेरा
(6)	श्री गोरधनलाल पुत्र तेजमल	8	बैरवा	उदयपुरिया
(7)	श्री जगन्नाथ पुत्र कन्हैयालाल	7	बैरवा	डंड छगपुरा
(8)	श्री घनश्याम पुत्र गोपीलाल	7	मीणा	,,
(9)	श्री भगवानसिंह पुत्र जयलाल	7	मीणा	रगसपुरिया
(10)	श्री गुलाबसिंह पुत्र जयलाल	7	मीणा	,,
(11)	श्री नाथूलाल पुत्र शिवलाल	7	बैरवा	झालेड़ा
(12)	श्री छीतरलाल पुत्र गोपीलाल	6	भील	बजरंग गढ़
(13)	श्री रामकरण पुत्र भैरूलाल	6	भील	,,
(14)	श्री मूलचन्द पुत्र भंवरलाल	6	बैरवा	भवानीपुरा
(15)	श्री मोहनलाल पुत्र कन्हैयालाल	6	बैरवा	डंड छपपुरा
(16)	श्री लट्टूरलाल पुत्र शंकरलाल	6	खटीक	रैलावन
(17)	श्री राधाकिशन पुत्र कालूलाल	7	मीणा	घिलोडा
(18)	श्री रूपलाल पुत्र हरमानन्द	6	मीणा	चुरेलिया
(19)	श्री मंशाराम पुत्र वीरभान	6	मीणा	लसेडिया
(20)	श्री भैरूलाल पुत्र हजारीलाल	6	मीणा	दासपुरिया
(21)	बाबूलाल पुत्र नन्दलाल	8	मीणा	हरिपुरा
(22)	श्री छीतरलाल पुत्र प्रहलाद	7	मीणा	हरिपुरा
(23)	श्री चन्दसेन पुत्र कल्याण	8	मीणा	चुरेलिया
(24)	श्री बाबूलाल पुत्र रामनाथ	6	मीणा	हरिपुरा
(25)	श्री मोहनलाल पुत्र अर्जुनलाल	7	मीणा	धीनोद
(26)	श्री रमेशचन्द्र पुत्र छीतरलाल	7	मेहतर	किशनगंज
(27)	श्री लालचन्द पुत्र रामकरण	6	मीणा	घुरेलिया
(28)	श्री रामकिरण पुत्र राधाकिशन	6	बैरवा	इकलेरा सागर
(29)	श्री नन्दकिशोर पुत्र घुलीलाल	6	बैरवा	,,
(30)	श्री देवीलाल पुत्र मांगीलाल	6	बैरवा	इकलेरासागर

नागौर जिले में गांधी शताब्दी वर्ष में आवंटित भूमि

866. श्री परसराम गंगाराम (परवतसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि गांधी शताब्दी वर्ष में नागौर जिले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों को कृषि योग्य भूमि दी गई है ? अगर हां, तो किस किस तहसील में कितनों को ? सूची सदन में पेश करें।

(2) क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों को दी गई जमीनों का कब्जा दे दिया गया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सच है कि खेजडला ग्राम, तहसील परवतसर में गांधी शताब्दी में हरिजनों को अलाट की गई जमीनों में से उस गांव के व्यक्तियों द्वारा पेड़ आदि काट लिये गये थे ? अगर हां, तो क्या पटवारी ने पुलिस तथा एस. डी. ओ., परवतसर को रिपोर्ट की थी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

रतनगढ़ शहर की सड़कें

867. श्री लालचन्द ंद (सुजानगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रतनगढ़ शहर में बनी सड़कों की देखरेख व मरम्मत का जिम्मा सार्वजनिक निर्माण विभाग का है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वार्ड नं. 2 व 3 की सड़कों की हालत बहुत ही शोचनीय हो चुकी है ?

(3) क्या सरकार इन सड़कों पर चढ़ी हुई मिट्टी को हटवा कर इनका लेवलिंग ठीक तरह से करवा कर इनका पुनर्निर्माण करवाने की योजना बताने का इरादा रखती है ?

उत्तर

1. जी नहीं, सिर्फ मेसर्स सूरजमल नागरमल झालान रतनगढ़ फर्म की बनाई गई बीकानेर स्टेट के समय की सड़कों को देख रेख व मरम्मत का ही जिम्मा है।

2. जी हां।

3. उपलब्ध धनराशि के अनुसार ही इन सड़कों पर कार्य करवाया जाता है ।

जैसलमेर जिले में तेल, पैट्रोल एवं गैस का कार्य

868. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में आइल और गैस विभाग पैट्रोल के लिये कार्य कर रहा है ? अगर हां, तो राजस्थान सरकार को इसकी प्रगति की सूचना मिलती है या नहीं ? अगर नहीं, तो आज तक राज्य सरकार ने केन्द्र से इस सम्बन्ध में कोई पत्र व्यवहार किया है ?

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

(2) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र से आज तक पैट्रोल और आइल विभाग को जैसलमेर में कार्य करने के लिए लिखा है ?

(3) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करने के प्रश्न पर विचार करेगी कि लूणार गांव में पैट्रोल की सम्भावना बढ़ गई है और वहां डीप ड्रिलिंग के काम प्रारम्भ करें ?

उत्तर

1. जैसलमेर जिले में आइल और गैस विभाग पैट्रोल व गैस के लिए कार्य कर रहा है। प्रगति की सूचना प्राप्त होती रहती है।

2. जी हां।

3. केन्द्रीय सरकार से इस प्रकार का अनुरोध किया गया है।

स्थगित प्रश्न

(6–5–71)

सगतड़ा–सेरिया सड़क पर पुलिया का निर्माण

680. श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या परसाद से सगतड़ा, सेरिया वाया चावण्ड सड़क पर पुलियों का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो परसाद से सेरिया, सगतड़ा वाया चावण्ड सड़क पर कुल कितनी पुलियों का निर्माण कराया गया है और कितनी पुलियों पर लेण्टल डालने का कार्य अधूरा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि सड़क का कार्य अपूर्ण होने से आवागमन में अड़चन पैदा होती है ?

उत्तर

1. जी हां। 18 पुलियाएं बनी हैं जिनमें से 8 पर लेण्टल डालने का कार्य शेष है।

2. जी हां।

परिशिष्ट 7

(ता. प्र. सं. 847 की सूची)

राजामल के तालाब कंवर नगर में किये गये विकास कार्यों का विवरण

क्र.सं.	नाम कार्य	अनुमानित व्यय	वास्तविक व्यय	वर्ष कार्य समाप्ति
1	2	3	4	5
1.	प्लाट नं. 184 से 203 तक डामर की सड़क बनाना	11,499	9,500-69	मार्च 63
2.	प्लाट नं. 202 से 115 डामर की सड़क बनाना	11,974	11,885-41	अक्टूबर 65
3.	राजामल के तालाब में गटर की लाईन डालना	1,500	1,348-00	अगस्त 64
4.	80 क्वार्टरों के पीछे 6 ई. की गटर लाईन डालना	6,972	6,516-00	नवम्बर 65
5.	नाले से पार्क तक डामर की सड़क की मरम्मत करना	990	937-89	3-6-70
6.	पार्क से चौराहे तक डामर की सड़क की मरम्मत करना	990	986-70	3-6-70
7.	चौराहे से तालकटोरे तक डामर की सड़क की मरम्मत करना	990	987-89	3-6-70
8.	प्लाट नं. 118 से पश्चिम की तरफ डामर की सड़क की मरम्मत ।	990	974-13	18-12-70
9.	राजामल के तालाब में नाले की खुदाई कराना तथा नालियां बनाना । यह कार्य दिनांक 25-8-70 को मनमोहन कैलाशचन्द्र ठेकेदार को दिया गया था । इन्होंने कार्य चालू नहीं किया है । उसके लिए फाईनल नोटिस दिया जा चुका है और नियमानुकूल कार्यवाही ठेकेदार के विरुद्ध की जा रही है ।	13,215		

परिशिष्ठ 8

(अ. प्र. सं. 746 की सूची)

राजकीय कृषि फार्मों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	नाम फार्म	क्षेत्रफल (एकड़)	चालू होने का वर्ष
1	2	3	4	5
1	अजमेर	1-तबीजी	100	1958-59
2	अलवर	2-नौगांव	172	1963-64
3	भरतपुर	3-सेवर	100	1957-58
		4-बसेरणी (खमरी)	120	1957-58
		5-मलिकपुर	100	1964-65
4	भीलवाड़ा	6-अरजिया	69	1957-58
		7-कल्याणपुरा	100	1965-66
		8-कोटड़ी	208	1967-68
5	बूंदी	9-मटूण्डा	101	1958-59
		10-सियाना	129	1966-67
		11-छतरपुरा	55	1951-52
6	हनुमानगढ़	12-हनुमानगढ़	250	1958-59
7	जयपुर	13-पड़ासौली	475-50	1948-49
		14-बस्सी	116-81	1928-29
		15-दुर्गापुरा	133	1959-60
8	जैसलमेर (जोधपुर)	16-जैठा	1000	1660-61
9	जालोर	17-सांथू	130	1966-67
10	झालावाड़	18-खानपुरा	132	1960-61
		19-अकलेरा	107	1965-66
11	जोधपुर	20-रामपुरा	127	1958-59
		21-बिलाड़ा	32	स्टेट टाइम
12	कोटा	22-उम्मेदगंज	1600	1960-61
		23-कवाई	132	1966-67
		24-सुल्तानपुरा	[illegible]9-5	1964-65
13	पाली	25-हेमावास	100	1958-59
		26-सुरायता	151	1958-59

1	2	3	4	5
		27–सुमेरपुर	180	1963–64
14	सवाई माधोपुर	28–सवाई माधोपुर	70–5	1658–59
		29–वहुरावन्डा	100	1957–58
15	श्री गंगानगर	30–श्री गंगानगर	219	1951–52
		31–पदमपुर	78–12	1951-52
		32–जैतसर	78–12	1951–52
16	टोंक	33–फरासिया	75	1967–68
17	उदयपुर	34–धरियावाद	100	1958–59
		35–लावा सरदारगढ़	105	1959–60

Statement Showing the expenditure incurred on the work done on the Agriculture Farms since the formation of the farms till 1967-68.

1.	Fencing	5,08,342
2.	Levelling and layout	1,59,247
3.	Reclamation of land	2,34,218
4.	Repairs and deepening of old wells.	59,35
5.	Tube wells.	80,898
6.	Installation of pending sets	1,83,200
7.	Construction of pump house.	17,625
8.	Construction of irrigation channels	3,42,306
9.	Construction of water reservoir	26,87
10.	Construction of implement shed	87,405
11.	Construction of threshing floor.	92,624
12.	Purchase of bullocks	69,983
13.	Bullock drawn implements.	51,890
14.	Purchase of tractor implements.	2,49,338
15.	Repairs of farm building.	97,076
16.	Other development works.	76,178
	TOTAL:	25,24,049

परिशिष्ट 9

(अ. प्र. सं. 690 की सूची)

ऊसर एवं खादर भूमि का क्षेत्रफल

जिलेवार सूची

क्र. स.	नाम जिला	ऊसर एवं खादर भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टरों में)
1	अजमेर	40033
2	अलवर	33564
3	बांसवाड़ा	19911
4	बाड़मेर	15782
5	भरतपुर	16999
6	भीलवाड़ा	68648
7	बीकानेर	110189
8	बूंदी	132532
9	चित्तौडगढ़	52528
10	चूरू	निल
11	डूंगरपुर	5321
12	गंगानगर	412
13	जयपुर	44018
14	जैसलमेर	137511
15	जालौर	94741
16	झालावाड़	28661
17	झुंझुनू	5152
18	जोधपुर	31698
19	कोटा	78970
20	नागौर	59609
21	पाली	58185
22	स. माधोपुर	40047
23	सीकर	7699
24	सिरोही	25431
25	टोंक	41901
26	उदयपुर	38649
	राजस्थान राज्य	13,30,281

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 19 मई, 1971)

स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
2		5	वगर	अगर
8		17	श्री लाभचन्द वद	श्री लाभचन्द वैद
9	अन्तिम से	5	चार्जसीट	चार्जशीट
15	,,	3	नियमानुषार	नियमानुसार
17	,,	10	श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न	दूसरा प्रश्न
18	,,	10	श्री अध्य	श्री अध्यक्ष
18	,,	7	गाडी	गाडिया
25	,,	7	जिजेमें	जिले में
32		6	पट्टियों	पट्टियां
33		15	देदेहूं	दे देता हूं
35		14	(जावल)	(जायल)
35	अन्तिम से	5	कि है ?	किया है ?
35	,,	2	वुनों	चुनावों
43	,,	2	कलम	क्लेम
44	,,	13	मेजर श्री फहसिंह	मेजर श्री फतेहसिंह
44	,,	9	मया	गया
46	,,	3	डिपार्टमेन्टल	डिपार्टमेंट
48	,,	17	मयदद	मदद
54		1	आयटन	आवंटन
55	अन्तिम से	1	करमें	रकमें
61	,,	6	कर्यवाही	कार्यवाही
68		10	काण्ड	फंड

1	2		3	4
83		2	कोलोनाइजेशन	कोलोबोरेशन
85	अन्तिम से	8	मेड़ो	मेड़
94		10	बाउन्ट्री	बाउन्ड्री
95		5	हस्तशेप	हस्तक्षेप
108 से 258	शीर्षक		शासकीय वक्तव्य–19 मई, 1971–शासकीय वक्तव्य	राजस्थान विनियोग (सं. 2)–19 मई, 1971–विधेयक, 1971
108		8	Shonld	Should
"		8	Herc	Here
109		5	हो	ही
111	अन्तिम से	2	सर	कर
116		14	कान्टीट्यूशनल	कान्स्टीट्यूशनल
120		1	ना	नाम
143	अन्तिम से	4	संतोष	असंतोष
144	"	7	काश्तकारी	काश्तकार
154		12	वैठका	बैठकर
"		20	काश्तकार	काश्तकर
"	अन्तिम से	1	बेचेगी	बचेगी
156	"	12	देने	देने की
"	"	8	कारणवार	कर्णधार
158		10	सूरतग	सूरतगढ़
"		17	यन्तर्गत	अन्तर्गत
159		17	काबिल	काबिज
161	अन्तिम से	2	खाने	जाने
162	"	8	एलाट	अलाट
"	"	5	की	का
169	"	2	वाली	वाला

1	2	3	4	5
181	अन्तिम से	4	विया	दिया
184	अन्तिम से	16	गैसे	पैसे
186		4	कोलोनाइजेश्रन	कोलोनाइजेशन
,,	अन्तिम से	8	आता	अंता
190		10	अमेन्टमेन्ट	अमेन्डमेन्ट
201	अन्तिम से	4	वोनाफइड	वोनाफाइड
202		2	त	बात
,,		18	भूनपूर्व	भूतपूर्व
210		17	आकषित चाहूंगा	आर्कषित करना चाहूंगा
213		14	चाहने	चाहते
229	अन्तिम से	5	15 म	15 मई
230		8	चालक	चालक
234	अन्तिम से	1	डिकिग	ड्रिंकिग
245	,,	11	एकढ़	एकड़
253	,	1	मियिट	मिनिट
254	,,	10	को	को
260 से 262	शीर्षक		शासकीय वक्तव्य–19 मई, 1971–शासकीय वक्तव्य	परिशिष्ट–19 मई, 1971–परिशिष्ट